राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या : 10

सोमवार,

20 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल।

राज्य में भूगर्भ विषय के शिक्षकों की भर्ती

146. **श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय में भू-गर्भ विज्ञान का पाठ्यक्रम लागू किया गया है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त विषय के अध्यापन हेतु विषय अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती कर ली गई है? यदि नहीं, तो अब कब तक उक्त भर्ती कर ली जावेगी?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-एक। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो भू-गर्भ का है। भू-गर्भ, अण्डर ग्राउण्ड...।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री) : भू-गर्भ विषय हैं, भू-गर्भ विषय का, सब्जेक्ट है भू-गर्भ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अच्छा, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा से सम्बन्धित है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): (1) प्रदेश के उच्च माध्यमिक

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)
विद्यालय में विज्ञान संकाय में भू-गर्भ विज्ञान का पाठ्यक्रम कक्षा-11 के लिए सत्र 2006-07 एवं कक्षा-12 के लिए सत्र 2007-08 से निर्धारित किया गया है।

(2) किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भू-गर्भ विज्ञान विषय संचालित नहीं होने के कारण व्याख्याताओं की भर्ती की आवश्यकता नहीं है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि 2006-07 में 11वीं के लिये और 2007-08 में 12वीं के लिये जब भू-गर्भ विषय को निर्धारित ही कर दिया है और दूसरा इन्होंने उत्तर दिया है कि भू-गर्भ विज्ञान विषय संचालित नहीं हो रहा है। संचालन की जिम्मेदारी विद्यार्थी की है, अभिभावक की है या राज्य सरकार की है, नम्बर-एक। दूसरा मेरा क्वश्चन यह है कि प्रदेश का विद्यार्थी भू-गर्भ विषय को लेना चाहता है। विद्यार्थी स्कूल में आता है, मगर कहीं भी लैब के अभाव में टीचर की भर्ती इन्होंने नहीं की, इसलिये प्रिंसिपल का जवाब यही होता है कि यह सब्जेक्ट केवल निर्धारित ही किया गया है, लागू नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप इसको कब लागू करोगे और टीचर्स की भर्ती कब करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी विद्यार्थी भू-गर्भ विषय के सब्जेक्ट को ले सकें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 21.11.2005 को भू-गर्भ विज्ञान को विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत, ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई थी। उसके बाद पूरे राजस्थान के अन्दर कहीं भी किसी भी छात्र ने एप्लाई नहीं किया। एप्लाई नहीं किया, ऐसी स्थिति में, किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भू-गर्भ विज्ञान ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह पैरामीटर्स बने हुए हैं। एक न्यूनतम छात्र संख्या-15, भू-गर्भ विज्ञान की प्रयोगशाला, भू-गर्भ विज्ञान सम्बन्धी उपकरण और एक व्याख्याता भू-गर्भ विज्ञान का। लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार की डिमाण्ड जब राज्य सरकार के पास नहीं आई तो दो सत्रों के अन्दर भू-गर्भ विज्ञान का विषय उस स्कूल में चालू नहीं किया गया। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किसी विद्यालय के अन्दर भू-गर्भ विज्ञान का विषय

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

खुलाना चाहते हैं तो 20 छात्र कम से कम चाहिए, 20 छात्र होते ही हम भी दाखिला करने की अनुमति दे देंगे और उस सब्जेक्ट के टीचर को हम लगाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, अब हम आवेदन देने को तैयार हैं, विद्यार्थियों ने आवेदन दिये हैं, उन विद्यार्थियों की सूची भी मेरे पास, माननीय मंत्रीजी, है। मगर जब तक आप वहां टीचर की भर्ती नहीं करेंगे, आवेदन तो हम दे देंगे, अभी अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं माननीय अध्यक्षजी, आपके आगे आवेदन यहां दे दूंगा, स्कूल के बजाय, विद्यार्थियों को कहकर...

श्री अध्यक्ष: नहीं, दीजिए तो आप स्कूल में ही। इन्होंने आश्वासन दे दिया है कि अध्यापक लगा देंगे, सफीशिएंट है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): नहीं, अगर हम लोग, अभी विद्यार्थी अगर आवेदन दें तो राज्य सरकार मंजूरी दे देगी, इसी सत्र में?

श्री अध्यक्ष: कह रहे हैं ना, दे देंगे।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंह।

शाहपुरा एवं विराटनगर (जयपुर) में आयोजित कृषि ज्ञान शिविरों में बीज विक्रय में व्याप्त अनियमितताएं

147. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषि ज्ञान व आदान शिविर खरीफ अभियान, आयोजित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो इन शिविरों में कौन-कौन से कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इन शिविरों में बांटे जा रहे पम्पलेट्स में भी गलत सूचनाएं अंकित की जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि इन शिविरों में बीज निगम द्वारा जो बीज विक्रय किये जा रहे हैं उनमें कम तौल की शिकायतें प्राप्त की जा रही हैं? यदि हां, तो किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(4) क्या यह भी सही है कि विराटनगर व शाहपुरा (जयपुर) में भी आयोजित शिविरों में विक्रय किये जा रहे बीजों के कम तौल की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): (1) जी हां। सरकार द्वारा दिनांक 20.05.2009 से 15.06.2009 तक राज्य में कृषि ज्ञान व आदान शिविर खरीफ अभियान आयोजित किए गए जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि की नवीनतम तकनीक, गतिविधियों एवं योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। शिविरों में वितरित किए गए कृषि साहित्य एवं पम्पलेट्स में गलत सूचनाएं अंकित होने की जानकारी विभाग को नहीं है।

(3) जी नहीं। क्षेत्र में कहीं से भी कम तौल की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। कृषि ज्ञान व आदान शिविर विराटनगर व शाहपुरा (जयपुर) में भी आयोजित शिविरों में विक्रय किए जा रहे बीजों के कम तौल की कहीं से भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आपके अधिकारी के समक्ष, ग्राम पंचायत में जब शिविर लगा तो आपके बीजों में कम तौल की शिकायत हुई और आपके अधिकारी के समक्ष सम्पूर्ण ग्राम पंचायत मय सरपंच के जब उनको वहां तौला गया, एक किलो से लगाकर डेढ किलो तक प्रत्येक 20 किलो के कट्टे में बीज कम पाया गया। इसलिये आपका यह कथन कि बीज की कोई शिकायत नहीं मिली है, मुझे यह कहते हुए, आदर सहित कह रहा हूं, बहुत दुःख है कि यह असत्य है। अगर अध्यक्षजी, अनुमति हो तो जो एग्रीकल्चर आफिसर उस कैम्प में मौजूद था उसकी रिपोर्ट मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष: आपको जानकारी है क्या यह, मंत्रीजी, आपकी जानकारी में है क्या कि किसी आफिसर के सामने ऐसी बात आई।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा क्षेत्र से

(श्री हरजीराम बुरड़क)

मूंगफली के बीज में अंकुरण की शिकायतें जरुर प्राप्त हुई थी। लेकिन लिखित में शिकायत कम तौल की इस क्षेत्र की नहीं है। केवल अजमेर जिले की शिकायत मिली थी और उसकी जांच हाथों-हाथ करवा ली गई। सौ पेकटों को तौला गया उसमें से सिर्फ 2 में 20-25 ग्राम कम हुआ।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो इन शिकायत और शिकायत की रिपोर्ट, दोनों पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अधिकारी ने रिपोर्ट दी है?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अधिकारी की रिपोर्ट पढ़ दूं, दस्तख्त हैं, टेबल कर दूंगा। मूल दस्तावेज हैं, अधिकारी के दस्तख्त हैं, कम तौल पाया गया, वह भी है, कितना पाया गया, नम्बर भी दे दूंगा, बेग का नम्बर भी दे दूंगा, सीड का नम्बर भी दे दूंगा और तौल कितनी कम है, वह भी दे दूंगा, और अधिकारी के दस्तख्त हैं, यह भी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, यह क्या है, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, इनको पूरा पता ही नहीं है जवाब का।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कह रहे हैं, कम तौल की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): तो मैं कागज...। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्षजी, शिकायतें हैं। शिकायतें आई हैं और पेश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सदन को गुमराह कर रहे हैं और इनके पास सारे पत्र हैं। आप पढ़ो ना।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, सुनिये, कृपया सुनिये। विराजिये, विराजिये, जवाब दे रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आपके पास कोई कागज हो...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं, विराजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आपके पास कोई कागज हो तो आप दे दीजिये, मैं आपको ध्यान दिला दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आपके पास जानकारी है क्या, इस सम्बन्ध में, यही पूछ रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): नहीं, मेरे पास नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके अधिकारी का कागज अगर माननीय सदस्य के पास है जो उसने रिपोर्ट दी है, वह, और सरकार के पास अगर इसकी जानकारी नहीं है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। माननीय सदस्य के पास उस अधिकारी की दी हुई रिपोर्ट की कापी है, जो वह सदन के इस टेबल पर रखने को तैयार हैं और सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को अगर यह पता नहीं है कि मेरे विभाग में है, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है, जिसने यह उत्तर बनाया और जो जवाब आपको देने के लिये यहां दिया, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, हमारे पास सबूत है कि वास्तव में आपके अधिकारी ने डेढ किलो वज़न कम निकला बैग में। उसकी रिपोर्ट उसने बनाकर स्वयं ने दी कि हां, निकला, जो मौके पर था।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्षजी, यह पता नहीं है कि किस लेवल के अधिकारी ने की है। फील्ड में कोई अधिकारी कर देता है, किस लेवल के अधिकारी ने की, यह पता नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप क्या कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं बता रहा हूं, एक मिनट विराज जाएं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, स्पष्ट कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) कृपया आप विराजें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह जो शिविर आयोजित किये उसमें बहुत लम्बे समय पहले मैंने मेरी तरफ से हर विधायक को, हर प्रधान को, हर एम.पी. को, हर एम.एल.ए. को, सबको चिट्ठयां लिखकर दीं कि इन-इन तारीखों को आपके वहां शिविर आयोजित होगा। माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा थी विभाग को, कि वह मौके पर उपस्थित रहेंगे अगर कहीं कोई शिकायत होगी तो सारे अधिकारी वहां पर होंगे और मौके पर ही उन शिकायतों का निराकरण होगा। अब भी आपके पास कोई शिकायत हो, जो भी रिकार्ड हो, उसको आप मुझे दीजिए, मैं जांच करा लूंगा और अगर दोषी होगा तो कार्यवाही करेंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है। यह प्रश्न केवल यहां तक सीमित नहीं है कि माननीय सदस्य यह कह रहे हैं, राव राजेन्द्र सिंहजी कि मैं वह रख दूंगा। प्रश्न अब यह आ गया है कि इस सदन में माननीय मंत्रीजी जो वक्तव्य पढ़ते हैं, उस वक्तव्य के लिए मंत्रीजी जिम्मेदार होते हैं और मंत्रीजी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहें तो जिस भी अधिकारी ने इस विधान सभा में इस प्रकार का जवाब देने के लिए मंत्रीजी को गुमराह किया, उस अधिकारी के खिलाफ तुरन्त ही इस सदन में कार्यवाही करें। यह सदन मजाक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कोई भी जो अधिकारी है वह इस प्रकार किसी मंत्री को खड़ा कर दे ...(व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए दो बातों में से एक बात का फैसला करना पड़ेगा क्योंकि तीन बार यह बातें हो गयी हैं। यह ब्यूरोक्रेसी पैसे लेती है यहां पर, ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है और मंत्रीजी भी जिम्मेदार हैं। यह फैसला करना पड़ेगा कि अगर मंत्रीजी की गलती है तो मंत्रीजी के ऊपर है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): ...(व्यवधान) इसकी जांच ही नहीं करा सकते? जो कागज दिये हैं उसकी जांच करवा लेंगे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बैठ जाओ। आप विराजो और उसको ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अधिकारी जो गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं उनको ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट आप विराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। इस प्रकार से जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको आप सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई एक सैम्प्ल की बात नहीं है। इनकी रिपोर्ट के अन्दर हर कट्टे में 700 ग्राम कम पाया गया है। किसी में डेढ़ किलो कम पाया गया है। किसी में एक किलो कम पाया गया है। किसी में 1.400 किलोग्राम कम पाया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): टेबल करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): और यह रिपोर्ट यह कहती है, आज दिनांक 5.6.2009 को कृषि ज्ञान आदान शिविर ग्राम पंचायत नया बास में जो बीज निगम के द्वारा मूंगफली का नवीनतम किस्म जी.जी.20 के कट्टों का वज़न किसानों के सामने तोला गया, जिसमें निम्न प्रकार से वजन कम पाया गया।

एक बेग में 1400 ग्राम, एक बेग में 150 ग्राम, एक बेग में एक किलो और शेष कट्टों में 700 ग्राम कूल 10 कट्टे वहां वितरण होने आये थे। एग्रीकल्चर आफिसर के दस्तखत है जो उस शिविर को ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपको जानकारी है क्या यह बात कि इस तरह से कम पाया गया और आपके सामने स्थिति आयी? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एग्रीकल्चर आफिसर के दस्तखत है। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एग्रीकल्चर आफिसर के दस्तखत है जो उस शिविर का प्रभारी था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज। (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूंगफली में नमी होती है और नमी से सूख जाता है बीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मूंगफली में नमी होती है और नमी की वजह से बीज सूख जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। कृपया, व्यवधान नहीं। कृपया व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): और अगर 20 किलोग्राम पर डेढ़ किलो, अगर 20 किलोग्राम पर डेढ़ किलो कम हो गया तो कितनी नमी है उसमें? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया सुनिएं, व्यवधान नहीं। माननीय विधायक विराजें। माननीय विराजें। माननीय सदस्य, विराजें।

एक माननीय सदस्य: नमी से तो और बढ़ जाता है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमाणीकरण के मापदंड में लिखा रहता है कि कितना सूखापन आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। मंत्रीजी जवाब दे

(श्री अध्यक्ष)

रहे हैं। मंत्रीजी, आप तो इतना स्पष्ट कर दें जिससे कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि इस तरह से तोल कम ...(व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि गलत जानकारी देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आपके सामने की बात है, जिस अधिकारी ने गलत जानकारी दी, उस अधिकारी को मैंने उसी दिन निलम्बित किया था। मौजूदा सरकार की यह तत्परता है। आज तक विधान सभा में उत्तर के मामले में किसी अधिकारी को सस्पैण्ड नहीं किया गया है। मौजूदा सरकार ने हाथों-हाथ इसका निर्णय किया ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सदन में हमने किया था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सदन में कलक्टर को किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमने किया, सदन में ही किया था। सदन में कलक्टर को किया है। सदन में चीफ इंजीनियर को किया है, गलत जानकारी के लिए ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और स्पष्ट कर दें ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आदेश तो सचिवालय से निकला होगा, सदन से थोड़े ही निकलता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रुक जाओ, आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो इतना स्पष्ट कर दें कि जो आरोप लगा है कि इस तरह से कम तोल हुआ है वह आपकी जानकारी में आया है क्या?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): नहीं मेरे पास कोई यह सबूत लाएंगे तब बात होगी न। अब यूं कहने से तो कुछ होता नहीं है। (व्यवधान) एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी नहीं है, यह जो बात हो रही है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि आदान शिविर लगे उसमें कितना मूंगफली का बीज दिया गया? जितना दिया गया उसमें से 20 परसेंट ही जनरेशन ...(व्यवधान)... हुआ है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अमरारामजी, बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य ने सबूत पेश कर दिये हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 80 परसेंट ऐसा मूंगफली का बीज जो कम भी दिया जाए और वह माननीय अध्यक्ष महोदय, उपजे नहीं तो क्या सरकार उन ...(व्यवधान)... कार्यवाही के साथ-साथ में उन किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है या नहीं रखती है? (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अमरारामजी, बैठिये।

एक और, और जो साहित्य के बारे में कहा है- जी, नहीं। यह भी असत्य है। यह आपका साहित्य जो वहां वितरण हुआ अगर आप चाहें और आपके पास साहित्य उपलब्ध है तो इसमें से मैं पेज कोट कर रहा हूं, यह पेज निकाल लीजिए, पेज नम्बर-20, आपने सब्सिडी का यहां हवाला दिया है 50 परसेंट, सब्सिडी ग्रीन हाउस हाइटेक में देते हैं। आप 50 परसेंट नहीं देते, आप 75 परसेंट देते हैं, यह आपका साहित्य वितरण हुआ है। दूसरा, आपने जो बीज का मार्क, वह कीमत लिखी है चार हजार रुपये क्विंटल, आप चार हजार में बीज नहीं वितरित कर रहे हैं, आप 46 रुपये किलो में पड़ने वाले, 4600 है, यह साहित्य गलत नहीं है तो और क्या है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जनता को गुमराह कर रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह आपका प्रिंटेड साहित्य है। यह किताब तो आपके ही यहां का साहित्य है। आप अपने पेज नम्बर-30 पढ़ लें। पेज नम्बर-20 पढ़ें, 20 में आपका ग्रीन हाउस हाइटेक का पढ़ लें पेज नम्बर 30 के अन्दर वैल्यू का पढ़ लें। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सब्सिडी का सवाल है ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट मंत्री महोदय, और मेरा साथ ही जवाब दे देना। अब आप यह कहेंगे कि बीज की कीमत बढ़ गयी। अब मैं आपको निवेदन करूं एक्ट आफ स्टेण्डर्ड वेट्स एण्ड मेजर्स, स्टेण्डर्ड एक्ट, 1977 बाध्य करता है आपको कि कोई भी पैक्ड चीज अगर आप दे रहे हैं, उसकी आपने रेट बढ़ाई है और उसमें प्रिंटेड एम.आर.पी. से ज्यादा है तो आप उसको काटकर एम.आर.पी. वापस छापेंगे वरना छपी हुई एम.आर.पी.

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पर, आप 'शुद्ध के लिए युद्ध' में तो दुनिया भर को कर रहे हैं और आपकी खुद की, राज्य सरकार का उपक्रम इस तरीके का काम कर रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): कम तोल रहा है, एम.आर.पी. की रेट ओर है, उसके अलावा किसी ओर रेट पर दे रहे हैं, आपका साहित्य गलत है, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा। इतने बड़े चाव से मुख्य मंत्रीजी ने यह काम किया था। अच्छा था कृषक तक जाए, कृषक को जितनी गुणवत्ता और स्टेण्डर्ड का और जेनुइनटी का आपमें भरोसा है और किसी पर नहीं है, उसको कम तोल रहे हो, बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, रेट जो छपी हुई है उससे ज्यादा ले रहे हो, इससे ज्यादा और क्या, यह 'शुद्ध के लिए युद्ध' आप अपने घर से चालू करिये और अपने डिपार्टमैंट से चालू करिये, यह कहना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। कृपया माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब देने दीजिए माननीय मंत्रीजी को, कृपया विराजें।

एक माननीय सदस्य: यह टेबल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। जवाब दे रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 'मीठा-मीठा बोल और किसानों को कम तोल,' ठगी कर रही है यह सरकार। ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हां, कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सब्सिडी का सवाल है, इसमें राज्य सरकार का, केन्द्र सरकार का अलग-अलग हिस्सा है, 75 परसेंट एक सरकार का नहीं है इसलिए वह 50 परसेंट बता दिया होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 'बता दिया होगा', आप क्या बता रहे हो?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): एक मिनट, आप सुनो ही नहीं ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप साहित्य के माध्यम से जनता को गुमराह करते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप कितना दे रहे हो?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप जनता को गुमराह करते हैं इन साहित्यों के माध्यम से। साहित्य के माध्यम से पब्लिक के लिए ...(व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अलग-अलग स्कीम के सम्बन्ध में अलग-अलग है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): और यही साहित्य छापते हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक में डिस्ट्रिब्यूट होता है और वहां पर गलत बात जाती है और फिर मंत्रीजी कहते हैं कि छप गया होगा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय सदस्य के किये गये प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने जो तथ्य पेश किया है ...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय सदस्य, आप तो बताओ कि हमने यह सब्सिडी मांगी थी और हमको मिली नहीं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य के पास में जो भी सूचना है उसमें त्वरित कार्यवाही करने हेतु माननीय मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल के अन्दर सचेतक महोदय कहां से आ गये? हम तो आपकी अनुमति से पूछ रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मेरा यह कहना है कि कोई इस प्रकार की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। माननीय, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम तो आपकी अनुमति से पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आप विराज जाएं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह सारा कुछ होने के बाद में वह कम

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तोल वाला बीज जो है, वह अंकुरित भी नहीं हुआ। उसकी भी आपके अमरसर के एग्रीकल्चर आफिसर की रिपोर्ट है। आपने कम दिया, चाहे ज्यादा पैसे में दिया और 40 परसेंट से डाउन अंकुरित हुआ है, आप किसान से लेना क्या चाहते हैं? उसकी भी रिपोर्ट है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का शोषण हो रहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूंगफली के अंकुरित...(व्यवधान)... मूंगफली के अंकुरण की चिन्ता के बारे में...(व्यवधान) जो भारत सरकार ने...(व्यवधान)...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): कर दूंगा। दस्तखत करके कर दूंगा। अध्यक्षजी इजाजत तो दें? कर दूं क्या मैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आपके टाइम के कमीशनखोरी की बहुत चर्चा है और जिसके प्रमाण चाहिये तो हम देते हैं। यह सारे आपके टाइम के कांट्रेक्टर ...(व्यवधान)... बीज निगम में यह हमारे टाइम के कोई नया कांट्रेक्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। कृपया सुनें, आप विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैंने बताया कि किसान विरोधी सरकार है इसलिए आप लोग नहीं बोलें, मंत्रीजी बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। मंत्रीजी, सुनिये। एक मिनट। ...(व्यवधान) मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को चैम्बर में बुलाकर सारे तथ्य आप ले लीजिए। आज इस प्रश्न को मैं पोस्टपोन करता हूं। अगली तिथि, दिन को आप जवाब देकर सारी बात को संतुष्ट कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं, आप स्थगित क्यों कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दे रहे हैं तो फिर जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): जवाब दे रहा हूं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जवाब दिलवाओ। जवाब दिलवाओ।

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिए, चलिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 'हो गया होगा' यह प्रश्न का उत्तर है क्या? मंत्रीजी कह रहे हैं 'हो गया होगा', यह 'होगा' वाला कोई प्रश्न का उत्तर है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): जो आप नई जानकारी दे रहे हैं, मैं उनकी जांच करा लूंगा। (व्यवधान) कौनसा जवाब नहीं दिया मैंने। सारी डिटेल में मैंने जवाब दिया है। पहले से मैंने आपको निवेदन किया है। माननीय सदस्य मेरी रिक्वेस्ट के अनुसार अगर शिविरों में उपस्थित होते और मौके पर शिकायतों का निराकरण होता, वहां तो वह गये नहीं। यह कोई राजनीतिक मेला नहीं था। यह सबका शिविर था। सब लोगों को मैंने चिट्ठियां लिखी हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी का शिविर था या अकेली सरकार का शिविर था। सभी का आयोजन था, इसमें भाग लेते और वहां सारी समस्याओं का निराकरण होता। इतना बड़ा आयोजन गांवों में पहली बार हुआ है, उसमें भाग लिया नहीं। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, अगर भाग नहीं लेते तो क्यों तो आपके एग्रीकल्चर आफिसर को बुलाते, क्यों सबके सामने तुलवाते, क्यों इस बात को पंजीकृत कराते? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे चुके।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : पूछा नहीं, ...(व्यवधान)... शिविर में गये नहीं। (व्यवधान) इनका एक भी पत्र हमें नहीं मिला। एक पत्र इनका नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये का घोटाला इसमें हुआ है बल्कि जो डेमोस्ट्रेशन मूंगफली का बीज राजस्थान का किसान पैदा करके दुर्गापुरा में जिसने जमा कराया पिछली साल, उसको एक किलो बीज भी इनके विभाग ने नहीं दिया। पूरा का पूरा बीज बेचने वाली कम्पनियों को बेच दिया। जितना डेमोस्ट्रेशन मूंगफली का बीज किसान ने राजस्थान में पैदा करके पिछले सत्र में जमा कराया, उसको एक किलो बीज नहीं दिया। उसका बारदाना भी आज तक वहां जमा है। केवल लो-क्वालिटी का ही नहीं, बल्कि कम तोल दिया, 20 प्रतिशत उगा नहीं, जिन्होंने डेमोस्ट्रेशन बीज पैदा करके दिया, उनको एक किलो भी नहीं दिया। व्यापारियों से मिलकर पूरा का पूरा बीज उन्होंने उन व्यापारियों को उनके विभाग ने बेच दिया, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): यह बिलकुल निराधार सवाल है। (व्यवधान) व्यापारी अपना बेच रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक बात माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं ..(व्यवधान)... एक मिनट ..(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): निगम देवे, प्राइवेट बीज बनाने वाले, बेचने वाले हैं, वह तो बेचेंगे ही। हमारी मूंगफली का ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारा जवाब नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, अन्याय मत करो हमारे साथ। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, या तो आप स्पेसिफिक जवाब दिलवा दें या इनके अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट और पेश कर देता हूं। जो मौके पर टीम गयी है, मैं पढ़ देता हूं। अनुसंधान अधिकारी डा. रणवीर सिंह, दुर्गापुरा कृषि केन्द्र के सहायक निदेशक डा. महेश चन्द्र शर्मा, उप निदेशक मेहराज शर्मा, राजस्थान बीज निगम के शिवराज सिंह चौहान, गुणवत्ता अधिकारी सुरेन्द्र कुमार, सहायक कृषि अधिकारी भैंरूलाल यादव व पर्यवेक्षक मनफूल जाट की टीम ने दौरा करके इस मामले की जानकारी दी। टीम ने मूंगफली के बीज के अंकुरण को खोदकर परीक्षण किया तथा किसानों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। सहायक निदेशक राम कुमार जाट ने बताया कि राजसीड द्वारा बीज गुजरात से खरीदा गया था जिसको शीतन गृह से अधिक समय बाहर रखने से ऐसी समस्या का उत्थान हुआ। हर वो चीज तो है, चाहिये क्या आपको? (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तीन जांच रिपोर्टों की प्रतियां हैं, उसमें यह रिपोर्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर यह नहीं है तो कसूर किसका है? अगर यह नहीं है तो कसूर किसका है? विधान सभा में जवाब दे रहे हैं। कोई चौपाल पर जवाब नहीं दे रहे हो, विधान सभा में जवाब दे रहे हो। चौपाल पर जवाब नहीं दे रहे हो। कसूर किसका है? आधी-अधूरी जानकारी दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रिपोर्ट आप लाओगे, हम लायेंगे क्या रिपोर्ट? सस्पैण्ड करो उनको, कार्यवाही करो। अध्यक्ष महोदय, यह कोई मजाक नहीं है कि आप राजस्थान के किसानों को लूटते रहेंगे। उनका बीज पैदा नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होगा, उनको कम बीज दोगे और यहां पर मंत्री खड़े होकर यह कहेंगे कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट नहीं है तो मंत्रीजी जिम्मेदार हैं या अधिकारी जिम्मेदार हैं। हम थोड़े जिम्मेदार हैं, किसान थोड़े जिम्मेदार है। यह मजाक है क्या कोई? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी के पास जो सूचना उपलब्ध थी, उन्होंने आपको बता दी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ऐसा नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) ऐसा नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हैं क्या उत्तर से? हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं आपने उत्तर सुना, हमारे सवाल भी सुनें। आप संतुष्ट हैं क्या हम जो उत्तर चाह रहे थे वह उत्तर मंत्री ने दे दिया क्या?

श्री अध्यक्ष: उत्तर आपको सुनना है, मंत्रीजी को उत्तर देना है। ज्यादा जानकारियां आप दोनों के पास हैं, आपको मंत्रीजी संतुष्ट करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन भी तो किसान है। (व्यवधान) आसन भी तो किसान है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी। कृपया बिराजें माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह कृषि ज्ञान और आदान शिविर का जो अभियान चला था तो मुझे भी दो जगह जाने का अवसर मिला। मैं समझता हूं मंत्रीजी ने पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान के रूप में यह शिविर चलाये थे जिससे कि किसान को उसका लाभ मिले। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं और जिसके ऊपर आप लोग उद्वेलित हो रहे हैं, मैं समझता हूं जो आपने कहा है कि अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट के लिये मंत्रीजी कह रहे हैं कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है। इसीलिये मंत्रीजी ने कहा मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। और आपका यह कहना कि रिपोर्ट किस लेवल से नहीं आई है, कौन अधिकारी दोषी है, उसकी रेस्पांसिबिटी फिक्स की जायेगी। मैं खुद उसको देखूंगा और कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद साहब, ऐसा जवाब दिया करें।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

तारांकित प्रश्न संख्या-148

(स्थगित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 148 मीसा और डी आई आर बंदियों के संबंध में है। 148 नम्बर का प्रश्न इस सूची में लगा हुआ है और केवल मैंने इतना मांगा कि राजस्थान में कहां-कहां, कौन-कौन लोग कब गिरफ्तार हुए और कब छूटे हैं और पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था, उनके लिये पेंशन देने का, उसको आपने रिजेक्ट किया है, उसको स्वीकार किया है या आपने गजट नोटिफिकेशन कब किया? और इस प्रश्न को आपने पुकारा नहीं। जबकि मेरा सूची में 148 नम्बर का जो प्रश्न है, वह लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न सूची में आप जो कह रहे हैं, उसको पोस्टपोन किया गया है और उसका कारण यह था कि आपने शुरू में वित्त विभाग से पूछा था, फिर वित्त विभाग ने गृह से संबंधित ज्यादा जानकारियां होने के कारण गृह विभाग को रेफर कर दिया। वह पूरी सूचनाएं कलेक्ट नहीं हो पाईं। इसलिये उस परिस्थिति में उसको पोस्टपोन किया, रिजेक्ट नहीं किया था। यह पोस्टपोन हुआ है। कृपया इस पर अभी चर्चा नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का था कि सारी सूचनाएं बन गयीं, पेंशन स्वीकृत हो गयी, कुछ सम्भाग और कुछ जिला कलेक्टर्स ने उसको जारी कर दिया। वित्त को पूछने का मतलब यही था कि उनके पास सारी सूचनाएं आ गयीं। जिन लोगों को एप्लाई करना था, उन्होंने अपने डाक्यूमेंट सहित एप्लाई कर दिया और कलक्टर की स्क्रीनिंग कमेटी ने उसको स्क्रीन कर दिया ओर स्क्रीन करने के बाद नाम आगे वित्त विभाग को भेज दिया कि इन लोगों को पेंशन जारी की जाये। मैं समझता हूं मेरा प्रश्न केवल इतना था, इनके पास वह सारे डाकुमेंट्स आ चुके हैं। वह कितने दिन तक गिरफ्तार रहे, केवल इनको तो वित्त विभाग को उनको पेंशन जारी करने का जो नोटिफिकेशन था वह निकाल दिया तो सारा का सारा काम अब जेल विभाग के पास नहीं है जानकारी देने का, सारी की सारी जानकारी और उसके लिये स्क्रीनिंग कमेटी बना दी थी कि अगर किसी के नाम के बारे में कोई गलत तथ्य हैं या डिपार्टमेंट के रिकार्ड से या व्यक्ति के रिकार्ड से नहीं मिल रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग कमेटी अलग बना दी। उसने स्क्रीन कर लिया और उस सूची को कम्पलीट करके फाइनेंस विभाग को भेजकर कलक्टर के पास यह सूची चली गयी थी कि इन इन लोगों को पेंशन जारी कर दी जाये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसलिये वित्त विभाग के पास ही पेंडिंग काम था, क्योंकि यह वित्त विभाग, जो जेल विभाग था, मेरे स्वयं के पास था, हम लोगों ने जो लिस्ट हमारे पास आई थी, उसको वैरीफाई करके हमने कलक्टर के पास भेज दिया था और उसके बाद केवल पेंशन जारी करने की प्रक्रिया थी। रिकार्ड की कोई प्रक्रिया नहीं थी, जिसको आपको गृह विभाग से मंगाना है।

श्री अध्यक्ष: वह गृह से मंगाना था।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, होम का है तो कोई बात नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जवाब दिला रहे हो क्या?

श्री अध्यक्ष: सदन की तरफ से जब व्यवस्था हो गयी है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं। मंत्रीजी कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते होंगे।

स्पष्टीकरण

राज्य में आपातकाल के दौरान मीसा बंदियों को पेंशन

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, अगर आप उसको जवाब समझते हैं तो जवाब समझ लेना, वरना मेरा स्पष्टीकरण समझ लेना, उसमें कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराज जायें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जवाब समझते हो तो जवाब समझ लेना, नहीं, जवाब ही समझ लेते हैं, आप सप्लीमेंट्री पूछना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपके प्रश्न को स्थगित करने का अनुरोध हमने स्पीकर साहब से इसलिये किया था कि इसके खण्ड-1 को आप देखें। खण्ड-1 में आपने पूछा है कि राज्य में आपातकाल में मीसा, डी आई आर में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार करने की दिनांक और मुक्त करने की दिनांक सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। माननीय सदस्य, यह किस्सा है 33 साल पुराना। आप खुद समझते हैं, आप खुद गृह मंत्री रहे हैं क्या 33 साल पुराना रिकार्ड आसानी से कहीं मिल सकता है एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करता हूं अगर खण्ड-1 आप इसमें नहीं पूछते और खण्ड-2 पर ही आप प्रश्न करते तो निश्चित तौर पर मैं उसका जवाब यहां देने की स्थिति में रहता। लेकिन फिर भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेरी अर्ज सुनें कि जिला कलक्टर के अन्तर्गत जिसमें आपने यह कमेटी फोरम की थी, जिसमें जेल मजिस्ट्रेट भी था, सॉरी जेलर भी था और जेलर के साथ-साथ ...(व्यवधान) आप ठहरो तो सही, क्या परेशानी है?

श्री अध्यक्ष: परेशानी तो यह है कि...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जेलर के साथ-साथ उसमें समाज कल्याण अधिकारी भी था। मेरे हिसाब से यह जो कमेटी का आपने फोरमेशन किया, वह गलत था। इसमें मोटे तौर पर महानिदेशक, जेल को इसमें मैम्बर बनाया जाना चाहिए था ताकि पूरी स्टेट से वह फीगर ले सकें, विवाद पैदा हुआ। विवाद यह पैदा हुआ कि जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत लोगों को जो लिस्ट बनायी गयी उसमें कई लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी शामिल कर लिये गये। उसका कारण यह था कि आपके द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया उस नोटिफिकेशन में सिर्फ राजनीतिक बात नहीं थी कि सिर्फ राजनीतिक बन्दियों को ही मीसा में रखना पड़ेगा या डी आई आर में रखा जाएगा। उसमें लिखा हुआ था कि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन केवल उन व्यक्तियों को ही प्राप्त होगी जो मीसा या डी आई आर के कानून के अधीन राजनीतिक या सामाजिक कारणों से बन्दी हुए हैं। तो सामाजिक कारणों का मीसा से क्या ताल्लुक था और डी आई आर से क्या ताल्लुक था? जो आन्दोलन था वह निश्चित तौर पर एक राजनीतिक आन्दोलन था। उसमें सिर्फ राजनीतिक लोगों को पेंशन देने की बात थी तो समझ में आने वाली बात थी।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया। आपने 12 सितम्बर को नोटिफिकेशन निकाल दिया कि इन-इन लोगों को 6-6 हजार रुपये पेंशन दे दी जाए। बजट में एक नये पैसे का प्रोविजन आपने नहीं किया।

तीसरी बात यह थी कि ऐसा कोई रिकार्ड नहीं मिलता था। कुल मिलाकर पूरी स्टेट में आठ सौ से लेकर साढ़े आठ सौ लोग मीसा और डी आई आर में बन्द हुए थे लेकिन उनमें से कम से कम भी 25 से 30 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो माफी मांगकर छूटकर चले गये थे लेकिन उनका रिकार्ड नहीं था।

चौथी बात यह है कि मीसा बन्दियों के लिए...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसके लिए माफी तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मांगी थी आपातकाल के लिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इन्दिरांजी कहां से आ गयी यहां?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप आपातकाल का भी समर्थन कर रहे हैं यहां पर।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं। कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने सारे देश को जेलखाना बना दिया था। आप आठ सौ लोगों की क्या बात करते हो?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब मैं बोल लूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, आप बोलो।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह राठौड़। अगला प्रश्न।(व्यवधान) कृपया बिराजें।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने भी माफी मांगी थी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेहरबानी करके मुझे बोल लेने दीजिए। (व्यवधान) मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा।

चौथी बात यह है कि डी आई आर और मीसा बन्दियों के लिए हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूवल लिया जाता है।

पांचवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग ऐसे थे जिनके फार्म कलक्टर ने अस्वीकृत कर दिए। उनको तीस दिन के अन्दर-अन्दर राज्य सरकार को एप्लीकेशन देनी थी लेकिन राज्य सरकार के पास में वह एप्लीकेशन अण्डर मियाद नहीं दे पाये। सब डिस्प्यूटेड थे।

छठी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के पास जो दरख्वास्तें पहुंच गयीं तो उन पर राज्य सरकार को समय अवधि 45 दिन के अन्दर-अन्दर फैसला करना था, वह नहीं कर पायी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। अगला प्रश्न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बोल लेने दीजिए साहब। बात पूरी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: चलिए, बोलिए साहब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) मेरी बात सुन लें। समय बढ़ा दिया है। दूसरी बात, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी विवाद था और विवाद इस बात का था कि यह कि यह पेंशन किस बात की दी जा रही है। उसका कारण यह था ...(व्यवधान) मेरी सुन लें आप, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। उसका कारण यह था कि 1975 में आपातकाल घोषित हुआ। आपातकाल का विरोध हुआ। लोग जेल गये। 1977 तक जेल में रहे। कोई एक महीना रहा, कोई उन्नीस महीने रहा और कोई कितना रहा। उसके बाद 1977 में जब आम

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

चुनाव हुए तो एकदम केन्द्र में सरकार आपकी बनी और कई राज्यों में आपकी सरकार बन गयी लेकिन किसी भी राज्य सरकार या आपकी केन्द्र की सरकार ने भी कभी भी मीसा बन्दियों को उन स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर में खड़ा नहीं किया जिनको आज राज्य सरकार 6 हजार रुपये की पेंशन दे रही हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया चर्चा समाप्त करें। प्रश्नकाल चल रहा है। मंत्रीजी, कृपया आप बिराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): साहब, मुझे कम्पलीट कर लेने दीजिए। मेहरबानी करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बहुत लम्बा कर रहे हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): साहब, मैं दिल का मरीज हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं भी आप पर दया इसीलिए कर रहा हूं कि आप दिल के मरीज हो बाकी तो मैं खड़े होते ही सुलटा देता। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): दया करने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ये रीचार्ज होकर आये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप दिल के मरीज हो, मैं आपको तंग नहीं करना ...(व्यवधान) मैं इसलिए बैठकर सुन रहा हूं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): दिल के मरीज हैं तो यह हाल है। आप देखिए रीचार्ज होकर आये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप चाहें जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं न आप, मैं चाहता तो कुछ नहीं सुनता।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इनके डंडे से परेशान हो जाएंगे आप। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं सिर्फ दो मिट में खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, इस सदन में तो दिल के बहुत से मरीज हैं। सबका ध्यान रखो आप।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, इनको दिल का मरीज बता रहे हैं। पता नहीं कौन कौनसी बीमारियां हैं, उनसे मरीज मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बिराज जाएं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें लिखा कि 6 हजार तो इनको पेंशन दी जाएगी और छह सौ रुपये चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी और चिकित्सा सुविधा भी दस हजार तक पहुंच जाएगी। भारत की आजादी के संग्राम में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं मिल पायी इतनी सुविधा ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिए आप। जिस नोटिफिकेशन की आपने नकल की मध्य प्रदेश की, उस मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन मैं पढ़कर बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि अगर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो एक माह से अधिक किन्तु छह माह से कम की अवधि के लिए निरुद्ध हो, उसको सिर्फ तीन हजार रुपये मिलेंगे और छह माह से ज्यादा रहा हो तो छह हजार रुपये मिलेंगे। आपने तो एक दिन हो, चाहे दो दिन हो और चाहे एक महीना हो, सबको ही छह हजार रुपये बांटना शुरू कर दिया। खजाने को लुटाना शुरू कर दिया।

मेरा निवेदन यह है कि आज जो फैसला किया है कि हम उनको एक नया पैसा पेंशन नहीं देंगे, वह फैसला इन तीन कारणों से किया है। पहला कारण यह है कि बन्दियों की सूची महानिदेशक, जेल द्वारा जो तैयार की गयी थी वह टोटल अपूर्ण थी। कलक्टर द्वारा जो सूची तैयार की गयी थी उसमें पूरा का पूरा राजनीतिक हस्तक्षेप था। ऐसे लोगों के नाम थे जो आपराधिक श्रेणी के लोग थे और आखिरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बन्दियों की सूची अपराध शाखा में भी उपलब्ध नहीं है और न कहीं उपलब्ध है बल्कि वह सूची इस तरीके से बनायी गयी थी जिसमें मान लीजिए भूड़ती बंट रही हो । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात की चुनौती देता हूं कि जो लोग डी आई आर और मीसा में 17-17, 18-18 माह तक बन्द रहे उनका सारा रिकार्ड जेल विभाग को इकट्ठा करने में कम से कम चार माह लगे और उसके बाद उस पुराने रिकार्ड को निकालकर, उसके बाद हमने उस रिकार्ड को सही नहीं माना। उसके बाद हमने स्वयं मैम्बर को कहा कि वह भी अपना डाक्यूमेंट लेकर के आये कि वह किस आधार पर है और जेल से सर्टिफिकेट जो उसको मिला उसके आधार पर उसने एप्लाई किया। यह जो आप बात कह रहे हैं उस आपातकाल का मुकाबला करना, यह हिन्दुस्तान की लोकतंत्र को बचाने की दूसरी आजादी की जंग थी । जो 18 महीने तक लोग जेल में रहे थे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। आगे प्रश्न आने दें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): केवल इस तरह की बातें कह देने से नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: 38 मिनट निकल गये और दो प्रश्न नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं सोचता हूं कि आपका सवाल है, मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है और क्या नहीं करती है इससे कोई लेना देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल को आगे बढ़ायें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): राजनीतिक भाषण की जरूरत नहीं है, सवाल पूछिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप कभी जिन्दगी में जेल गये हों, जेल जाएंगे तो नानी याद आ जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगले प्रश्न के लिए इन्तजार कर रहे हैं माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह राजनीतिक भाषण है अध्यक्ष महोदय। यह सवाल है या राजनीतिक भाषण है। आप सवाल पूछिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हम लोगों ने आन्दोलन करके ... (व्यवधान) आपने भी देखा होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह राठौड़।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इस प्रकार की बात अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप सवाल पूछिए। राजनीतिक बात नहीं पूछेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय बाबू सिंहजी राठौड़, प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं? मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं। (व्यवधान) श्री बाबू सिंह राठौड़।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मध्य प्रदेश की सरकार का अपना सोच हो सकता है और राजस्थान की सरकार का अपना सोच था।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह पोलिटीकल स्पीच देने का मंच नहीं है। आप सवाल पूछिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको जानकारी नहीं है, प्रश्न स्थगित हो गया, काहे का प्रश्न पुछवा रहे हैं आप। ...(व्यवधान) प्रश्न पूछिये, प्रश्न पूछिये, मंत्रीजी जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कोई ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है इसमें अपराधी वृत्ति के हैं, निकाल दीजिए इनको। कोई अपराधी वृत्ति के हैं, कभी भी जिंदगी में एक मुकदमा नहीं था ...

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): लोकतंत्र को बचाने के लिये 18 महीने तक जेल में रह कर के और इस लोकतंत्र की रक्षा करने का प्रयास किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये, गृह मंत्रीजी। विराजें, विराजें ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपने जिस प्रकार की अपनी बातें कह कर के आपने मजाक करने का प्रयास किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, मंत्री महोदय, कृपया विराजें। गृह मंत्री महोदय, कृपया विराजें। अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है, शिक्षा मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। गृह मंत्रीजी, कृपया विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने तो इसलिए आप पर दया की थी कि आप अभी हार्ट का इलाज करा कर लौट कर आये थे ...(व्यवधान)... इसलिए मैंने बिना कुछ कहे आपकी सारी बातों को सुना है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष। आप विराजें। अगला प्रश्न पुकार लिया, शिक्षा मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील शेरगढ़ में खेल केन्द्र की स्थापना

149. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): क्या युवा मामले एवं शिक्षा मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार तहसील शेरगढ़ में खेल केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक? व नहीं, तो क्यों?

(2) राज्य में सरकार द्वारा 5000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में वर्तमान में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्यालयों में खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ावा

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

देने हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): (1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में प्रत्येक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 2500/- रुपये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को 1500/- रुपये तथा बालिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय व बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 1400/- रुपये खेल सामग्री क्रय किये जाने हेतु प्रति वर्ष दिये जाते हैं। यह सुविधा 5000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में संचालित विद्यालयों को भी उपलब्ध करायी जाती है।

(3) जी नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): चर्चा करा लें, सारे के सारे विषय को ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आन रिकार्ड बात आ जायेगी। आन रिकार्ड उनकी बात आ गयी, ऑन रिकार्ड इनकी बात भी आनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, यह नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी आधे घंटे तक बोलते रहे और यह अब सदन की प्रापर्टी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा, इस प्रश्न को जिस हल्केपन से लेकर के जिस तरह से मजाक करने का प्रयास किया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आधे घंटे तक संसदीय कार्य मंत्रीजी बोलते रहे, हम सवाल करने के लिए ...(व्यवधान) यह क्या बात हुई, इनको कैसे अलाऊ कर दिया आपने ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न आ जाने दीजिए। मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इन्होंने जिस प्रकार से जय प्रकाश नारायण की मजाक उड़ायी है, जिस प्रकार से स्वर्गीय लोक नायक जय प्रकाश

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नारायण की मजाक उड़ायी है, जिस प्रकार से मोरारजी देसाई की मजाक उड़ायी है ...(व्यवधान)... शर्म की बात है आपके लिए। ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह राजनीतिक डिबेट कर लें आप तो, उसके लिए भी तैयार हैं हम। आप पालिटिकल डिबेट करना चाहते हो प्रश्न काल के दौरान तो उसके लिए तैयार हैं हम। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब दो मिनट आप मेरी बात सुन लें। सिर्फ दो मिनट। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): श्रीमती इन्दिरा गांधी की मजाक उड़ाओ तो ...(व्यवधान)... लानत है, लानत है आपको। लोक नायक जय प्रकाश नारायण की मजाक उड़ायी आपने, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी की मजाक उड़ायी ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पहले कटारियाजी की बात सुनिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आपातकाल में सारे न्यायालयों को बंद कर दिया, सारे देश को जेल बना दी थी ...(व्यवधान) आज इनको शर्म नहीं आती इस प्रकार की बात करते हुए ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, एक बात सुन लो आप, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया चर्चा समाप्त करें, अगला प्रश्न होने दीजिए। कृपया अगला प्रश्न आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप स्वतंत्रता सेनानियों पर बहस करा लो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया चर्चा समाप्त करिये। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उनको बचाने के लिए इनमें से कोई 18 महीने जेल गया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनना चाहते? आप जवाब नहीं सुनना चाहते?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हम सुनना चाहते हैं लेकिन गलत कैसे बोले?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इनमें से एक भी खड़ा हो कर बता दे।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया प्रश्न काल को चलने दें, आपने अपनी बात कह दी, आपको अवसर दे दिया। आपको अवसर दे दिया, आपने अपनी बात कह दी, कृपया प्रश्न काल चलने दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, 19-19 महीने तक लोगों को जेल के अन्दर रखने के बाद अगर किसी सरकार ने उनकी इस चीज को रिकग्नाइज करते हुए उनका पेन्शन का इंतजाम किया तो इतना बड़ा क्या गुनाह किया? और क्यों नहीं यह सरकार ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बिलकुल गलत किया, बिलकुल गलत किया ...(व्यवधान)... राजनीतिक फायदा लेने के लिए ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं देता हूं जवाब।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सरकार यह जानती थी कि नवम्बर में चुनाव हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विरोधी दल की नेता बोल रही हैं, मैंने उनको समय दिया है, कृपया आप चुप रहें, कृपया आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं जवाब देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, पहले विरोधी दल की नेता बात पूरी कर लें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, हां, पूरी कर लें।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इन्दिरा गांधी, जवाहर लाल नेहरू ही देशभक्त नहीं हैं, और भी लोग थे जो जेल तक गये और मैं समझती हूं कि उसको अगर किसी सरकार ने रिकग्नाइज किया है और रिकग्नाइज करते हुए उनकी पेन्शन को बांधा है तो उसको सर्वोपरी रख कर के उसको रेसपैक्ट देते हुए अगर हम लोगों ने, इस सरकार ने माना होता तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती और मैं समझती हूं कि यह जरूरी है और आज के दिन इतना सब कुछ कहने के बाद अगर फिर भी यह मध्य प्रदेश जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे हम लोग नहीं कर पाते हैं तो मैं समझती हूं कि मेरा दल तो इसमें बैठ नहीं सकता और इसलिए बहिर्गमन करेगा। सब के ऊपर लांछन लगाया।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): देश की आजादी के आन्दोलन में कहां गये थे ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: सुनो तो सही, कहां जा रहे हो, भाग गये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): क्या बोल रहे थे आगरा की जेल में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा। अगला प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): देश की आजादी के समय कहां गये थे आप लोग ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीण । खाद्य मंत्रीजी।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): तथ्यों से सामना करते, भाग क्यों गये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खाद्य मंत्रीजी। कृपया शांति रखें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठ जाएं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): देश को आजाद करने के लिए संघर्ष कर रही थीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराज जाएं, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, ज्यादा परफोर्मेंस नहीं दिखाएं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): न तो हम एक नया पैसा इनको देंगे और, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, दूसरा संग्राम हुआ गोवा को आजाद करने का।

श्री अध्यक्ष: धीरे, धीरे बोलिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दूसरा संग्राम हुआ गोवा को आजाद करने का। 1977 के बाद सेण्टर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वहीं नहीं बनी बल्कि मैजोरिटी ऑफ द स्टेट उनकी गवर्नमेंट बनी जहां मीसा के हजारों आदमी थे। इनको यह तक मालूम नहीं है कि मीसा में कितने बंदी थे।

श्री अध्यक्ष: थोड़ा धीरे बोलिये आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे अफसोस है इस बात का कि प्रतिपक्ष की नेता के सामने मुझे आपने इजाजत नहीं दी अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं प्रतिपक्ष की नेता से पूछता कि वो संख्या बता दें कि मीसा में कितने आदमी बंद हुए थे और जो 19 महीने तक जेल में रहे, इनके आधे से ज्यादा आदमी माफी मांग-मांग कर के भाग गये।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और यह उनको दिलवाना चाहती हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और यह कितने दिन, इनसे पूछा जावे यह कितने दिन जेल में रहीं? यह भुर्ती बंट रही है, सरकार का पैसा है लुटाओ, यह नहीं होने देगी यह अशोक गहलोत की सरकार।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

जिला टोंक में उचित मूल्य की दुकानों हेतु नियुक्त डीलर्स

150. **श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उसके प्रभावी संचालन के लिए सरकार द्वारा नियम बना कर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं तथा समय-समय पर उनमें आवश्यकतानुसार सुधार भी किये जाते रहे हैं? यदि हां, तो नियम एवं दिशा-निर्देश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि टोंक जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विगत दो वर्षों में नई दुकानों का सृजन एवं रिक्त दुकानों पर पृथक से राशन डीलर नियुक्ति का कार्य नहीं किये जाने से उचित

(श्री रामनारायण मीणा)

मूल्य सामग्री प्राप्ति में नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा अब इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कब तक की जावेगी?

(3) क्या उचित मूल्य की दुकानों के लिए नियुक्त डीलर एवं उनके प्राधिकार पत्र की स्वीकृति, संचालन, स्थान, दुकान की रिक्तता आदि के बारे में विवरण रखा जाता है? यदि हां, तो टोंक जिले की नामजद सूची सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त दुकानों के संचालन तथा आबंटन के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाने बाबत सरकार द्वारा निर्देश/परिपत्र जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो निर्देश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री बाबूलाल नागर): (1) जी हां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के द्वारा नियम बनाये गये हैं तथा इन नियमों में आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन भी किये गये हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट-एक पर संलग्न है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी किये गये विभिन्न दिशा-निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट-दो पर क्रम संख्या एक से पांच तक संलग्न है। वर्तमान में इस व्यवस्था में और सुधार किये जाने हेतु दिनांक 13.07.2009 को नये संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जो परिशिष्ट-तीन पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। टोंक जिले में विगत दो वर्षों में कुल 30 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों में से चार के डीलर्स की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष 26 दुकानों के डीलर्स की नियुक्ति किया जाना शेष है। विभाग द्वारा रिक्त दुकानों के आबंटन हेतु दिनांक 27.02.2009 को सभी जिला कलक्टर्स को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु इसके तत्काल बाद लोक सभा चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी। वर्तमान में इस विषय में नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है, जिसके सम्बन्ध में निर्णय होते ही यथाशीघ्र डीलर्स की नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली

(श्री बाबूलाल नागर)

वस्तुओं की प्राप्ति के सम्बन्ध में नागरिकों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े इस हेतु रिक्त उचित मूल्य दुकानों को अन्य कार्यरत निकटवर्ती डीलर्स के साथ सम्बद्ध किया जाकर राशन सामग्री का वितरण कराया जा रहा है।

(3) जिला रसद कार्यालय, टोंक में उचित मूल्य की दुकानों के लिए नियुक्त डीलर्स का पूर्ण विवरण संधारित किया जाता है। टोंक जिले में वर्तमान में 526 उचित मूल्य दुकानदार नियुक्त हैं जिनकी नामजद सूची परिशिष्ट-चार पर संलग्न है।

(4) जी हां। उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं जिसमें सहकारी समितियों को द्वितीय वरियता में प्राथमिकता प्रदान की गई है। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-पांच पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को धन्यवाद तो देना चाहूंगा, एक अख़बार की कटिंग है, सही है या गलत है, मंत्रीजी, आप बतायें, '7500 निरीक्षण 10 लाइसेंस निलम्बित', यह आपका 'शुद्ध के लिए युद्ध' है क्योंकि खराबियां बहुत हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राशन कार्ड में तो कहीं एण्ट्री नहीं है और दुकान में वितरण हो गया। मुझे वो बता दें राजस्थान में कितने राशन कार्ड में एण्ट्री, दुकानों की, एक भी दुकान के निरीक्षण किया गया?

मैं मानता हूं कि आपके पास कार्ड नहीं है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यह मेरा प्रश्न टोंक का इसलिए सीमित कर दिया क्योंकि बहुत लम्बी जानकारी आती लेकिन राजस्थान का मामला है, मंत्री जी, आप तो बहुत एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं! मैं मानता हूं जब से अशोकजी की सरकार आयी है तब से काम भी हो रहे हैं, मैं भी यह मानता हूं लेकिन यह जो खामी है, कितने राशन डीलर्स ऐसे हैं राजस्थान में जिनके खिलाफ ट्रक के ट्रक गेहूं बी पी एल के पकड़े गये, केरोसिन पकड़ा गया और वह दो दो, तीन तीन दफे मुकदमें दर्ज होने के बाद भी काम कर रहे हैं।

दूसरा, हमारे यहां चौबीस हजार डीलर हैं, आपकी सोसायटीज मात्र पांच हजार, सोसायटीज की संख्या आप देखोगे तो बहुत कम को दे रखा है। यह आपके पास जो आंकड़े होंगे, मेरे टोंक जिले में कितनी सोसायटीज को दे रखा

(श्री रामनारायण मीणा)

है। सोसायटीज में बोर्ड होता है, करप्शन कम हो सकता है, सम्भावना होते ही मीटिंग हो जाती है।

एक आपने कहा कि पास की दुकानों को जैसे तीस दुकानें खाली हैं तो चार को ही क्यों दिया गया, 26 को क्यों नहीं दिया गया। आचार संहिता है तो आप कृपा करके, आपके लेवल से नहीं हुआ है, जिला स्तर पर जो भी हुआ है उसकी जांच करें। इसलिए मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं, मैं आपको आप चाहें तो कितने डाक्यूमैंट्स हैं, कितनी शिकायतें हैं, चैकिंग के दौरान हर डीलर के पास सौ दो सौ राशनकार्ड पड़े हैं, आपके अधिकारी एक भी डीलर से राशनकार्ड जब्त नहीं करते हैं और जब्त नहीं करते हैं वह तो अलग है लेकिन गलतियां होने के बाद भी मौके पर रिपोर्ट नहीं बनाते, प्रोसीजर चला हुआ है पिछली सरकार का और यह जो बीमारी पैदा हुई, अध्यक्ष महोदय, 7.10.2005 को यह आदेश निकाला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, करप्शन की शुरुआत हुई, पहले कांग्रेस सरकार ने एस सी, एसटी को रिजर्वेशन दे रखा था ।

मैं मंत्री जी आपसे विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, उनका रिजर्वेशन खतम कर दिया और लिख दिया कि इनको प्राथमिकता देने की केटेगरी में डाल दिया। आपके यहां कितने आदमी हैं राजस्थान में जिनको यह दिया गया है। मैं इसके बाद भी सप्लीमैंट्री पूछना चाहूंगा। आप इनको बता दें, बहुत लम्बा हो जाएगा, आपको ध्यान नहीं रह पायेगा और स्पेशली यह बता दें राजस्थान में पुलिस में मुकदमें दो दो, तीन तीन दफा दर्ज होने के बाद भी वह राशन विक्रेता काम कर रहे हैं और कौन अधिकारी हैं स्टेट में, सरकार चाहती है सही काम हो उसके बाद भी उनके लाइसेंस निलम्बित नहीं किये।

तो यह जो मैंने चार पांच पाइंट पूछे हैं उनको बता दें बाकी मैं आपको फिर दो बात और पूछूंगा।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) : अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में 49 उचित मूल्य की दुकान सहकारी संस्थाओं को आबंटित हैं उनमें दस दुकानों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी चल रही है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि अनियमितताएं पाई जा रही हैं और राजस्थान के संबंध में आपने चर्चा की। मैं, क्योंकि राजस्थान से संबंधित यह मामला नहीं था लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा पूरे राजस्थान में हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो भी चाहे खाद्य सामग्री हो, अनाज हो,

(श्री बाबूलाल नागर)

केरोसिन हो, चीनी हो, पूरे राज्य में अभियान चला रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतनी बड़ी अनियमितताएं हो जाती हैं विभाग में कुछ इस तरह की इसमें कमी, आदेशों में इस तरह की कमी है, मैं मानता हूं कि तीन महीने तक अगर दोषी का पक्ष सुनते नहीं हैं तो इस तरह के विभाग में प्रावधान कर रखे हैं कि वापिस उसकी कार्यवाही पेण्डिंग रखते हुए उसको बहाल कर देंगे।

इस बात की अध्यक्ष महोदय, मुझे भी चिन्ता है, मेरे विभाग को भी चिन्ता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा 13.7.09 को मैंने तो विभाग में यह आदेश जारी करवा दिया है। अब चाहे कितना ही पुराना प्रकरण हो या कोई नया प्रकरण हो, कोई अनियमितताएं पाई जाएंगी तो हमने जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं कि तीन महीने के अन्दर अन्दर उस प्रकरण का वह निस्तारण करेगा और नहीं निस्तारण करेगा अध्यक्ष महोदय, तो उस अधिकारी के खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

जहां तक दुकानें रिक्त वाली बात माननीय सदस्य ने कही, यह बात सही है। पिछले दो साल से बहुत सी दुकानें पूरे प्रदेश में रिक्त चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग द्वारा आदेश भी जारी किये गये थे कि जो रिक्त दुकानें हैं इनकी कार्यवाही की जाए और 27.2.2009 को सभी जिला कलेक्टर्स को अध्यक्ष महोदय, यह निर्देश दिये गये थे कि रिक्त दुकानों को भरने की कार्यवाही की जाएं, फिर लोकसभा का चुनाव आ गया, आचार संहिता आ गयी। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं, अध्यक्ष महोदय, कोई नीतिगत निर्णय लेना विचाराधीन चल रहा है, उसको भी पन्द्रह दिन में नीतिगत निर्णय जो लेना है उसको भी हम ले लेंगे। पूरे राज्य में एक महीने का समय मैं चाह रहा हूं, पूरे राज्य में जितनी भी दुकानें जो रिक्त हैं, सबकी प्रक्रिया शुरु करवा दूंगा। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, कांग्रेस सरकार की भावना की कद्र करता हूं। मैंने आपको स्पेसिफिक कहा है, 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदेश निकाला था अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के रिजर्वेशन का। आप मेरी अर्ज सुन लीजिए, यह सही है कि कांग्रेस बैकवर्ड क्लासेज के साथ है, गरीबों के साथ है। यही कारण है कि बेइमानी की उस पार्टी ने, तो आपकी सरकार आ गयी, हमारी सरकार आ गयी। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता

(श्री रामनारायण मीणा)

हूं, प्रोसीजर साफ है, जिस बात का आप जवाब नहीं दे पाये। एक जिले में एक दो दुकानें चूज करके, आपके पास स्टाफ कम है, मैं मानता हूं, आप बात कर लें मुख्यमंत्री जी से, स्टाफ होना चाहिए। मैं आपकी पूरी उससे सहमत हूं लेकिन दो-चार दुकान हर साल में राशनकार्ड से रजिस्टर का मिलान हो, यह नहीं हो रहा है। यह प्रोसीजर बिगड़ गया, पहले हुआ करता था, मैं इसको भी मानता हूं लेकिन आपको मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कितनी सोसायटीज हैं, चार नये सेवा सहकारी समिति ने प्रस्ताव करके आथोरिटीज को भेजा कि हम सहकारी समिति में काम करना चाहते हैं, करप्शन बहुत है। उसको नहीं दिया गया, व्यक्तिगत डीलर्स को ज्यादा दिया जाता है।

दूसरा, जिनके अनुज्ञा-पत्र तीन महीने में नहीं होते हैं लेकिन आप यह आदेश दे सकते हैं कि पुलिस के केसेज जिनके खिलाफ प्राइमरी स्टेज में हैं, चालान हो गये हैं, गांवों में बहुत से डीलर हैं, उनको दिया जा सकता है और जिनका रिजर्वेशन इन्होंने खतम किया है, एस सी एस टीज का, कृपा करके एक जगह मैं बता भी दूं, पूरे शहर में एक भी एस सी का डीलर नहीं है। जबकि हमारी भावना है, सरकार की भावना है कि इन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसलिए कृपा करके उसके बारे में क्या करने जा रहे हो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)ः अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान में कुल 229111 उचित मूल्य की दुकानें हैं और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ बी सी के लोगों का इन डीलरों में बहुत ही, जितनी इनकी संख्या है उसके अनुसार इन वर्गो के लोग उन डीलरों में नहीं है। इस बात का मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ बी सी के लोगों के प्रति पूरी संवेदनशीलता रखते हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया विभाग में यह विचारणीय है, नीतिगत मामला चल रहा है, जल्दी ही निर्णय हो जाएगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा)ः मैं एक प्रश्न आखिर में पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप बोलिये।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं क्या सरकार सार्वजनिक प्रणाली में एस सी, एसटी को आरक्षण देना चाहती है। दूसरा क्या सरकार लम्बे समय से जो डीलर्स हैं राजस्थान में डीजल, पैट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन की रेट बढ़ी है तो क्या सरकार कमीशन बढ़ाने का विचार रखती है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ बी सी के लोगों को इसमें आरक्षण की व्यवस्था हो, अध्यक्ष महोदय, विभाग में यह मामला विचारणीय चल रहा है, नीतिगत फैसला होना बाकी है। यह पूरे प्रदेश का मामला है, यह नीतिगत फैसला होना भी विचारणीय है। माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, मैं उनको विश्वास देता हूं कि आपका जो सुझाव है ...

श्री अध्यक्ष: चलिये समाप्त करें। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा सप्लीमैंट्री क्वश्चन है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, अगला प्रश्न पुकारा है। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ...(व्यवधान)... प्रश्न संख्या 151 (अनुपस्थित) ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल। प्रश्न संख्या 152 (अनुपस्थित) प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिये पृष्ठ-325 पर देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: बिराजिये तो सही। एक बार आने तो दीजिये सबको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप व्यवस्था प्रारम्भ करें उसके पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बिराजिये। बिराजिये।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

कतिपय अधिकारियों द्वारा सदन का अपमान

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ है यह कहते हुए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार विधायिका पर हमले हो रहे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं। कुछ दिनों पहले हमने न्यायपालिका की चर्चा की थी जिसमें आपने विशेषाधिकार समिति को सौंपा था। उसमें एक मजिस्ट्रेट ने हमारे एक माननीय सदस्य के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया था। इसके बाद में बहुत बड़ा दुःख मुझे हुआ और अफसोस भी हुआ कि न्यायपालिका में किसी ने गलती कर दी हो लेकिन ब्यूरोक्रेसी के वरिष्ठतम अधिकारियों में इस प्रकार की गलती हो और विधान सभा के कार्य को रोकने के लिये बड़े अधिकारियों की मीटिंग में कोई बात हो, इससे विधायिका के कार्य में सीधा हस्तक्षेप हो, इससे बड़ी तकलीफ की बात, इसलिये मैंने आज सुबह आपको एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उसमें मुख्य सचिव और उस मीटिंग में उपस्थित जो अधिकारी थे उन सबके खिलाफ यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न दिया है और मैंने उसमें रिकवेस्ट भी की है क्योंकि उस विषय में सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और वह आज ही उठाने के लिये हमने इसलिये रिकवेस्ट की है कि सारे माननीय सदस्यों का अधिकार इसमें बाधित होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति तो आभारी हूं कि आपने अध्यक्ष बनने के बाद दो-तीन मीटिंग की जिससे जल्दी से माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब आने लगे हैं, सरकार जवाब देने लगी है लेकिन उस सारे मामले पर मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। मैं आपसे यह विनम्र आग्रह करूंगा कि उसमें इस प्रकार की बातें हैं। एक, आप व्यवस्था शुरू करने से पहले मुझे सुनें। मैं अपनी बात कहूंगा और मुझे आप परमीशन दें उसके बाद में आप जो भी फैसला करें उसको सदन में डिस्कस कराएं, उसको समिति में भेजें। इसलिये मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि उस विषय पर मुझे अपनी बात कहने की आप परमीशन दें और मैं वह विषय उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बात तो आपने करीब-करीब कह दी ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। एक मिनट ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसी विषय...(व्यवधान)... एक मिनट मुझे ...(व्यवधान)... मैं एक मिनट लूंगा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बिराजिये तो सही। आपकी बात आ गयी। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही आप ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं एक मिनट में निवेदन कर दूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: तो आपकी बात सुनूंगा ना मैं। आप बिराजें तो सही। मैं पहले इस पर व्यवस्था दे दूं उसके बाद आपको सुनूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के सादड़ी अरावली पहाड़ पर स्थित श्री परसराम महादेव मंदिर का रास्ता चट्टान खिसकने से अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री राधेश्याम गंगानगर एवं एक अन्य सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर के राहुल सोनी की दिनांक 26 मई, 2009 को हुई मौत का पर्दाफाश करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(3) श्री प्रभुलाल सैनी एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से खरीफ 2009 में किसानों को मूंगफली के अमानक बीज उपलब्ध कराने से किसानों को हुई हानि तथा मूंगफली एवं सोयाबीन के प्रमाणिक बीजों की अधिक कीमत वसूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती अनिता भदेल एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से विधि महाविद्यालयों के अविधिक संचालन से हजारों छात्रों के भविष्य पर पड़ रहे प्रभाव के सम्बन्ध में।

(5) श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के विषय पर सदन में मांग पर चर्चा के समय अपने विचार रखने का माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर में सेना की भर्ती में दलालों की सक्रियता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री शंकर सिंह रावत एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से ब्यावर को जिला बनाने के सम्बन्ध में।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(8) श्री रामहेत सिंह एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से अलवर तिजारा रोड़ रेलवे क्रासिंग पर बनाये जा रहे आर.ओ;बी. के लिये वहां के निवासियों को बगैर मुआवजा दिये बेदखल कर देने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती संजना आगरी एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में पेयजल की भयंकर समस्या होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(10) श्री हेमसिंह एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से सरिस्का अभ्यारण्य के विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री बनवारी लाल सिंघल एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से अलवर तिजारा रोड़ रेलवे क्रासिंग पर बनाये जा रहे आर.ओ.बी. के लिये वहां के निवासियों को बगैर मुआवजा दिये बेदखल कर देने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से नगरीय निकाय में महिलाओं को दिये जाने वाले आरक्षण में कटौती करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से प्रदेश के महाविद्यालय शिक्षक एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी प्रमुख प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री हेमसिंह, श्री बनवारी लाल सिंघल, श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्री कालीचरण सराफ को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

1. श्री सुखराम, सदस्य की ओर से धौलपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सूआ के बाग़ में दिनांक 10.7.09 को वितरित मिड-डे-मील खाने से पांच बच्चों के बीमार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से शेरगढ़ तहसील मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत नाथडाऊ में अनुसूचित जनजाति का छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर के खेड़ली गड़ासिया क्षेत्र में 33/11 केवीए विद्युत सब स्टेशन की स्थापना करने के सम्बन्ध में।
4. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से कृषि विद्युत कनेक्शन स्थानान्तरणों के नियम में परिवर्तन करने बाबत।
5. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने के सम्बन्ध में।
6. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से चौंमू-अजीतगढ़ मार्ग नगरपालिका क्षेत्र के पास स्थित टोल टैक्स बूथ को महारकला ग्राम से आगे स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।
7. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी क्षेत्र में निर्माणाधीन ताकली बांध परियोजना का कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में।
8. श्री कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु विद्यालयों का प्रभारी निरीक्षण करने के सम्बन्ध में।
9. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से जिला अजमेर के राजगढ़ धाम में गन्दगी से हजारों श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
10. श्री छोटुसिंह भाटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर की विद्युत समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में।
11. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थिति राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
12. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से सर्व शिक्षा अभियान का दायरा माध्यमिक शिक्षा तक बढ़ाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पहले इसको निपटा लें उसके बाद आपको ले लें। वैसे आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप अलाउ करें ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं संक्षेप में कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: चलिये।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

अन्तः सत्रकालीन प्रश्नों के उत्तर

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल का कोई सदस्य अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा। आर्टिकल 208 के अन्तर्गत हमने विधान सभा के नियम, प्रक्रिया और कानून बनाये। इसके अन्तर्गत हमने जो अपना 33(क) है उसमें लिखा हुआ है 33(क) में अन्तः सत्र काल में अतारांकित प्रश्नों के लिये सूचना-प्रत्येक सदस्य लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिये अन्तः सत्र काल में एक सप्ताह में अधिक से अधिक एक तारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सरकार को 30 दिवस की अवधि में सीधा सदस्य को अवश्य भेजना होगा और उत्तर की एक प्रति विधान सभा को भेजनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि यह जो अन्तः सत्रकालीन प्रश्न हैं, इस प्रश्न का अगर 30 दिन के अन्दर स्वयमेव ही सरकार ने आवश्यक रूप से जवाब नहीं भेजा तो उन अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न आटोमेटिकली बन जाता है। उसके लिये दूसरे की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय, आपने उदारता का परिचय देते हुए एक बैठक बुलायी और बैठक बुलाकर आपने मुख्य सचिव महोदया को यह निर्देशित किया कि आप विभागों के निश्चित समय पर प्रश्न आने की प्रक्रिया को प्रारम्भ करें।

अध्यक्ष महोदय, होना तो यह था कि वह बैठक में इस बात का निर्णय करते, समय तय करते कि माननीय सदस्यों के प्रश्न के समय पर उत्तर मिल जाते।

अध्यक्ष महोदय, यह होने के बजाय शासन सचिवालय में बैठक हुई और बैठक में कई अधिकारियों ने जो बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों ने यह उठाया कि विधान सभा का प्रश्न है वह विधान सभा जब चले उसी समय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रश्न लगने चाहिए, उसके बाद जो अंतः सत्रकाल की व्यवस्था है उसमें प्रश्न नहीं होना चाहिए, उस समय होना यह चाहिए था कि जो उस समय सभा की अध्यक्षता कर रही थी मुख्य सचिव उनको उन्हें टोकना चाहिए था इसके बजाय इस खबर को अख़बार में लीक किया गया, इस खबर को इसलिए लीक किया किया ताकि विधान सभा के बारे में यह बात अख़बार तक जाये।

अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के लोग वह बैठक करें और बैठक करने के बाद में वह बात लीक हो, बिना लीक के नहीं हो सकता था, फिर 25 जून को राजस्थान पत्रिका में शिक्षक कमजोर क्लासेज उसके हिसाब से खबर छपी और उस खबर में यह खबर उसके अन्तर्गत आयी और अध्यक्ष महोदय उसके बाद आपने उसका काग्निजेंस लिया और काग्निजेंस लेकर के आपने मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखा कि उन अधिकारियों की जानकारी जिन्होंने यह विरोध किया, वह सदन को अवगत कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपने तो उदारतापूर्वक मुख्य सचिव को यह कहा कि आप यह काम करो और इसके बजाय अधिकारियों की मीटिंग में यह बात हुई, होना ऐसा चाहिए था कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत डांटकर और और उन्हें समझाते इस बात के लिए, इसके बजाय वह अख़बार में लीक किया गया। यह माननीय सदस्यों का अधिकार है चाहे वह पक्ष का हो, प्रतिपक्ष का हो, उनको एक प्रश्न पूछने का अधिकार है अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी लेने का अधिकार है और उस अधिकार के तहत नहीं भेजना एक बहुत बड़ी बात है।

अध्यक्ष महोदय, यह विषय है जो कि अब सार्वजनिक हो गया है। समाचार-पत्रों में प्रमुख रूप से फ्रंट पेज पर खबर छपी है। इसका किसी प्रकार का खंडन नहीं है। सरकार के स्तर पर इसका खंडन नहीं हुआ। होना यह चाहिए था कि यह खबर छपते ही मुख्य सचिव महोदया या तो आपको कोई बात कहती या प्रेस के माध्यम से कहती कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है अथवा मुख्यमंत्री जी इस खबर के छपने के बाद में तुरंत ही जिन अधिकारियों का एक्सप्लेनेशन काल करना था वह करते। अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के लिए जब ज्युडिसियरी वालों का मामला आया और खबर छपी तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने त्वरित कार्यवाही की। इसके विपरीत हमारे प्रशासनिक मुखिया ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय, दो प्रकार के विशेषाधिकार है, एक विशेषाधिकार है जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सदस्य का है, एक विशेषाधिकार है जो इस सदन का है। यह विशेषाधिकार सदन का है, यहां पर जो अपमान हुआ है वह अपमान एक सदस्य का नहीं हुआ है, राजस्थान विधान सभा के सदस्यों का अपमान हुआ है और राजस्थान विधान सभा के सदस्यों का ही नहीं हुआ, इस सारे सदन का अपमान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार लिखे हुए नहीं है, यह सदन बहुत उदार है, इस सदन के बारे में कई लोग बाहर चर्चा कर देते हैं कि यहां सब लुटेरे बैठे हैं, हम माफ कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह सदन नहीं मछली बाजार हो रहा है, हम उदार मन से माफ कर देते हैं। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी है कि वह हमारे आदेशों का पालन करें, वह पालन करने के बजाय हमको उपदेश देने लगें तो यह सदन के विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण भी हुए हैं, मैं उदाहरण और सारी बहस तब करूंगा जब आप इस विषय पर अपनी व्यवस्था देंगे।

श्री अध्यक्ष: बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अभी तो मुझे संक्षेप में इतना ही कहना है कि इस विशेषाधिकार में सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता है इसलिए आप इसको स्वीकार करें और आप उन अधिकारियों की सूची मंगायें जिन अधिकारियों ने यह बात कही और आप उस सूची के बाद में उन सारे अधिकारियों पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करें और प्रस्ताव स्वीकार करके सदन में इसकी बहस करायी जाये ताकि इस बात का प्रमाण हो सके कि हम तो उदार हैं, सदन उदार है, अध्यक्ष महादय उदार हैं, उदार दृष्टिकोण रखते हैं लेकिन जिस प्रकार से हम न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करते, जजों के आचरण पर यहां बहस नहीं करते, हम कभी नहीं करते हैं। जिस प्रकार से हम अधिकारियों के आचरण पर बहस नहीं करते उसी प्रकार से कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका का सम्मान करें और उनके निर्देशों की पालना करें। शायद इनको यह पता नहीं है कि उनके काटे का तो इलाज भी है, न्यायपालिका के काटे का इलाज है, अपील है और मुख्य सचिव किसी पर कार्यवाही करता है तो कैट में, वैट में कि सैट में कहीं भी जाकर के अपना सैट कर लेता है लेकिन इस सदन ने जिसको काट दिया उसके काटे का इलाज नहीं है। यह उनको ध्यान रखना चाहिए, अधिकारियों को इस बात की चौकसी रखनी चाहिए कि सदन ने अगर काट दिया, आपको ध्यान है केशव सिंह का केस, केशव सिंह के मामले में एक माननीय सदस्य ने पर्चे फेंके थे सदन में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने उसको 15 दिन की सज़ा दी, सज़ा के बाद में इलाहाबाद हाई-कोर्ट के दो जजों ने उनकी जमानतें ले ली, जमानत लेने के बाद अध्यक्ष महोदय ने उन दोनों जजों की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिये। उनकी गिरफ्तारी के वारंट के बाद वह दोनों जज इलाहाबाद हाई-कोर्ट की बैंच में गये और 28 जजों की पूरी बैंच ने उनकी जमानत ली और अध्यक्ष महोदय ने 28 जजों की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिये और जब गिरफ्तार करने के लिए गये तो इलाहाबाद हाई-कोर्ट के गेट को बंद करके चुपचाप बैठ गये। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की और सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह हिन्दुस्तान के इतिहास में एक नजीर है कि विधायिका अपने आपमें एक सर्वप्रभुता संपन्न है उसके कामों में कोई बाध्य नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट हमको यह आदेश नहीं दे सकता है कि आप इतना बजट पारित कर दो, यह कर दो।

अध्यक्ष महोदय, यह जो कार्यवाही प्रश्नों के बारे में हुई है इसमें बहुत बड़ा अपमान हुआ है, विशेषाधिकार का हनन है और अध्यक्ष महोदय मेरी आपसे एक शिकायत है कि आप इतने उदार क्यों हैं, आपने जिस दिन तीस दिन में यह प्रश्न नहीं आये तो या तो लिखित में वह टाइम मांगें कि प्रश्न बड़ा है यह लिखकर के आपसे छूट मांगे, वह सब नहीं करके प्रश्न नहीं भेजना यह विशेषाधिकार का हनन है और आपने बुलाकर के फिर उनको आदरपूर्वक कहा कि जल्दी भिजवायें तो मीटिंग में इस प्रकार की बात करना फिर वह अख़बार में छपना और फिर आपके द्वारा पत्र जाना, इन सब मामलों के बाद यह पूर्णतः विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बन गया है। अतः मुख्य सचिव के विरूद्व और जो अधिकारी वहां पर उपस्थित थे उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की चर्चा करने की सदन में अनुमति दी जाये और उसके बाद में उन पर कार्यवाही की जाये। इतना ही मुझे कहना है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपके सम्मुख जो भारतीय जनता पार्टी के उप नेता महोदय ने कहा, उसी तरह का प्रस्ताव नियम और प्रक्रियाओं के नियम 156 के तहत प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, संविधान के तहत कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों के कार्यों की विस्तृत विवेचना की गयी है और तीनों के चारों और लक्ष्मण रेखा भी खींची गयी है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, जिस अंत:सत्र काल प्रश्न की चर्चा उप नेता महोदय ने की है, जिसका उल्लेख इन्होंने किया है, इसका 33 क के अंदर यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह प्रश्न पूछना माननीय सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में है और यह जो आर्टिकल 208 (1) के तहत जो पुस्तिका बनायी है, जो हमारे लिए रामायण है, बाइबल है जिसके अनुसार हम अपनी सारी गतिविधियों से लेकर अपने विचार से लेकर यह सदन मूव होता है। इसके अन्तर्गत जिस अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत हमने यह सारे नियम बनाये हैं, उन अनुच्छेदों पर भी अतिक्रमण करके अगर कार्यपालिका इस तरह की बात करे और शासन सचिवालय में बैठक करके मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस तरह की चर्चा उठे कि अंत:सत्र काल के प्रश्नों को स्थगित करा जाये, इनकी कोई महत्ता नहीं है, मैं समझता हूं कि जो सदन में भारतीय जनता पार्टी के उप नेता महोदय ने कहा कि यह किसी एक की अवमानना नहीं है यह सदन की अवमानना है और अध्यक्ष महोदय, यह कोई पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है, यह इस सरकार और उस सरकार की बात भी नहीं है, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, यह संस्थाएं रहती हैं। यह सदन रहता है और सदन में लिखी हुई कार्यवाही का इतिहास बनाकर के लोग उसका अवलोकन भी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए गर्व है कि आप जब से इस आसन पर बिराजें हैं आपने कुछ इस तरह की व्यवस्था की है कि कार्यपालिका में थोड़ा बहुत हडकंप है, पर इस तरह का दुस्साहस आपके बैठे-बैठे कर लें इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नियम और प्रक्रियाओं के नियम 156 के तहत जो प्रस्ताव हमारे उप नेता ने दिया है, मैंने दिया है जिसमें 160 के तहत हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि यह विशेषाधिकार हनन का सीधा-सीधा सवाल है इसलिए इसमें चर्चा भी हो और इसके अन्दर आपकी व्यवस्था भी हो। अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नो में लिखी जाने वाली व्यवस्था हो और मुख्य सचिव महोदय को यहां हाजिर करके यहां पूछा जाये और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का उदाहरण अभी उप नेता महोदय दे रहे थे उसी तरह का उदाहरण इसी सदन के अंदर आपकी सदारथ में हो जिसकी लोग देश की दूसरी विधान सभाओं में चर्चा करें इसलिए इस तरह की व्यवस्था मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय भारतीय जनता पार्टी के उप नेता और सचेतक के माध्यम से मुझे विशेषाधिकार हनन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आया है।

(श्री अध्यक्ष)

जो चर्चा यहां हुई है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार जो हैं उनकी रक्षा के लिए किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी यह आप विश्वास करें।

प्रश्नों के जवाब नहीं आने का जहां तक प्रश्न है, माननीय सदस्यों ने मुझसे आकर इस बात की शिकायत नहीं की थी, उसके बावजूद भी मैंने गम्भीरता से लेते हुए इस बात के लिए आगाह किया और लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा हो सकता है और जो कार्यवाही हुई वह न आप लोगों से छिपी है, न मीडिया से छिपी है और न राजस्थान की जनता से छिपी है। जहां तक पुराने प्रश्नों का आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कई माननीय सदस्य मेरे पास भी आए हैं और जो सदस्य नहीं रहे उसके बावजूद भी उनको यह प्रसन्नता रही कि सदस्यता चली जाने के बाद भी उनके प्रश्नों के जवाब उन तक तीन-तीन वर्ष में पहुंचे हैं, लेकिन एक सिलसिला शुरू हुआ है।

जहां तक इस विषय का सवाल है, कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं है कि विधान सभा में क्या कार्यवाही हो, किस प्रकार कार्यवाही हो या कार्यवाही रोकी जाए और यह भी किसी माननीय सदस्य द्वारा मेरे सामने नहीं लाया गया था बल्कि समाचार पत्र के माध्यम से जब मुझे यह सूचना मिली तो मैंने इसको अत्यन्त गम्भीरता से लिया है और गम्भीरता के तहत ही मुख्य सचिव को राजस्थान विधान सभा के सचिवालय से एक पत्र लिखा गया है। 15 जुलाई को जो पत्र लिखा है उसके माध्यम से मैंने सारी स्थिति कि किन अधिकारियों की बैठक ली, किस परिप्रेक्ष्य में ली, किसने अध्यक्षता की, क्या उनके अधिकार क्षेत्र में यह था। यह ऐसा उपयुक्त नहीं था, यह मानते हुए मैंने उनको पत्र लिखा है, उनसे जवाब मांगा है। आपकी भावनाओं को मैं निश्चित रूप से समझ रहा हूं और मुझे जब स्वयं को कष्ट होता है तब कुछ कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ता है, चाहे वह प्रिय हो, चाहे अप्रिय हो। इस प्रकरण में मैं सारी स्थिति का जवाब मांग चुका हूं, वह जवाब आने के बाद जैसा उपयुक्त समझा जाएगा, आसन द्वारा वह कार्यवाही की जाएगी, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री हेमसिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सरिस्का अभयारण्य के विस्थापितों की समस्या का समाधान

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्थगन प्रस्ताव लाकर सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सरिस्का के अन्दर जयपुर से अलवर जाने वाला मार्ग है जिसको सैंक्चुरी के नाम पर, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर रोका जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरिस्का बाघ परियोजना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर राजस्थान सरकार और कांग्रेस सरकार के नियम और कानून कायदे को शायद नजरअंदाज किया जाता है। वहां पर जंगल राज तो नहीं लेकिन जंगल राज स्तर की व्यवस्था है। सरिस्का के वन कर्मी और वन विभाग के अधिकारी अपनी मनमर्जी से और अपने स्वविवेक से उस रास्ते को जो जयपुर से अलवर जाता है रोक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरिस्का के अंदर जो अभी प्रस्तावित मार्ग बाघ परियोजना में बंद किया है या बंद करने का प्रस्ताव आया है उसकी लम्बाई राटा बांध रोड से लेकर कुशालगढ़ तिराहे तक 35 किलोमीटर है। जो वैकल्पिक मार्ग निकाला है और जो पुराना मार्ग जाता है उसकी लम्बाई मात्र 22 किलोमीटर है। सरिस्का के अंदर गांव बसे हुए हैं और वहां हजारों वर्षो से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको बेवजह, बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के जबरन वन विभाग के अधिकारी, बिना किसी उचित मुआवजे के वहां पर उनके जीवन को बाधित कर रहे हैं और उनको दूसरी जगह पर विस्थापित करने के नाम पर हटाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बगानी के 21 परिवारों और कांकवाड़ी के 45 परिवारों को विस्थापित किया। उनका विस्थापन भौगालिक रूप से तो कर दिया गया लेकिन उनका नामांतरण हुआ नहीं, जमाबंदी में नाम आया नहीं, आज उनको अगर किसी बैंक से लोन लेने की आवश्यकता हो, किसी साहूकार के पास खातेदारी के अन्दर जमीन गिरवी रखने की आवश्यकता हो तो उनके पास कोई नामान्तरण का अधिकार नहीं है, यही अन्य जो बसे हुए लोग हैं उनके लिए यह करने जा रहे हैं। जब आप सरिस्का के अन्दर बसे हुए गांवों का आप विस्थापन करना चाहते हैं, करें लेकिन तब तक मानवता के नाते भी और इस कल्याणकारी सरकार को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि उनको आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाए। उसी सरिस्का में दो-दो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत मुख्यालय है, जिसको प्रधानमंत्री सड़क योजना के

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

अंदर सड़क से जोड़ा गया है। गडराजो पंचायत की हालत यह हो गई है कि वहां पर कोई व्यक्ति चला जाए तो उसकी कोई गारण्टी नहीं है कि वह सुरक्षित रूप से या सही सलामत व्हीकल से वापस आ जाए। किस कानून के तहत उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। सरिस्का के अन्दर आम आदमी और वहां पर बसे हुए लोगों के लिए जाने में परेशानी होती है तो पर्यटक जो कि सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ गाड़ियां लेकर जाते हैं उनसे क्या वाइल्ड लाइफ एक्ट का वॉयलेशन नहीं होता है? जो ग्रामीण वहां हजारों सालों से बसे हुए हैं, उनके आने-जाने से जंगल बाधित होता है और ट्यूरिस्ट वहां पर अन्दर सैंक्चुरी में घुसता है, डेढ़ सौ रुपए की अपने व्हीकल की टिकट कटवाता है और 25 रुपये प्रति सवारी टिकट कटवाता है तब जंगल डिस्टर्ब नहीं होता है? लेकिन जब ग्रामीण अपने किसी मरीज को ले जाने के लिए, शादी में या अपनी किसी आवश्यकता के लिए शहर में जाने के लिए साधन ले जाएगा तो निश्चित रूप से उसको रोका जाएगा और उसको जाने नहीं दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिन्ता का विषय है कि अगर 54 गांव जो इस सैंक्चुरी में बसे हुए हैं, सैंक्चुरी बाद में बनी है उससे पहले हजारों सालों से यह गांव बसे हुए हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जंगल बचाओं के नाम पर, टाइगर खतम करने के नाम पर, टाइगर का कत्ल करने, किसी टाइगर की हत्या करने में आज तक किसी भी में, किसी ग्रामीण का नाम नहीं आया है, उन ग्रामीणों के सहयोग से यह टाइगर जिन्दा थे, जब ग्रामीण वहां से विस्थापित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से फोरेस्ट के अधिकारी इनका शिकार करेंगे। आज सरिस्का के अन्दर टाइगर-टाइगर बचाने के नाम पर टाइगर डेन होटल है और वहां सरिस्का पैलेस होटल है और जिसके अन्दर करीब 400 कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। उनके बच्चों को खेलने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए वहां स्कूल है, फोरेस्ट रेस्ट हाउस बना हुआ है, उनके लिए एन ओ सी की जरूरत नहीं लेकिन काश्तकार अपने बच्चों के लिए झोंपड़ी बनाने लगता है तो वन विभाग के अधिकारी वहां पर जाकर उसको रोक देते हैं।

वन मंत्रीजी आज अभी यहां नहीं बैठे हैं। परसों मैंने यहां एक प्रश्न पूछा था कि आपने सरिस्का के अन्दर कब-कब सीमांकन कराया और किन मापदण्डों के आधार पर कराया? इसका इन्होंने जवाब दिया कि हमने 1959 में सीमांकन कराया, तब इसका क्षेत्रफल 811 किलोमीटर था, आज हम जाते हैं डी

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

एफ ओ के पास तो वह बताते हैं कि यह क्षेत्रफल 1172 किलोमीटर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सदन में कि सरकार निश्चित रूप से यह बताए कि किस नियम और किस कानून के तहत बिना कोई संशोधन किए, किसी भी तरह का किस्म परिवर्तन करने में किसी भी जमीन का नामांतरण करने में सेटलमेंट, भूप्रबन्धक की आवश्यकता होती है। बगैर सेटलमेंट के आपने किस कानून और किस नियम के तहत उस जंगल का क्षेत्रफल बढ़ा दिया? (समय-समाप्ति- सूचक घंटी) मैं दो मिनट में कह दूंगा। फोरेस्ट का कोई व्यक्ति अगर जाकर किसी काश्तकार के खेत में खड़ा हो जाए कि यहां तक की फोरेस्ट की भूमि है तो निश्चित रूप से वह पत्थर वहीं गड़ेगा और उसको वहां से जाना पड़ेगा। सरिस्का के अन्दर किसी ग्रामीण का पशु वहां का टाइगर खा जाए या अन्य जानवर खा जाए, किसी गाय को खा जाए, भैंस को खा जाए, व्यक्ति को खा जाए तो उनका कोई मुआवजा नहीं है लेकिन काश्तकार की भैंस या गाय अगर वहां चली जाए तो उसको निश्चित रूप से जुर्माना देना पड़ता है और उस जुर्माने का भी कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं है। यह दोहरे मानदण्डों पर आधारित नीति निश्चित रूप से खतम की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): एक मिनट में। बहुत सेंसेटिव मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब चाहूंगा मंत्रीजी से कि

इस रास्ते को यथावत रखने के लिए क्या राज्य सरकार को किसी तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी या राज्य सरकार को कोई बाध्यता है, जब 35 किलोमीटर जाने में सेंक्चुरी आती है और जो पुराना मार्ग है उसमें 22 किलोमीटर है। आप कम से कम इस हिन्दुत्व देश में, इस सनातन देश में आज मक्का और मदीना में जाते हैं तो आप उनको सरकारी तौर पर भेजते हैं और इस आस्था के केन्द्र, हमारा पाण्डुपोल, भर्तृहरि जी, नारायण धाम और नीलकंठ महादेव के स्थान उस फोरेस्ट एरिया में है, स्टेट हाइवे अलवर से बूंदी जाता है वह भी सरिस्का के अन्दर है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आपका एक मिनट पूरा हो गया।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): उन धार्मिक भावनाओं को देखते हुए

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

इस राजस्थान के पवित्र स्थलों को, एक तरफ आप पर्यटन को बढ़ावा देते हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): उस पर ध्यान देते हुए उस मार्ग को यथावत रखकर उनको विस्थापित होने से पूर्व उनको उचित मुआवजा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। अगले वक्ता का नाम पुकार लिया, कृपया समाप्त करें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन के तहत एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष जी, पाइंट आफ इंफार्मेशन के तहत उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष जी, स्थगन के माध्यम से ...(व्यवधान)...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्राध्यापकों ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बता दीजिए क्या सूचना है?

सूचना

विश्वविद्यालयों शिक्षकों का विधान सभा के बाहर प्रदर्शन

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सूचना यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्राध्यापक विधान सभा के सामने सड़क पर आये हुए हैं। राजस्थान के सभी कर्मचारियों को छठा वेतनमान मिल चुका है, लेकिन उनको आज तक यू.जी.सी. वेतनमान नहीं दिये गये हैं। साढ़े तीन साल

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

का समय व्यतीत हो चुका है। इतना ही नहीं राजस्थान सरकार को 80 परसेंट अनुदान ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हो गया, सूचना दे दी आपने। कृपया विराजें। श्री सिंघल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अलवर-तिजारा रोड पर निर्माणाधीन आर ओ बी हेतु निवासियों की बेदखली

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ...(व्यवधान)... अलवर विधान सभा क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के नाम पर 19 जून, 2009 को अलवर के जिला प्रशासन, अलवर के जिला कलक्टर और नगर विकास न्यास के सचिव महोदय के निर्देश पर और इनकी देखरेख में नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज का भवन, इसकी बाउण्ड्री को बिना किसी पूर्व सूचना के नगर विकास न्यास और खातेदारों के बीच हुए समझौते के तहत छोड़ी गयी हाजी शौकत के भवन की आधी भूमि को बिना किसी पूर्व सूचना के तहत, कृषि भूमि में लगभग 20-25 वर्ष से चल रही दुकानों को बिना किसी सूचना दिये और अभी हमारे इसी सदन में मौजूद माननीय सदस्य श्री रामहेतजी यादव, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के मतदाता हैं, के मकान तक की दीवार बिना किसी सूचना के, बिना किसी नाप के, बिना किसी तौल के, बिना किसी नोटिस के धड़धड़ाहट करते हुए बुलडोजर से उड़ा दी गयी।

श्री अध्यक्ष: यह भी विशेषाधिकार में आता है क्या? चालू रखिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जिला कलक्टर और नगर विकास न्यास के सचिव से इस तोड़फोड़ के विरुद्ध बात की गयी तो उनका कहना था कि अगर नोटिस दिया जाता तो ये लोग अदालत में जा सकते थे। माननीय, मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति का अनैतिक कार्यवाही के विरुद्ध अदालत में जाने का संवैधानिक, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मौलिक अधिकारों का, कानूनी अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का अलवर के जिला कलक्टर और सचिव ने हनन करके बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाये, बिना नाप-तौल किये इन बिल्डिंग्स को ऐसे उड़ा दिया जिस प्रकार किसी किसान के खेत में कोई

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

हार्वेस्टर लगाकर फसल काट दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 लोग इसमें पीडित हैं। प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज की बहनों ने जब माननीय कलक्टर महोदय व सचिव महोदय से निवेदन किया कि हमारी 10-10, 15-15 वर्ष के पूर्व के औषधि के पेड़ यहां लगे हुए हैं, हमारी पानी की लाइनें मत खींचो, हमारी बिजली की लाइन मत काटो, हमारे टेलीफोन के तार मत काटो, आम जनता के लिए 5 किलोमीटर के बीच में मात्र एक प्याऊ है इसको आप मत तोड़िए, हमारी खरीदशुदा जमीन है, इन लोगों के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि इसकी पैमाइश करा लेंगे और मुआवजा दे देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कलक्टर से मिले, चार विधायकों ने बातचीत की, इन्होंने कहा कि पैमाइश करा लेते हैं। हमने कलक्टर महोदय से निवेदन किया कि आप एक बार चलकर मौका देखें। माननीय, जिला कलक्टर ने एक बार तो बिलकुल ऐसे शब्दों में मना कर दिया, मेरे मौका देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब उनसे आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं मौका देख लूंगा। 29 जून की यह बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक उन्होंने कोई मौका नहीं देखा। आप ऐसी-ऐसी भूमि जिनमें लोग 20-20, 25-25 वर्ष से अपना व्यवसाय और अपनी रिहायश कर रहे थे जब इनसे पूछा गया कि आपने इनको किन नियमों से तोड़ा है तो इन्होंने बिलकुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हुए सचिव महोदय ने बताया, इनकी टीम ने बताया कि ये लोग अवैध अतिक्रमी थे। हमने इनसे पूछा कि अवैध अतिक्रमी थे तो 20 वर्ष से ये इस जमीन पर कैसे बैठे हुए थे, 20 साल से नगर विकास न्यास की आंखें क्यों बंद थी।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में नगर विकास न्यास के अधिकारियों व जिला कलेक्टर का कोई जवाब नहीं है। आज तक जिला कलक्टर महोदय ने इस स्थान का अवलोकन तक नहीं किया। संविधान की धारा और भारतीय कानूनों के अनुसार, राजस्थान के कानूनों के अनुसार ठेली, पटरी वालों को अवैध अतिक्रमी, झुग्गी-झौपड़ी वालों को हटाने के लिए भी पूर्व में नोटिस दिये जाते हैं, लेकिन ये अपनी काश्तकारी की भूमि, अपनी खरीदशुदा भूमि, आबंटित भूमि, समझौते में छोड़ी गयी भूमि पर बसे हुए लोगों को बिना किसी नोटिस और पूर्व सूचना के हटा दिया गया। माननीय कलक्टर महोदय ने हमको यह आश्वासन दिया कि मैं इसका प्लेन्टेबल सर्वे करवाता हूं, मैं इनका जरीब से

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

सर्वे करवाता हूं। जानकारी दी गई कि जरीब लगाने के लिए कोई मुस्तगिल पाइंट नहीं मिल रहा। रेलवे पटरी वहां मौजूद है उससे ज्यादा मुस्तगिल पाइंट क्या हो सकता है? रेलवे पटरी न शिफ्ट होती है, न रेलवे पटरी आगे-पीछे हो सकती है, सर्दी-गर्मी के प्रभाव से। माननीय, जरीब से इन्होंने जवाब दे दिया कि मुस्तगिल पाइंट नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय प्लेन्टेबिल सर्वे कराने की बात आयी, इन्होंने कोई प्लेन्टेबिल सर्वे नहीं कराया। हठधर्मितापूर्वक लोगों को उजाड़ दिया गया, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। लोकतंत्र में इस प्रकार का अलोकतांत्रिक कार्य करके अलवर के जिला कलक्टर और अलवर के नगर विकास न्यास के अध्यक्ष सरकार के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? लोगों को विकास चाहिए, आर ओ बी चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): लेकिन लोगों की जान की कीमत पर आर ओ बी बने, यह जनता को मंजूर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

शहरी निकायों में महिला आरक्षण में कटौती

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय देश की आधी जनसंख्या जहां महिलाओं की है उस संदर्भ में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जहां राजस्थान की पहली महिला मुख्य मंत्री, पूर्ववर्ती सरकार में जिन्होंने महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में पंचायत राज और नगरपालिकाओं के अन्दर महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत दिया था, माननीय अध्यक्ष जी, इस निर्णय से महिलाओं में यह संतोष था कि देश की आधी आबादी महिलाओं को यह सम्मान दिया जा रहा है, राजनैतिक सशक्तीकरण के ऊपर यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा पूरे देश-भर में राजस्थान की की गई थी कि राजस्थान ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जा रहा है और राजस्थान में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायत राज और नगरपालिकाओं में दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी राज्य सरकारें थीं जिन्होंने हमारे राज्य को एक माडल मानकर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अपने यहां कहा कि राजस्थान की तरह ही, उसकी तर्ज पर ही और राज्यों के अन्दर महिलाओं को इसी तरीके से आरक्षण दिया जाना चाहिए इस प्रकार की यह मांग अन्य राज्यों ने, वहां की महिलाओं ने, वहां के मुख्यमंत्रियों से की थी।

आज मुझे कहते हुए बड़ा दुःख है आज की वर्तमान सरकार ने राज्य में जो महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण नगर निकायों में मिलना चाहिए था उनके अधिकारों का हनन किया। यही नहीं जब हमने उनसे बात कही कि जो अध्यादेश पूर्ववर्ती सरकार ने निकाला था, जिसकी तिथि भी मैं देना चाहूंगी 1 अक्टूबर, 2008 को एक अध्यादेश जारी करके महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस सरकार ने आते ही उस अध्यादेश को जो रिप्लेसिंग बिल सदन में आना था उस रिप्लेसिंग बिल को उन्होंने वहीं पर क्रेश कर दिया और यही नहीं हमारी जो वर्तमान सरकार है उस सरकार ने इस बिल को सत्र प्रारंभ होने की तिथि से जो 42 दिन में पास होना चाहिए था उसे नहीं कराकर और दूसरा पूर्व में जो बिल था 1959 में नगरपालिका अधिनियम का उसे ही निरसन और प्रवर्तन के विधेयक को लाकर 26 फरवरी को सदन के अन्दर वह पुराना बिल, पुराना 1959 नगरपालिका अधिनियम का था।

उसको ही फिर से लागू करने की बात कह दी। मैं आज आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगी कि महिलाओं में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है, इस बात पर कि एक तरफ कांग्रेस की पार्टी यह कहते हुए अपने आपमें बहुत ज्यादा ...(व्यवधान)... गौरवान्वित क्या, कहना चाहिए बहुत ढोल पीट रही है। यह ढोल पीट रही है कि हमारी अध्यक्ष पूरी पार्टी की, महिला है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने लोक सभा में स्पीकर महिला बनाया है। तीसरी तरफ कहते हैं कि हम लोग महिलाओं के हितकारी हैं। हमारी तो यूपीए की चेयरपर्सन भी एक महिला हैं, राष्ट्रपति महिला बनाया है हमने, हम महिलाओं के बारे में बहुत सोच रहे हैं लेकिन कांग्रेस का यह +++आज सामने आ गया है। यह +++ कि एक तरफ तो कहते हैं कि महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान के अन्दर ....

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, यह +++ असंसदीय शब्द है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): कृपा करके इसके ऊपर आप व्यवस्था फरमाइए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है, दोहरापन कहते हैं +++ के बजाए। तो यह दोहरापन सामने आ रहा है। इनका यह दोहरापन आ रहा है कि एक तरफ तो क्या बात कह कर महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): और दूसरी तरफ, माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत इम्पोर्टेंट इश्यु है। आप इस ओर देखें कि जब मैंने पूर्व में भी यह विषय उठाया था तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि हम तो ला रहे हैं बिल, हम महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाले हैं। इनका दोहरापन एक और बता दूं कि 18 जुलाई को शनिवार के दिन लाटरियां निकली हैं। नगर निकायों के जो चुनाव हो रहे हैं, उनकी जो लाटरीज निकली हैं, वार्डों के आरक्षित होने की, उन लाटरीज के अन्दर 33 प्रतिशत ही महिलाओं को आरक्षण देते हुए लाटरीज निकाली गई हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम 50 प्रतिशत देने वाले हैं, दूसरी तरफ आप लाटरी निकालते हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 33 प्रतिशत ही महिलाओं को आरक्षण देने के संदर्भ में लाटरी निकाली जाती है, 33 प्रतिशत ही आरक्षित किये जाते हैं वार्ड तो यह किस तरीके का दोहरापन आपका चल रहा है? अगर आप वास्तव में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो इन लाटरियों के सिस्टम को आप अभी रोक दीजिए।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अभी लाटरी नहीं निकालिए। पहले आप यहां पर विधेयक लाइए।

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उसके बाद उस बिल को पारित करवा कर उसके बाद ही वहां पर लाटरियों को निकालने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इस तरीके का दोहरापन न करें और महिलाओं को गुमराह करने का, ऐसा प्रयत्न करने का काम न करें।

श्री अध्यक्ष: आप बिराजिए, यह धरने पर आएंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अतः मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना है क्योंकि यही मंत्री जी जिन्होंने कहा था कि हम 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सुन लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात पर मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले मंत्री जी का दिल दूसरा था, आज दिल दूसरा है।

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजिए।

एक माननीय सदस्य: अब यह दिल बदलवा कर आए हैं।

श्री अध्यक्ष: ये आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्री महोदय।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, बैठ गईं आप?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। इस बारे में बिलकुल क्लियर कट आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहाते हैं?

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माफ करना, मैंने देखा नहीं था आपको।

श्री अध्यक्ष: बिराजिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): देखिए, जैसा आपने कहा कि पिछली सरकार के द्वारा 33 परसेंट से 50 परसेंट महिलाओं को आरक्षण नगर पालिकाओं में और पंचायती राज में कर दिया गया है। यह एक्ट है मेर पास, जो अध्यादेश पुरानी सरकार ने लागू किया था। पहली बात तो यह मुझे बता दें कि इसमें 50 परसेंट कहां लिखा हुआ है? ...(व्यवधान)... बैठिए, बैठिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं बता रही हूं आपको ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं, आपने जो समझा है, उसी का बता देती हूं मैं आपको ...(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट जवाब दे देने दीजिए पहले ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बोलने तो दीजिए ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, बोलने तो दीजिए आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप बता दीजिए ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बोलने तो दीजिए, सुनिए तो सही उनकी बात को।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपके उप खण्ड क्षेत्र के अन्दर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बात तो सुनिए उनकी ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, कृपया बात सुनें ...(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दूसरी बात आपने यह कही कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद में हमने एक अमेंडमेंट कर दिया उस अध्यादेश में, उसकी तारीख बता दें। ...(व्यवधान)... ठहरिए, ठहरिए, आप एक साथ जवाब दे दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक साथ जवाब दे दीजिएगा। एक तो यह बता दें कि यह अध्यादेश कौन-सी तारीख को लागू हुआ था और यह बता दें कि कौन-सी तारीख को आपने इस अध्यादेश में अमेंडमेंट किया जिसमें आप 50 परसेंट बताती हैं। तीसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रश्न कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): क्यों नहीं कर सकता हूं ...(व्यवधान)... मैं आपसे वही कह रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब दे रहे हैं, माननीय सदस्य, जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं पूरा जवाब दूंगी मंत्री जी को ...(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह क्या बात हुई? आप क्या हो? ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मंत्री जी आप सवाल करते जाएं, हम जवाब देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दाल भात में मूसलचंद, आप हो क्या? ख्वामख्वाह में मेरी उनसे बात हो रही है ...(व्यवधान)... आप उनसे बात नहीं करने देंगे? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप उनसे नहीं बात कर सकते ...(व्यवधान)... यह आपको अधिकार नहीं, यह अधिकार इनको दे दिया क्या ? ...(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह अधिकार इनको दे दिया क्या ...(व्यवधान)... आप अध्यक्ष जी से बात करिए ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं अध्यक्ष जी की इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजिए ...(व्यवधान)... यह दाल-भात होता तो ठीक था ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह मूसलचंद कौन था, यह डिफाइन करना पड़ेगा पहले ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैं दिखवाऊंगा, कौन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस सदन में चर्चा मूसलचंद पर होगी।

श्री अध्यक्ष: मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा, कौन था। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक आप उनको निर्देशित करें कि यह थोड़ा बहुत संयम रखें, हमको इनकी चिंता है, आपकी तरफ से भी अगर निर्देशित हो जाए कि परसों अस्पताल से वापस आए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बीना जी, अगर यह संयम रखते तो इनके हार्ट में स्टेंट लगते ही नहीं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्री जी फरमाएं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चेयरपर्सन की लाटरियों में चेयरपर्सन की लाटरी निकाली है 11.7.05 को तत्कालीन सरकार के समय में, हमारे समय में नहीं ...(व्यवधान)... मेरी बात सुनिए और इसी तरीके से 183 म्युनिसिपेलिटीज के जो पार्षदों की लाटरी निकली है वह भी उसी तिथि से निकली है, मैं आपको पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं, जब आपने मुझे एक रोज बात की थी लेकिन पता नहीं क्यों आज यहां पर आपने यह सवाल उठाया, उस रोज तो बिलकुल संतुष्ट होकर के गई थी मुझसे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं आपको यह बताना चाहती हूं, माननीय मंत्री जी, आपने जो बात कही।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब आप एक मिनट मुझे कम्पलीट करने दीजिए उसके बाद बोल लीजिएगा। मैंने आपसे यह कहा था कि नगरपालिका का नया कानून 2009 की हैसियत से बनाया जा रहा है जो इसी सत्र में लाया जाएगा और यदि उसको सदन पास कर देता है तो उसमें निश्चित तौर पर 50 प्रतिशत का आरक्षण का प्राविजन है। यह मैंने आपको उस रोज भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और सदन के बीच में कह रहा हूं और अगर वह पास कर दिया गया तो सारे चेयरपर्सस की जो लाटरी निकली है और जितने भी पार्षदों की जो लाटरी निकली है वह सब दुबारा से निकलेगी। उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है ...(व्यवधान)... 50 प्रतिशत का और तीसरी बात मैं आपसे और भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश क्योंकि 45 नगरपालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं नवम्बर में, 45 नगरपालिकाओं के और अगर किसी कारणवश इसमें देरी हो गई तो एक्सेप्शनल केसेज में यह चुनाव आएगे, वह बढ़ाये जा सकते हैं। अब मैडम फरमाइए, आपको आपत्ति क्या है?

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त ...(व्यवधान)... चर्चा ही समाप्त हो गई।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): चर्चा समाप्त नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो बात कही वह तो अंकित हो गई लेकिन उन्होंने जो बात गलत कही है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल नहीं है। श्री कालीचरण सराफ। अंकित नहीं होगा। कृपया बिराजें। श्री कालीचरण सराफ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: इसको इतना लम्बा करने की जरूरत नहीं थी, आपको धरने पर बैठना था तो पहले ही बैठ जाते।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। कृपया बिराजें, चर्चा समाप्त। अपने स्थान पर बिराजें। सारी बात स्पष्ट हो गई। कालीचरण जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: उस प्रस्ताव की बात तो इन्होंने स्वीकार कर ली न? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, विराज जाएं। माननीय मंत्री महोदय, विराजें। श्री कालीचरण सराफ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप इनको बुलवाओ आपके दल की माननीय सदस्या हैं। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। अंकित नहीं होगा। यहां से कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इतना-सा है, माननीय सदस्य जो आये हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय, ये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक ही बात पूछ रही हैं कि यह जो 33 प्रतिशत की कल लाटरी निकली है, और लाटरियां निकल गई हैं, वो आपसे, सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहती हैं कि सरकार आने वाले चुनाव 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर करायेगी नवम्बर में?

श्री अध्यक्ष: यह बात कह चुके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस बात को हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर आप बिल लाते हैं तो निश्चित रूप से.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस खतम हो गई बात। इन्होंने आश्वस्त आपको कर दिया, आपने इनको कर दिया, अब उसके बाद भी सौहार्द्र नहीं बने, उसके बाद भी अगर सौहार्द्र नहीं बने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जवाब आप तब देंगे जब माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कृपया विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइये। आपकी भावना उन तक पहुंच गई है, विराजें। मंत्री जी कुछ कह रहे थे, विराजिये। विराजो तो सही। आपकी बात आ गई सामने। विराजिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कीमती है।

श्री अध्यक्ष: इसलिए बचाइये।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और ये लोग, जिन लोगों ने इस बात को उठाया है, ये लोग सब समझते हैं इस बात को कि 50 प्रतिशत महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए कांग्रेस कमिटेड है, यह सरकार कमिटेड है।

श्री अध्यक्ष: आपकी सद्‌भावना से भी ये वाकिफ हैं। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लेकिन दु:ख इस बात का है कि यह नॉन इश्यू को इश्यू बनाने वाली बात है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि..... (व्यवधान) अब मेरी बात सुन लीजिये तो। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अजमेर वालों ने तो सुनी नहीं है इनकी और ये मेरी सुन रही हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से वार्डों के सम्बन्ध में निम्न प्रभाव होंगे-जो नया अधिनियम आ रहा है उसमें यह प्रोविजन डाला जा रहा है। पहली बात, नगरपालिका, निकायों के वार्डों की संख्या है उस संख्या में कोई इजाफा नहीं होगा जयपुर के अलावा। राज्य की 189 पालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जितनी सीटें आरक्षित होंगी उसकी प्रत्येक श्रेणी में जितनी सीटें आयेंगी उसकी आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और उस आरक्षित श्रेणी के वार्ड में उसी जाति वर्ग विशेष की महिलाओं के लिए लाटरी निकाली जायेगी। अब क्या बचता है यह बताओ?

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री कालीचरण सराफ। चर्चा समाप्त। श्री कालीचरण जी सराफ, बोलिये आप। चर्चा समाप्त। अंकित नहीं होगा। अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, सिर्फ कालीचरण जी सराफ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण जी सराफ। ये मंत्री जी कह रहे हैं कि आपको तो नहीं कर रहा हूं न। आप गुमराह नहीं हो यह कह रहे हैं, यह आश्वासन दे रहे हैं। (व्यवधान) श्री कालीचरण जी सराफ। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी की महिला माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: कालीचरण जी भी जाना चाहते हैं क्या? बोलिये फिर। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। आप बहिष्कार किस बात पर कर रही हैं यह समझ में नहीं आ रहा। (व्यवधान) श्री कालीचरण जी।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: अब जाना है तो जाएं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? औरों को तो बोलने दें। शुरू करें।

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शैक्षिक व अशैक्षिक कर्मचारियों का आन्दोलन

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री कालीचरण सराफ)

आपके माध्यम से आज राजस्थान विधान सभा के सामने पूरे प्रदेश के महाविद्यालय शिक्षक और राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक, अशैक्षणिक कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, ये सब लोग आज यहां हजारों की संख्या में...

श्री अध्यक्ष: यह वो ही बात है जो पाइंट आफ इन्फार्मेशन के नाम से उठी है या अलग है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वो ही है। हजारों की संख्या में यहां अपने मांग-पत्र को लेकर के आये हैं। आज इन शिक्षकों के आंदोलन के कारण पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में चाहे वह विश्वविद्यालय हों और चाहे महाविद्यालय हों उनमें अराजकता का वातावरण बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ ने कुछ मांगें सरकार के सामने रखी हैं और आज उन मांगों को लेकर वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने जो मांग रखी है उसमें प्रमुख रूप से 2002 में जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान प्रदेश में थी तो उन्होंने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को नष्ट करने के लिए, विश्वविद्यालय सरकारी शिकंजे में आ जाए, विश्वविद्यालय सरकारी नियंत्रण में आ जाए तो उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पर दबाव डालकर 2002 में एक एमओयू साइन किया जिसके कारण सारी वित्तीय शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां राज्य सरकार में निहित हो गईं। आज जो शिक्षक यहां प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखने के लिए इस एमओयू को निश्चित रूप से निरस्त किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से आज राजस्थान विश्वविद्यालय जो 1947 में बना था और जिसकी पूरे हिन्दुस्तान में अपनी एक प्रतिष्ठा है, आज वहां दुर्भाग्य से यह स्थिति है कि शिक्षकों के 704 पद स्वीकृत हैं जिनमें 490 लोग कार्यरत हैं और 214 पद रिक्त पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है, विषयों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और शिक्षकों के पद रिक्त हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में टेम्प्रेरी टीचर्स थे ऐसे 325 अस्थायी प्राध्यापकों को स्थायी करने के लिए एक बिल राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया था और सब माननीय सदस्यों ने उसको सर्वसम्मति से

(श्री कालीचरण सराफ)

पारित किया था। उस समय सरकार ने यह घोषणा की थी कि बैकलॉग पूरा करने के लिए 237 पदों की नियुक्ति करने की स्वीकृति राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को राज्य सरकार ने दी थी। वो पोस्टें एडवर्टाइज भी हो गईं परन्तु अचानक पता नहीं किसके इशारे पर क्यों उन पोस्टों को जो एडवर्टाइज किया गया उसको रोक दिया गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई थीं और लोगों ने एप्लाई किया था उसके आधार पर यह प्रोसेस किया जाए और रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाए।

इसी प्रकार से जो मंत्रालयिक कर्मचारी हैं और जो अशैक्षणिक कर्मचारी हैं उनके भी पद कई सालों से नहीं भरे गये। उनके बारे में भी सरकार गम्भीरता से सोचे और उनके बारे में भी कोई निर्णय ले। इसी प्रकार से विश्वविद्यालयों को जो अनुदान की राशि दी जा रही है, कांग्रेस ने इस बार विधान सभा के चुनाव के समय

जो अपना घोषणा-पत्र जारी किया है, उसमें आपने कहा भी है पेज नम्बर-13 के 22 नम्बर बिन्दु पर, कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की वित्तीय समस्याओं के समाधान, पुनर्गठन एवं शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रयास किया जायेगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा इस एम.ओ.यू. के कारण, पिछली बार एम.ओ.यू. का उल्लंघन किया गया है इसलिए 28 करोड़ रुपये राजस्थान विश्वविद्यालय के रोक लिये गये और 40 करोड़ रुपये का जो अनुदान मिलता है विश्वविद्यालय को जो सरकार देती है, उसमें कई सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई तो मैं सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि जो पिछली बार की 28 करोड़ रुपये की अनुदान की राशि रोकी गई है, वह भी दी जाये विश्वविद्यालय को और जो 40 करोड़ रुपये की राशि हम देते हैं, उसमें निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। (व्यवधान) इसी प्रकार से विश्वविद्यालय की जो जमीन है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, उस भूमि पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, एक तो हमारे पुलिस विभाग ने एडिशनल एस.पी. का वहां कार्यालय बना रखा है...

श्री अध्यक्ष: यह प्रदर्शन इस बात के लिए है क्या?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, इसी बात के लिए है तो इस पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए और जो सबसे प्रमुख मांग है उनकी, वह है यू.जी.सी. के वेतनमान को लागू किया जाये। आपने चुनाव घोषणा-पत्र

(श्री कालीचरण सराफ)

में भी यह कहा है कि चढ्ढा समिति ने जो सिफारिश की है, उसके आधार पर शत-प्रतिशत, जो चढ्ढा समिति ने सिफारिश की हैं, उसके आधार पर यू.जी.सी. के वेतनमान सारे महाविद्यालय के शिक्षकों पर और विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर लागू किया जायेगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि आपने वह चढ्ढा समिति की सिफारिशें लागू नहीं कीं...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने अपने घोषणा-पत्र में भी कहा है परन्तु चढ्ढा समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उल्टा शिक्षकों को गुमराह करने के लिए आपने समिति यहां पर बना दी और आपने यह कहा कि इस समिति का फैसला आयेगा, तब देखेंगे तो मेरी मांग है इस सदन से, आपके माध्यम से सरकार से कि यू.जी.सी. का वेतनमान निश्चित रूप से लागू किया जाये और जो चढ्ढा समिति ने सिफारिशें की हैं, उसके आधार पर यह लागू किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...और एक मांग और है उनकी कि अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके बारे में भी आपने चुनाव घोषणा-पत्र में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में जो कार्यरत शिक्षक हैं, उनके वेतनमान छठे वेतन आयोग से बढ़ेंगे और उससे जो घाटा होगा उनको, उनको आप अनुदान के रूप में देंगे। पिछली सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें अब। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री सुखराम।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...पिछली सरकार ने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के लिए कटारियाजी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और कटारियाजी की समिति ने... (व्यवधान) आपने इसमें कहा है कि राज्य में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के अनुदान सम्बन्धी समस्याओं का समाधान एवं रिक्त पदों पर नियुक्तियां शीघ्र की जायेंगी। छठे वेतन आयोग पर

(श्री कालीचरण सराफ)

शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। मैं कहना चाहूंगा, कटारिया कमेटी बनाई गई है, मंत्रिमण्डल की मीटिंग में उस पर विचार भी हो गया था और उस कमेटी के आधार पर जो सिफारिश कटारिया कमेटी ने की थी...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, कृपया समाप्त करें। श्री सुखराम।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...उसको निश्चित रूप से लागू किया जाये। मैं सरकार से चाहूंगा कि हजारों शिक्षक और कर्मचारी यहां पर आये हैं, उनके प्रतिनिधि मण्डल को बुलायें, उनसे बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम जी। (व्यवधान) प्लीज, अंकित नहीं होगा। प्लीज नहीं, अंकित नहीं होगा। आप कह चुके हैं। नहीं प्लीज, बैठ जायें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: पूरी बात हो गई। पहले आपने कह दी, फिर इन्होंने पूरी बात कह दी। आप बिराज जायें। नहीं अंकित नहीं होगा। श्री सुखराम।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं, कृपया बिराज जायें। श्री सुखराम।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सूआ के बाग में मिड-डे-मील खाने से हुए बच्चे बीमार विषयक

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियमों के नियम 295 के तहत सूआ के बाग़ में जो घटना हुई है, उसके सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बिराजें कृपया। अंकित नहीं हो रहा है। व्यवधान नहीं। दूसरे माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। व्यवधान नहीं करें। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, उनको बोलने दीजिये। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, बैठ जायें। श्री सुखरामजी, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धौलपुर में दिनांक 10.7.2009 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सूआ के बाग़ में मिड-डे-मील खाते ही पांच बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत स्कूल प्रधानाचार्य से की एवं बाद में जिला कलक्टर से मिले। इस दिन बच्चों को मिड-डे-मील में नमकीन चावल दिये गये थे। इन नमकीन चावलों को खाते ही पांच बच्चों को उल्टी होने लगी। बच्चों को उल्टी होते देख प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों से चावल वापस ले लिये और चांवलों को बांटना बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर बाद में सब ग्रामीण इकट्ठा होकर नमकीन चावलों को साथ लेकर जिला कलक्ट्रेट निवास पहुंचे और घटना से जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर को अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार को भी कच्ची पूड़ियां मिड-डे-मील में दी गई थी। इसकी शिकायत की गई थी पर कोई सुनवाई नहीं होती है। शुक्रवार को मिड-डे-मील में पेठा आया था लेकिन उसे बांटा नहीं गया और बच्चे भूखे ही रहे। जो मीनू बना हुआ है, उसके आधार पर कभी भी खाने का सामान धौलपुर में नहीं आता है। बच्चों से बात करने पर मालूम हुआ कि प्रतिदिन खाना बहुत खराब एवं बदबूदार आता है। कभी कच्चा खाना आता है लेकिन स्कूल के शिक्षक बिना देखे ही उसे बांट देते हैं।

श्री अध्यक्ष: पूर्व मंत्रीजी, आपको तो नियमों की जानकारी होगी, बीच से नहीं जाते हैं। आप सीनियर सदस्य हैं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ...मेरा शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि अगर इस तरह मिड-डे-मील का खाना दिया जाता रहा तो बच्चे बीमार तो पड़ेंगे ही, कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। अतः इस बारे में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, उन्हें सचेत करें तथा उन्हें दंडित किया जाये। साथ ही उक्त घटना में जिन पांच बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, उन्हें कोई राहत देने की कृपा करें। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारी/कमर्चारी को कड़े निर्देश देते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ तहसील मुख्यालय एवं बालेसर में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति का छात्रावास एवं ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ, पंचायत समिति बालेसर तहसील शेरगढ़ में अनुसूचित जनजाति के छात्रों का छात्रावास खोलने हेतु प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि जिला जोधपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ तहसील को छोड़कर सभी तहसील मुख्यालयों पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों/छात्राओं हेतु छात्रावास संचालित हैं परन्तु शेरगढ़ मुख्यालय पर आज तक कोई भी छात्रावास नहीं खोला गया है जिससे तहसील के स्थानीय ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। इस तहसील मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति के परिवार बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ, पंचायत समिति बालेसर, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर एक देहात इलाका है तथा यहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी संख्या में दूर-दराज की ढाणियों में निवास करते हैं। ये परिवार गरीब होने के कारण अपने बच्चों को पूर्ण शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। इस ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आवागमन के साधन हेतु पक्की सड़क, दूरसंचार सुविधा के साथ ही पानी व बिजली की उचित व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष: आपने बैठने की इजाजत मांगी है, मैंने आपको इजाजत दी है, बैठिये आप भले ही। इतना जान लूं कि स्थाई रूप से इधर बैठना चाहते हैं कि अस्थाई रूप से? बिराजें, बिराजें आप भले ही।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय आसन का सम्मान करते हुए इतना अनुरोध करता हूं कि इनकी बुलेटिन नहीं हुई है अभी विधान सभा सचिवालय से। कृपा करके घनश्यामजी के नाम की निकाल दें बुलेटिन, वह विपक्ष में बैठना चाहते हैं या नहीं? (व्यवधान) इनकी बुलेटिन जारी कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बिराजें, बिराजें बिराजें। न वहां बैठने की उनकी अभी तक बुलेटिन जारी हुई है और माननीय सदस्य, न आपकी बुलेटिन जारी हुई है अभी वहां बैठने की। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बुलेटिन नहीं, इनकी बुलेटिन जारी हो गई है।

श्री अध्यक्ष : विराजें बिराजे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...जोधपुर जिले में एक भी राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास संचालित नहीं है। मात्र दो अनुदानित छात्रावास संचालित हैं जो कि इस विधान सभा क्षेत्र में नहीं आते हैं। इस ग्राम पंचायत से 40 किलोमीटर की दूरी तक अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी छात्रावास नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये। क्या कह रहे हैं, ये सैनी साहब क्या फरमा रहे हैं?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): +++

श्री अध्यक्ष: मेरी? होश है, क्या बोल रहे हैं?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): +++

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो कार्यवाही से निकालें कि +++

श्री अध्यक्ष: एक्सपंज करें। श्री बाबू सिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...यदि शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति का छात्र छात्रावास एवं ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ में अनुसूचित जनजाति का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का छात्रावास खोला जाये तो इन गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा का बड़ा लाभ मिलेगा, साथ ही इनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित भी किया जा सकेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों छात्रावास खोलने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बहादुर सिंह। नहीं हैं? श्री बहादुर सिंह।

वैर के खेड़ली गडासिया एवं बरखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण

श्री बहादुर सिंह (वैर): अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 295 के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ली गडासिया एवं बरखेड़ा के बीच 33/11 केवीए विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के खेड़ली गडासिया क्षेत्र के आस-पास 15 किलोमीटर तक कोई भी 33/11 केवीए सब स्टेशन नहीं है, इस क्षेत्र की बिजली की सप्लाई वीरमपुरा सब स्टेशन से आती है जिसकी दूरी 15

(श्री बहादुर सिंह)

किलोमीटर है जिसके कारण आये दिन लम्बी लाइन होने के कारण क्षतिग्रस्त रहती है जिसको सही करने में कई दिन लग जाते हैं तथा कई बार तो कर्मचारियों को खराबी की जानकारी करने में ही कई दिन लग जाते हैं। बिजली की सप्लाई कई दिन रूकने के कारण पीने के पानी की गम्भीर समस्या आ जाती है, अगर खेड़ली गडासिया पर 33/11 केवीए विद्युत सब स्टेशन बना दिया जाता है तो इस क्षेत्र के करीब 30 गांवों की समस्या खतम हो जायेगी और इस क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

कृषि विद्युत कनेक्शन शिफ्ट (स्थानांतरण) के नियम परिवर्तन बाबत

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दे , कृषि विद्युत कनेक्शन शिफ्ट (स्थानांतरण) के नियम परिवर्तन बाबत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में निरन्तर घटते भूजल स्तर के कारण कुओं एवं नलकूपों को बार-बार गहरे करवाने, ट्यूब वेल बोरिंग करवाने के बाद भी खारा एवं फ्लोराइडयुक्त पानी ही मिलता है इसके कारण पानी की कमी से खेती की सिंचाई नहीं की जा सकती है तथा किसान जहां पर्याप्त पानी की उपलब्धता होती है वहां अपनी भूमि अथवा ऐसे में किसान द्वारा अन्यत्र स्थित भूमि क्रय कर वर्तमान में विद्युत कनेक्शन को शिफ्ट करवाना चाहता है अथवा कृषि विद्युत स्थानांतरण करने की कार्यवाही करता है तो डिस्कॉम द्वारा विद्युत कनेक्शनधारी को स्वयं के नाम की दो साल पूर्व की नामांतरित भूमि का नियम बना रखा है। इससे किसानों को 2 साल तक बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अतः इस नियम को परिवर्तन हेतु एवं किसानों को शीघ्र कनेक्शन स्थानांतरण करवाने के लिए मुख्य मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को पूर्व में कई बार लिखा गया है लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः इस नियम में परिवर्तन करना राजस्थान के हजारों किसानों के हित में है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री शिवजीराम मीणा। श्री शिवजीराम मीणा । (अनुपस्थित) श्री भगवान सहाय सैनी। श्री भगवान सहाय सैनी । (अनुपस्थित) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल । (अनुपस्थित) श्री

(श्री अध्यक्ष)

कर्नल सोनाराम चौधरी। श्री कर्नल सोनाराम चौधरी । (अनुपस्थित) श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर जिले के राजगढ़ धाम में गंदगी

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर जिले के राजगढ़ धाम में गंदगी से हजारों श्रद्धालु परेशान व प्रशासन की उपेक्षा का शिकार होने के सम्बन्ध में निवेदन है कि अजमेर जिले के राजगढ़ धाम में स्थित देश भर का प्रतिष्ठित मसाणिया भैरव धाम स्थानीय प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। इस स्थान पर हर शनिवार व रविवार को दूर-दूर से श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ता है। राजगढ़ के मुख्य रास्ते से भैरव धाम तक जाने वाला रास्ता गंदगी व गांव से निकलने वाले गंदे नालों के पानी से अंटा पड़ा है। इस कारण वहां आने वाले श्रद्धालुओं को पैदल चलना व भैरव धाम पहुंच कर दर्शन करना दूभर हो गया है। भैरव धाम तक जाने वाला मुख्य मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त है तथा इसी रास्ते में गांव के नाले से बहकर आने वाला गंदा पानी भी इसी रास्ते से बहता है। इस स्थान पर रविवार मेले के दिनों में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में पुलिस की व्यवस्था रहती रही है लेकिन गत छह माह में यह पुलिस व्यवस्था भी बंद कर दी गई है। इस हेतु जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायत व पुलिस प्रशासन को कई बार निवेदन किया जा चुका है। लेकिन अब तक प्रशासन की उपेक्षा के कारण इसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है व श्रद्धालु बड़े परेशान हैं। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल स्थानीय प्रशासन को इन समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह भाटी।

जैसलमेर की विद्युत समस्याएं

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव के माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री महोदय का ध्यान अवगत करवाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पूर्व में ही कई जीएसएस पूर्ण हो चुके हैं तथा कई का निर्माण कार्य चल रहा है परंतु उक्त पूर्ण जीएसएस को चालू नहीं किया गया है तथा अपूर्ण जीएसएस को भी पूर्ण नहीं करवाया गया है जिससे क्षेत्रवासी विद्युत की उपलब्धता से वंचित रह रहे हैं। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में ठिया जीएसएस, दोवटों

(श्री छोटू सिंह भाटी)

की ढाणी, सतो, सुथार मंडी से शम इत्यादि क्षेत्रों से विद्युत के तार व बिजली संबंधित सामग्री इत्यादि की चोरी होने की वारदातें हो रही हैं जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई का कार्य भी अपूर्ण पड़ा हुआ है जिसकी वजह से एक तरफ तो विभाग को नुकसान हुआ है तथा दूसरी तरफ जनता को विद्युत की सुविधा में भी अत्यन्त देरी हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में काफी गांवों जैसे मेघवालों की ढाणी कोहरा, ढवाड, भीलों की ढाणी, लखा की कई ढाणियों इत्यादि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं देने से वहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा काफी समय से वहां के कर्मचारियों एवं जनता की भी मांग रही है।

इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में ग्राम पंचायत खिंया, ग्राम पंचायत सतो व नहरी क्षेत्र के कई गामों सहित कई नलकूपों में विद्युत कनेक्शन नहीं होने की वजह से, पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से, ग्रामीणों को पीने के जल की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री विद्युतीकरण योजना में मेघवालों की ढाणी, कोहरा (रणदा), प्रजापतों की ढाणी, भाढली इत्यादि शेष रहीं ढाणियों में आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं होने के कारण यह क्षेत्र काफी समय से पिछड़ा हुआ है। अतः आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री महोदय को निवेदन कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र की उक्त मांगों की तरफ ध्यान दे कर राज्य सरकार वहां की जनता के साथ न्याय करे। इसी आशा के साथ, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री ओटाराम देवासी।

राजकीय चिकित्सालय सिरोही में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): अध्यक्ष महोदयजी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता हूं:-

1. सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के 26 में से 12 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विवरण:- 01- नेत्र रोग विशेषज्ञ, 01-स्त्री रोग वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी), 01-हड्डी रोग विशेषज्ञ, 01-रेडियोलोजी विशेषज्ञ, 01-पैथोलॉजी विशेषज्ञ, 01-वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन) एवं 06- चिकित्सा अधिकारी।

2. इसी प्रकार सिरोही जिले के प्रत्येक राजकीय चिकित्सालय/आयुर्वेद

(श्री ओटाराम देवासी)

अस्पतालों में चिकित्सकों तथा सहायक नर्सिंग एवं एम्बुलेंस चालक कार्मिकों के अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर स्थित शिवगंज से आबूरोड(राज्य की सीमा तक) तक 120 कि.मी. की दूरी में प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें विशेषकर सिरोही शहर से बाहर निकलते ही बारीघाटा में घायल होने वाले लोगों को जिला मुख्यालय अथवा नजदीकी उप चिकित्सालय में रिक्त पदों के कारण उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है जिसमें अब तक सैंकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं।

4. सिरोही शहर जिला मुख्यालय होने के नाते चिकित्सा सुविधा की अपेक्षा लिये प्रतिदिन सैंकड़ों मरीज उक्त चिकित्सालय में किराया-भाड़ा खर्च कर आने के पश्चात्. उनको ग्रसित बीमारी के विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवा उलपब्ध नहीं हो पाती है जिसके कारण उन्हें अधिक आर्थिक नुकसान होते हुए भी गुजरात राज्य में ईलाज करवाने के लिए मजबूरी में जाना पड़ रहा है।

5. कई वरिष्ठ चिकित्सकों के पदों पर तो पद सृजित होने के बाद नियुक्ति ही नहीं हुई, मात्र रिक्त पदों की श्रेणी में ही गिना जा रहा है।

6. चिकित्सालय में वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों में से कई बार तो राष्ट्रीय कार्यक्रमों/चिकित्सा शिविरों/अन्य राजकीय कार्य अथवा अवकाश पर रहने की स्थिति में अस्पताल में आने वाले मरीजों को संबंधित चिकित्सक की सुविधा कई दिनों तक उपलब्ध नहीं होती है जिससे कमजोर आर्थिक स्थिति में भी भारी आर्थिक नुकसान, बीमारी झेल रहे परिवार को उठाना पड़ता है।

7. वाहन चालक के अभाव में कई बार रोगी को अन्यत्र रेफर किये जाने पर एम्बुलेंस वाहन चालक की अनुपलब्धता के कारण अथवा एडजस्टमेंट करने में लगने वाले समय की स्थिति में मरीज को जान देनी पड़ती है और चिकित्सालय परिसर में बवाल खड़ा हो जाता है।

8. अतः जिले में बढ़ते जनसंख्या दबाव को देखते हुए तत्काल सरकार को चिकित्सक/नर्सिंग/वाहन चालकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने जाने की महती आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले समय में जिले में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की पूरी सम्भावना है।

धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष: फूलचन्द भिण्डा। (अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

आज दिनांक 20 जुलाई, 2009 को शून्यकाल में बोलने हेतु 17 पर्चियां प्राप्त हुई हैं। जिनमें सलाहकार द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई हैं जो निम्नांकित हैं:-

श्री भवानी सिंह राजावात, विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा, कोटा के बोराबास, पदमपुरा एवं अकेलगढ़, जगपुराकसाब में पेयजल योजना की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं होने के सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण मीणा, सिपाही के पद पर चयनित तथा पुलिस में दर्ज एफआईआर में निर्दोष पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती अनिता भदेल, हरेन्द्र गैस एजेंसी के कर्मचारी कोटड़ा निवासी सुनील पाराशर की हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्रीमती सूयकान्ता व्यास, विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में मूलभूत सुविधाओं पानी, बिजली, सड़क सीवरेज विकास नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में।

श्री भवानी सिंह राजावत (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण मीणा।

सिपाही के पद पर चयनित निर्दोष अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किये जाने विषयक

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन नव-युवकों की पीड़ा को माननीय गृह मंत्रीजी तक पहुंचाता हूं। बेरोजगारी बढ़ रही है और पुलिस में ज्यादतियां भी बढ़ रही हैं। पुलिस के द्वारा अपनी आपसी रंजिश कुछ लोगों की थी, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया, कितने मुक़दमे दर्ज करवाते हैं और वो निर्दोष होते हैं। उसके बाद में उनको परेशान होना पड़ता है। वर्ष 2008-09 में माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान पुलिस की सिपाहियों की भर्ती हुई थी। वैसे भी राजस्थान में पुलिस के सिपाहियों की कमी है, थानों की नफ़री नहीं बढ़ रही है अपराध के बढ़ने से, कर्मचारी कम हैं, जहां दो थाने होने चाहिए थे, वहां एक थाना है, बहुत सी समस्याएं हैं। पिछली सरकार ने अखबारों में दिया था कि थानों की नफरियां बढ़ा रहे हैं लेकिन बढ़ा नहीं पाये, तो 2008-09 में जो पुलिस की भर्ती हुई उसमें करीब 78 या जो भी हैं, मुझे पता नहीं यह तो माननीय गृह मंत्रीजी

(श्री रामनारायण मीणा)

यहां विराजमान है, वह बता पाएंगे तो शायद उचित रहेगा। उनके खिलाफ पुलिस में कोई मुकदमा नहीं और मुकदमा दर्ज हो गया तो असत्य पाया गया। उनको भी नौकरी में भर्ती देने से रोका गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आशार्थी पिछले एक साल से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने भी चिट्ठियां लिखी, विधायकों ने भी कहा, पुलिस के ऊपर स्तर तक भी हमने बताया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आठ साल का बच्चा था, उसके खिलाफ 153 (2) का घाट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, और घाट थाने में जब मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद में उसमें जब एफ.आर. लगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ.आर जो लगी वह एफ.आर संख्या 115 वर्ष 02 है। उसमें यह कहा गया कि यह बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, यह बिलकुल निर्दोष है तथा उसके बाद में उसकी पुलिस की 2008-09 में भर्ती हो गई और भर्ती में उसको बिलकुल निर्दोष पाया गया। सालभर से ऐसे कैसेज के करीब 78-80 प्रकरण होंगे, गृह मंत्रीजी जाने माननीय अध्यक्ष महोदय वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कभी कौन अफसर किस फाइल की चिड़ियां कहां बिठाता है, कोई कहां बिठाता है और मैंने भी इसके बारे में एक पत्र लिखा था 6782 पुलिस के अधिकारियों को और जब यह स्थिति आ गई माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैंने आपके माध्यम से यह उचित समझा कि यहां विधान सभा में इस बात को रखा जाए। ताकि गृह मंत्रालय इसके बारे में कुछ विचार करे, पुलिस के अधिकारी विचार करे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करुंगा जो निर्दोष हैं, पुलिस में एफआईआर में दर्ज होने के बाद में, उनकी जब फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट पेश की उसमें उसका नाम नहीं हैं या अदालत ने जिनको बिलकुल निर्दोष बरी कर दिया, प्रताड़ना दी उनको आप नौकरी रखे या नहीं रखें, कानून जाने गृह मंत्रालय का, जो बिलकुल निर्दोष है, वह परेशान न हो, हर कोई हाईकोर्ट में जाए, कहां जाए? पांच साल लगते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा गृह मंत्रीजी यहां विराजमान है ऐसे बच्चों को, ऐसे आशार्थियों को, कितनी संख्या में हैं, मैं नहीं कह सकता आप बताये? ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को नौकरी दें। यह आदेश निकाल कर उस फाइल को निकाल दें। साफ है, पुलिस की रिपोर्ट है, हर ज़िले के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट हैं, यह 16.12.2008 को, हालांकि यह काम तो मैं नहीं कहना चाहता पिछली सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी का है, ग़रीबों को नौकरियां देंगे, कहा तो बहुत, फाइले अटका गए लेकिन छह हीने हो गए, हम

(श्री रामनारायण मीणा)

भी नहीं कर पाये। गृह मंत्री जी इसलिए आप कृपा करके ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करे यह बता दें तो शायद कृपा हो जाए और कुछ मैसेज चला जाए तो बच्चों को थोड़ी प्रसन्नता हो जाए। धन्यवाद।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा हो जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय जाम हो रहा था, मैं आ रहा था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य विराजे। माननीय सदस्य जयपुर में एक कहावत है ''निकल गई गणगौर, मोल्यो मोडो आयो रे'' आप विराज जाए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मेरे क्षेत्र का ज्वलंत मामला है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराज जाए। यह परम्परा ठीक नहीं है। श्रीमती अनिता भदेल, श्रीमती अनिता भदेल, विराज जाए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): दो मिनट में समाप्त करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट मैं जवाब देता हूं।

श्री अध्यक्ष: कौन से पर?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसी पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य रामनारायणजी मीणा साहब ने जो प्रश्न उठाया है, समस्या उठाई है उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करते समय आपराधिक प्रक्रियाओं में एफआईआर दर्ज हो रही हो, अनुसंधान चल रहा हो, किसी में विचार हो रहा हो, दोषसिद्धि हो गई हो और अब दोषमुक्ति हो गई के तथ्यों को छिपाता है आवेदन करते समय अगर इन सब बातों को छुपाता है तो उसे नैतिक अनाचरण का दोषी मानकर नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाता। लेकिन 2005 और 2006 और 2008 और 2009 तक जो भर्ती प्रक्रियाओं में उपरोक्त कारणों से 229 अभ्यर्थियों को नियुक्ति सिर्फ इस कारण से नहीं दी गई। चूंकि आपने यह बात उठाई है निश्चित तौर पर जो है काफी कुछ परीक्षण के बाद भी आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि कहीं-न-कहीं कोई विभाग के द्वारा भी कोई लापरवाही हुई हो मेरा आपसे यही निवेदन है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि सरकार अपने स्तर पर प्रत्येक प्रकरण का तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपने बहुत ठीक कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि दो फैक्ट्स हैं इसमें, एक फैक्ट्स यह है कि किसी के खिलाफ केस रजिस्टर हो लेकिन जब तक उसकी नियुक्ति हो रही हो, वह केस समाप्त हो जाता है, उसको दोषमुक्त कर देते हैं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ऐसे कैसेज बताए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिनका सलेक्शन हो गया है लेकिन केवल तथ्य उन्होंने इसलिए नहीं लिखा होगा कि मैं बरी हो गया, इस कारण से नहीं लिखे होंगे उसको माफ करके ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ऐसे ही कैसेज में देखा जा रहा है। मान लीजिए अगर आवेदन के वक्त पर उस पर कोई केस चल रहा था लेकिन आज वह दोषमुक्त हो गया तो उसका केस अलग से मान लिया जाए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): एक मिनट साहब, मैंने जो उदाहरण दिया अध्यक्ष महोदय, मेरा उदाहरण इसके पहले का है, वह तो 2003 में ही दोषमुक्त हो गया गृह मंत्री जी, जो मैंने चेतन कुमार का नाम लिया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने आपको संख्या बता दी, आप तो सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं, ऐसे 229 कैसेज हैं जिन पर पुनर्विचार हो रहा है और मैं यह समझता हूं कि निकट भविष्य में ही इनका फैसला होने वाला है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): जल्दी कर दे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आदेश निकाल रखा है इन्होंने 23.10.2006 का, यह आदेश रोकता है इस बात को, इसलिए इस आदेश पर भी आप विचार करे।

श्री अध्यक्ष: सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, अब कोई चीज नहीं बची है। श्रीमती अनिता भदेल।

हरेन्द्र गैस एजेंसी के कर्मचारी की हत्या

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में 4 जून की रात सुनील पाराशर बहुत गम्भीर हालत में सिने वर्ल्ड के यहां पर आसपास के लोगों ने उसको देखा और जब देखा कि वह बहुत बुरी

(श्रीमती अनिता भदेल)

तरह घायल है तो उन्होंने 108 एंबुलेंस मंगवा कर उसको मित्तल हास्पिटल में भर्ती करवाया। जब उसे भर्ती करवाया तो उसे मालूम नहीं था कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया है या उसकी दुर्घटना हुई है या उसका ऐक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है?

लेकिन उपचार के दौरान मित्तल होस्पिटल में जब 10-11 तारीख को उसको थोड़ा होश आया तब उसने अपने परिवारजनों को यह बात बताई कि जहां जिस गैस एजेंसी में, हरेन्द्र मेमोरियल गैस एजेंसी में वो काम करता था उस गैस एजेंसी की संचालिका रेखा नेगी और एक अन्य कर्मचारी शेलेन्द्र द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करके उसको बुरी तरह से घायल करके वहां छोड़ दिया गया। उसके बाद परिजनों ने क्रिश्चियनगंज थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता लगा कि उस कर्मचारी का मोबाइल और स्कूटर भी उस गैस एजेंसी की संचालिका के पास पाये गये। जब उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये साधन कैसे मिले तो उसने यह कहा कि दोनों चीजें मेरी कम्पनी की है, मेरी गैस एजेंसी की है, इसलिए मैं वहां से उठाकर ले आयी, लेकिन जब परिवार के लोगों को पता नहीं कि उसके साथ किसने मारपीट की है, तो फिर उन दोनों लोगों को कैसे जानकारी हुई कि उसके साथ मारपीट हुई और वो दोनों स्कूटर और मोबाइल वहां से लेकर आ गये। जब ये रिपोर्ट दर्ज हुई, उसके बाद में जब पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो वो वहां पूछताछ करने के बाद और इसी दौरान 10 तारीख को उसको होश आया तो पुलिस ने उससे बयान लेना चाहा तो उसको चिकित्सकों ने मना कर दिया कि ये ऐसी हालत में नहीं है कि बयान दे सके और उपचारित रहते हुए 18 जून को उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु होने के बाद पुलिस ने जो मर्डर की धारा है वो उसमें जोड़ दी लेकिन दोनों आरोपीगण वहां से फरार हो गये हैं, पुलिस उनको अभी तक नहीं पकड़ पायी है। पूरा परिवार दर-दर सब जगह कलक्टर के यहां पर, पुलिस एसपी साहब के यहां पर, डीआईजी साहब के यहां पर सब जगह गुहार कर रहे हैं कि उसके बेटे को जिन लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने उसकी हत्या की है, उन अपराधियों को पकड़ कर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि वो इस केस में जिन पुलिस अधिकारियों को इसकी जांच सौंपी गयी है उनको कठोर निर्देश दें कि वो शीघ्र से शीघ्र अपराधी को ढूंढकर और उसको सज़ा दिलायें ताकि उस मृतक की आत्मा को भी शांति मिले और उसके

(श्रीमती अनिता भदेल)

परिवारजन जो इस बात की गुहार कर रहे हैं कि उनके बेटे को किसने मारा है, उनकी भी, उनको जानकारी मिल सके। माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है मंत्री महोदय....

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैंने बोल दिया। मैंने पूरा केस बोल दिया। मेरा तो निवेदन है कि जो तफ्तीश हो रही है एक तो उसके बारे में जानकारी दे दें और आगे पुलिस उसमें स्टेप उठायेगी, किसे जांच सौंप रही है, कब तक उसका परिणाम आने वाला है यह मंत्री महोदय थोड़ा बता दें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्षजी, मंत्री महोदय बता रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने ये प्रकरण उठाया और ये बताया कि रेखा नेगी के द्वारा उस पर जानलेवा हमला किया गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह मैं नहीं बता रही हूं उसके बयान में उसने खुद ने जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसने अपने परिवारजनों को जब उसको होश आया तब उसने खुद ने बतायी यह बात।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लेकिन आपने यह भी बताया कि रेखा नेगी के पास उसका मोबाइल पकड़ा गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उसका मोबाइल और स्कूटर मिला है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और स्कूटर भी पकड़ा गया लेकिन पुलिस जो बताती है तफ्तीश कुनिन्दा जो बताता है वो दूसरी बात बताता है। पहली बात तो यह बतायी जाती है कि यह प्रथमदृष्ट्या एक्सीडेंट का केस है। दूसरी बात यह है कि खुद घर वालों ने अस्पताल में लिखकर के दे दिया कि हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते। तीसरी बात यह है कि आपने भी यह कहा कि जो तफ्तीश कुनिन्दा है, जो तफ्तीश कर रहे हैं उनको सरकार कठोर निर्देश दें तो इसका मतलब यह है कि आप तफ्तीश से संतुष्ट हैं तो मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं-नहीं, मैं तफ्तीश से संतुष्ट नहीं... मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं जिससे भी आप यह मानकर चलती हैं कि अगर ये तफ्तीश कुनिन्दा उसकी तफ्तीश को वो सही दिशा में तफ्तीश नहीं कर रहा है तो या तो आप मुझे नाम बता दें मैं उसी से तफ्तीश करवा लेता हूं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं-नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी का नाम बताऊं और उसी को आप तफ्तीश दें। मेरा तो यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है तो सब लोगों ने वहां उनके परिवार का मानना है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दो आईविटनेश वहां पर मौजूद थे, दो आईविटनेशेज जिनमें एक तो था भागचंद रावत और एक थी मिसेज कोयल दोनों ने उसको एक्सीडेंट बताया है। आप उसको हत्या का केस बता रही हैं वो दोनों एक्सीडेंट बता रहे हैं, तो आप अगर सेटिसफाई नहीं हैं तो बता दीजिये, उससे जांच करवा लेते हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं-नहीं, मेरे सेटिसफाई होने वाली बात नहीं है। उसके परिवाजनों का आरोप है, वो परिवारजन ये कह रहे हैं कि यह एक्सीडेंट नहीं है यह मर्डर है और ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उन्हीं परिवाजनों के द्वारा यह लिखकर दिया गया है कि हम आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते, अब बताइये?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): देखिये उस समय पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका एक्सीडेंट माना गया तब ये बात लिखी गयी थी जबकि बाद में उसको खुद ने होश आया तो बता दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह चूंकि आपने मामला उठाया है इसलिए इसको और गौर से देख लेते हैं और ज्यादा जांच करवा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को दो मिनट दे दीजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है विराज जाएं। प्लीज, विराज जाएं। डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): साहब, ...(व्यवधान) ऐसे क्या करते हो। गम्भीर मुद्दा है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): गम्भीर मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): लोग ...(व्यवधान) तरस जाएंगे ऐसे क्या कर रहे हो। लोग पानी के लिए तरस जाएंगे, मर जाएंगे पानी के बिना।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या खड़ी हुई हैं। डिमाण्ड के वक्त आपको अवसर मिल जाएगा। एक दिन पूरा चर्चा के लिए रखा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या उठाना चाहती हूं सूरसागर के बाबत, यह पहले भी उठ चुका है।

श्री अध्यक्ष: पर्ची में आया है। पर्ची में आया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पहले भी उठ चुका है।

श्री अध्यक्ष: पर्ची निकल गयी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पर्ची निकल गयी तो पर्ची को तो रोकना चाहिए था आपको साहब। दो बार उठ चुका है, पहले उठ चुका है। सूरसागर का जवाब दे चुके हैं।

सूरसागर में मूलभूत सुविधाओं का विकास

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय मंत्रीजी, खाली सूरसागर में सफाई के क्षेत्र में ही नहीं है सूरसागर की कई समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है और सफाई की समस्या थी वो भी पूरी नहीं हुई। 'न तो बाबो आयो न ताली बाजी' न आपके कोई कमिश्नर आया न आपका कोई अधिकारी आज तक भी आया तो कोई भी काम है आप इस गर्व से मत बोलना । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये आपका ध्यान किधर है मैं क्या बात करूं।

श्री अध्यक्ष: मैं सब सुन रहा हूं। जोधपुर का मामला है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर तीन विधान सभा क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इनसे बात कर लें।

श्री अध्यक्ष: हां आप बोलिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर तीन विधान सभा क्षेत्र हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आपको सुनाने के लिए ही बोल रही हैं वो और आप चल दिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप फिर जा कहां रहे हैं सुनें तो सही। नहीं, मंत्री महोदय, मेरी बात सुनें और जवाब भी देंगे। ऐसे नहीं जाएंगे आप ऐसे जाएंगे नहीं। बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर का मामला है जनहित का मामला है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर तीन विधान सभा क्षेत्र सरदारपुरा, शहर और सूरसागर। अब सरदारपुरा क्षेत्र के बारे में तो कुछ कहने की मेरे को आवश्यकता ही नहीं है। अब शहर से मैं खुद चार दफा इलेक्शन लड़ी और चार दफे इतना विकास करवाया तो मेरे को जरूरत पड़ी नहीं। अब मेरी पार्टी ने मुझे सूरसागर में भेज दिया तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सूरसागर एक बेकवर्ड एरिया है यह समझ लो आप कि सूरसागर के अन्दर विकास नाम की कोई चीज नहीं है और जो कुछ भी थोड़ा कुछ विकास हुआ है तो एक मारवाड़ी में कहावत है कि 'पक्का खेती और पक्के ब्याह' जैसे कोई भी जनप्रतिनिधि वो अपने चाहे वहां पर काम करवा लिया बाकी पूरा क्षेत्र सूरसागर का करीब-करीब ये समझ लें कि चालीस-पचास किलोमीटर के अन्दर फैला हुआ क्षेत्र है और मैं शहर क्षेत्र की हूं अब मैं वहां गयी तो उसकी स्थिति देख करके मैं ईमानदारी से कह रही हूं, आप यह मत समझना कि कोई बीजेपी या कांग्रेस की बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं विकास की। विकास होना चाहिए, मैं यह चाहती हूं कि सूरसागर क्षेत्र के अन्दर पूर्व सरकार ने जितने काम दिये हैं और जो काम बाकी हैं अगर वो काम भी आप करवा देंगे तो मैं आपकी बहुत भारी अहसानमंद रहूंगी। सूरसागर क्षेत्र कच्ची बस्तियों से भरा पड़ा है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले भी तो अपना अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो कहीं कोई लाइट की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

व्यवस्था, है न कहीं सीवर लाइन की व्यवस्था है, न कोई सड़क की व्यवस्था और न पानी की व्यवस्था। मैंने अभी मिसाल दी थी कि 'पक्के खेती और पक्के ब्याह' वाली बात है। जहां चली उसका वो कर दिया बाकी ऐसी स्थिति में लोग रह रहे हैं कि, मैं तो, सही पूछो तो, मेरे को तो वहां जाऊं तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहां आ गयी हूं। मगर भगवान की कोई कृपा है क्योंकि मेरे पास दूसरा काम तो है ही नहीं विकास के अलावा, न मैं कोई बिजनेसमैन हूं, न मेरे पास कोई धंधा है। मेरा काम तो एक ही है, घर के काम की मेरे को चिन्ता है नहीं। मेरा काम है विकास कैसे होना चाहिए। मैं ईमानदारी से आपके सामने इस पवित्र सदन में यह कहना चाहूंगी।

इस क्षेत्र के विकास के लिये अगर आप 200 करोड भी देवें तो भी कम है ऐसी स्थिति उस सूरसागर क्षेत्र की है । कितनी तो कच्ची बस्तियां हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे टोकना नहीं 5-7 मिनट में मैं अपनी बात खतम कर दूंगी । अध्यक्ष महोदय, न तो वहां कोई अच्छी चिकित्सा है । आज इतने साल हो गये 24.2.1970 में यह सूरसागर हाउसिंग बोर्ड बना था । मगर आज तक वहां पर कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनते रहो, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चिकित्सा के बजट में यह दिया है, पावटा को सैटेलाइट कर दिया । 1998 में जब राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी थे तब इन्होंने महिला बाग को सैटेलाइट किया था । हमारी सरकार आई तो हमने उसको जिला अस्पताल किया । अब आप अपने बजट में पावटा को जिला अस्पताल करने की घोषणा कर रहे हैं । मेरे को इसमें कोई बहुत खुशी या नाराजगी नहीं है क्योंकि मारवाडी में कहावत है बढै सो पावे । कोई बात नहीं अच्छा किया है अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री का उत्तर स्वायत्त शासन मंत्रीजी दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: उनका उत्तर तो आपने सुना ही नहीं ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उत्तर यह देंगे जब सुनूंगी ना । एक तो यह स्पष्ट करें कि कौनसा जिला अस्पताल रहेगा महिला बाग रहेगा या पावटा रहेगा । दूसरी मेरी बात यह है कि सूरसागर में आप यह चाहेंगे कि सबको सुविधा देवें । अब कहां तो चौपाष्टी और कहां उम्मेद अस्पताल । उसकी दूरी नाप लेना कहां लोग जायेंगे आप बताइए । कोई ऐसी अस्पताल नहीं है जिसमें अपनी सुविधा करा सके । दूसरा ....

श्री अध्यक्ष: यह आपका दूसरा समाप्त ही नहीं होता सातवां आठवां आ गया ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, आप घंटी मत बताइए, मैं मेरी बात ही नहीं कह सकूं ।

श्री अध्यक्ष: पर आपका सातवां आठवां सुझाव है दूसरा दूसरा करते ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर भी नहीं बोली थी। मेरे क्षेत्र की कोई बात ही नहीं आई । अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि फिर सूरसागर आ गया, बार-बार क्या है । बार-बार कैसे नहीं है, मैं वहां की समस्या अगर यहां सदन में नहीं रखूंगी तो कहां रखूंगी । मैं मेरी बात रखूंगी । मेरे को मालूम है कि कितना काम मेरे क्षेत्र में कराओगे, कितना नहीं कराओगे यह आप जानो, मगर मैं मेरी बात तो रखूंगी । वहां कोई ऐसी सुविधा नहीं है । चौपाष्टी जैसे क्षेत्र, गांव उसको गांव बोलते हैं चौपाष्टी को। सूरसागर देखें तो आज गांव में आता है मगर वहां कोई भी सुविधा नाम की चीज नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि सूरसागर क्षेत्र वालों को कुछ सुविधा तो देवें । 90 बी में पैसे भी ले लिये और सुविधा भी आज तक नहीं है । मैं आपसे यह तो उम्मीद करुंगी कि आप उनको सुविधा देवें ।

एक बात मजे की और देखो आपने क्या किया है सारी लाइटें बंद करवा दी । कहीं 20 लाइटें लग रही हैं तो 5 या 10 ही लगेगी इससे ज्यादा नहीं लगेगी । जगह-जगह पर हर रोड पर 2 लाइटें लग रही हैं तो एक बंद कर दो । सूरसागर क्षेत्र आपको सबसे ज्यादा इनकम देने वाला है वहां कोई सुविधा नहीं है । कितनी बडी बडी माइन्स है वहां पर लेकिन सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: वियुत आपूर्ति में कमी के कारण होता होगा ऐसा ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कमी का मतलब यह थोड़े ही है कि सूरसागर में ही कमी आ गई । अब आप कहोगे कि बार-बार सूरसागर बोलते हैं । अब मैं जिस जगह से हूं वहां की बात तो रखूंगी ही वहां कुछ भी व्यवस्था नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं चाहूंगी कि जो काम अधूरे पड़े हैं जो काम पूर्व सरकार ने छोड़ दिये हैं उन सबको आप पूरा करवा दो तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। आप इस तरीके से हमारे साथ अन्याय मत करो ।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिए ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दो तीन बातें और बताना चाहूंगी ।

श्री अध्यक्ष: अभी बाकी है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): बाकी रह गई है। अध्यक्ष महोदय, आज से दो साल और 10 महीने पहले मेरे ऊपर बहुत आपत्ति आ गई थी। उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुंधराजी थीं, वह अपनी कैबिनेट सहित मेरे यहां आई और मेरे को बहुत कुछ सांत्वना दिलाई । इसी तरीके से आज वह सदन के नेता है वह भी अपने सब परिवार सहित मेरे से मिलने आये और हमारे जौधपुर का जो रीति रिवाज है उस हिसाब से वह आये, इतना ध्यान रखा उन्होंने । इसलिए मैं उनको कहना चाहूंगी उन्होंने मेरे को उस समय क्या कहा था, उस समय यह तय नहीं था कि वह मुख्य मंत्री बनेंगे पर इन्होंने मेरे को इतना आश्वस्त किया था कि जीजी आप चिंता मत करो आपकी इस बात को तो मैं नहीं पूरा कर सकता हूं मगर आप जब कभी कोई भी काम के लिये मेरे को कहेंगी मैं आपके लिये आधी रात को भी तैयार रहूंगा।

श्री अध्यक्ष: तो आपके पास आश्वासन पेंडिंग है ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, आज वह टाइम आ गया, आज सात महीने में एक भी काम नहीं हुआ है । लैटर दिया तो उसका जवाब तक नहीं है । मेरे को इस बात की बड़ी भारी तकलीफ है ।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी हाथ जोडे बैठे हैं ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कह रही हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी समस्या का समाधान करने के लिये मंत्रीजी खडे हुए हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मंत्री महोदय एक मिनट मेरी बात सुन लें । अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार थी मैंने जो मांगा वह दिया है। मैंने कहा कि जोधपुर स्टेडियम का नाम बदलना चाहिये तो बदल दिया। जेडीए खुलनी चाहिये तो वह खुल गई। जिला अस्पताल होना चाहिये तो वह भी दे दिया और उसके पहले 1990 में सरकार थी तो मैंने कहा था जब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे उनको कहा था कि इन्होंने तो नहीं किया विश्व विद्यालय का नाम जयनारायण व्यास के नाम से किया जाये तो उन्होंने भी मेरी बात को

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

स्वीकार किया । और यह 7 महीने में मेरी एक भी बात नहीं मान रहे हैं मेरे को इसकी बडी भारी तकलीफ है। मेरे को आप इस बात का विश्वास दिलवाओ कि मेरी हर बात का यह समाधान करें ।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो तो सही खड़े हो रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सूरसागर विधान सभा क्षेत्र का वर्ष 2009-10 के बजट में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।

श्री अध्यक्ष: अब तो आप मेज थप थपाइए ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और इस क्षेत्र में अविकसित क्षेत्र के विकास के लिये यानी पानी, रोड लाइट, सड़क, सीवरेज के विकास के लिये पर्याप्त व उचित व्यवस्था की है । (व्यवधान) मैं बता रहा हूं +++ सुनो तो सही आप । (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जब मैंने +++ कहा था तो आपने आपत्ति की थी ।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें कृपया ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने आपकी +++ को तो नहीं कहा, मैंने तो मेरी +++ को कहा है आपको क्या आपत्ति है इसमें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सदन में अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी थी ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इस विधान सभा क्षेत्र में सड़क के कार्यों हेतु 955 लाख रुपये, नाली कार्य हेतु 280 लाख रुपये और विद्युत कार्यों के लिये 459 लाख रुपये तथा पेयजल के लिये 10 लाख रुपये का प्रावधान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है ।

श्री अध्यक्ष: जोधपुर विकास प्राधिकरण ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जोधपुर विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र पर खर्च करेगा। (व्यवधान) आगे तो सुनो, प्राधिकरण में बजट के अनुरूप वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य सड़क, रोड लाइट, सीवरेज आदि के काम भी करवाये जायेंगे । अब आपने कहा अस्पताल की बात तो मैं तो अभी अस्पताल से उठकर आया हूं मुझे अस्पताल के नाम से माफ करो ।

श्री अध्यक्षः चर्चा समाप्त। याचिका श्री बाबूसिंह राठौड । कृपया विराजिए, प्लीज अब बहुत हो गया। श्री बाबूसिंह राठौड।

याचिका का उपस्थापन

शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत करने बाबत

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ तहसील मुख्यालय पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत करवाने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री अध्यक्षः परिवर्तित आय व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 की अनुदान मांग पर विचार विमर्श । मास्टर भंवरलाल, शिक्षा मंत्री ।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 86 अरब, 93 करोड 56 लाख 28 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी शामिल है, प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्षः श्री कालीचरण सराफ ।

(ग्राह्य कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार विमर्श हो रहा है मैं भी इस मांग पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश में शिक्षा का वातावरण बने ।

यदि प्रदेश में शिक्षा का वातावरण बना तो बाकी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं यह कहूं कि पिछले 5 साल आदरणीय वसुंधराजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान

(श्री कालीचरण सराफ)

में थी और उस समय जो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम राजस्थान की धरती पर हुए वह पिछले 40 साल में नहीं हुए, यदि मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हजारों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, बिना किसी राजनीतिक भेद-भाव के रिकार्ड स्कूलों का खोला जाना, गरीब छात्रों को नि:शुल्क पुस्तकों का वितरण, दसवीं की छात्राओं को साइकिल वितरण, और जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए फर्ख है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान प्रदेश में, तो रिकार्ड कॉलेज राजस्थान में खुले। जहां 1998 से 2003 तक, जब कांग्रेस की सरकार थी, 122 महाविद्यालय राजस्थान में खुले थे और हमने रिकार्ड 720 महाविद्यालय राजस्थान की धरती पर खोले। उसका परिणाम यह था कि जहां राष्ट्रीय औसत 71 हजार की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय था, भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से भी कम, यानि 57 हजार की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय खोलने में हमने सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जहां कांग्रेस की सरकार में 10-11 हजार लोग तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते थे राजस्थान की धरती पर, हमने, जब हमारी सरकार बनी उस समय यह लक्ष्य रखा था कि 5 साल में हम इतनी शिक्षण संस्थाएं तकनीकी शिक्षा की खोलेंगे, एक लाख से ज्यादा नवयुवक, एक लाख से ज्यादा नौजवान तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे। मुझे फख्र है यह कहते हुए कि 5 साल में हमने जितनी आवश्यकता थी इंजीनियरिंग कालेजेज की इंजीनियरिंग कालेज खोले, जितनी आवश्यकता थी पोलीटेक्निक कालेजेज की हमने पोलीटेक्निक कालेज खोले, जितनी आवश्यकता थी आई.टी.आई खोलने की, हमने आई.टी.आई. संस्थान खोले, एम.बी.ए. की जितनी शिक्षण संस्थाएं खोली जानी थीं, हमने एम.बी.ए. की शिक्षण संस्थाएं खोलीं और एक लाख से ज्यादा नौजवानों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो, इस बात की व्यवस्था हम लोगों ने की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले बजट भाषण में 29 हजार नये शिक्षक राजस्थान में भर्ती किये जाएंगे, इस बात की घोषणा की थी।

(समय : 13.53 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

पर अभी जब, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना बजट भाषण पढ़ा, उन्होंने उसमें यह कहा कि हम 17229 शिक्षकों की नियुक्ति इस साल करेंगे। मैं

(श्री कालीचरण सराफ)

पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट में हमने 29000 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की। आचार संहिता के कारण वह नियुक्तियां नहीं हो सकीं, आर.पी.एस.सी. को रिक्वीजिशन नहीं जा सकी तो 12 हजार जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, आपने केवल 17 हजार की नियुक्ति की, 12 हजार नियुक्तियों का क्या हुआ? बड़ी टेबलें बजा रहे थे सत्ता पक्ष के लोग, जब मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने अपने बजट भाषण में 29 हजार नये शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी जिसको घटा कर हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने 17 हजार कर दिया, यह टेबलें बजाने का काम नहीं है। यह शर्म की बात है और शेम-शेम करने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, बड़ा प्रचार किया गया। चुनाव के समय यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षण वातावरण पूरे प्रदेश में दूषित हो गया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह कौनसे बजट में घोषणा की थी, 29 हजार की, जरा आप बता दें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप पढ़ लेना, यह रहा बजट।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह रहा, यह बजट मेरे पास भी है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह वसुंधराजी का बजट है। इसको पढ़ लेना।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कौन से पन्ने पर, कौन से पाइण्ट पर है, कौनसे पाइण्ट पर है, यह बता दें आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसको पढ़ लेना। (व्यवधान) पढ़ लेना आप इसमें, पढ़ लेना इसमें आप।

सभापति महोदय, इनको ताइद करें कि बीच-बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। फिर आप घण्टी बजाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इनके डिस्टर्बेंस का असर कितना लम्बा पड़ता है, यह पता है इनको।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, बड़ा प्रचार-प्रसार किया था चुनाव के समय कि भारतीय जनता पार्टी के राज

(श्री कालीचरण सराफ)

में शिक्षा की लुटिया डूब गई। पूरे प्रदेश में शिक्षा के लिये अराजकता का वातावरण बन गया। हम आये तो शिक्षा को बड़ा अच्छा वह देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार बनी, सैकण्डरी की परीक्षा, दसवीं की परीक्षा, बारहवीं की परीक्षा, आठवीं की परीक्षा, चौथी की परीक्षा, जब परीक्षाएं हो रही थीं तो रोज अखबारों में आता था, आज दसवीं का पेपर आउट, आज बारहवीं का पेपर आउट, आज आठवीं का पेपर आउट, आज चौथी क्लास का पेपर आउट। मैं कुछ कटिंग्स के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। नहीं लगा सुराग, आठवीं बोर्ड के चार पेपर आउट होने का मामला, परीक्षा के तीन घण्टे पहले पेपर बाजार में। अधिकांश हूबहू कुछ यूं ही, पेपर माफिया ने अपनाये नये हथकण्डे। दसवीं विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल गायब, चित्तौड़ में पर्चा आउट, दसवीं विज्ञान द्वितीय का पेपर आउट, परीक्षा केन्द्र से नदारद केन्द्राधीक्षक व अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक निलम्बित, अध्यापकों ने नकल करवाई, यानि आप देखिये कि अध्यापकों ने नकल करवाई। दसवीं का एक पेपर और आउट, अब तक चार पेपर आउट, दसवीं के तीन और बारहवीं का एक। अजमेर से बांसवाड़ा के बीच छलनी-छलनी हुई शिक्षा बोर्ड की गोपनीयता। अब कक्षा चार का पर्चा भी बाजार में। यह मैं नहीं लिख रहा हूं, यह अख़बार लिख रहे हैं। कालेज स्टाफ की मदद से हो रही थी सामूहिक नकल, बाबा नारायणदास कालेज, विराटनगर में नकल पकड़ने वाले उड़न दस्ते की रिपोर्ट में खुलासा।

माननीय सभापति महोदय, शुचिता की बात करने वाले, शिक्षा सबको देंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जब आप बजट पर रिप्लाई दें तो यह बतायें कि यह जिस प्रकार से पेपर आउट हुए हैं राजस्थान की धरती पर, क्या इससे परीक्षाओं के मामले में विश्वसनीयता कायम रहेगी। इन पेपर आउट करने में जो-जो दोषी थे, उनके खिलाफ आप लोगों ने क्या कार्यवाही की। आगे से इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके बारे में क्या आप की कोई कारगर योजना है। इस बारे में मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से आप अपने बजट रिप्लाई में इस बात की ओर ध्यान देंगे।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में और राजस्थान में जो निजी स्कूल चल रहे हैं, छठे वेतन आयोग का बहाना बनाकर उन्होंने मनमाने तरीके से फीस वसूलना प्रारम्भ कर दिया। मंत्रीजी के पास लोग गये तो उन्होंने कहा कि मनमानी नहीं चलने देंगे। उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया। अभिभावक मंत्रीजी से मिले तो उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के

(श्री कालीचरण सराफ)

माफिया को नहीं पनपने दिया जाएगा। निजी स्कूल यदि मनमानी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पिछले 9 महीने से कार्यवाही हो रही है, अभी तक यह पता नहीं लगा कि कमेटी ने रिपोर्ट क्या दी, मंत्रीजी ने क्या कार्यवाही की और जिन्होंने बड़ी हुई फीस अभिभावकों से ले ली, उनके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं। केवल अखबारी शेर, कागजी शेर बनकर के आप सिद्ध हुए हैं। मनमानी नहीं चलने देंगे, शिक्षा माफियाओं को समाप्त कर देंगे, ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर देंगे। हुआ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर पाये। तो मैं मंत्रीजी से यह भी चाहूंगा कि आप इसके बारे में भी कुछ कहें।

विधान सभा चुनावों के समय चुनाव घोषणा पत्र में आप लोगों ने यह कहा था कि राज्य के अनुदानित शिक्षण संस्थानों की अनुदान सम्बन्धी समस्याओं का समाधान किया जाएगा एवं रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से जब आपने स्पष्ट घोषणा की कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की शिकायतों के बारे में निराकरण किया जाएगा, आपने क्या किया?

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक भी यह चाहते थे और वहां का मैनेजमैंट भी यह चाहता था कि आप कुछ घोषणाएं करेंगे परन्तु हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक 13 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी तो भारतीय जनता पार्टी के राज में गृह मंत्री थे, गुलाब चन्दजी कटारिया, उनकी अध्यक्षता में बनी थी। उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट भी दे दी थी उन्होंने डि-फ्रिज करने के लिए कहा, जो फ्रिज था अनुदान वह डि-फ्रिज भी कर दिया गया था बाकी समस्याओं के लिए रिपोर्ट जारी कर दी थी। होना तो यह चाहिए कि कटारिया समिति ने जो रिपोर्ट आपको दी थी उसको आप लागू करते परन्तु आपकी नीयत उसको लागू करने की नहीं थी इसलिए आपने फिर एक कमेटी बना दी और कमेटी बनाकर इस समस्या का समाधान नहीं हो इस मामले में आप लोग लगे हुए हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में एक घोषणा की कि हम जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। हमने भी मेजें थपथपाईं कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे और फिर व्यास कमेटी की रिपोर्ट आयी उसमें यह कहा कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो हमारे राज में जयपुर के लिए तय कर दिया था स्थान, उसको हम अजमेर ले जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि

(श्री कालीचरण सराफ)

जब भारतीय जनता पार्टी का राज था राजस्थान में हमने यह तय किया था कि राजस्थान का बिना किसी राजनीतिक भेदभाव से समुचित विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास होना चाहिए इसलिए जितने भी अखिल भारतीय संस्थान हैं, हर सम्भाग के अन्दर एक अखिल भारतीय संस्थान होना चाहिए। जयपुर में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, अजमेर में सेण्ट्रल यूनिवर्सिटी, उदयपुर में आई.आई.एम, कोटा में आई.आई.टी., जोधपुर में एम्स और बीकानेर में आई.आई.आई.पी. परन्तु आपके मुख्य मंत्री बनते ही, गहलोत साहब मुख्य मंत्री बने, उन्होंने व्यास कमेटी बनाने का नाटक किया और व्यास कमेटी की मेनिपुलेटेड रिपोर्ट, अशोक गहलोत जोधपुर से आते हैं इसलिए आई.आई.टी. जोधपुर में, सी.पी. जोशी केन्द्रीय ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या अभी से ही घंटी बजा दी? क्या है साहब, यह? पहला वक्ता हूं। यह क्या बात हुई? अभी घंटी बजा दी?

श्री सभापति: अभी काफी वक्ताओं को बोलना है। माननीय सदस्य, काफी वक्ताओं को बोलना है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): काफी समय हो गया?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, काफी वक्ताओं को बोलना है। आपके दल के 21 माननीय सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो होंगे। साहब, मैं पहला वक्ता हूं, आप बोलने दीजिए। प्लीज, बोलने दीजिए।

श्री सभापति: 20 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष से बोलने हैं तो समय पर तो अपने को करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सी.पी.जोशी क्योंकि उदयपुर से आते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले वक्ता हैं, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, यह ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, इस तरह से चेयर को धमकाया नहीं जाना चाहिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं-नहीं, आप यह डिस्टर्ब मत करिये, प्लीज।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सदस्य, चेयर को इस तरह से धमका कर अपना वक्तव्य वह ...(व्यवधान) नहीं दे सकते हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरे को बोलने दीजिए, प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आज तक मांगों पर बहस में पहले वक्ता को पूरा टाइम दिया गया है।

श्री सभापति: सीमा में तो रहना ही पड़ेगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पहले वक्ता को हरदम समय दिया गया है और गलत बात मत करिये । (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): यह सी.पी.जोशीजी कहां से आ गये? सदन में जो मौजूद नहीं हैं उनका नाम लेने की क्या जरूरत है? ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, बीच में तारतम्य तोड़ देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सी.पी. जोशीजी उदयपुर से आये हैं, केन्द्र में मंत्री हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाओ।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आप इस तरह से अपने वक्तव्य में ...(व्यवधान) इस प्रकार समय नहीं बढ़ा सकते। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या हो रहा है यह बीच में? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि अशोक गहलोतजी जोधपुर से आये हैं इसलिए आई.आई.टी. जोधपुर में। सी.पी.जोशी क्योंकि केन्द्र में मंत्री हैं, पावरफुल है, उदयपुर से आये हैं इसलिए आई.आई.एम. उदयपुर में, सचिन पायलट केन्द्रीय मंत्री है, अजमेर से है इसलिए ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह अपनी बात कहें लेकिन जो लोग यहां सदन में नहीं हैं उनका नाम लेना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, क्या है? क्या हो रहा है यह? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो। इसके बाद आप ही बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं यह कहना चाहूंगा ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... यह कहना चाहूंगा कि आदरणीय अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): जो माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं, उनके बारे में आप टिप्पणी नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): केवल जोधपुर के मुख्य मंत्री नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। विराजो माननीय सदस्य। विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसलिए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जहां पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वहां पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हो ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आपने नाम लेकर ... (व्यवधान) आपने क्या किया?

श्री सभापति: आजाद साहब, विराजिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आपने क्या किया पांच साल में? अशोक गहलोत तो ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जहां पर सेण्ट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वहां पर सेण्ट्रल यूनिवर्सिटी हो। जहां पर आई.आई.टी. होनी चाहिए वहां पर आई.आई.टी. हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय आजाद साहब, विराजो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और जहां पर आई.आई.आई.टी. होनी चाहिए वहां पर आई.आई.आई.टी. हो। फिर साहब यह डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर आप यह कहेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। आप विराजिये-विराजिये। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह टोकाटाकी का सिलसिला बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आपसे कुछ कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, अगर टोकाटाकी का सिलसिला चला तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसे नहीं चलेगा। विराजो आजाद साहब, विराजो। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): यह तो हुआ था ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): काम ही क्या है? खड़े हो जाते हैं यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): पांच साल तक आपने क्या किया? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या हो रहा है साहब?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): तब क्या किया आपने। क्या किया आपने?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, आपकी बात भी नहीं मान रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये-विराजिये। आजाद साहब, यह तरीका तो ठीक नहीं है। (व्यवधान) आप विराजिये, नहीं ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। नहीं, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, हमें आप हमेशा ही कहते हैं पर यह ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या हो रहा है? साहब, व्यवस्था दे दी उसके बाद भी बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): यह चार-चार, पांच-पांच आदमी खड़े हो जाते हैं। आप उनसे तो नहीं कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): और जो भी बैठता है ...(व्यवधान) वह बात करने के लिए ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या है? यह आपकी ...(व्यवधान) आप हाउस को आर्डर में लाइये। हाउस को आर्डर में लाइये आप।

श्री सभापति: आप विराजो। विराजो। (व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): माननीय राठौड़ साहब बार-बार खड़े हो रहे हैं। इनको तो कभी नहीं कहा। कहो कि यह गलत है। इनको भी कहो। (व्यवधान) इनकी गलती नहीं दिखती। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो-विराजो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, यह डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह टाइम मेरे में काउंट नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो-विराजो। आप फरमाओ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: थोड़ा जल्दी। ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जहां जो अखिल भारतीय संस्थान होना चाहिए, राजस्थान के मुख्य मंत्री यह दिमाग में रखकर कि वे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, केवल जोधपुर के नहीं हैं, उनको फैसला करना चाहिए। यही मैं इस बात पर कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में हमने तीन नये विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। हमने यह

(श्री कालीचरण सराफ)

कहा था कि एक विश्वविद्यालय अलवर में खुलेगा, एक विश्वविद्यालय भरतपुर में खुलेगा और एक विश्वविद्यालय शेखावाटी में खुलेगा। उसकी प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गयी। वित्तीय प्रावधान भी दिया। ओ.एस.डी. भी हमने नियुक्त कर दिये। (व्यवधान) यह बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? यह हमने ओ.एस.डी. भी नियुक्त कर दिये। (व्यवधान)

श्री रामकेश (गंगापुर): जयपुर के लिए क्यों नहीं हुआ उस समय? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या है साहब? यह क्या हो रहा है? (व्यवधान) बैठिये आप।

श्री रामकेश (गंगापुर): इसलिए बोलते हो न आप कि अब आप भाषण दे दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री रामकेश (गंगापुर): इसलिए बोल रहे हो आप हमेशा के लिए ले लो। जयपुर के लिए कहां गये थे उस समय? जयपुर के लिए बोल रहे थे आप? जयपुर की जनता ने आपको जीताकर भेजा था। उस समय जयपुर के लिए बोलते आप। जयपुर के लिए क्यों नहीं बोलें?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, अलवर, भरतपुर क्या राजस्थान का हिस्सा नहीं है? सारे लोगों के भविष्य का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यादव साहब, बैठिये। आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमने अलवर में यूनिवर्सिटी की घोषणा की, हमने भरतपुर में यूनिवर्सिटी की घोषणा की, हमने शेखावाटी में यूनिवर्सिटी खोलेंगे, इस बात की घोषणा की। ओ.एस.डी. नियुक्त कर दिये। मैं कहना चाहूंगा कि उन तीनों यूनिवर्सिटीज के बारे में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट भाषण यहां पर पढ़ा, उसका कोई जिक्र नहीं है। इससे इस आरोप की पुष्टि होती है कि चुनाव के समय हमने जो प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी, ओ.एस.डी. नियुक्त कर दिये थे और +++ आज मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि +++ क्योंकि यदि ...(व्यवधान)...

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के ऊपर ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप फिर खड़े हो गये, क्या है यह? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह क्या है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजये। आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है?

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): वह आरोप लगा रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, हम लोग ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कैसे खड़े हो गये? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): हर बार बीच में यह ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक सैकण्ड, माननीय सभापति महोदय, सरकार ...(व्यवधान) यह सरकार शिक्षा के प्रति इतनी गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। मंत्री महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): गम्भीर है तो आप खोल दो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप बैठ जाइये। कालीचरणजी को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मंत्री महोदय, आप बैठ जाइये। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, अलवर ने तो आपको राजनैतिक जीवनदान दिया था, करवा दो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बैठ जाओ आप। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): यह सदन के अन्दर राज्यपाल महोदय के ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पहले इनको बैठाइये।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पहले इनको बैठाइये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): राज्यपाल महोदय पर आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हम तो नहीं कहना चाहते। इनको बताइये। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सदन के अन्दर ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अलवर को बरबाद कर दिया इस सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या है यह?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सदन के अन्दर, इस सर्वोच्च सदन के अन्दर राज्यपाल महोदय पर, एक सर्वोच्च सदन में राज्यपाल महोदय के ऊपर जो आरोप लगाया है यह ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह जवाब देने खड़े हुए हैं क्या?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): एक पवित्र सदन में राज्यपाल महोदय के ऊपर जो आरोप लगाया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। आप विराजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): पहले सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलवर का तो गला काट दिया। अलवर को तो बरबाद कर दिया इस सरकार ने। वहां बच्चों का भविष्य खतम कर दिया। सारी प्रक्रियाएं चालू हो गयी थीं। सारे काम चालू हो गये थे। (व्यवधान) जारी हो गयी थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजये। मैं दे रहा हूं व्यवस्था। मंत्रीजी, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह कैसे चलेगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय, आप विराजिये। विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये-विराजिये। अब नहीं, आप विराजिये। आसन पांवों पर है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अलवर और भरतपुर को बरबाद कर दिया। इसके बाद भी इनके मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजये। आसन पांवों पर है। आप विराजिये। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय,

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, विराजिये, एक मिनट। माननीय सदस्य, विराजिये। राज्यपाल महोदय पर आप आक्षेप इस सदन में नहीं लगा सकते इसलिए यह अंकित नहीं होगा। आप जो बोले रहे हैं मैं, ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, बिराजिये, सुनिये। माननीय परिवहन मंत्रीजी ने कहा है कि हम पवित्र सदन में राज्यपाल महोदय का नाम नहीं ले सकते। क्या राज्यपाल का नाम अपवित्र है क्या?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आरोप नहीं लगया मैंने। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट। पहली बात, इस सदन में राज्यपाल महोदय का नाम ले सकते हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लेकिन आरोप लगाने की बात कही है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, आरोप की बात भी कर रहा हूं, सुन तो लो। आपको ज्ञान होगा और विधायक के कर्तव्य का भी ज्ञान होगा। इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होती है, इस सदन में राज्यपाल महोदय के प्रति धन्यवाद पारित होता है, इस सदन में राज्यपाल के संदेश भी आते हैं, इस सदन से राज्यपाल के संदेश जाते हैं। इस सदन में यदि राज्यपाल महोदय ने किसी बिल पर दस्तख्त नहीं किये, उसकी चर्चा होती है, सब होती है और मैं तो यह उदाहरण दूंगा, सभापति महोदय, आप प्रोसिडिंग मंगाइये। (व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): कांग्रेस के ...(व्यवधान).. नहीं किया, यह कहा था। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, यह भी कह सकते हैं, यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, आप सुनो। आप तो बिराजो। मैं दूसरा यह कह रहा था इस सदन की जरा आप परम्परा देख लें, सिर माथे। इस सदन में राज्यपाल महोदय के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ चुका एक और एक इस सदन में राज्यपाल महोदय के खिलाफ तीन दिन तक विशेषाधिकार पर चर्चा हो चुकी दो, इस सदन ने राज्यपाल महोदय के खिलाफ विशेषाधिकार समिति की कमेटी बनाई तीन, और इस सदन में उसको रिजेक्ट किया। इसलिये यह सदन सभापति महोदय के और अध्यक्ष महोदय के निर्देश से किसी भी चीज पर विचार कर सकता है। इसमें यह कहना जरूरी है कि राज्यपाल महोदय के लिये मान हानिकारक, राज्यपाल महोदय के वह संवैधानिक कृत्य, जिनकी हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते, उनको अलग करके अगर हम चर्चा करें, माननीय सदस्य का यह कहना कि हमने तीन विधेयक बनाकर भेजे और राज्यपाल महोदय ने दस्तख्त नहीं किये, इसकी चर्चा सदन में की जा सकती है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): +++ यह व्यवस्था दे चुके हैं। आप कुछ भी बोल देंगे क्या? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, आजाद साहब बिराजो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आजाद साहब, बिराजें। क्या है साहब यह? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हिन्दुस्तान के बहुत से सदनों में बिहार के सदन में, तत्कालीन राज्यपाल बूटासिंह जी के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ और भारत सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने बूटासिंह जी को हटाया। झारखण्ड में हुआ, इसलिये सदन में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये। दूसरी बात, राज्यपाल महोदय अगर एप्रोप्रियेशन बिल, विनियोग विधेयक, जिससे अपन को पैसे मिलते हैं और राज्यपाल महोदय उस पर दस्तख्त करने से मना कर दे, क्या होगा? इसलिये राज्यपाल महोदय के नाम से ऐसे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल हो, कोई भी हो, यह हाउस सर्वोपरि है और इस सदन में हम संविधान के अन्तर्गत उन बातों पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिये माननीय सभापति महोदय, बिलों की चर्चा करना, अभी तो आज यह कर रहे हैं, कल मैं दूसरे बिल पर चर्चा करूंगा और मैं उसे यहां तक लाऊंगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यह मैंने राज्यपाल महोदय के सामने बोला था, रोकने वाला कोई नहीं है। इस सदन में हम जनता के अधिकारों के संरक्षण, सब बातों पर चर्चा कर सकते हैं, यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप इसे एक्सपंज नहीं कर सकते।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा कहने का मतलब है, माननीय सदस्य यह बतायें कि कौन से कांग्रेसी के कहने से ..(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिये-बिराजिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): इनको भी गवर्नर बनाकर यहां से भिजवा दें। यह चाहते हैं कि मैं भी गवर्नर बन जाऊं और सदन से चला जाऊं। यह मंत्री महोदय यह चाहते हैं, बार-बार खड़े होकर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं कालीचरणजी को? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, .. (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य बिराजिये, माननीय मंत्रीजी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लेने दीजिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या बोलेंगे, हो गया न।

श्री सभापति: एक मिनट (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, इन लोगों को इतना गुस्सा आया कि +++ तो अब यह बता दो कि आपने बजट में इन तीन विश्वविद्यालयों की घोषणा क्यों नहीं की? यदि आपकी नीयत सही और नीयत में खोट नहीं है तो आप अपनी रिप्लाई में बता देना कि अलवर में यूनिवर्सिटी कब खोल रहे हैं, भरतपुर में कब खोल रहे हैं और शेखावाटी में यूनिवर्सिटी कब खोल रहे हो? माननीय सभापति महोदय, आज विश्वविद्यालय में क्या स्थिति है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब डिस्टर्ब यह कर रहे हैं और आप घंटी बजा रहे हो, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ऐसे नहीं साहब, यह डिस्टर्ब करने की गलत बात। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, एक मिनट विराजिये आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, यह क्या है? बार-बार में डिस्टर्ब मत करिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): यह क्या हो रहा है? यह हमें तो डांट रहे हैं पर ..(व्यवधान) डांट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: सत्ता पक्ष की सूची है। ..(व्यवधान) माननीय आप बिराजें। 20 माननीय सदस्य और बोलेंगे। जितना अधिक से अधिक समय .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: टाइम हो गया, इनको बिठाओ। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, शैक्षणिक वातावरण बनाये जाने की बात कर रहे हैं। आज राजस्थान में सरकारी विश्वविद्यालय 12 में से 9 विश्वविद्यालयों में या तो कुलपति नहीं हैं या आजकल में रिटायर होने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में डेढ़ साल से कुलपति का पद रिक्त है। महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर के कुलपति का पद रिक्त है। बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर

(श्री कालीचरण सराफ)

एडिशनल चार्ज लिया हुआ है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर और तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति का पद रिक्त है। वहां के संभागीय आयुक्त इनको संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में कुलपति का कार्यकाल 8 अगस्त को समाप्त हो रहा है, अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति का कार्यकाल भी अगस्त में समाप्त हो रहा है। कोटा यूनिवर्सिटी के कुलपति का कार्यकाल भी अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां जहां यूनिवर्सिटी में कुलपति के पद रिक्त हैं और जहां पद रिक्त होने वाले हैं, शैक्षणिक वातावरण दूषित नहीं हो, शैक्षणिक अराजकता नहीं फैले, इसलिये प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें निश्चित रूप से कब तक कुलपति की नियुक्ति हो जायेगी। माननीय मंत्री महोदय अपनी रिप्लाई में मुझे यह बात कहें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति, मैं पांच मिनट और बोलूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय की सीमा बहुत गुजर चुकी है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दो मिनट और बोलूंगा। आप डिस्टर्बेंस को इसमें मत जोड़िये। आधा टाइम तो यह ले लेते हैं साहब।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिराजें। अब आप समअप करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, मैं दो मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति: सचेतक महोदय, अब आप समअप कराओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मांगों की बहस पर प्रथम वक्ता को ..(व्यवधान)

श्री सभापति: यह समय तो सदन की सहमति से तय हुआ है। सब माननीय सदस्य बोलेंगे। आपके अलावा अभी 20 माननीय सदस्य और बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): निश्चित तौर पर बोलेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पर मैं दो मिनट और बोलूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, प्रस्ताव जो होता है, जो पहला वक्ता होता है, उसको ज्यादा समय दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक बजकर 49 मिनट पर आपको बोलने दिया था। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, डिस्टर्बेन्स कितना हो रहा है, यह आप नहीं देख रहे हैं।

श्री सभापति: अब आप समअप कराओ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आसन से जोर-जोर से बोलकर ..(व्यवधान) किस तरह की यह जिद बहस कर रहे हैं, यह उचित है क्या? आप वरिष्ठ हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप मुझे बोलने तो दो। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, इतने वरिष्ठ सदस्य से इस तरह के व्यवहार की हमें उम्मीद नहीं है। आसन से शालीनता से बात करें। आप इनसे बोलिये आसन से शालीनता से बात करें। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): और यह कोई तरीका भी नहीं है कि यह क्या है? यह कोई तरीका नहीं है माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, हम आसन से बात कह रहे हैं..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके जो सचेतक हैं इनके भी प्राब्लम है। हर बार खड़े हो जाते हैं। चाहे आपका सदस्य बोले चाहे हमारी तरफ से बोले। इनके प्रॉब्लम है, कोई अच्छे डाक्टर से दिखाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको बोलना है। बिराजें पीछे। माननीय सदस्य बिराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस बात को भूल जाते हैं कि बरसों तक मेरे डॉक्टर आप रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, अब आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने आप खतम कर दूंगा। सभापति महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ..(व्यवधान) साहब, यह क्या है? राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य पांच विश्वविद्यालयों में 20-20, 25-25 साल से अस्थाई प्राध्यापक लगे हुए थे, उन सबको बिल लाकर हमने

(श्री कालीचरण सराफ)

नियमित करने का फैसला किया और उस समय हमने यह घोषणा की कि बैकलॉग को पूरा करने के लिये राजस्थान विश्वविद्यालय में 237 पद हम मजूंर करते हैं और उनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी। पोस्ट एडवरटाइज हो गयी, सबकी एप्लीकेशंस आ गयीं। उसके बाद में अचानक उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। मैं आपको यह कहना चाहूंगा यदि जल्दी ही इस प्रक्रिया को प्रारम्भ नहीं किया गया तो जो एडवरटाइजमेंट दिया था, वह बेकार हो जायेगा और दुबारा से एडवरटाइज करना पड़ेगा, इसलिये एक तो यह और दूसरा राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट ने यह भी फैसला किया कि जो अस्थाई प्राध्यापक लगाये गये थे, वह जिस दिन अपाइंट हुए, उस दिन से उनको रेगुलर माना जायेगा और सरकार की मंशा भी उस समय यह थी और आज आपकी ब्यूरोक्रेसी यह कह रही है कि जिस दिन विधान सभा में यहां बिल पारित हुआ, तब से हम उनको रेगुलराइज करेंगे। यह तो उनके साथ अन्याय होगा। एक बात मैं ..(व्यवधान).. साहब, एक मिनट बोलने नहीं देते, बार बार आप घण्टी बजाते हैं, है क्या यह? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, देखिये, अब आप समअप कर दो। समअप करो आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में आपने देखा होगा चाहे कॉमर्स कालेज हो, चाहे महारानी कालेज हो, चाहे महाराजा कालेज हो, चाहे लॉ कालेज हो, कहीं पर 75 प्रतिशत का एडमिशन हो रहा है...

कहीं पर 80 परसेंट पर एडमीशन और कहीं पर 70 परसेंट पर एडमीशन हो रहा है। फर्स्ट क्लास से पास बच्चे भी इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, उनका एडमीशन नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में एक सरकारी स्तर पर बॉयज कालेज और एक गर्ल्स कालेज होना चाहिए।

छात्र संघ के चुनाव की बात यहां पर आयी। यह आरोप लगाया गया कि पिछली सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती थी। हम राज में आने के बाद चुनाव करवायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं, रिप्लाई में यह बतायें कि आप लोग लिंगदोह कमेटी के आधार पर चुनाव करवाना चाहते हैं या प्रत्यक्ष विधि के हिसाब से चुनाव करवाना चाहते हैं। यदि आप प्रत्यक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं

(श्री कालीचरण सराफ)

तो जो सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदोह कमेटी के आधार पर चुनाव कराने के निर्देश दिये उसके बारे में सरकार क्या करेगी? इसके बारे में भी आप बतायें।

सभापति महोदय, एक और गम्भीर बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी एक अख़बार में समाचार आया है कि बिना मान्यता कानून की पढ़ाई, गिरेगी गाज। बार काउन्सिल आफ इण्डिया, नहीं देगी डिग्री को मान्यता। इसमें यह कहा गया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, उन्होंने परमीशन नहीं ली है बार काउन्सिल आफ इण्डिया से। वहां पांच सौ विद्यार्थी अभी भी पढ़ रहे हैं तो उनकी डिग्री को भी मान्यता नहीं मिलेगी। इस बारे में भी सरकार बताये कि इसके बारे में सरकार क्या कर रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रघु शर्मा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति जिस पर मैं अपने विचार रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछली बार भी मैं जब बोल रहा था तो इन माननीय सदस्य ने...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, जिस तरह से इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया न, अब आप डिस्टर्ब होओगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप जितना रोकना चाहें आप स्वतंत्र हो ... (व्यवधान) कोई दिक्कत नहीं है, रोकना।

श्री सभापति: आप भी अपने.....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप मेहरबानी रखना थोड़ी सी। उधर से कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति: आप सब मेरे ऊपर मेहरबानी रखो ताकि सदन अच्छा चल जाए और व्यवस्था ठीक बैठ जाए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, अभी मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछले पांच सालों में जब इनकी सरकार थी राजस्थान में, तो इन्होंने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में ये क्रांति ले आये। अब मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, कि राज्यों की दिशा और दशा की छठी वार्षिक रिपोर्ट का खुलासा, इण्डिया टुडे

(डा. रघु शर्मा)

के सितम्बर, 2008 के अंक में हुआ था। आप मंगवाकर उस अंक को देख लीजिए। राजस्थान कौनसे नम्बर पर था। हिन्दुस्तान के 20 बड़े राज्यों में राजस्थान का नम्बर था 16 वां। कोई गलतफहमी हो तो... ...(व्यवधान) इन्टरवेंशन करिए-करिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने यह कहा कि जिस प्रकार का शैक्षणिक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के राज में राजस्थान में बना, उन्होंने कहा कि मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और उन्होंने पत्र लिखा अर्जुन सिंहजी ने, सब राज्यों को कि जिस प्रकार पारदर्शिता के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति राजस्थान में हुई है उसका अनुसरण सभी राज्य करें। क्या बात कर रहे हैं? पता तो है नहीं आपको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तभी तो आप इधर आये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आजाद साहब, आप बिराजें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, ये जितने भी इन्टरवेंशन करें उतना समय आप मुझे अधिक दे दें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। ये जितना चाहें उतना इन्टरवेंशन कर लें लेकिन इण्डिया टुडे का सितम्बर, 2008 का अंक इनको पढ़ना चाहिए, अपनी नालेज को दुरुस्त करना चाहिए ये राजस्थान को गर्त में ले गये शिक्षा के क्षेत्र में 16 वें स्थान पर । जो राज रहा है यहां पर, चिल्ला चिल्ला कर आप यहां कुछ भी कहें । एक सफेद असत्य बोला गया इस सदन में। मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला, यहां पर कोई अनपढ़ लोग थोड़े ही बैठे हैं।

सभापति महोदय, यह बजट है जो पिछली सरकार की मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन के अन्दर पेश किया था। एक भी लाइन, अभी मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य, जो अभी बोल रहे थे कि 29 हजार शिक्षकों की भर्ती करने का हमारे पिछले बजट में हमने प्रावधान किया था। सभापति महोदय, एक लाइन भी इस बजट के अन्दर हो तो मैं चुनौती देता हूं इनको। इतनी असत्य बातें इस सदन को गुमराह करने के लिए ये करते हैं। एक लाइन भी इसमें नहीं लिखी। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का खुलासा इस सदन में हो जाना चाहिए कि

(डा. रघु शर्मा)

इस बार सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने कितने पद भर्ती करने के लिए राजस्थान की सरकार को कहा है और उसमें पांच सालों के अन्दर इनकी सरकार ने कितनी भर्ती की है। यह बात इन्होंने 29 हजार शिक्षकों की भर्ती की कही है इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के असत्य वाक्य जो इस सदन में कहे जाते हैं, सदन की आखिर परम्परा होती है लेकिन यह इनका दोष नहीं है सभापति महोदय। ये घोषणा पत्र की बार-बार बात करते हैं। पिछले चुनावी घोषणा-पत्र में कांग्रेस ने जो वायदे किये थे, वे पांच सालों में पूरा करने की कोशिश की और यह दिखाया कि चुनावी घोषणा-पत्र का कोई महत्व होता है। इनके लिये चुनावी घोषणा पत्र का कोई महत्व नहीं रहा। ये अब तक चुनावी घोषणा-पत्र पर असत्य बोलते रहे। इनका चुनाव घोषणा पत्र मेरे पास रखा है। सभापति महोदय, एक भी बात जो महत्वपूर्ण थी, जो राजस्थान के हित में थी, इन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल में पूरी नहीं की।

प्रथम महिला मुख्य मंत्री का दावा किया गया राजस्थान के अन्दर कि राजस्थान के इतिहास में पहली मुख्य मंत्री दी भारतीय जनता पार्टी ने। आपके चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था। आपने बालिका शिक्षा के बारे में कहा कि हम जिलों में विशेष कन्या महाविद्यालयों की स्थापना करेंगे और उनके रहने के लिए विशेष छात्रावास की सुविधा प्रदान करवायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य जो अभी बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे, महिला मुख्य मंत्री के रहते हुये क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जिले में यह व्यवस्था की पिछले पांच सालों में? असत्य बोलने से काम नहीं चलेगा। सभापति महोदय, यह तो एक नमूना है, चुनावी घोषणा-पत्र का नमूना है। चुनावी घोषणा-पत्र पर भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है छलावा करने की। लेकिन यहां तक हद हो गई। यह बजट विश्लेषण है, यह दस्तावेज है इस सदन में, पिछली मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है और उसमें उन्होंने घोषणा की कि केन्द्र सरकार पर कटाक्ष करते हुये, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ बहुत गम्भीर बात है, भाषणों की बात मानें और विपक्ष के माननीय सदस्यों की बात सुनें तो ऐसा लगेगा मानो केन्द्र ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है इससे भी आपको अवगत करा दूँ कि सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 2007-08 में सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार सैकण्डरी विद्यालयों तक होना था, इस आश्वासन

(डा. रघु शर्मा)

पर आधारित, अपने बजट में ना केवल यह घोषणा की थी कि हम इस कार्यक्रम के तहत 1500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करेंगे बल्कि 150 करोड़ रूपये का प्रावधान भी इस हेतु कर दिया। लेकिन साल भर हमको आश्वासन मिलते रहे और बड़ी सरकार की बड़ी-बड़ी समितियों की बैठकें होती रहीं। यानि आश्वासन और घोषणायें ही होती रहीं परन्तु सरकार द्वारा यह लागू नहीं की गई और उसके बाद अगले पैरे में इनकी तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय यह कहती हैं कि ''मेरी मान्यता है कि राजस्थान में जितनी पंचायतें हैं उतने ही माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय होने चाहिये।'' उस वक्त राज्य में 9343 पंचायतों के विरूद्व 6235 माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं। यानि पंचायतों की संख्या के विरूद्व इन विद्यालयों की संख्या 3108 कम है। मैं घोषणा करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, इनको मैं नजर कराना चाहता हूँ मुख्य मंत्रीजी की घोषणा को। उन्होंने इस पवित्र सदन में कहा था कि ''मैं घोषणा करती हूँ कि केन्द्र सरकार माध्यमिक शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान में ले या नहीं ले वर्ष 2008-09 में 3108 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया जायेगा।'' (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 3118 कर दिये। 10 ज्यादा किये हैं उल्टे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जितने स्कूल क्रमोन्नत हुये हैं, जितने स्कूल खुलें हैं, उनमें आप इनसे अध्यापक ही लगवा दें और ये वाकई शिक्षा का कल्याण करना चाहते हैं और राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, अगर शिक्षा के प्रति गम्भीर हैं तो जो पद खाली हैं उनके अन्दर, जितने स्कूल क्रमोन्नत हुये हैं उनमें आप शिक्षा मंत्री महोदय से कहकर उनकी पूर्ति करवा दें तो बहुत बड़ी बात हो जायेगी।

श्री सभापति: शिक्षा मंत्रीजी जब बोलें तब बता देना आप। माननीय सदस्य, आप विराजें तो सही।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): स्कूल की बात तो बाद में देखी जायेगी। स्कूलों के अन्दर शिक्षा मंत्रीजी कल्पना कर रहे हैं, समानीकरण करेंगे फिर उसके बाद भर्ती करेंगे। पाँच साल निकल जायेंगे फिर वहीं ढाक के तीन पात।

श्री सभापति: आप बोलने दीजिये। आप बिराजें और माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बस? माननीय सभापति महोदय, यह सदन का अपमान है। सदन में तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गई असत्य घोषणाओं का एक पुलिन्दा हैं। उनका बजट नहीं है। यहां अभी बड़ी बातें हो रही थी। मुझे स्पष्ट किया जाये। इसमें इन्होंने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया था पिछले बजट में।

और इसके बाद में इन्होंने यह कहा कि वर्तमान में 3500 माध्यमिक तथा उच्च-माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है अतः मैं चाहती हूं कि इन सभी 3500 माध्यमिक और नये खुल रहे 3108, यानी 6608 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करूंगी।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप ऐसे इन्ट्रप्शन मत करो, विराजो। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इनको मंत्री बनाया नहीं इसलिए कुंठित हैं, सब उल्टा ही उल्टा नजर आता है पिछली सरकार का, अच्छा नजर ही नहीं आता।

श्री सभापति: आप विराजें तो सही।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 9343 कुल पंचायतें हैं। अब जो घोषणा इन्होंने पिछले बजट में की अगर उसको सही मान लिया जाय तो फिर वर्तमान सरकार को अभी 1900 वो पंचायतें चिह्नित करने की जरूरत कहां थी अगर राजस्थान में उनकी घोषणा के मुताबिक हर पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय खोल दिया जाता तो? उस बजट में भी यह घोषणा की, माननीय सभापति महोदय, 1900 स्कूलें ऐसी रहीं, इनके बजट की घोषणा पूरी नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता से छलावा करने की बात करते रहे, अब तो हद कर दी, आपने बजट के अन्दर छलावा कर रहे हो ऊपर से कह रहे हो कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का जो बजट हमारे मुख्यमंत्रीजी ने पेश किया है उसमें आप देख लीजिए, इस बजट में बारीकी से ध्यान रखा गया है और इनके बजट की तुलना कर लीजिए, 50 घोषणाएं उस बजट के अन्दर

(डा. रघु शर्मा)

की गयीं, राजस्थान का शिक्षा का स्तर 80 प्रतिशत ले जा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं पूर्व शिक्षा मंत्री और सदन के उप नेता यह बतायें इस सदन को कि आज राजस्थान का शिक्षा का कितना प्रतिशत यह ले आये? इस तरह की असत्य बातें करने से, राजस्थान की जनता को गुमराह करने के, यही फल आप भोग रहे हैं कि आपको इधर बैठना पड़ गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी सरकार ने क्या किया पिछले पांच सालों में? माननीय सदस्य, सुनिये, आप वरिष्ठ हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, समय खतम हो गया अब इनका।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): एक मिनट। मैं टिप्पणी करने की नीयत से नहीं, सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि असत्य बात अगर कह रहे हैं, या तो चुनौती स्वीकार कर लें, 3118 स्कूल क्रमोन्नत की हैं पिछले वर्ष और इसको अब आप गलत न बताएं, आपके मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रीजी से पूछ लें, कन्फर्म कर लें। गलत बात, असत्य बात न करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कुल कितनी स्कूलें हैं, उसका आंकड़ा इनकी मुख्य मंत्री ने दिया है। कितने क्रमोन्नत करने जा रहे थे, वह आंकड़ा इन्होंने दिया है तो फिर यह 1900 स्कूलें बच कैसे गयीं? कोई नयी स्कूल भी उसके बाद खुली नहीं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आपने पाप किया था, 45 साल तक पाप किया था उसका परिणाम है ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बोलते रहो, क्या दिक्कत है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): वसुन्धराजी के समय को निकाल कर आप यह बतायें कि कितने आपने किये थे 60 साल के समय? यह बतायें आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, महापुरुषों का सम्मान करना हमारी पुरानी आदत रही है और राजस्थान में महान परम्पराएं रही हैं। सभापति महोदय, इनकी सरकार शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की और

(डा. रघु शर्मा)

उपलब्धियों की बात करती है। क्योंकि दुनिया जानती है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके नहीं हमारे भी आदरणीय हैं, इस देश के करोड़ों लोगों के आदरणीय हैं, आस्थाओं के केन्द्र हैं, वो देश के राष्ट्रपित एवं उपराष्ट्रपति थे और उनके सम्मान में शिक्षक दिवस होता है लेकिन राजीव गांधी भी इस देश के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी को भी इस देश ने भारत रत्न से नवाजा और राजीव गांधी ने इस उप महाद्वीप में शांति के लिए शहादत दी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो योजना हमने शुरू की कांग्रेस के शासन में, सभापति महोदय, हमारी उस योजना को पूरा किया हमने कार्यकाल के अन्दर, इन्होंने क्या किया पांच साल के अन्दर? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने पांच साल में यही काम किया कि राजीव गांधी को अपमानित करने के लिए डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महापुरुष का नाम लिया। एक महापुरुष को तो अपमानित होना ही पड़ेगा, यह जानकार इस तरह की साजिश कर रहे हैं यह। अगर इनको सम्मान में करना था तो, सभापति महोदय, कोई नया भवन बनाते। शिक्षा संकुल हमारी सरकार ने बनाया, राजीव गांधी कोई ऐरे-गैरे आदमी नहीं थे, इस देश की महान हस्ती थे, भारत रत्न थे। इस तरह की बातों के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से चाहूंगा कि वो अपने जवाब में इस बात को स्पष्ट करें, 25000 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं हमने खोलीं और एक झटके में नाम बदल दिया। राजीव गांधी के नाम से आपको इतना एतराज है। आप पोलिटिकल आधार पर देश की एक महान विभूति के प्रति इस तरह का राजनीतिक सोच रखते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण तरीका जो भारतीय जनता पार्टी का रहा ...

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, पूर्व शिक्षा मंत्री, बी.डी. कल्ला ने पत्र लिखा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपने तो 1200 रुपये में बंधुआ मजदूर रखा और राजीव गांधी का नाम लिया, राजीव गांधीजी को बदनाम किया। 1200 रुपये में बंधुआ मजदूर रखा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): और उस बंधुआ मजदूर को हमने प्राथमिक विद्यालय में रखा और प्राथमिक विद्यालय में रख कर उनको पूरा परमानेण्ट किया, उनको स्थायी किया और आपने बंधुआ मजदूर रखा मात्र 1200 रुपये में और राजीव गांधीजी का नाम बदनाम किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): असत्य बोल रहे हो, +++ बोल रहे हो और लगातार कह रहे हो असत्य नहीं चलेगा, असत्य नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): किसी झूठ के सौ बार बोलने से वह सच नहीं हो जायेगा। आप कतई असत्य बोल रहे हो और लगातार आरोपित कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आहूजा साहब, आप विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इस आरोप से आप दूर रहिये, आप इससे बचिये, आप +++ मत बोलिये, असत्य मत बोलिये। असत्य बोल कर के अपने आप को खराब मत कीजिए।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): राजीव गांधी को बदनाम मत कीजिए। राजीव गांधी के नाम पर बंधुआ मजदूर मत रखिये और अब भी हम आपको कह रहे हैं, कांट्रैक्ट पर मत रखिये।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। आप तो विराजो, माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप विराजो। नहीं, आप विराजो, वो बोल रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय बैठे हुए हैं और माननीय सदस्य इतने सीनियर हैं, कम से कम आप उनको अपनी जगह से बोलने के लिए कहें। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य दूसरी जगह से बोल रहे हैं।

श्री सभापति: बोलने दीजिए इनको, आपका भी बोलने का है, आप विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी शिक्षा संकुल का नाम है, मैं चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री महोदय जवाब दें तो इस पर हम को संतुष्ट करें। जिस तरह की परम्परा पिछली, पूर्ववर्ती सरकार ने दिखायी, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की परम्पराओं का हिस्सा नहीं है, सभापति महोदय, इनको अगर कोई योजना किसी और नेता की, और महापुरुष की नाम से शुरू करने हो तो उसके लिए नयी योजना लेकर आनी चाहिए और यह परम्परा राजस्थान में आगे नहीं बढ़ने देनी चाहिए।

राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के मामले में भी मेरा वो ही निवेदन है। अभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि शेखावाटी में हमने घोषणा कर दी, भरतपुर में हमने विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी, आप घोषणाएं करते रहें और उसके बजट का प्रोविजन नहीं करें और आपकी घोषणाओं को पूरा करने का जिम्मा हमारा है क्या? झूठी घोषणाएं, चुनाव जीतने के लिए झूठी घोषणाएं करें, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बजट का प्रोविजन किया आपने?

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हिम्मत करो मना करने की, नहीं करोगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय, आप तो विराजो। (व्यवधान) आप विराजो।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य क्या चाहते हैं? शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या हो, कोई सुझाव तो दो।

श्री सभापति: आप विराजिये। आसन पांवों पर है। विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): दे रहा हूं न।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): केवल पिछली सरकार का रोना ही है ...(व्यवधान) कुछ सुझाव भी है आपका? माननीय सभापति महोदय, इनका कोई सुझाव भी है क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये, आसन पांवों पर है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बीच में अगर इस तरह होता रहा तो अभी कई माननीय सदस्यों को इस सदन के अन्दर बोलना है जिसमें कई माननीय सदस्य नये हैं। अगर बीच में इण्टरविन इसी तरह से चलता रहा कि आप बोलेंगे, आप इधर बोलेंगे आप इधर बोलेंगे, आप इधर बोलेंगे तो समय पर सदन कैसे संचालित होगा? इसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी इसलिए जब कोई माननीय सदस्य बोलेंगे और बीच में अगर कोई व्यवधान होगा तो मैं सीधा निर्देश दूंगा कि अंकित नहीं होगा और समय चलता जायेगा, क्या मतलब है। इसलिए मेरा आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि आप सदन चलाने में मेरा सहयोग करें।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): ×××

श्री सभापति: विराजिये आप। माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है इस बात का कि जब प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं तो इनके जबान में जो बात आयेगी वो यह कह सकते हैं और जब हम प्रतिवाद करें तो इन्हें तकलीफ होती है।

माननीय सभापति महोदय, एक के. कस्तूरीरंगन कमेटी बनी थी इस देश के अन्दर और उन्होंने राजस्थान की जो आपकी सरकार थी उसके बारे में टिप्पणी की, सभापति महोदय, वह टिप्पणी इनको बता देना चाहता हूं, मैं। उन्होंने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिक्षा विभाग, दोनों को गम्भीर समस्याओं से ग्रसित बताया था। सभापति महोदय, उसके बावजूद अगर यह कह रहे हैं कि इनकी सरकार ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में, तो मैं समझता हूं वह सदन को गुमराह करने की कोशिश मात्र है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज कला और संस्कृति पर भी मंत्री महोदय को जवाब देना है। अब राजस्थान के अन्दर पिछले पाँच सालों में ...(व्यवधान) सुनने का माद्दा रखो, माननीय सदस्य। आमेर विकास प्राधिकरण बना राजस्थान के अन्दर, जब मंत्री महोदय जवाब दें, मैं यह भी चाहूंगा कि आमेर विकास प्राधिकरण में कौन-कौन सदस्य

(डा. रघु शर्मा)

थे, कौन अध्यक्ष था उस प्राधिकरण का और मुख्य मंत्री की उस प्राधिकरण में क्या हैसियत थी?

किस रूप में वह जाया करती थीं, कितने रुपये आमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पिछली सरकार ने, क्योंकि यह अपने नेताओं को तो किले और खण्डहर बता रहे थे लेकिन इन्होंने इन किलों और खण्डहरों को बनाने में, इनको गरीब की झौंपड़ी तो नजर नहीं आयी लेकिन इन किले और खण्डहरों को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने कितने करोड़ रुपये खर्च किये। यह माननीय कला और संस्कृति मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह यह भी बता दें।

इसके अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि राजस्थान में एकेडमीज बहुत सारी हैं, सभापति महोदय, उन एकेडमीज की क्या दुर्दशा हुई है, पिछले पाँच सालों में उन एकेडमीज के नाम के साथ माननीय मंत्री महोदय जब जवाब दें, यह बता दें कि कितना पैसा पिछले पांच साल में अलग-अलग एकेडमीज के हिसाब से जो कि राजस्थान के साहित्य के वातावरण को संवर्द्धित करने के लिए बनायी गयी हैं, उन एकेडमीज के माध्यम से पिछली सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है। तब समझ में आ जाएगा कि कौनसे क्रांतिकारी कदम आपकी सरकार ने उठाये थे।

मैं माननीय मंत्री जी, घोषणाएं तो असत्य बहुत हुईं, अगर इस पर डिबेट करना चाहें तो पूरा दिन लग जाएगा। बजट में बहुत सारी बातें असत्य कही गयीं, घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें असत्य कही गयीं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसमें 1900 जो ग्राम पंचायतें छूट गयी थीं, जहां प्राथमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं वहां पर माध्यमिक विद्यालय खोलने की जो घोषणा की गयी है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हू क्योंकि छह पंचायतें मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी हैं जहां पर यह लाभ मुझे मिला है और क्षेत्र की जनता में प्रसन्नता की लहर है।

माननीय सभापति महोदय, 500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य की संकाय यह सरकार खोलने जा रही है, मैं इस घोषणा का भी स्वागत करता हूं। एस डी ओ हैड क्वार्टर पर विज्ञान और वाणिज्य संकाय जिन महाविद्यालयों में नहीं हैं वहां भी इस सरकार ने घोषणा की है कि हम खोलेंगे, यह घोषणा भी स्वागत योग्य है। दस हजार रिटायर्ड, हर

(डा. रघु शर्मा)

साल जो रिटायर होने वाले टीचर्स हैं, उनकी हर साल भर्ती करने का जो कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में किया है वह स्वागत योग्य है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शारीरिक शिक्षकों की जो एक हजार की भर्ती की जा रही है सरकार के माध्यम से वह भी एक स्वागत योग्य कदम है। दो हजार माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा के लिए पचपन करोड़ रुपये की जो व्यवस्था इस सरकार ने की है वह भी स्वागत योग्य है। वैसे तो पिछले बजट में इन्होंने पूरे स्कूलों में कम्प्यूटर की व्यवस्था कर दी थी इसलिए करने की जरुरत नहीं थी। यह जो दो हजार स्कूलों की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है और उसके लिए बजट में इन्होंने तैंतीस करोड़ का प्रावधान पिछली चुनावी घोषणा में था, इस बजट में कर दिया इन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वास्तविकता कुछ और है, इनके बजट की घोषणाएं कुछ और हैं। इस सरकार ने दो हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की घोषणा की है।

अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जो यहां विराज रहे हैं उनको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने 1900 माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये राजस्थान के अन्दर जो कि एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन सरकार अगर कुछ महाविद्यालय क्रमोन्नत कर देती नये, कुछ माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर देती, तो राजस्थान में एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी अनुदान की जो मांगें हैं उन पर जवाब के वक्त इस बारे में भी कुछ टिप्पणी करें।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मिड-डे-मील की गुणवत्ता पर पूरे राजस्थान में पिछले पाँच साल तक लगातार सवालिया निशान उठते रहे। कई बच्चे बीमार होते रहे और अनेक तरह की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, ...(व्यवधान) विराजिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या कर रहे हैं ...(व्यवधान) पहली बार ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सुझाव दे रहा हूं माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मात्र भाषण देने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान) खा जाना, बहुत खाया है पांच साल तक ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजें माननीय सदस्य। समअप करो आप तो जल्दी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपकी सरकार की सच्चाई तो यह थी। अभी मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे बड़े जोर जोर से । जोर से बोलने से उपलब्धि थोड़े ही हासिल हो जाएगी लेकिन असलियत यह थी कि जब आपकी सरकार थी राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा का जो परिणाम आया, ताज्जुब होगा पचास प्रतिशत छात्र फेल हो गये इनकी शिक्षा के क्रांतिकारी कदमों के कारण, राजस्थान में जो परिणाम आया ...(व्यवधान) और छह बच्चें ने सभापति महोदय, आत्महत्या कर ली। शर्म आनी चाहिए इनको अपने कृत्यों के ऊपर। यह उपलब्धि बताना चाहते हैं ...(व्यवधान) जोर जोर से बोलकर रोकना चाहते हैं मुझे ...(व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): शर्म आनी चाहिए आपको ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ऐसी शिक्षा दी है राजस्थान के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी उठाकर देखोगे तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): दो मिनट में मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: समअप करो आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरे कुछ सुझाव हैं माननीय सभापति महोदय, यह शिक्षकों की जो भी कमी है राजस्थान में, चाहे वह प्राथमिक स्तर पर है, माध्यमिक स्तर पर है चाहे वह उच्च माध्यमिक स्तर पर है चाहे महाविद्यालय स्तर पर है। वह शिक्षको की कमी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह जल्द से जल्द उनको पूरा करेगी।

मिड-डे-मील की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए और इसमें जो गड़बड़

(डा. रघु शर्मा)

कर रहे हैं उनको पनिशमैंट देने के लिए पुख्ता व्यवस्था करेगी, मानीटरिंग की भी व्यवस्था करेगी सरकार ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जिनको मिड डे मील मिल रहा है ...(व्यवधान) इसके अलावा केकड़ी विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं वहां भी शिक्षकों की बहुत ...(व्यवधान) मैंने पहले बता दिया ...(व्यवधान) पिछला बताना पड़ेगा क्या।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

एक माननीय सदस्य: अभी तो तीन महीने का शासन हुआ है ...(व्यवधान) आपका रोना रो रहे हैं अभी तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह मानकर चलिये, माननीय सभापति महोदय, मैंने उस दिन भी कहा था सदन के अन्दर कि यह वैल में आकर धरना देते हैं, शिक्षकों की कमी के लिए धरना देते हैं, यह पानी के लिए धरना देते हैं, यह सड़क के लिए धरना देते हैं। हमारी सरकार को मात्र सात महीने हुए हैं ...(व्यवधान) तीन महीने आचार संहिता में निकल गये, चार महीने इस सरकार ने काम किया, ...(व्यवधान) इस सरकार को काम करने का अवसर दिया, बार-बार वैल में आते हो ...(व्यवधान) अपनी सरकार के गुनाहों के लिए वैल में आना चाहते हो आप लोग ...(व्यवधान) इससे काम नहीं चलेगा।

श्री सभापति: विराजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, शिक्षकों की तो कमी है पर शिक्षा मंत्रियों की कमी नहीं है, छह छह शिक्षा मंत्री हैं। कितने शिक्षा मंत्री आज जवाब देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कहीं हमारे मास्टर भंवरलाल जी अकेले ही सूबा साफ नहीं कर जाएं इसलिए छह छह जगह बांट दिया डिपार्टमैंट। आज कितने मंत्री यहां पर जवाब देंगे, पता लगेगा।

श्री सभापति: समअप करो आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र केकड़ी से आता हूं, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में दो नये राजकीय महाविद्यालयों की आवश्यकता है और पिछले बीस पच्चीस सालों से एक राजकीय विद्यालय वहां केकड़ी में है। यह ऐसा इलाका है, आप रहे भी हैं एक उप चुनाव में, इतना पिछड़ा हुआ इलाका,

(डा. रघु शर्मा)

जहां आदिवासी लोग रहते हैं, जहां एस सी एसटी के लोग रहते हैं, जहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, अगर सरकार का ध्यान चला जाए तो जो वर्तमान महाविद्यालय है वह तो पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में कन्वर्ट हो और दो जगह पर नये राजकीय कालेज आप खोल दें तो मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा। मुझे आपने अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर डिबेट हो रही है, मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए जहां शिक्षा की कमी की बात कर रहे हैं, अभी केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य और इधर हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, मैं समझता हूं इससे काम नहीं चलेगा। अगर सत्ता पक्ष पाँच साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए कोसता रहे और भारतीय जनता पार्टी सात महीने की कांग्रेस की सरकार को इस पिछले पचास साल में राजस्थान की शिक्षा की जो हालत है, हमारा देश में शिक्षा में नम्बर नीचे से आ रहा है। इसके लिए कोई दोषी है तो हमारी वह व्यवस्थाएं हैं और सबसे बड़ी मैं समझता हूं आज राजस्थान के प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक एक भी ऐसी संस्था नहीं है जहां शिक्षक पूरे हों।

आज राजस्थान में जहां प्राथमिक शिक्षा, जहां एक तरफ संविधान में यह घोषणा की गयी थी कि वह मूल अधिकारों में शामिल होगी। उस राजस्थान में तीस प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय वह हैं जहां एकल अध्यापक हैं। हम कितनी ही घोषणा कर दें, जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, मैं पिछले चार विधानसभाओं से तो इस बात का साक्षी हूं, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, घोषणाएं करते रहे। आज क्या हालत है राजस्थान में, जो कुछ भी शिक्षक हैं उनकी हालत यह है, जहां तीन विद्यार्थी हैं वहां आठ मास्टर लगे हुए हैं और ग्यारहवां और बारहवां भी वहीं लगेगा । जहां 200 विद्यार्थी हैं वहां एक अध्यापक है क्योंकि वहां गरीब का लड़का पढ़ता है। शिक्षकों के समानीकरण की घोषणाएं, मैं पिछले चार विधान सभा कार्यकालों से सुनता आ रहा हूं, हमारे मंत्री जी ने भी बहुत कसरत की, दो महीने तक लगे रहे । अभी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, मैं नहीं समझता कि उस कर्मचारी जिसको हम पन्द्रह हजार से लेकर पच्चीस हजार रुपया दे रहे हैं...

(श्री अमराराम)

उसकी प्राथमिकता है कि उस विद्यालय में जहां विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं आए, लेकिन सरकार में यह इच्छाशक्ति नहीं है, राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है कि जो जितने भी अध्यापक हैं, सबसे पहले तो कमी है प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक। लेकिन हैं उनका भी सदुपयोग हो, यह जब तक नहीं होगा जब तक राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं होगी। यह मैं नहीं कहता कि उनको कोई आप सज़ा दो। आज हमारी सरकार के मुख्य मंत्री से लेकर हर मंत्री जो बिराजे हुए हैं, 5 साल पहले इनकी सरकार थी, खजाना खाली होने का बयान देते थे और इस 7 महीने से एक ही बयान मैं पढ़ रहा हूं कि जहां भी मंत्री जाता है एक ही बात कहता है किसी भी विकास के लिये पैसे की कमी नहीं है लेकिन टका एक देंगे नहीं।

मैं नहीं समझता अभी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक, सैकेण्डरी, सीनियर, महा-विद्यालय, कौन मना कर रहा है? आज राजस्थान के लाखों विद्यार्थी 1 जुलाई से लेकर आखिरी तक रोज हर जिले के अन्दर किसी न किसी विद्यालय के विद्यार्थी और उसके अभिभावक ताले लगायेंगे। राजस्थान के लाखों विद्यार्थी शिक्षा के लिये मांग कर रहे हैं। राजस्थान के वह नौजवान जिन्होंने बी.एड; और एस.टी.सी. की है वह विद्यार्थियों को पढ़ाने की मांग करते हैं। अब बीच में कमी कहां से आती है ? रुपये की कमी और हमारी सरकार और बैठे हुए मंत्री कहते हैं रुपये की कमी नहीं है विकास के लिये। तो फिर कौन रोक रहा है ? जनता रोक रही है ? विपक्ष में बैठे हुए लोग रोक रहे हैं? प्राथमिक से लेकर विश्व विद्यालय तक जहां शिक्षक उपलब्ध हैं, यह है 1950 और 60 का दशक नहीं है कि राजस्थान में ट्रेण्ड शिक्षक नहीं है। हालत क्या है ? बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं।

मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा सबसे दुर्दशा तो विद्यार्थी मित्र थे उनकी हैं कम से कम जो शिक्षित या प्रशिक्षित थे उनसे व्यवस्था थी तो उनको भी छिन्न भिन्न कर रखा है। आज जुलाई की 20 तारीख है, हाई कोर्ट ने भी निर्देश दे दिये कि जब तक चयनित शिक्षक आर.पी.एस.सी. से नहीं आए तब तक इन विद्यार्थी मित्रों को नहीं हटाया जाए। मैं नहीं समझता कि 1 जुलाई में तमाम जितने भी विद्यार्थी मित्र लगे हुए थे, लग जाने चाहिये थे, लगे हुए हैं। इनको मात्र कोई भत्ता मिलता है सभापति महोदय, वह भत्ता भी टाइम पर नहीं मिलता। (व्यवधान) सबको नहीं लगाया अभी भी। अभी भी घूम रहे हैं हजारों की संख्या में। हटाने का आदेश जरूर दिया है इन्होंने कि वह 15

(श्री अमराराम)

अप्रेल को हट जायेंगे लेकिन 1 जुलाई को वापस लग जायेंगे यह आदेश अभी तक नहीं निकाला है। बहुत से जो ब्लाक शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी इस बात के इंतजार में हैं कि इन्होंने सुओमोटो लगा दिया। मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तक भी 20 जुलाई तक राजस्थान की सरकार के शिक्षा विभाग से यह आदेश नहीं गये कि जो विद्यार्थी मित्र लगे हुए थे उनको 1 जुलाई से वापस उनका कार्य ग्रहण करा दिया जाए।

पैराटीचर की भी हालत है, आज 5000 पैराटीचर तो वह है उनको तो प्रबोधक करके, मैं धन्यवाद दूंगा जिनको 1200 में आपने लगाया था। पूर्ववर्ती सरकार ने प्रबोधक के नाम से उनको स्थायी करके एक शिक्षक के समान रूप में कर दिया। इनके लिये तो मैं धन्यवाद दूंगा लेकिन इन्होंने भी 5000 छोड़ दिये वह कब तक हो जायेंगे? इसलिये मेरा तो सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन्होंने क्या हालत की है, बड़ी बातें कर रहे थे। इतने महाविद्यालय खोल दिये, निश्चित रूप से खोले। 500 से ज्यादा 5 साल में इन्होंने महाविद्यालय खोले लेकिन उनकी हालत क्या है ? जितने मापदंड, चाहे वह भवन है, खेल मैदान है, चाहे ट्रेण्ड शिक्षक हैं, मैं समझता हूं कि 500 जो बी.एड. महाविद्यालय खोले उनमें से 35 भी ऐसे नहीं हैं जो सारे मापदंड पूरे करते हों। उन लोगों को एक शिक्षा माफिया पैदा करने का, अपने-अपने लोगों को रेवड़ी बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।

मैं समझता हूं आज जिस तरह शिक्षा का व्यवसायीकरण करने में होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में राजस्थान की शिक्षा का भट्ठा बैठाने के लिये, तीन-तीन विश्वविद्यालयों की बात कर रहे थे कि शेखावाटी, सीकर के विश्वविद्यालय, अलवर और भरतपुर के विश्वविद्यालय, इनको खोलना था, 2 साल पहले खोल करके एक्ट बना करके लाना चाहिये था। इनको भी नहीं खोलना था और खोलना इनको भी नहीं है। जो शिक्षा में सीकर, झुंझुनूं और चूरू सबसे अग्रणी हैं, राजस्थान के 33 जिलों में सबसे ज्यादा कोई शिक्षा में आगे है तो वह सीकर, झुंझुनूं और चूरू है। 60 साल की आजादी के बाद शिक्षा मंत्री इधर भी शेखावाटी से थे और अभी भी शेखावाटी से हैं लेकिन सीकर और शेखावाटी के लिये विश्वविद्यालय नहीं होगा। पढ़ने में पहला नम्बर, देश की सीमाओं पर बलिदान देने में एक नम्बर लेकिन शिक्षा या टैक्निकल एजुकेशन खोलने का सवाल आयेगा, विश्वविद्यालय खोलने का सवाल आयेगा

(श्री अमराराम)

तो शेखावाटी में नहीं खोला जायेगा। जोधपुर में चार-चार विश्वविद्यालय जरूर होंगे, उदयपुर में तीन-तीन विश्व विद्यालय होंगे लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बलिदान और शिक्षा में योगदान देने वालों का विश्वविद्यालय नहीं होगा।

मुझे दुःख है सभापति महोदय, राजस्थान की 70 प्रतिशत आबादी आज भी कृषि पर है। स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की, देश की सरकार को, कि जिस देश और प्रदेश में 70 प्रतिशत आबादी का कृषि पर जीवन आधारित है, जिस स्वामीनाथन आयोग ने देश का कृषि आयोग बनाया, यू पी ए की सरकार ने उसको सिफारिश दी कि हर जिला हैड क्वाटर पर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि महा विद्यालय होना चाहिये। जहां राजस्थान में अभी राधेश्याम जी कह रहे थे गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा कृषि में हैं लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ कृषि विश्व विद्यालय की तो बात छोड़ो कृषि का महा विद्यालय भी नहीं है तो इसलिये जब तक हम राजस्थान के उस किसान की, कृषि की शिक्षा में बढ़ोतरी नहीं करेंगे हम कितनी भी, घोषणा करे फायदा नहीं होगा अभी 1900 माध्यमिक विद्यालयों की घोषणा की है जहां कृषि संकाय नहीं होगा विद्यालयों में। कृषि महा विद्यालय नहीं होगा तो मैं समझता हूं कृषि का विस्तार किस तरह से होगा ?

दूसरा, जो खनिज में इस देश में दूसरा नम्बर है। अभी हमारे शिक्षा मंत्रीजी क्वेश्चन ऑवर में दे रहे थे भूगर्भ विज्ञान शुरू कर दिया। शुरू केवल हवा में कर दिया गया। 2006-07, इन्होंने घोषणा की लेकिन एक भी विद्यार्थी को जो इस देश में खनिज सम्पदा में राजस्थान दूसरे नम्बर पर है, खनिज निकालने में पांचवां नम्बर है लेकिन शिक्षा में 50 साल की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है जीरो।

जो हमारे संसाधन हैं उनके लिये हम इस बात के लिये नहीं करेंगे, हम रेवड़ियां बांटेंगे, तकनीकी शिक्षा के नाम से जहां स्कीम लगायी गयी भूतपूर्व सरकार में, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ का श्री शिक्षण संस्थान जिनका सह शिक्षा के लिये चयन हुआ। चयन समिति ने सह शिक्षा के लिये चयन किया और अपनी मर्जी से बदलकर महिला पॉलीटैक्निक के लिये 50 करोड़ की जमीन नियम विरुद्ध, हनुमानगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की जमीन जो 50 करोड़ की है नाजायज तरीके से उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये पूर्ववर्ती सरकार ने उनको फायदा पहुंचाने का काम किया लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यह सरकार, इन्होंने भी घपले किये, शिक्षा के नाम से

(श्री अमराराम)

जनता को लूटने की जो छूट दी नये विद्यालय, महा विद्यालय के नाम से, विश्व विद्यालय के नाम से, इसी सदन के अन्दर एक-एक दिन में निजी विश्व विद्यालय के दो-दो एक्ट पास किये गये लेकिन गंगानगर, अलवर, भरतपुर और सीकर के विश्वविद्यालय के लिये एक्ट पास करने के लिये समय इनके पास भी नहीं था और सिंघानिया विश्व विद्यालय का (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कृषि विश्वविद्यालय है और अलवर में 80 कालेज होते हुए भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं खोला गया। इतनी ज्यादती लोगों के साथ मत करो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजो। विराजो आप ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, राजस्थान के प्रत्येक जिले की जनता को न्याय मिले ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजो ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 80 कालेजों पर विश्वविद्यालय नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): पूर्ववर्ती सरकार ने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दिया था, इस सरकार ने तो बच्चों का भविष्य खतम करने की तय कर ली।

श्री सभापति: विराजो आप। बिराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिये सभापति महोदय, सिंघानिया, विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी झुंझुनूं जिसको एम.एड. की कोई मान्यता नहीं है एन.सी.आर.टी. से। जिसने विश्व विद्यालय खुलने के बाद पहले सत्र में 44,000 विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर दिया। जिसके संचालक को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले, कानून के हवाले करना पड़ा लेकिन सरकार मौन है। लोगों में शिक्षा की जो भूख जगी है, इस राजस्थान की जनता को लूटने के लिये चाहे वह निजी विद्यालय हो, निजी महाविद्यालय हो, निजी विश्वविद्यालय हो, उनको लूटने का और शिक्षा माफिया पैदा करने का काम किया है।

जनता में जो शिक्षा के प्रति भूख पैदा हुई है उसका शोषण करने के लिए निजी विद्यालयों से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों तक जो छूट दी है मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के लिए यह इंसाफ नहीं होगा।

(श्री अमराराम)

हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर जिसकी प्रतिष्ठा पूरे हिन्दुस्तान में थी, आज क्या हालत है, रोज उसके पेपर आउट होते हैं। निजी विद्यालय मेरिट में कौनसा आयेगा, रिजल्ट आने के सात दिन पहले जश्न मनाते हैं स्कूल के अंदर कि मेरिट में पहला नंबर हमारे टैगोर विद्यालय का आयेगा। हमारी शिक्षा की जो प्रतिष्ठा थी चाहे वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की थी, चाहे वह राजस्थान विश्वविद्यालय की थी, उन सबको धराशायी करने का काम जान-बूझकर राजस्थान में जो भी सरकार रही है, विद्यालयों में अध्यापक नहीं लगाने की एक सोची-समझी साजिश है कि उनके मां-बाप चाहे गरीब से गरीब, चाहे वह नरेगा में तगारी डालते हों, उनको भी अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजने के लिए मजबूर किया जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समअप करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, आज भी राजस्थान में हजारों लड़के 12 वीं पास करने के बाद में महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर में एडमिशन सीकर कॉलेज में लेते हैं, सीकर कालेज में 5 हजार विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने 80 वाले सैक्शन को 100 कर दिया, जितनी इन्होंने एक लिस्ट में निकाली, सबके सब आर्डर वापस ले लिये, आज भी तमाम वह जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है वह कॉलेज में प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने के लिए तलाश कर रहे हैं।

सभापति महोदय, सब डिवीजन हैडक्वार्टर दांतारामगढ़ जहां से मैं आता हूं, जहां तीन दफे राजस्थान के मुख्य मंत्री भी इस सदन में रहे, लेकिन अफसोस है कि इस कांग्रेस का भी छः दफे प्रतिनिधित्व उस दांतारामगढ़ ने किया लेकिन आज तक सीकर से 75 किलोमीटर दूर है, वहां कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। वहां आज तक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं खुला।

श्री सभापति: समअप करें माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सरकार से कि यह जो शिक्षा माफिया पनपाने का, शिक्षा को व्यवसाय बनाने का काम किया है, अगर सरकार राजस्थान की 6 करोड़ जनता के पक्ष में है तो इस माफिया पर लगाम लगायें और जितने भी पद रिक्त हैं, अभी नहीं तो आप जब उत्तर दें तब घोषणा कर दें। अगले साल, दो साल में तो जितने पद रिक्त हैं वह भर देंगे यह केवल घोषणा से नहीं इम्प्लीमेंट करने से होगा। मैं समझता हूं कि जब तक शिक्षक पूरे नहीं होंगे, आप 1900 नहीं 29000 भी स्कूल खोल देंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा।

(श्री अमराराम)

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जब भी आप विद्यालयों को क्रमोन्नत करें तब उसके साथ जितने पद हैं उन्हें क्रमोन्नत इस बजट में किया जायेगा और 6 साल बाद तक उसके पद नहीं आये। मैं समझता हूं कि यह जान-बूझकर केवल शिक्षा माफिया को, निजी विद्यालयों को, निजी विश्वविद्यालयों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। पहले जो विद्यालय और महाविद्यालय खोलते थे वह समाज की सेवा के लिए खोलते थे। आज जिस तरह से माफिया बनाकर के चाहे वह तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वह साधारण शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय हों उन पर लगाम लगाने का जब तक आप काम नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि जो राजस्थान की जनता की शिक्षा के प्रति जो भूख पनपी है उसका नाजायज लाभ नहीं उठायें और आम जनता को शिक्षा सुलभ हो। इसी बात के लिए आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, आज एक शिक्षक और शिक्षा के दायित्व होने के आधार पर इस मांग संख्या-24 पर मैं अपने विचार सदन के सामने रख रहा हूं। तीन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें। मैं समझता हूं शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसको दलगत राजनीति से ऊँचा उठकर के हमको विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है और बदलते परिवेश में शिक्षा केवल व्यक्तित्व और चरित्र का ही निर्माण नहीं करती बल्कि व्यावसायिक प्रतिबद्वता, व्यावसायिक कुशलता का भी निर्माण करती है और उसके लिए आज भारतीय विद्यार्थी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बुश और अभी ओबामा भी भारतीय विद्यार्थियों से भय खाने लगे हैं और इसमें राजस्थान का विद्यार्थी आगे हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे आईआईटी की हो, चाहे ट्रिपल आई टी की हो उसमें राजस्थान का विद्यार्थी सर्वोपरि रहा है, इसलिए आवश्यकता है कि हम राजस्थान की प्रतिभाएं आगे लायें, उसके लिए अवसर प्रदान करें और एक ऐसी शिक्षा दें जिसके अंदर यह प्रतिभाएं आगे बढ़ें। उसके लिए आवश्यक है कि हमारी संस्थाओं में एक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो, शैक्षणिक परिवार की कल्पना हो, इसकी हम सब व्यवस्था करें, लेकिन यह होगा कब?

सभापति महोदय, आज मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि

(श्री वासुदेव देवनानी)

आज शिक्षा विभाग में जो महत्वपूर्ण शिक्षा के विषय हैं, उच्च शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा है, हालांकि विभाग देना माननीय मुख्य मंत्री जी का अधिकार है लेकिन अतिरिक्त प्रभार के रूप में दे रखा है। जब अतिरिक्त प्रभार हमारे मंत्रियों के पास होगा तो कैसे वह शिक्षा के साथ न्याय कर पायेंगे। जिसको भी दायित्व देना है दें लेकिन पूरा दायित्व तो दें कि यह पूरे शिक्षा मंत्री होंगे। उनके पास पूरा उच्च शिक्षा का प्रभार होगा, उनके पास पूरा तकनीकी शिक्षा का प्रभार होगा, उन मंत्रियों को तो पता ही नहीं है कि कब तक यह प्रभार मेरे पास रहेगा, कब छूट जायेगा, कब नया दायित्व मिल जायेगा ऐसी अवस्था में शिक्षा के साथ न्याय नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय, जहां तक स्कूल शिक्षा की बात है, स्कूल शिक्षा के बारे में बताना चाहूंगा, स्कूल शिक्षा की जो अवस्था है, कोई भी स्कूल कब ठीक चल पायेगा जब वहां पर हैड मास्टर होगा, प्रधानाचार्य होगा, उसके पद भरे हुए होंगे लेकिन बहुत पीड़ा की बात है कि राजस्थान में प्रधानाध्यापकों के 6305 पद हैं उसमें से 3462 यानि 54.09 प्रतिशत पद खाली हैं। वह स्कूल कैसे चलेंगे, आज इस पर तो जरा विचार करिये कि हमने क्या किया। मैंने कहा था कि राजनीति से ऊपर उठकर के बात करूंगा, हमने क्या किया, आपने क्या किया, यदि इसी इतिहास में उलझते रहोगे तो यह बहस कभी भी समाप्त नहीं होगी। सरकार आयेगी और जायेगी, कुछ स्कूल खुलेंगे, कुछ अध्यापकों की नियुक्ति होगी, लेकिन यह तो हमेशा क्रम चलने वाला है, पहले आप यहां थे, अब वहां हैं। अगली बार हो सकता है कि आप यहां होंगे और हम वहां होंगे। यह चर्चाएं तो चलती रहेंगी इसलिए हमने क्या किया उस विषय को नहीं कर रहा हूं ...(व्यवधान) 54.09 प्रतिशत प्रधानाध्यापक कम हैं और 30 प्रतिशत प्रधानाचार्य कम हैं और आज यदि सारे थर्ड ग्रेड टीचर की बात करेंगे तो 50 हजार की आवश्यकता है और उसके बाद भी हमने केवल 17 हजार, सवा 17 हजार अध्यापकों की नियुक्तियों की बात की है, वह भी हमारे कार्यकाल के समय की है।

सभापति महोदय, अभी आपने 1900 स्कूलों की घोषणा की है, क्या जनता को पता नहीं है कि इमसें क्या-क्या आवश्यकताएं होंगी, हर स्कूल में तीन विषय अध्यापकों की आवश्यकता होगी, 1900 अर्थात 5200 विषय अध्यापकों की जरूरत होंगी और 1900 प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता होगी।

(श्री वासुदेव देवनानी)

जब मैं कहूंगा तो आप यह कहोंगे कि डीपीसी करायेंगे। डीपीसी तो 50 प्रतिशत लोगों की होगी, बाकी 9500 पद तो आपको भरने ही पड़ेंगे। उसका कहीं बजट में प्रावधान नहीं है। 1900 एलडीसी भी नियुक्त करने पड़ेंगे, 1900 चपरासी भी नियुक्त करने पड़ेंगे, फिर आपने 500 स्कूलों में साइंस और कामर्स की बात कहीं, उसमें भी गणित का, फिजिक्स का, केमेस्ट्री के अध्यापकों की नियुक्ति तो करनी पड़ेगी। उसका कहीं भी आपने बजट में प्रावधान नहीं रखा है और उसके आगे बढ़ें हमारी सरकार ने जब पदों को भरने की बात कही उसमें कहा कि 10 प्रतिशत पद विधवा और परित्यक्ता के लिए हम उसमें आरक्षित रखेंगे। इस सरकार ने इस बारे में कोई भी प्रावधान नहीं रखा है और अब तो जितनी विधवा और परित्यक्ता हैं उनको तीन साल के अन्दर बी.एड. या एस.टी.सी. करने के लिए अनुमति थी उनको स्वीकृति नहीं मिल रही है, छुट्टी नहीं मिल रही है, उसके बारे में भी अभी तक किसी प्रकार की कहीं चिंतन-मनन की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, स्कूल शिक्षा पर ज्यादा नहीं बोलते हुए क्योंकि समय सीमा है यह घंटी नहीं बजा दें इसलिए अनुमति लेकर अपनी बात संक्षेप में रखना चाहूंगा, उच्च शिक्षा की जो बात है, उच्च शिक्षा के अंदर हमें ध्यान है कि सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, विद्यार्थी अधिक संख्या में आ रहे हैं, हमको कितने कॉलेजों की आवश्यकता होगी, हमने इसको ध्यान में रखते हुए किया, अभी माननीय सदस्य चले गये, वास्तव में पिछले पांच वर्ष शैक्षणिक क्रांति के वर्ष रहे हैं उसमें यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपको ध्यान हो, मानव संसाधन मंत्रालय के माननीय अर्जुन सिंह जी उस मंत्री थे आप उनका वक्तव्य, उनकी रिपोर्ट पढ़कर के देख लें। उन्होंने कहा कि सारे राज्यों को भी राजस्थान का अनुसरण करना चाहिए। तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केन्द्र में और उसके मानव संसाधन मंत्रालय का यह कहना है, जरा उसको पढ़ लीजिये, लेकिन यदि हमने उसमें तय किया कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने हर सैक्शन में 90 संख्या कर दी, जरा उन्हें रूम्स की चिंता थी, एक भी कॉलेज कक्ष में 40-50 विद्यार्थियों से अधिक बैठने की वहां व्यवस्था ही नहीं है। एक तरफ हाई-कोर्ट कहता है कि 75 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए और दूसरी ओर विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था नहीं है और हम 90 संख्या करते जा रहे हैं। क्या हम वास्तव में चाहते हैं कि विद्यार्थी कक्षा से नहीं भागें, विद्यार्थी कक्ष में आयें और वह परीक्षा में बैठें। हम खुद ही

(श्री वासुदेव देवनानी)

अपने नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। आवश्यकता थी कि हम चर्चा करते, केवल एक महाविद्यालय खोलने की घोषणा करके राजस्थान की उच्च शिक्षा के साथ बहुत अन्याय किया है।

हमारे इतने कालेज खोलने के बाद आज 4 फीगर में 1032 कालेज हैं जबकि 5 साल पहले इनकी संख्या केवल ढ़ाई सौ, पौने तीन सौ थी। इस संख्या को हमने 4 गुना बढ़ाया है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी और उच्च शिक्षा में कॉलेजों की स्थिति आज यह है कि प्राध्यापक नहीं हैं, हमने 456 पद भरे और उस समय तय किया था कि 457 पद हम अगली बार भरेंगे, वह 457 पदों के भरने की सरकार की मंशा शायद नहीं दिखाई देती, इनके लिए बजट में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है, कहीं एक कालेज में भी प्राध्यापक के पद भरने की बात नहीं है।

विश्वविद्यालयों की स्थिति तो इससे भी दयनीय है। मेरे अजमेर के महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय में 5 ऐसे विभाग हैं जहां सभी सेवानिवृत्त हो गए, प्राध्यापक वहां नहीं है। यह स्थिति बड़ी दयनीय है, उसके लिए हमने विश्वविद्यालयों को 25 प्रतिशत पद भरने को कहा था और 25 प्रतिशत आगे देने वाले थे लेकिन महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के उन 25 प्रतिशत पदों के इन्टरव्यू को इस सरकार ने रोक दिया और जो साक्षात्कार हुए उनको भी रोक दिया, कैसे डिपार्टमेंट चलेंगे, कैसी हम शिक्षा देना चाहते हैं, जरा इसकी भी तो कहीं चर्चा की जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों की हालत यह है कि उदयपुर के मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो ला कालेज हैं उसमें डीन भी किसी अन्य विषय का है, उसमें कहीं कोई डीन की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। किस प्रकार हम उच्च शिक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं? हम आखिर विद्यार्थियों को देना क्या चाहते हैं? कैसे विद्यार्थी हम तैयार करना चाहते हैं, जरा इस पर तो विचार करें। इस बारे में कई इस प्रकार की बातें हैं जो हम (समय-समाप्ति -सूचक घंटी) अंत में सभापतिजी, मैं शिक्षा के बारे में मैं मेरे कुछ सुझाव रखूंगा, मुझे कृपया अनुमति दें।

विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति खराब है। तीन विश्वविद्यालयों के बारे में सरकार ने चिंता नहीं की और जहां तक ला कालेज की बात है अभी एक माननीय सदस्य ने पढ़ा कि बार कौंसिल ने दिसम्बर, 2008 में एक रिजोल्यूशन पास किया है उसमें यदि इतने प्राध्यापक फैकल्टी में नहीं होंगे तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी और राजस्थान के जो 15 गवर्नमेंट ला कालेज हैं

(श्री वासुदेव देवनानी)

उनमें केवल एक कालेज में ही पूरे प्राध्यापक हैं, 14 कालेजों में नहीं हैं, उन विद्यार्थियों के साथ क्या होगा? इसकी कोई कहीं कल्पना नहीं की गई है। अजमेर, सीकर और भरतपुर के बारे में हमारी सरकार ने सिद्धान्ततः सहमति दी थी कि ये कालेज बड़ी संख्या के हैं जहां 7 हजार से अधिक विद्यार्थी हैं, इनका हम बायफर्केशन करेंगे, आर्ट कालेज, ला कालेज, साइन्स कालेज, तीन में वर्गीकृत करेंगे, तीन भागों में बांटेंगे, तीन नए कालेज खोलेंगे। उस मामले में भी यह सरकार सिर्फ चुप्पी साधे हैं। आज आवश्यकता है कि अजमेर ला कालेज का भवन अलग बनाया जाए, आर्ट्स कालेज का भवन अलग बनाया जाए और गर्ल्स कालेज जो काफी समय से वहां चल रहा है, उसके भवन की भी आवश्यकता है। इसलिए उच्च शिक्षा के साथ भी बेहतर न्याय करें। आज बड़े महाविद्यालयों के वर्गीकरण करने की आवयकता है। जहां तक उच्च शिक्षण संस्थाएं खोलने की बात है, बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई और कहा यह गया कि व्यास कमेटी की रिपोर्ट भी आई लेकिन सरकार व्यास कमेटी की रिपोर्ट पर अभी मौन साधे हुए है, यह केवल छलावा कर रही है। कभी तो अजमेर के लिए कहते हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे। जो हमारी सरकार ने कहा था, अब यह कह दिया कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होगी। केन्द्र के बजट में कहीं भी वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय या केन्द्रीय विश्वविद्यालय का कोई उल्लेख नहीं है, यह केवल राजस्थान की जनता को भ्रमित करना है। यह केवल आई आई टी जोधपुर और आई आई एम उदयपुर ले जाने का एक खुला षड्यंत्र है जिसके आधार पर बाकी के विभाग केन्द्र में चुप बैठे रहें, बोले नहीं। इस प्रकार बिलकुल भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब शाम को मंत्रीजी अपना जवाब दें तो इसकी भी जवाब दें तथा उस समय इसका उल्लेख करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट और तकनीकी शिक्षा के बारे में अपनी बात रखना चाहूंगा।

श्री सभापति: सम अप करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): तकनीकी शिक्षा के बारे में हमारी सरकार ने काफी उल्लेखनीय काम किए थे। यहां तक कि उस समय प्रवेश संख्या केवल 30 हजार थी और अब 109124 प्रवेश स्थान हैं। कोई भी प्रांत तभी विकास कर पाएगा जब वहां तकनीकी दक्ष लोग उपलब्ध हों। तकनीकी

(श्री वासुदेव देवनानी)

दक्षता की दृष्टि से हमने आई टी आई के लिए बहुत प्रयत्न किया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जब हमारी सरकार के प्रारम्भ के दिन थे तो केवल 151 आई टी आई थे, अब बढ़कर यह 648 हो गए हैं। अभी भी 609 नए आई टी आई पाइप लाइन में हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो नए 609 आई टी आई पाइप लाइन में हैं, उनको आने दें और जितने तकनीकी दक्ष लोग, अच्छे लोग होंगे वह आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप कहीं उनको इधर-उधर शिफ्ट न करें, उनके लिए आप नया बजट रखें। मुझे कहते हुए पीड़ा होती है कि हमने जेलों के जो कैदी लोग हैं उन्हें चारों ब्रांचों के लिए अजमेर में आई टी आई खोला, उसमें से 2 ब्रांच आप बांसवाड़ा ले गए, यह कितना बड़ा अन्याय है। आप खोलते तो नई ब्रांचे खोलते लेकिन अजमेर जेल आई टी आई के साथ इस प्रकार का अन्याय करना किसी भी राजनीतिक दृष्टि से अपने ठीक नहीं किया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) केवल उस आधार पर लिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार 81 महाविद्यालय, इन्जिनियरिंग कालेज खोले, अभी भी आवश्यकता है1 राजस्थान में नए इन्जिनियरिंग कालेज खोलें, नए पालिटेक्निक कालेज खोलें, नए आई टी आई खोलें, इसलिए हमने पी पी पी मोड की नीति निर्धारित की, उस नीति को आप आगे बढ़ाएं लेकिन आपके अफसर उस नीति को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। आपके डाइरेक्टर, निदेशालय के, यह आपके सेक्रेटरी लोग, आपको गलत जानकारी देते हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने जितने गर्ल्स पालिटेक्निक दिए थे उसके तहत तय था कि भवन का पैसा सरकार देगी लेकिन अभी तक महीनों बाद भी उनके भवन के पैसों के बिलों का भुगतान उनको नहीं हो रहा है। वहां पर उनको मेनेजमेंट कोटे के लिए मना किया जा रहा है कि पी पी पी में जमीन दे दी, मेनेजमेंट कोटा नहीं दिया, मेनेजमेंट कोटा मिलना उनका अधिकार है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, सम अप करें। माननीय सदस्य, सम अप करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं चाहता हूं कि पालिटेक्निक कॉलेजों को एक-एक पारी की जगह दो-दो पारियों में चलाया जाए ताकि अपने यहां तकनीकी शिक्षा में दक्ष लोग आगे बढ़ सकें।

अन्त में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी अनुदानित महाविद्यालयों के जो भाई हैं, अपनी सरकार के आदेश हैं, सरकार के आदेश क्रमांक 829/30.4.2008 का आदेश है जिसमें हमने अनुदान को डीफ्रीज

(श्री वासुदेव देवनानी)

किया लेकिन आपने जो बजट प्रावधान रखा है उसमें डीफ्रीज का नहीं, पुराना ही बजट रखा है। इस प्रकार से कई संस्थाओं को केवल 21 प्रतिशत तक बजट का आवंटन हुआ है। अनुदानित शिक्षण कर्मी बिलकुल परेशान हैं, सरकार ने 6.8.1993 और 21.5.1998 को एक आदेश प्रसारित किया है कि जो राज्य कर्मचारियों के लिए सुविधाएं होंगी, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के लिए वह आदेश होंगे लेकिन आज भी उनको छठा पे कमीशन नहीं मिला है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अपने ही नियमों का, अपने ही घोषणा-पत्र के द्वारा जो उल्लेखित बातें हैं उनको आप लागू करके सारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को राहत दिलाएं।

राजस्थान को एक शैक्षणिक दृष्टि से उच्च शिखर पर पहुंचाने में आप आगे बढ़ें हम आपका साथ देंगे, आप अच्छी योजनाएं लागू करें, हम आपको अच्छे सुझाव देंगे लेकिन दलगत राजनीति से ऊंचे उठकर आज आप शिक्षा को आगे लाएं ताकि राजस्थान देश के नक्शे पर उभर सके। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, मुझे राजस्थान विधान सभा में पहली बार चुनकर आने का अवसर मिला है। बजट भाषण पर मैं पहले बोल चुका हूं लेकिन उस वक्त प्रतिपक्ष के हमारे जो साथी हैं वह कहीं बाहर चले गए थे और आज प्रतिपक्ष भी है और पक्ष भी है।

शिक्षा के विषय पर जो मांग संख्या 24 है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूं। इस राजस्थान विधान सभा में हमारी पहचान जो है वह शिक्षा से और छात्र नेता के रूप में रही है। जिस राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं, यह मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि इस राजस्थान विधान सभा के 200 सदस्यों में से 8 राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र संघ के अध्यक्ष, 1 जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और एक हमारे जो मुख्य सचेतक हैं वह उपाध्यक्ष और कई कालेजों के छात्रसंघ के अध्यक्ष, जैसे हमारे सभापतिजी भी कालेज छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे हैं। ...(व्यवधान) कई कालेजों के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और हमारी पहचान उनसे हैं।

जब हम प्रथम बार यहां पर आए थे और महात्मा गांधीजी की तस्वीर

(श्री महेन्द्र चौधरी)

के सामने हमने शपथ ली थी उस वक्त हमने सोचा था कि इस विधान सभा में नए कानून बनते होंगे, हमारे जो सीनियर लोग हैं उनसे हमें कुछ शिक्षा मिलेगी लेकिन हमें बहुत पीड़ा हुई जब 4 राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हम सत्ता पक्ष के हैं और 5 विपक्ष में हैं और 5 में से 4 बहुत पुराने समय से रहे हैं, कई बार जीतते आए हैं लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता लेकिन आज शिक्षा के माहौल में हम सुन रहे थे कि बजट के अंदर पक्ष और विपक्ष के लोग आज हमारे प्रदेश को शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए जो सच है, पिछली सरकार ने क्या सही किया क्या गलत किया, क्या आंकड़े थे, यह सरकार क्या करने जा रही है, वह सब बजट घोषणा-पत्र के अंदर होता है, वह बजट घोषणा-पत्र जो 8 जुलाई को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने इस विधान सभा में पेश किया था, आम आदमी, गरीब आदमी और हर व्यक्ति को पसन्द आने वाला यह बजट, उस पर हमारे प्रतिपक्ष के कई साथियों ने कई प्रकार की और भी बातें कही थी लेकिन आज शिक्षा का जो मामला है उसके विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार वहां की शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षित समाज एक लोकतांत्रिक प्रणाली के महत्व और उसके मूल्यों की रक्षा मजबूती से कर सकता है।

राजस्थान जैसा प्रदेश, जो अपनी प्राकृतिक विषमताओं से जूझता हुआ विकास के मार्ग पर अडिग खड़ा है जहां की भौगोलिक परिस्थितियां अपनी दुर्गम अरावली पर्वतमाला और थार के महामरुस्थल के कारण ही नहीं बल्कि कहीं बीहड़ और कहीं धोरों के कारण गांव-गांव में अपने एक अलग संघर्ष की कहानी कहती है। ऐसे प्रदेश में हम शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर दायरों और परिधियों के व्यू खड़े कर चर्चा नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं इन विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में शिक्षा के प्रति चेतना और इस दिशा में विकास की प्रतिबद्धताओं के लिए प्रदेश की जनता को यहां की निर्वाचित सरकारों को और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को साधुवाद देना चाहूंगा। मेरी मान्यता है कि शिक्षा प्रसार की तमाम योजनाओं और फैसलों को यदि सुराखरहित बना दिया जाए तो कोई कारण नहीं कि राजस्थान की शिक्षा केरल जैसे राज्यों की ओर बढ़ती दिखायी दे।

वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर हम गौर करें तो भारत में

(श्री महेन्द्र चौधरी)

जहां साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी। राजस्थान में यह दर 61.03 प्रतिशत थी और राजस्थान साक्षरता के मामले में देश में चौदहवें पायदान पर खड़ा था। वहीं महिला साक्षरता के मुद्दे पर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 44.34 प्रतिशत ही था। यह हम सभी के लिए बहुत चिंताजनक बात थी। हमारे नागौर जिले में महिला साक्षरता की दर 40.45 प्रतिशत थी जबकि डूंगरपुर जैसे सुदूर आदिवासी जिले में महिला साक्षरता का प्रतिशत 31.22 प्रतिशत और बांसवाड़ा में 27.86 प्रतिशत था।

हम आजादी के बाद से राजस्थान में साक्षरता की विकास यात्रा पर गौर करें तो हम पाएंगे कि वर्ष 1951 में राजस्थान में साक्षरता दर केवल 8.50 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 1981 में 30.10 प्रतिशत तक पहुंची और वर्ष 2001 में इसने 61.03 प्रतिशत का आंकड़ा छुआ। यदि इसमें भी महिला साक्षरता की बात पर गौर करें तो राजस्थान में वर्ष 1951 में महिला साक्षरता की दर मात्र 2.66 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2001 तक बढ़कर 44.34 प्रतिशत तक पहुंची है। इन आंकड़ों के उल्लेख की यहां प्रासंगिकता इसलिए है कि मैं इस बात को बहुत प्रमुखता से कहना चाहूंगा कि महिला साक्षरता की दिशा में आज भी प्रदेश में बहुत कुछ काम किये जाने की आवश्यकता है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में जहां से हम खुद भी चुनकर आते हैं उन गामीण इलाकों में बुनियादी स्तर पर महिला साक्षरता को अभी भी एक अभियान के रूप में लिये जाने की आवश्यकता है। तभी देश की महिला साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत से हमारा राज्य मुकाबला कर पाएगा। यदि हम महिला साक्षरता दर बढ़ाने में सफल रहते हैं तो हम जन्म दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भी सफल होंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महिलाएं समाज की प्रगति और चेतना का मुख्य आधार होती हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था और विद्यालय में उनका अधिकतम ठहराव सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस की सरकार को प्रदेश में जब भी मौका मिला है कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना है।

मुख्यमंत्री श्री अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में 1998 में राजस्थान में सरकार बनी थी उस समय शिक्षा आपके द्वार ''कार्यक्रम'' के तहत 23 लाख बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया था, वहीं प्रदेश में 21,453 से अधिक राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोली गयी। वे पांच लाख बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे स्कूल जाने लगे। गाड़िया लुहारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए

(श्री महेन्द्र चौधरी)

विशेष व्यवस्था अशोक जी गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार के अंदर की गयी थी। प्रदेश में 70 लाख स्कूली बच्चों को मिड-डे-मील के रूप में प्रतिदिन घूघरी के रूप में खिलाने की व्यवस्था की गयी। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छह नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की स्थापना की गयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में सबको पढ़ाओ का क्रान्तिकारी अभिनव नारा देकर एक कार्ययोजना को सामने रखा, लेकिन मुझे अफसोस है कि वर्ष 2003 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरह शिक्षा का बंटाधार हुआ यह भी प्रदेश की जनता को अवगत रहना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने अपने वर्ष 1998 से 2003 के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें सही तरीके से लागू करने में असफल रही। मैं दो मिनट और बोलूंगा सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मिड डे मील के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पिछली राज्य सरकार 2003-2004 में बच्चों को एक वर्ष में 174 दिन मिड-डे-मील दिया। 2004 में 153 दिन मिड डे मील दिया और 2005 में 114 दिन मिड-डे-मील अनाज का वितरण कर सकी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 100 ग्राम अनाज एक बच्चे को और 200 दिन देने के स्पष्ट निर्देश हैं, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए यह भी चौंकाने वाला तथ्य है कि राजस्थान सरकार मिड डे मील योजना में घोटालों को रोकने में नाकाम रही। इस योजना में एक करोड़ बच्चों की उपस्थित बताकर केन्द्रीय पूल से गेहूं उठा लिया गया, किन्तु बाद में सरकारी आंकड़ों में बच्चों की संख्या 52 लाख ही दिखायी गयी, यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आज इस सदन में मांग करता हूं कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय प्रदेश में मिड डे मील योजना में हुए घोटालों की निष्पक्ष रूप से जांच करवायी जाए। पिछले 5 वर्षों में केन्द्र की यूपीए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को धन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन राज्य सरकार शिक्षा के प्रसार के लिए कभी गंभीर नहीं रही। बीते 5 वर्षों में केन्द्र सरकार ने 85 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जो धन भेजा राज्य सरकार ने मात्र 10 हजार शिक्षकों की भर्ती की।

प्रदेश में जिले में एक कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा, ऐसी घोषणा

(श्री महेन्द्र चौधरी)

तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे ने की थी, लेकिन वह घोषणा-घोषणा रह गयी, प्रदेश की जनता उनकी घोषणा का पदचाप सुनने के लिए वंचित रह गयी। राजस्थान में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुशासन के बाद एक नयी सुबह हुई है। मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के शासन की बागडोर संभालने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं जो पूर्व में सदस्यों ने बताये। राज्य सरकार और मुख्य मंत्रीजी का विचार है कि इस प्रदेश के अंदर कोई भी बालक-बालिका अशिक्षित नहीं रहे इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा के लिए एक कानून लाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सम-अप करो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मैं शार्ट के अंदर एक बात कहना चाहूंगा सभी लोगों की सहमति से, वह यह कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अच्छी बात।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अच्छी बात ही कहूंगा अध्यक्ष महोदय। अहंकार आदमी को खराब कर देता है, अहंकार नहीं होना चाहिए। तीन दिन का जो समय व्यतीत हुआ उससे हम नये लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। अहंकार के बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं गणेश जी भगवान बहुत मोटे थे और उनको बहुत घमण्ड था कि मैं बड़ा हूं। वो सब जगह घूम-घूमकर कहने लगे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। उधर से माता पार्वती ने सुन लिया और माता पार्वती ने कहा गणेशजी, घमण्ड क्यों करते हो, आप काहे से बड़े, आप तो मेरी गोद में पड़े। माता पार्वती कहने लगी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। शिवजी भगवान ने सुन लिया और शिवजी भगवान ने कहा, पार्वती जी, आप काहे से बड़ी, आप तो मेरी जटा में पड़ी। शिवजी कहने लगे मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। पर्वत ने सुन लिया, पर्वत ने कहा, शिवजी आप काहे से बड़े, आप तो मेरी गुफा में पड़े। पर्वत कहने लगा मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। उधर से हनुमान जी ने सुन लिया और हनुमानजी ने कहा, पर्वत, आप काहे से बड़े, आप मेरी हथेली में पड़े। हनुमानजी कहने लगे मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। भगवान राम ने सुन लिया और भगवान राम ने कहा, आप काहे से बड़े, आप तो मेरे चरणों में पड़े। तो भगवान राम कहने लगे मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। उधर से अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्णजी आडवाणी निकल रहे थे। उन्होंने कहा, आप काहे से बड़े आप तो हमारे लफड़े में पड़े।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): महेन्द्रजी, हम सोच रहे थे आप सही-सही बयान करोगे, आप इनके चक्कर में आकर असत्य बोलने लगे।

सूचना

एस.एफ.आई. के छात्रों द्वारा विधान सभा प्रदर्शन

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के एस.एफ.आई. के नेतृत्व में हजारों विद्यार्थी पास किया तो प्रवेश दो, शिक्षकों के पद रिक्त हैं उनको भरा जाए और छात्र संघ के चुनाव हों इसके लिए हमारे सदन के सामने प्रदर्शन करने के लिए आये हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उनसे शिक्षा मंत्रीजी मिलें क्योंकि अभी तक उनसे कोई भी मिलने के लिए डेलिगेशन को नहीं बुलाया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है जो हजारों विद्यार्थी आये हैं आज एक-एक कालेज में, सीकर कल्याण कालेज में 5 हजार विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं इनको भी आज प्रवेश नहीं मिल रहा है।

आज डूंगरपुर जो आदिवासी इलाका है, वहां हजारों विद्यार्थी पास होने के बाद भी सैकण्ड और फर्स्ट डिवीजन से पास होने के बाद भी, आदिवासी जो जहां आज भी एक से लेकर 6 तक की पे स्केल में 45 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण करने के बाद भी उनकी बी.एड और एसटीसी में आरक्षण नहीं है इसलिए अकेले टीएसी में 16, 16 सौ पद खाली रहते हैं इसलिए उन व्यक्तियों को लेकर आए हैं तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनके प्रतिनिधि मण्डल को बुलाकर शिक्षा मंत्री उनसे मिलें और उनकी समस्याएं जो हजारों विद्यार्थी आज प्रवेश से वंचित हैं। छात्रसंघ के चुनाव और हजारों पद जो खाली हैं, जहां शिक्षा बिलकुल चौपट हो रही है, उनके बारे में डेलीगेशन से मिल कर उनका समाधान करें।

श्री सभापति: बिराजिए।

मांग संख्या-24 पर अग्रेत्तर विचार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सभी सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। शिक्षा ऐसा एक क्षेत्र है जो इसके विकास की धुरी है। दोनों पक्ष अपने-अपने तर्कों के आधार पर अपनी अपनी बड़ाई करने के प्रयत्न में लग रहे हैं उससे उस बालक को लाभ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं हो रहा है। बालक आज भी शिक्षा के लिए मन में तड़पन लेकर के रहता है। गलती कहीं भी हुई हो उस गलती को सुधारना, शिक्षा को ठीक रास्ते पर आगे बढ़ाना हम सभी जन प्रतिनिधियों का दायित्व है। मैं ऐसे कुछ विषय आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे निश्चित रूप से हमको सुधार के क्या कदम उठाएं जाएं उस पर विचार करना चाहिए। यह जो हमारी प्रगति रिपोर्ट हमको मिलती है, चाहे हमारी सरकार में बनी हो, चाहे आपकी सरकार में बनी हो, एक तो इनको ठीक बनाने का प्रयास करें। कारण यह है कि यह जो आंकड़े देते हैं, विशेष कर प्रवेश के जो आंकड़े देते हैं और जो नामांकन दिखाते हैं ईमानदारी से वह नामांकन धरती पर नहीं है। कृपा करके आप इनके नामांकन को सही करना चाहते हो तो प्रदेश में परीक्षा परिणाम में बैठने वाले विद्यार्थियों को आधार बना कर नामांकन लिखने का प्रयास करें जिससे कि सच्चाई पहुंच सके कि वास्तव में हम कहां जा रहे हैं और कहां नहीं बढ़ रहे हैं, इसका जरूर प्रयास करें। यह बिलकुल हमारे शासन काल के ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज छिपा रहा हूं। 1994-95 और उससे लेकर 1998 तक के ये सारे के सारे प्रगति रिपोर्ट मेरे पास हैं और इसमें जितने भी नामांकन के जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं उनको मैंने इस कागज पर संकलित कर लिया। आपका समय ज्यादा नहीं जाए। तो 2004-05 में जब 99 लाख मानते है, 2005-06 में 99 लाख 95 हजार, 2006-07 में 51 लाख 60 हजार फिर उसके बाद में 97 लाख 13 हजार और फिर 94, अब जो आपका यह मिड डे मील है, आपको देख कर, वह गलती किसने की या कहां हुई, मैं उस पक्ष में नहीं जाता हूं जिसने भी यह गलती की और राज्य सरकार को नुकसान हुआ है, उसका जरूर आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। यह मिड डे मील के मेरे पास दो डाक्यूमेंट हैं। इस मिड डे मील की जो संख्या आपने अपनी दर्शाई है यह 2005 की जो रिपोर्ट है, यह 2005 की रिपोर्ट में 32 जिलों से जो बालकों का जो नामांकन आपने लिया है, वह एक करोड़ 2 लाख, यह आप बताते हैं। 2005 का नामांकन आपका इतना है और इतना मिड डे मील उठा। इसी की दूसरी कॉपी है 2006 की, आप दोनों के बीच के अंतर को देखिए कि वास्तव में यह क्या कमाल है, यह नामांकन जो अपने इस प्रगति रिपोर्ट में दे रहे हैं, वह सही है या जो मिड डे मील के द्वारा जो नामांकन इसमें आ रहे हैं, वह सही हैं। आपको सुन कर हैरानी होगी कि 69 लाख 60 हजार 60 बच्चों का केवल नामांकन है। मतलब आपने एक करोड़ 2 लाख से घट कर मिड डे मील में आए हैं। इसमें भी जो आपके आंकड़े हैं नामांकन के उसमें अनुदानित शिक्षण संस्थाएं भी हैं और राजकीय शिक्षण संस्थाएं भी हैं जब कि वास्तव में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
यह जो आपका मिड-डे-मील मिलता है यह केवल अनुदानित और राजकीय विद्यालयों को ही मिलता है, जो गैर अनुदानित विद्यालय हैं उनको नहीं मिलता है तो आप इन आंकड़ों को फिर से देखिए, आपके यह मिड डे मील के नाम से जो चूना लग रहा है इसे बचाइए और कम से कम सरकार का भी पैसा बचेगा और कम से कम हम जिस चीज को चाहते हैं वह हमें मिलेगी।

वास्तव में शिक्षा का आधार अगर कोई है तो अध्यापक है। हम हर साल मेरे को भी यहां 15-20 साल हो गये लगातार। मैं यह सब भाषण आपके और हमारे, हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, वह अपनी तारीफ कर रहे हैं लेकिन उस बालक को क्या मिलेगा, आपके इन रिक्त स्थानों को देख कर, आज की तारीख में कितने पद अपने यहां रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक के 30 हजार 761 कुल स्वीकृत पद हैं उसमें से 14811 अध्यापक केवल काम कर रहे हैं और 15950 पद रिक्त हैं सैकण्ड ग्रेड के, इसका मतलब 51 परसेंट पद जहां स्कूल के, सैकण्डरी स्कूल के अगर रिक्त हों तो क्या उस बच्चे की पढ़ाई हो रही होगी और आप विद्यालय की संख्या के हिसाब से जो अध्यापकों की संख्या आप दे रहे हो, आप बता रहे हो कि 6200 हमारे विद्यालय हैं सैकण्डरी के और अध्यापक हैं आपके पास 22600, अगर इनको डिवाइड करें तो 3.6 अध्यापक एक विद्यालय पर आता है। क्या एक सैकण्डरी स्कूल में पढ़ाई इन बच्चों के आधार पर हो सकती है और कौन सी स्कूल में 10 लगे हुए हैं और कौन सी स्कूल में 2 लगे हुए हैं, यह भी दुर्भाग्य है। इसके बारे में भी इतने सालों तक मेहतन करने के बाद भी हम इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा फीगर सुन कर कि द्वितीय श्रेणी के हमारे पास 2 लाख 17 हजार पद हैं उसमें से 1.88 भरे हुए हैं, 29800 पद आज भी खाली हैं। प्राधानाचार्य कुल 3186 पोस्ट हैं उसमें से 923 पोस्ट रिक्त हैं, इसका मतलब 28 परसेंट पर आपके प्रिंसिपल नहीं है स्कूल के और प्रिंसिपल लगाने में आपको क्या समस्या आ रही है। इसमें कोई डाइरेक्ट भर्ती तो होती नहीं, ये सारे के सारे प्रमोशन से लगते हैं, डीपीसी से भी लगते हैं। यह तो सरकार के हाथ में है, आपके अधिकारियों के हाथ में है, इतनी मेहनत करना भी वह नहीं चाहते हैं कि उनकी डीपीसी 6-6, 7-7 सालों तक पैंडिंग पड़ी हुई है और पूर्ति कर सकते हैं। प्रधानाध्यापकों के पदों को सुन कर आपको आश्चर्य होगा, कैसे स्कूल चलता है, क्या परिणाम आता है, भगवान ही जानें, आप हमको गाली दो, हम आपको गाली दें, दोनों ताली बजाओ, घर जाओ, बस आनंद है, उस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बच्चे को रोता हुआ देख कर दुःख नहीं होता कि हम किस व्यवस्था में चल रहे हैं? क्या इतनी व्यवस्था करना भी हमारे बस का रोग नहीं है। केवल हम बातें करते हैं। 6305 पद हैं प्रधानाचार्यों के और आज की तारीख में खाली हैं 3462 अर्थात 54 परसेंट प्रधानाध्यापकों के सैकण्डरी स्कूल में खाली हैं। प्रधानाध्यापक जहां नहीं हों, वहां की शिक्षा का क्या है? व्याख्याताओं के 19575 पद है उनमें से 7694 पद आज की तारीख में खाली हैं, 39 परसेंट खाली हैं। यह सारे के सारे पद, 50 परसेंट तो प्रमोशन के हैं, हम लोगों ने भी प्रमोशन की पूरी कोशिश की लेकिन वह ज्वाइन नहीं करता है, लाख कोशिश करते हैं उसके बाद भी वह फार गो कर जाता है क्योंकि 9,18,27 का लाभ उसको घर बैठे मिलता है लेकिन कहीं न कहीं कानून में सख्ती तो हमको करनी पड़ेगी। आखिर इन पदों को और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो मैं तो कहता हूं कि एक इमरजेंसी रिक्रूटमेंट करें और जो इन-सर्विस मैं आपके टीचर काम कर रहे हैं, चाहे थर्ड ग्रेड में कर रहा है, चाहे सैकण्ड ग्रेड में, अगर वह क्वालिफिकेशन रखता है तो आरपीएससी के माध्यम से एक एक्जाम करा लीजिए और एक्जामिनेशन करने के बाद सब्जेक्ट टीचर की दृष्टि से उसमें जितनी पूर्ति हो सकती है, वह सारी की सारी पूर्ति करने का प्रयास करें। तो सारे मिल कर के शिक्षा विभाग के 20 प्रतिशत से अधिक पद आज की तारीख में रिक्त हैं जिसमें से कोई तो मैंने आवश्यक आपको बताया वह रिक्त हैं। अब आपने देखा है कि ...(व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): पहले जो शिक्षा मंत्री थे न, वह आपका भाषण नहीं सुन रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह आपके लिए है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): यह सच्चाई बोल रहे हैं, यह सच्चाई बोल रहे हैं। उनमें सुनने का माद्दा नहीं था इसलिए चले गये वह ... (व्यवधान) यह हकीकत बता रहे हैं, हकीकत है ये। यह डीपीसी नहीं हुई, यह हकीकत है बात ...(व्यवधान) खुले में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आपको आपकी डीपीसी की बता रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, ऐसा नहीं है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि मैं आरोप-प्रत्यारोप करने के ज्यादा पक्ष में नहीं हूं। अगर मैं यह करूं तो ...(व्यवधान) एक सैकण्ड ...(व्यवधान) शिक्षा मंत्री महोदय, आपके पुराने 5 साल के रिकार्ड को उठा कर के दिखा देता कि कितनी शिक्षण संस्थाओं में भर्तियां की, इस पर मैं बताता हूं वर्षवार, कितनी क्या भर्तियां की उसके बाद भी कमी है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं की, मैंने 2004-05 में 16777 टीचर की, थर्ड ग्रेड के भर्ती किये, 2005-06 में 18798 किये और उसके बाद 2006 07 में 511 फिर उसके बाद 26742, उसके बाद 2008-09 में 846, कुल 63670 अध्यापक थर्ड ग्रेड के हमने भर्ती किये थे, उसके बाद भी वेकेंट हैं। यह नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। केवल यह कह कर, खुश होकर आप ताली बजाना चाहो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन इसी तरह से आप यह देखें प्रधानाध्यापक के हमने 5 साला में 525 पद भरे, व्याख्याताओं के 1496 पद भरे और सैकण्ड ग्रेड के 2359 पद भरे। इतना सब भरने के बाद भी यह पद रिक्त हैं, यही नहीं, आपने देखा होगा शिक्षाकर्मी को, लोक जुम्बिश के संविदा शिक्षक, इन सब को मिला कर 28 हजार को नियमित अध्यापक बना कर 28674, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं किया, काम किया लेकिन काम करने के बाद में भी कितने स्कूल हम खोलते हैं, उसकी तुलना में हम अध्यापकों की भर्ती नहीं कर पाते हैं। एक तरफ स्कूलों की संख्या बढ़ाते रहते हैं और दूसरी तरफ अध्यापक घटते रहते हैं।

इन दोनों की कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अब आज से लेकर के जब मैं शिक्षा मंत्री रहा तब से मैं इस बात को सुन रहा हूं, समानीकरण, समानीकरण। यह समानीकरण होना चाहिए, मन की ताकत होनी चाहिए, समानीकरण दो मिनट में होगा। जितने भी सरकारी विद्यालय जो शहरों में चलते हैं, 12 लड़कों पर 8 अध्यापक लगे हुए हैं। फर्जी हाज़िरी भरी हुई है आपको दिखाने के लिए। ईमानदारी से अगर आप इन सब अधिकारियों को कहो कि एक दिन आप तारीख तय करके इनको कहो कि शहरों की सारी स्कूलों में एक साथ एक ही टाइम पर जाकर के उनको वास्तव में चैक करो तो आपको पता लगेगा कि 18 बच्चों पर विद्यालय चल रहा है, 22 बच्चों पर विद्यालय चल रहा है, 60 बच्चों पर विद्यालय चल रहा है और उसके बाद अध्यापक कितने हैं? अध्यापक हैं आज से 10 साल, 15 साल पहले के जिसमें 2200 विद्यार्थी पढ़ते थे, वो के वो शिक्षक आज की तारीख में बैठे हुए हैं। समानीकरण का मतलब तो यह होता है कि जितने बच्चे हैं उसके अनुपात में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

शिक्षक रखो। उसमें भी बेइमानी मत करो कि इसको हटाओ इसको नहीं। जो सीनियरटी से इस शहर में सबसे लम्बी अवधि से बैठा हुआ है चाहे वह किसी भी स्कूल में बैठा हो, स्कूल के आधार पर सीनियरटी नहीं, उसके शहर के आधार पर जिसकी सीनियरटी बनती है उसको बाहर भेजिये। कोशिश करिये, बुढ़ापा है तो नजदीक भेज दीजिये, कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन उसे निकालकर के किसी न किसी विद्यालय में भेजने का हमारा मन बनना चाहिए। अब जो आपने समानीकरण की नीति निकाली कि इतने पर इतने बालक होंगे, बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके आगे एक लाइन आपने लिख दी इस पर फिर से विचार करो। आपने लिखा 5 से अधिक शिक्षक नहीं, चाहे कितनी भी छात्र संख्या हो जाए। प्राइमरी में हम 5 से छठा नहीं लगायेंगे। क्या मतलब निकला? जो आपके नार्म्स हैं कि 50 पर एक लगायेंगे और मिनिमम दो टीचर लगायेंगे, अगर उसमें संख्या बढ़ती जाती है तो 50 पर एक एक्स्ट्रा टीचर लगाइये न। यह पाबंदी क्यों करते हैं कि पांच से अधिक प्राइमरी स्कूल में नहीं, भले ही 600 बच्चे हो जाएंगे तो भी पांच ही टीचर पढ़ायेंगे, यह कोई पढ़ाई का स्वरूप नहीं बनेगा।

इसी तरह से आपने उच्च प्राथमिक में भी लगा दिया कि 8 से अधिक शिक्षक नहीं लगायेंगे भले ही 600 से भी अधिक का आपका मिडिल स्कूल हो। यह जो आपने समानीकरण की नीति बनाई इस पर फिर से विचार करो। समानीकरण की नीति यह बननी चाहिए कि या तो शिक्षक का परीक्षा परिणाम देखकर के बाहर निकालिये या उसका लोंगेस्ट स्टे देखकर के निकालिये ताकि निश्चित रूप से हर आदमी उसकी पालना करेगा।

आपने डीपीसी के बारे में कहा। मंत्री महोदय, मैं फिर से आपसे विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि जो डीपीसी है, पिछली सरकार ने कितनी की मैं उसकी इतनी लम्बी लिस्ट लेकर के आया हूं, इतनी लम्बी लिस्ट मेरे पास है कि किस-किस की की। लेकिन सारे अधिकारियों की डीपीसी तो लेटेस्ट हो जाती है, मतलब अतिरिक्त निदेशक की 2009 तक कम्पलीट, संयुक्त निदेशक की कम्पलीट, उप निदेशक की कम्पलीट और जिला शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य की डीपीसी कब हुई? 2001 और 2002 में। उसके बाद की डीपीसी नहीं कर सकते ये। क्या इनको डीपीसी के कागज तैयार करने में कोई समस्या लगती है? फिर काहे की तनख्वाह लेते हैं, किस बात की तनख्वाह लेते हैं फिर? अगर डीपीसी करने मात्र से प्रधानाचार्य मिल रहा है या आपको प्रिंसिपल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिल रहा है तो क्यों नहीं कर सकते? इसमें कौनसा आपका एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है जो आपके पास काम कर रहा है? यही नहीं, आपने देखा होगा कि ये जो व्याख्याता हैं चित्रकला, संगीत और कृषि के, इसमें तो 1990 और 1991 की अभी तक डीपीसी हुई है। 19-19 साल से आप इनकी डीपीसी नहीं कर रहे हैं। कितने टीचर होंगे चित्रकला के राजस्थान में? कितने संगीत के टीचर होंगे और कितने आपके पास कृषि के टीचर होंगे? मतलब क्योंकि उनकी संख्या कम है, उसकी आवाज नहीं है इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता कि समय पर उसकी किस तरह से डीपीसी करा ली जाए। इस तरह से डीपीसी आपके यहां पर नहीं होती है।

चाहे हमारा राज हो या आप हो, यह सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसा है न यह सब अधिकारियों को लगता है कि कितना माल खरीदा जाए और उस माल से भले ही वह डम्प में जाकर पड़ो। चाहे उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिले लेकिन आपने इतने कम्प्यूटर खरीदे। पहले भी 25 करोड़ के कम्प्यूटर खरीदे और अब भी कम्प्यूटर खरीदो। इन सब अधिकारियों को कम्प्यूटर पर फाइल बनाने में बहुत मजा आता है क्योंकि व्याख्याता लगाने में तो जोर आता है न, डीपीसी करने में तो जोर आता है न। यह है मालखाने की जगह जहां ले जाकर डम्प पटका है। आज की तारीख में ये जितने आपने कम्प्यूटर लगाये हैं, कितने स्कूलों में कम्प्यूटर लगाये हैं? कौन चलायेगा कम्प्यूटर गांव में बिजली का कनेक्शन नहीं है? स्कूलों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है कम्प्यूटर का? वहां पर 3-3 डिब्बे आपने लेकर रख दिये। एक हैडमास्टर अपने घर ले गये, एक वो अपने घर ले गया और बचा-खुचा डिब्बा वहां बंद पडा है जो पड़े-पड़े खराब हो गया। अभी भी आप कह रहे हो कि हम इतने स्कूलों में कम्प्यूटर लगायेंगे। यह शेखचिल्ली की योजना मत बनाओ। जितने ताकत हो, जितने कम्प्यूटर सिखाने के टीचर लगाये गये हैं, जितनी आपकी क्षमता हो उतना ही करो, वाह-वाही लूटने में नहीं। धर्मादा का पैसा आ रहा है इसलिए इसको धर्मादे में ठोककर लोगों की जेबों में डाल दो, लोगों को तरोताजा कर दो और बच्चों को कम्प्यूटर का कुछ एबीसीडी भी नहीं आता है।

कभी किसी ने विचार किया कि ये निजी शिक्षण संस्थाएं जो देश की आजादी के पहले चली ये किस काम के लिए चली थी? शिक्षा को देने के लिए चली थी, ये दुकानदार नहीं हैं। आज जो जितनी खुल रही हैं न शिक्षण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संस्थाएं, ये सब दुकानें बन गईं। जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने सोच लिया कि उद्योग में क्या मिलेगा, एक इंस्टीट्यूशन 10 करोड़ का खोलकर के बैठ जाये, साल में 5 करोड़ रुपया कमाकर के आप जेब में रख दो। उनको कंट्रोल करना तो कहीं नहीं और आप कंट्रोल किसको कर रहे हो? जिन्होंने देश की आजादी के समय अपने स्कूल चलाये हैं, जिन्होंने वास्तव में शिक्षा में अपना बड़ा योगदान दिया है। उसके अनुदान के बारे में कुछ नहीं करते। वो तड़फ-तड़फ कर मर गये, इतने मुकदमें किये और इतने कोर्ट के फैसले हो गये हैं लेकिन आपके अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगती है और आप नहीं जानते हो कि वो शिक्षक कैसे काम करेगा जो इस संस्था में काम करता है। आपने देखा होगा कि 28.5.2002 का यह निर्णय हुआ है, इस निर्णय में बिलकुल एक एक पाइंट बहुत स्पष्ट..... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: मैं निवेदन करूंगा कि समय कम है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मेरी आदत क्या है कि टकरा कर बोलने की नहीं है।

श्री सभापति: आप वरिष्ठ हैं। (व्यवधान) बोलने वाले और काफी हैं। अभी काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप कहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं हैं। मैं यह कह रहा हूं....

एक माननीय सदस्य : प्लीज, लेट हिम कम्पलीट।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सभापति महोदय, बोलने दें आपको। जो बाद में बोलें उनका समय कम कर लें।

श्री सभापति: विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मुझे बहुत दु:ख है इस बात का, मैंने अपनी सरकार के सामने भी बार-बार आग्रह किया कि यह देश की आजादी के पहले चली हुई संस्थाएं हैं जो अनुदानित हैं। नया समझदार तो कोई अनुदानित में आना भी नहीं चाहता है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): सभापति महोदय, अच्छा भी बोल रहे हैं और शाला उद्योग भी बोल रहे हैं। यह शाला उद्योग कहां से आ गया? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): शाला मतलब पाठशाला और क्या है।

एक माननीय सदस्य : शाला आप समझते नहीं हो? स्कूल को शाला कहते हैं, स्कूल को शाला भी कहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इस कोर्ट के फैसले में जो 2002 का फैसला हुआ उसमें बिलकुल स्पष्ट लिखा है कि राज्य कर्मचारियों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वही निजी शिक्षण संस्थाएं जो अनुदानित हैं उनके कर्मचारियों को भी मिलेंगी, उसी प्रकार से उनका एरियर मिलेगा। लेकिन 5वें वेतन आयोग का एरियर भी आपने आज दिन तक नहीं दिया और जो व्यक्ति रिटायर होकर के जाता है वह संस्था पर दावा करता है और संस्था पर डिक्री लेकर के आता है 10-10 लाख की। संस्था की सम्पत्तियां बिक रही हैं लेकिन जो उसका हक है, जो कोर्ट के फैसले के द्वारा है, जो 1993 में हमने कानून बनाया है शिक्षा विधेयक, उसके सैक्शन 34 के तहत इनका अधिकार बनता है। भविष्य में आप किसी को अनुदान नहीं दें, जाने दीजिये, कोई चिंता की बात नहीं है पर जिन संस्थाओं ने सेवा की, उनमें जो अध्यापक कार्यरत हैं उनको तो दीजिये। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह अनुदानित शिक्षण संस्थाएं तो ठीक हैं लेकिन जो गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं वो जितना अध्यापको का शोषण कर रही हैं न, उसमें आपको और मुझको रोना आता होगा, मैं सोचता हूं कि आपके नरेगा के ऊपर काम करने वाले मजदूर को भी कम से कम 100 रुपया मिलता है पर मेरे इस प्राइवेट संस्था में गांव में काम करने वाला 800 रुपये में, 1200 रुपये में, 1400 रुपये में आज भी अध्यापक लगा हुआ है और वो बच्ची मजबूरी के कारण से, अपनी गरीबी के कारण से वहां करती है। क्या सरकार कानून बना सकती है तो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले प्राइमरी अध्यापक चाहे वह प्राइवेट स्कूल में करेगा उसको कम से कम तीन हजार रुपये मिलेगा, मिडल स्कूल में काम करेगा उसको कम से कम चार हजार मिलेगा, सैकण्डरी में काम करेगा तो उसको कम से कम छह हजार मिलेगा, बी.एड. में काम करेगा उसको कम से कम 10 हजार मिलेगा। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि हमारे राजस्थान में बी.एड. कालेज में पढ़ाने वाले लेक्चरर आज भी 4-4 और 5-5 हजार की तनख्वाह में वहां काम कर रहे हैं। हम क्या सुधार चाहते हैं? जो काम हम केवल अपनी मन की इच्छा के आधार पर करा सकते है, जब एक मजदूर को मिनिमम वेज मिल सकता है तो एक शिक्षक को जो हिन्दुस्तान का भविष्य बनाता है, राजस्थान का भविष्य और बालक बनाता है उसके मन के दर्द को कोई नहीं समझना चाहते। मैंने इसको कई बार अपने अधिकारियों की मीटिंग में कहा कि आप मैक्जिमम की बात छोड़िये, मिनिमम तो कम से कम आप दो ताकि कम से कम उसके बच्चे पल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सके। इसके बारे में कौनसे आपके पैसे लग रहे हैं और यह सारी जितनी दुकानदारी बढ़ी है न, आज की तारीख में आपके सरकारी विद्यालय में कोई पढ़ना नहीं चाहता। गरीब, ठेला चलाने वाला भी मजदूरी करेगा, खाक मारेगा लेकिन किसी न किसी प्राइवेट संस्था में भेजता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम 15 हजार, 22 हजार तनख्वाह देते हैं उन पर हमारा ठीक तरह से कंट्रोल नहीं है। शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आप खुश हो रहे हैं कि हमने 91 प्रतिशत बोर्ड का रिजल्ट दे दिया, बेकार मन को खुश करने का प्रयास मत करो। यह जो कुछ भी हुआ है न यह 20 प्रतिशत अनुदानित अंकों के कारण से हुआ और इसके कारण से आपके पेपर रोज आउट होकर के सड़कों पर बिक रहे हैं लड़कों के पास..... (व्यवधान) अन्दर झांकने का प्रयास करो, केवल यह ताली बजाकर के कि आपके टाइम पर 54 प्रतिशत रहता था, 55 प्रतिशत रहता था, इस बोर्ड की प्रतिष्ठा ही इस बात की थी कि उसने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यही नहीं, मेरे पास जितने भी आपके कालेज शिक्षा के बारे में है आपका, इनका 73 का एग्रीमेंट है कि जब कभी भी केन्द्र के अन्दर अगर वेतनमान घोषित होगा तो जितने भी शिक्षक हैं, चाहे प्राइवेट संस्थाओं में काम करते हैं चाहे सरकारी संस्थाओं में, चाहे यूनिवर्सिटी में, चाहे कालेज में, उनको वेतनमान अपने आप मिलेगा। 1986 और 1996 के आधार पर भी इनको अपना वेतनमान मिल गया। अबकी बार आपने अपने घोषणा-पत्र में तो जरूर कहा कि हम 1 जनवरी, 2006 से छठा वेतन आयोग इनको दे देंगे लेकिन आपने कॉलेज शिक्षकों को, यूनिवर्सिटी शिक्षकों को क्यों नहीं दिया?

इनका कैरियर एडवांसमेंट क्यों नहीं देते? जो इनका वाजिब हक मिलता है, उसको देने में क्या समस्या है? जो देना है चाहे कल देना है और फिर आपने इसको टालने के लिए कमेटी बना दी। इसमें कमेटी क्या करेगी? जब आपका नियम है कि जो केन्द्र के कर्मचारियों को वेतनमान मिलेगा, वह वेतनमान हमारे यहां के टीचर्स को देना है। या तो उस फैसले को नकार दो या उसको बदल दो कि हम इस फैसले को नहीं मानते हैं। बाकी केवल आपने यह जो दो महीने का देकर यह आपने ठंडे छींटे देने की कोशिश की है कि हमने कमेटी बना दी। कमेटी तय क्या करेगी? उसके पास माद्दा क्या है? क्या चीज है जो वह तय करेगी? जो निर्णय आपने ले रखा है और अब तक जिसकी आपने पालना की, उसके बाद भी आज दिन भी पूरा वेतनमान नहीं मिलता है। इसी तरह से मैं निजी विद्यालय और महाविद्यालय हैं, उनके बारे में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...और इनको कंट्रोल करिये। मैं यह कह रहा हूं कि एक दिन किसी गरीब के बेटे के अन्दर आग लग जायेगी और वह इसको फोड़ देगा, यह मैं आपको सही कह रहा हं क्योंकि इतना दु:ख होता है कि मेरा बच्चा या गरीब का बच्चा काबिल है लेकिन वह मेडिकल में 30 लाख रुपये नहीं दे सकता, इसलिए वह डाक्टर नहीं बन सकता और मेरे पड़ौस का लड़का, वह पैसे वाला है, उसके थर्ड डिवीजन है लेकिन वह डाक्टर बन सकता है क्योंकि वह 30 लाख रुपये कैपिटेशन फीस दे सकता है। अगर इस तरह से समाज में दो टुकड़े करने का प्रयास करोगे तो एक समझने की सीमा आ जायेगी और उस सीमा के कारण से जो बच्चे के मन में आक्रोश और गुस्सा आ रहा है, वह गुस्सा कहीं न कहीं फूटकर इस सारे के सारे प्रदेश को जला डालेगा। कम से कम इस पर तो कंट्रोल करो। आपने कहा था कि हमने फीस में कंट्रोल कर दिया, 20 प्रतिशत बैठ गया, कोई मानता नहीं है। मर्जी चाहे जितना पैसा ले रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मास्टर को पूरी तनख्वाह दो, उसके लिए वह नहीं मानते तो आखिर हमें कहीं न कहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा।

आपने जो बी.एड. कालेज खोले हैं, इन बी.एड. कालेज की दशा देखो। चाहे हमने खोले होंगे, चाहे किसी ने खोले होंगे, वह ऐसे हैं, मैं कोई इसको छिपा नहीं रहा हूं। पर उनकी हालत जाकर देखो, वह बी.एड. कालेज नहीं हैं, वह केवल अटेंडेंस कालेज हैं और केवल परीक्षा में बैठाकर, बच्चों से फीस लेकर घर रवाना कर देते हैं और फिर आखिर में परीक्षा में बैठाकर बी.एड. की डिग्री दे देते हैं। ऐसे विद्यालयों के द्वारा, ऐसे अध्यापकों के द्वारा बालक का चरित्र निर्माण करोगे? जिसका स्वयं का चरित्र निर्माण नहीं हुआ, वह क्या दूसरों का चरित्र निर्माण करेगा? आप उससे उम्मीद करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से हालात पैदा कर दिये हैं ना, इस शिक्षा के क्षेत्र की हालत को आप देखने की कोशिश करिये। मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं कि शिक्षा को राजनीति के तराजू में मत तौलिये। हर सरकार ने शिक्षा को बढ़ाया है। हम आठ प्रतिशत से साक्षरता को 61 प्रतिशत पर ले आये। हमने हजारों विद्यालय खोलकर बच्चों को स्कूल तक ले आये। हमने हर बच्चे को मिड-डे-मील देकर उस गरीब के बच्चे की मदद की। हमने पाठ्यपुस्तकें देकर मदद की, हमने बालिका फाउण्डेशन के माध्यम से मदद की, हमने साइकिलें देकर मदद की। लेकिन आपके मन में क्या था। हमने जो साइकिलें दी थीं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसका रंग वैसा हो गया, उसके कारण से वे साइकिलें आपने नहीं बांटी। आप क्या छोटा मन करते हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य। एक सैकण्ड।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक सैकण्ड। आप यह बताओ, जब पहले मैं शिक्षा मंत्री बना था, उस समय पहले पाठ्यपुस्तकें आपकी छपी हुई थीं...

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, यह जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, क्या यह सब छह महीने में हुआ है? यह इनके टाइम में पाँच साल भी रहा है।

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, ऐसे तो नये सदस्यों का नम्बर ही नहीं आयेगा। ऐसे तो नये माननीय सदस्यों का नम्बर ही नहीं आना।

श्री सभापति: आप माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ...तब आपका दिल क्यों नहीं रोया?

श्री रामकेश (गंगापुर): छह महीने पहले इन्हीं की सरकार थी, इन्होंने क्या किया पाँच साल में?

एक माननीय सदस्य: झेलने की आदत सीखो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि कोई भी सरकार आये, अगर मान लो उस पर मुख्य मंत्री की फोटो है तो पहले आपकी फोटो थी तो हमें क्या एतराज था? हमने उन किताबों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया? हमने नहीं किया। अगर मान लो, वह मुख्य मंत्री की फोटो थैले पर छाप भी दी तो क्या हो गया? मतलब इतना मन छोटा हो गया? या तो कोई छापे ही नहीं। आगे से यह नियम निकाल दो कि कोई फोटो नहीं छपे और अगर छप गई है तो उसको रद्दी की टोकरी में डालो। मैं आपको कहता हूं कि मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने पहली बार यह जो विधवा और परित्यक्ता बच्चियां थीं, उनको मैंने 10वीं पास को भी अध्यापिका बनाकर उनको जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाया और उसके कारण से आज कम से कम भी 10 से 15 हजार विधवा और परित्यक्ताएं हमने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अध्यापिकाएं बनाकर रखी हैं। आप जब अपना जवाब दो ना तब बताना कि पिछले पाँच साल में कितनी विधवा और परित्यक्ता को लगाया और अभी सात महीने में कितनी विधवा और परित्यक्ता को नौकरी पर लगाया? यही नहीं, आपने तो उनको नोटिस टिका दिया कि दो साल में तुमको ट्रेनिंग करनी होगी। नहीं होगी तो फिक्स वेतन पर रह जायेगी, क्या तकलीफ है? अगर मान लो कि किसी कारण से बी.एड. नहीं कर पाई तो कौनसा आसमान पड़ गया? इसके कारण से... इन विषयों पर विचार करके...

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय...

एक माननीय सदस्य: हमारे समय में से समय काट लिया जाये, उनको बोलने दिया जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं...

एक माननीय सदस्य: कांग्रेस वालों को क्यों डर लग रहा है? बोलने दीजिये, हमारे समय में से समय ले लिया जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजें। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...आप चाहे सारे खड़े हो जाओ, मैं अकेला ही काफी हूं बोलने में। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये बैठिये, विराजिये विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं कोई डरने वाला नहीं हूं, तुम सब खड़े हो जाओ, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। श्री गंगा सहाय शर्मा। श्री गंगा सहाय शर्मा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...शिक्षा में राजनीति को डालकर उस बच्चे की भूख और प्यास पर तुम ध्यान नहीं दो और केवल अपने जोश और होश में रह जाओ कि हमने इतने स्कूल खोल दिये। बिना मास्टर के स्कूल खोलकर बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो तुम लोग।

श्री सभापति: विराजिये विराजिये। श्री गंगा सहाय शर्मा।

श्री गंगा सहाय शर्मा (आमेर): माननीय सभापतिजी, मांग संख्या-24, शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने का जो मुझे पहली बार मौका मिला है, मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी व शिक्षा मंत्रीजी को केन्द्र सरकार के उन निर्णय के लिए कि प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए कानून बना रहे हैं। शिक्षा के बगैर हमारे जीवन का महत्व अधूरा है। मनुष्य को जिस तरह से शिक्षा दी जाती है, वह उसी में ढल जाता है तथा अपनी जीवन शैली भी उसी अनुरूप बना लेता है। किसी राज्य की उन्नति का आंकलन शिक्षा के आधार पर ही किया जाता है। इसी तरह से किसी परिवार का आंकलन भी शिक्षा के आधार पर ही किया जाता है। आज के युग में किसी भी परिवार की वृद्धि शिक्षा से ही जानी जाती है। आज शिक्षा का स्वरूप तकनीकी रूप में बदल रहा है। आधुनिक युग में साधारण डिग्री प्राप्त कर अपने आपको स्थापित नहीं किया जा सकता। आधुनिक प्रतिस्पर्द्धा के युग में नई-नई शिक्षा ग्रहण कर मनुष्य अपनी पहचान बना रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस युग में वही शिक्षा कामयाब हो पाती है जिसमें दैनिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायीकरण का पुट लगाया जाता है। यह बात सही है कि हमारी केन्द्र की सरकार और राजस्थान सरकार ने अपना सम्पूर्ण ध्यान शिक्षा की तरफ दिया है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, वह बहुत सराहनीय है। हर ग्राम पंचायत में माध्यमिक विद्यालय देना और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोलना सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। इससे गांवों में शिक्षा का विकास होगा, युवाओं को रोजगार व व्यापार में मदद मिलेगी। सर्वशिक्षा अभियान के तहत 17,229 शिक्षकों की भर्ती, शारीरिक शिक्षकों के 1,000 पदों को भरने का कार्य, माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा लागू करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देता हूं।

माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि नये स्कूल जब भी खोले जायें तो वहां पर अध्यापकों की पूर्ति हो। हमारे गांव में स्कूलों के बड़े-बड़े कमरे बना दिये जाते हैं लेकिन अध्यापकों की कमी के कारण बच्चे इधर-उधर भटकते रहते हैं। किसी स्कूल में थोड़े अध्यापक होते हैं तो किसी में ज्यादा होते हैं पर उन स्कूलों में भी जहां थोड़े अध्यापक होते हैं, भवन निर्माण के लिए उन अध्यापकों को लगा दिया जाता है। ये अध्यापक अपना सारा समय ईंट-बजरी-पत्थर के जुगाड़ में लगा देते हैं व बच्चों का

(श्री गंगा सहाय शर्मा)

समय बर्बाद होता रहता है। मेरा आपसे आग्रह है कि शिक्षा में सुधार के लिए इस तरह के कार्य किसी एजेंसी या ग्रामीण संस्था को दिया जाये जिससे बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, न्यायालय ने शिक्षकों के पांच कार्य बताये हैं लेकिन हमारी भारत सरकार, राजस्थान सरकार व जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर अध्यापकों की अनेक जगह ड्यूटी लगा दी जाती है जिसके कारण राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षा का बेस व्यावसायिक हो जिससे आज का युवक नये-नये व्यवसाय को अपनाकर अपने व अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि अधिकांश शिक्षक आज शहरों की तरफ नौकरी चाहते हैं, उन्हें शहरी भत्ता मिलता है। यदि गांव के अध्यापकों को भी भत्ता दिया जाये तो उनका रूझान गांवों की तरफ जाने का हो सकेगा...

शिक्षण संस्थाओं को जो रियायती दरों पर जमीन दी जाती है जिनके द्वारा ईमानदारी से पालन नहीं किया जाता है, ऐसी संस्थाओं के साथ कठोर कदम उठायें एवं संस्थाओं की जमीन रद्द करने का प्रयास किया जाये। आज गांवों में पोषाहार के नाम पर बच्चों का समय खराब किया जाता है, बच्चों का ज्यादातर समय पोषाहार बनाने में खर्च हो जाता है जिससे बच्चे स्कूल में आकर भी पढ़ाई नहीं कर पाते इसलिए यह जो पोषाहार का काम है यह किसी प्राइवेट एजेंसी को दिया जाय जिससे बच्चों का समय खराब नहीं हो। साथ ही अध्यापकों में भ्रष्टाचार भी फैलता है जिससे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पोषाहार को आप अक्षयपात्र जैसी संस्था को देकर इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनायें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि तीन वर्ष का रिजल्ट जिस विद्यालय का अच्छा हो उस विद्यालय को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाय। माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर की दूर-दराज पंचायतों में लड़के-लड़कियां सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी स्कूल पास कर लेती है किंतु तहसील स्तर पर कालेज नहीं होने की वजह से वह आगे नहीं पढ़ पातीं और उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। साधन नहीं होने की वजह से वह जयपुर शहर तक नहीं पहुंच पाती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करूंगा, पंचायत समिति व तहसील स्तर पर जयपुर में एक-एक राजकीय कालेज खोलने की कृपा करें। माननीय, वैसे तो मेरे आमेर विधान सभा क्षेत्र में बड़े

(श्री गंगा सहाय शर्मा)

बड़े कालेज हैं जैसे शंकरा, निम्स, ए एम आई टी आदि दर्जनों कालेज हैं पर इनका हमारे क्षेत्र के बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता। आपसे मेरा अनुरोध है कि इन कालेजों में 25 प्रतिशत सीटों पर जयपुर क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों को सुविधा दी जाय जिससे आमेर विधान सभा क्षेत्र व अन्य क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिल सकें, वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री फूलचन्दजी मीणा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मीणा नहीं, सर, भिण्डा। माननीय सभापतिजी, सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस के घोषणा-पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उच्च शिक्षा के बारे में तीन बातें कही गई हैं। विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन करेंगे, मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्व विद्यालय में 507 कालेज हैं और जोधपुर विश्वविद्यालय में 20 कालेज हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर का विद्यार्थी अजमेर आता है, इस कारण से क्यों नहीं घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस इसी सदन में घोषणा करें कि विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन का जो बिंदु दिया है उन्होंने, उसको लागू करके जोधपुर विश्व विद्यालय के अन्तर्गत बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर को शामिल करें। दूसरा विषय उन्होंने दिया है, प्राथमिक स्तर से लेकर स्नात्तकोत्तर तक सभी बालिकाओं और छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान करेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पांच स्ववित्त पोषित महाविद्यालय चल रहे हैं, बांदीकुई है, देवगढ़ है, सोजत है, रावतभाटा है, इनमें बालिकाओं से तीन हजार से लेकर पांच हजार की फीस ली जा रही है। कांग्रेस अपनी इस गलती को ठीक करके इसी सदन में घोषणा करे, आज ही घोषणा करे कि स्ववित्त पोषित जो पांच महाविद्यालय हैं उनमें हम लड़कियों से फीस नहीं लेंगे। तीसरा विषय उन्होंने चड्ढा कमेटी की बात कही थी जिसके बारे में आज प्रदर्शन हुआ है, उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो वेतनमान दिये गये है उसमें शत-प्रतिशत खर्चा राजस्थान सरकार को उठाना पड़ता है लेकिन उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले जो प्राध्यापक हैं उनका 80 प्रतिशत भरण-पोषण यूजीसी करता है। इतना ही निवेदन है, उसमें 80 प्रतिशत के साथ-साथ 20 प्रतिशत राजस्थान सरकार देती है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह 20 प्रतिशत भी सरकार को नहीं देना पड़ता क्योंकि जितने भी प्राध्यापक हैं चाहे विश्वविद्यालयों में हैं, चाहे कालेजों के है,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

वह 30 प्रतिशत इनकम टैक्स में आ रहे हैं, जब 30 प्रतिशत इनकम टैक्स देते हैं इस वर्ष, अगले वर्ष उनका 85 प्रतिशत राजस्थान सरकार को वापिस मिलना है, इस प्रकार से 26 प्रतिशत की प्राप्ति होगी, 20 प्रतिशत देना पड़ेगा, 6 प्रतिशत की नेट बचत है। आज ही घोषणा की जाय सदन में, क्योंकि उसके लिए कमेटी बनाई गई है। फिक्सेशन के रूल आ गये, मानव संसाधन मंत्रालय ने उसको स्थापित कर दिया, यह भी घोषणा करवायें, यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाह रहा हूं।

अब मैं, मेरी तरफ से कुछ समस्याएं हैं उच्च शिक्षा की, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे प्रांत में क्षेत्रीय असंतुलन है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी स्थिति यह है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं और जितने कालेज हैं उनमें भयंकर असंतुलन है। इसके बारे में मैं झुंझुनूं से आने वाले और सीकर से आने वाले माननीय सदस्यों का सम्मान करना चाहूंगा कि उनके पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था की है जो सारे इण्डिया में बीस हजार की आबादी पर एक कालेज बनाया है लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां विश्वविद्यालय नहीं खोला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के लिए जहां जोधपुर में एक लाख बारह हजार की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है उसको ठीक करना चाहिए। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में, वह सिटी में तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन देहात आज भी पिछड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, वहां आठ पंचायत समिति हैं, पांच विधायक आये हैं लेकिन वहां की जो स्थिति है, एक लाख सैंतालीस हजार की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है और इतना ही नहीं, आज केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य हम पर विवाद उठा रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको करेक्ट करना चाहता हूं कि बांगड़ के जो गांधी थे, जो कांग्रेस के माननीय मुख्य मंत्री रहे, उनके नाम से वहां उस जिले के हैडक्वार्टर पर हमने कन्या महाविद्यालय खोला और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मालवीयाजी को कि इन्होंने केवल मात्र सहयोग किया, बाकी हमारे लोगों ने सहयोग करके वहां पीजी कालेज भी किया उसको, डिग्री कालेज ही नहीं, लड़कों का पीजी कालेज भी किया। इस कारण से आज आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीय असंतुलन ठीक किया जाय और इसके ऊपर दो सुझाव देना चाहता हूं, एक तो अलवर, भरतपुर और सीकर के जो विश्व विद्यालय हैं उनको तुरन्त शुरू किया जाय, उसके कारण से जो राजस्थान विश्वविद्यालय में 507 महाविद्यालय हैं उनकी

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

संख्या घट करके, भरतपुर में जो चार जिले हैं उनकी संख्या 91 हो जायेगी और अलवर के अकेले के 80 कालेज की हो जायेगी और सीकर का जो अकेला वह है, उसमें भी 91 कालेज हैं, एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। एक और निवेदन करना चाहूंगा मैं, इस सदन में मैं फिर झुंझुनूं के विधायक को बधाई देना चाहूंगा कि उनके यहां ऐसी स्थिति है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, सौ लड़कों पर 106 लड़कियां पढ़ रही हैं कालेजों में, इस कारण वहां अलग से विश्वविद्यालय दिया जाय तब यहां का संतुलन ठीक हो सकता है। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो असंतुलन है उसमें जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बारां, झालावाड़ ऐसे जिले हैं जहां लड़कियों की संख्या 40 प्रतिशत से भी कम कालेजों में पढ़ने की है और जालौर की तो यह स्थिति है कि साढ़े सतरह प्रतिशत लड़कियां लड़कों की तुलना में कालेज में आती है और इसका एक ही रास्ता है कि इस सदन के माध्यम से, महिला शिक्षा के लिए जो 200 हमारे विधान सभा क्षेत्र हैं, कम से कम जो मैंने ग्यारह जिले बतायें उन जिलों में प्रत्येक विधायक के यहां महिला कालेज खोला जाय, इतनी आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, मैं उच्च शिक्षा के बारे में और निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय विधायक अभी अंगुली उठा रहे थे, राजस्थान में 34 सरकारी कालेज हैं, सात कालेज 77 के पहले कांग्रेस सरकारों ने खोले थे, सात कालेज, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, हनुमानगढ़ को अगर जोड़ते हैं तो 77 के बाद जो पन्द्रह साल तक कांग्रेस ने शासन किया, केवल चार कालेज खोले हैं और हमारे मुख्य मंत्री चाहे भैरोंसिंहजी रहे हों, चाहे वसुंधराजी रही हों, 24 गर्ल्स कालेज हमने खोले हैं, इस कारण से आपके पन्द्रह साल में चार कालेज और हमारे 24 कालेज। इतना ही नहीं, जो गवर्नमेंट कालेज हैं, आपने पूरे चालीस साल में केवल 55 कालेज खोले हैं, हमने 15 साल में 81 कालेज खोले हैं। यह अपने आप में माननीय सदस्य करेक्ट कर लें कि हमने एक साल में चार कालेज खोलें, आपने 45 साल में 55 कालेज खोलें, इतनी आपकी स्थिति है। इतना ही नहीं, जो पीजी कालेज हैं आज, उनमें जो गर्ल्स कालेज हैं...

श्री ओम जोशी (फलौदी): लेक्चरर कितने लगाये, साहब, आपने। खोल तो बहुत दिये, लेक्चरर कितने लगाये। वह खाली पड़े हैं सब कालेज।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वह बता रहा हूं मैं। मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं।

श्री सभापति: जोशी साहब।

एक माननीय सदस्य: प्राइमरी स्कूल बंद कितने किये, यह भी बताओ। सभापति महोदय, सब असत्य आंकड़े हैं।

श्री सभापति: अभी आपका समय है, आप बिराजो। विराजें। माननीय सदस्य, विराजें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): फिर तो आपकी बुक ही असत्य है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इस किताब के आधार पर दे रहा हूं आंकड़े मैं।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, एक मिनट।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इतना ही नहीं, सभापति महोदय, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीजी कालेज खोले, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं, मेरे सत्ता पक्ष के बंधुओं को कि अपने आप को करेक्ट कर लें, जो राजस्थान में 52 कालेज हैं उनमें 10 कालेज तो उस समय थे जब 77 में बीजेपी की, जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी तब 10 पीजी कालेज थे।

मात्र एक कालेज इन्होंने खोला है पीजी, हमने चालीस पीजी कालेज खोले हैं। यह मैं आप सबके सामने सदन में कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं चालीस कॉलेज हमने खोले हैं, एक कालेज आपने खोला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतना ही नहीं लॉ के अंदर जो पीजी कालेज हैं, महिलाओं के पीजी कॉलेज ला के अंदर हमने खोले हैं। इतना ही नहीं जो टोटल 361 कालेज महिलाओं के हैं उनमें से 81 कालेज आपने खोले हैं, 181 हमने खोले हैं। यह भी आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। इतना ही नहीं जब आपने प्राध्यापक देने की बात की है घोषणा पत्र में, साइकिल बंद की, स्कूटी जो एसटी की बालिकाओं को देते थे वह बंद की, न सीनियर सैकण्डरी स्कूल लड़कियों का, न कॉलेज, न पीजी कालेज और न इस प्रकार की कोई सुविधाएं यह आपने बंद कर दी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करे। समाप्त करे अब आप।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक मिनट का समय अभी और

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

लूंगा। एक निवेदन और करना चाहता हूं। अभी 1900 स्कूलों की व्यवस्था की गई है, माननीय सभापति महोदय, अभी 1900 स्कूल खोली जा रही हैं, घंटी कौन बजाएगा? एक चपरासी का पद नहीं है, बिल कौन बनाएगा? एक बाबू का पद नहीं है, हैडमास्टर कौन बनेगा? एक नहीं है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, सरकार सो रही है, सरकार सो रही है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): किस आधार पर आप स्कूलें चलाएंगे? इतना ही नहीं एक प्रार्थना कर रहा हूं। 6231 वर्तमान में सैकण्डरी स्कूलें हैं ...(व्यवधान) किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य मैं भी गांव का हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, आप भी किसान के बेटे हैं, धैर्य रखे और बता रहा हूं। इस समय 6231 सैकण्डरी स्कूल हैं इसमें....

श्री सभापति: समाप्त करे आप। संशोधित करे माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कर रहा हूं। उसमें से 3118 स्कूल एक साल में हमने खोले हैं, आपने साठ वर्ष में तीन हजार एक सौ कोई खोले हैं। हमने एक वर्ष में खोले हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: अब बस।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक निवेदन और करना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करे आप। बहुत सारे सदस्य बोलने हैं, सब नए सदस्य हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक मिनट और लूंगा। आज हम पैसे की कमी की बात करते हैं, मैंने प्रार्थना की है मुख्य मंत्रीजी को, पहले भी प्रार्थना की थी मैंने, राजस्थान में चार एग्रीकल्चर फैकल्टी से चलने वाले गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आईसीएआर उनको एड देती हैं करोड़ों रुपए देती हैं और आसपास के 25 गांवों में फायदा होता है। दो कालेज हैं सवाईमाधोपुर का कॉलेज, चिमनपुरा कालेज। उनमें कैंपस बने हुए हैं अगर अलग से प्रिज्वल बना दिया जाए, आईसीएआर से करोड़ रूपए मिल सकते हैं। इस कारण से एक सैपरेट खोला जाए, सैपरेट कालेज खोला जाए एग्रीकल्चर के। आज अभी माननीय दातांरामगढ़ से जो सदस्य आये थे उन्होंने उठाई थी बात कि स्वामीनॉथन कमेटी ने यह किया था कि प्रत्येक ज़िले में होना चाहिए। चार गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें से दो ही ऐसे कालेज हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: अब समाप्त करे। समाप्त करो आप, माननीय सदस्य संक्षिप्त करो आप, समाप्त करे आप।

श्री नगराज (धरियावद): एक कालेज और खोला है इन्होंने ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप बैठ जाएं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, एक चौकाने वाला तथ्य दे रहा हूं। अभी बड़ी तुलना हुई थी पांच वर्ष का कार्यकाल पहले का और पाँच वर्ष का इसका, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस समय में गवर्नमेंट कॉलेज में लड़कियों की ग्रोथ रेट है नामांकन की वह माइनस में चली गई है, उसका एकमात्र कारण है हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है और उस समय में मैं बता रहा हूं जो पाँच वर्ष थे उनमें ग्रोथ रेट तीन प्रतिशत रही है और हमारे पाँच साल में ग्रोथ रेट 14 प्रतिशत की है और सुनिए मैं एससी, एसटी की बात कर रहा हूं....

श्री सभापति: अब आप विराजो। आप समय की सीमा देखो, बहुत माननीय सदस्य को बोलना है, आप विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, एससी, एसटी की बात कर रहा हूं। एक वाक्य में बोलूंगा, एक वाक्य बोलूंगा। जो वर्ग संतुलन की बात हो, हमारे पाँच साल में एसटी की ग्रोथ रेट लड़कियों की वह केवल हमारी तो 18 प्रतिशत है, आपकी 8 प्रतिशत रही है, एससी की ऐसी स्थिति है कि उनकी 8 प्रतिशत रही है, हमारी 20 प्रतिशत है और जनरली वह माइनस में है और हमारी प्लस में है। आप लोगों ने पहली बार सुना उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन जी बामनिया।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 पर आज पूरे सदन में वाद-विवाद हो रहा है। उसमें मैं भी अपने विचार रख रहा हूं। जिस पर माननीय प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा कि जो चालीस साल में पिछली कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, वह हमने किया। इस तरह के वक्तव्य भी दिये। माननीय सभापति जी, राजस्थान में पिछली सरकार बनी, उदयपुर संभाग से माननीय सदस्य अधिक संख्या में चुनकर आये, जो भारतीय जनता पार्टी के थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अभी कांग्रेस के सदस्य जीत कर आये और कांग्रेस की

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

सरकार बनी। उदयपुर संभाग से जब-जब भी जिस पार्टी की तरफ उसकी बहुमत आता है, सरकार बनती है। मैं ज्यादा नहीं, पूरे राजस्थान की बात नहीं, मैं उदयपुर संभाग की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आंकड़े बहुत लंबे-चौड़े मिले हैं। पिछली सरकार ने स्कूलें खोली हैं, अध्यापकों की नियुक्ति भी की है, जैसा कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे पर मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा माननीय सभापति जी, कि जितने भी अध्यापक लगाए हैं वह शहरों के आसपास लगाए हैं, पिछले समय में नियुक्तियां हुई हैं वह शहर के आसपास हुई है, दूर-दराज की जो भी स्कूलें थी चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे सैकण्डरी स्कूल हो, वहां भले ही सरकार ने स्कूलें क्रमोन्नत कर दी थी पर एक अध्यापक पर मिडिल स्कूल चल रही थी, एक पीटीआई पर सैकण्डरी स्कूल चल रही थी। जो पिछली विधान सभा में मैंने यहां सरकार के बीच में अपने बजट भाषण में बोला था। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा की जिला कलेक्टर ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को लैटर लिखे थे कि अगर इस तरह की नियुक्तियां दी जाएगी, अगर इस तरह की शहरों और गांवों में भेदभाव किया जाएगा तो आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ कुठाराघात किया जाएगा। यह भी माननीय कलेक्टर महोदय ने लिखा था, उस बात को लेकर माननीय सभापतिजी, जब मुख्य मंत्री महोदया क्षेत्र के दौरे में निकली थी जो आज प्रतिपक्ष की नेता हैं सदन में, उस समय जब हमने विरोध दर्शाया और विरोध दर्शाने पर माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने हमारे को खैरवाड़ा में बुलाकर बात की और जब गए तो माननीय सदन में वरिष्ठ सदस्य विराजमान है वह कागज जो डी.ओ. लैटर लिखे हुए थे माननीय कलक्टर महोदया का, वह जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दिए तो माननीय सदस्य ने बताया कि यह तो विचारों की लड़ाई है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि दूर-दराज की जो सिंगल अध्यापकों की जो स्कूलें हैं या क्रमोन्नत स्कूलें हुई हैं और जहां अध्यापक थे वहां से उन्होंने डेपूटेशन कर-करके शहर के नजदीक अध्यापक लगाए और अकेले बांसवाड़ा शहर के आसपास में साढ़े सात सौ अध्यापकों की नियुक्ति पिछली सरकार में की थी प्रतिनियुक्ति के तौर पर और दूर-दराज की स्कूलें बंद थी। माननीय सभापतिजी, उस बात पर जब विरोध हुआ और विरोध होने के कारण आपने एक अधिकारी को एपीओ किया। मैं उस बात को ज्यादा लम्बा नहीं बढ़ाते हुए माननीय सभापति महोदय जब राजनीतिक द्वेषता की बात हो रही थी।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं सरकार जैसे 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सबसे पहले राजीव गांधी स्कूलों पर से राजीव गांधी का नाम हटाने की योजना बनाई। क्या यह राजनीतिक द्वेषता की बात नहीं है? यही नहीं उस राजीव गांधी ने जब पिछली अशोक गहलोत जी की सरकार में लगे हैं हुए पैरा टीचर्स के बारे में जो अध्यापक, जो पैरा टीचर एसटी, एससी के बीए बीएड थे, उनको बताया गया यह तो कांग्रेस सरकार के कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे। उस द्वेषता से आरपीएससी लागू की। माननीय सभापति महोदय, आज मैं यह कह सकता हूं कि जो गरीब परिवार का बच्चा है जो गरीब परिवार है अपने बच्चे को बी.एड. कराता है, चाहे एसटीसी कराता है उसके लिए प्रीबीएड और प्रीबीएड का टेस्ट देता है और उसके बावजूद एक गरीब की हैसियत दो साल तक उसको बीएड कराने में पसीना आता है और उसके बाद में आरपीएससी जब फिर उसको परीक्षा देनी पड़ती है....

तो गरीब की वो स्थिति नहीं रहती है तब तक गरीब टूट जाता है तो ऐसी स्थिति गरीब को कमजोर करने के लिए आरपीएससी पिछली सरकार ने लगायी और जिससे गरीब का नुकसान हुआ और जब पहली बार शपथ हुई और जब सदन पहली बार 12 जुलाई, 2004 को चला तो यहां गरीब को गणेश मानकर सरकार चलाने की बातें इस सदन में कही गयी थी और टेबिलें थपथपाई गयी थीं। क्या उस गरीब को आपने ध्यान में रखा? क्या गरीब को गणेश माना? जिस व्यक्ति को दो टाइम की रोटी नहीं मिलती है वो अपने बच्चों को पढ़ा कर एसटीसी, बीएड कराता है, वो दो साल तक उसके घर परिवार को ध्यान में नहीं रखता फिर आरपीएससी लगा कर आपने उस गरीब को दबाया है जिससे काफी उदयपुर संभाग में एसटी/एससी बच्चों का अहित हुआ है।

मैं सभापति महोदय, आपको एक उदाहरण के तौर पर दूसरी बात भी कहना चाहूंगा कि जब पिछली गहलोत सरकार में जो राजीव गांधी पाठशाला में लगे हुए एसटीसी, बीएड लड़के थे, आज भी आरपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर सके और आज भी उसको वही वेतन मिल रहा है जो उसको नहीं मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी हमारे विद्वान माननीय शिक्षा मंत्री पिछली बार थे, सदन जब-जब भी चला और मैंने आपके सामने मेरा प्रश्न रखा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सैकण्डरी स्कूलें एक शारीरिक शिक्षक के आधार पर चल रही थी और एक थर्ड ग्रेड टीचर के आधार पर चल रही थी, माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी वरिष्ठ

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

सदस्य थे इस सदन के, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि आपने उन स्कूलों के बारे में आश्वासन दिया था कि पूरे अध्यापक लगाउंगा पर एक भी अध्यापक लगाया हो तो आप मुझे बता दें मैं इस सदन से इस्तीफा देकर जा रहा हूं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...(व्यवधान) आश्वासन समिति के अध्यक्ष आप हैं।

श्री सभापति: विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आश्वासन समिति का अध्यक्ष हूं। अब देखूंगा आपके मामले को।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): बिलकुल करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो गलतियां दोहराई हैं उनको ध्यान में रखते हुए गांव की जो मिडिल स्कूलें हैं, गांव में जो स्कूलें हैं, गांव में जो सरकारी स्कूलें हैं उनके बच्चों की रोल सात सौ से आठ सौ, मिडल स्कूल में दो सौ से कम हैं तो समानीकरण में जो प्राइमरी में बीए,बीएड टीचर बैठे हैं जो पच्चीस बच्चों पर आठ टीचर हैं, सौ बच्चों पर 11 टीचर हैं ऐसे वहां से बीए, बीएड टीचर, कुछ नहीं तो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक सैकण्डरी स्कूलों में भर्ती किया जाय। विषय भले ही थर्ड ग्रेड का टीचर हो पर वो बीए, बीएड हो तो उन स्कूलों के बच्चों की स्थिति सुधरेगी। मैं यही नहीं माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़े हमारे बांसवाड़ा जिले में पूर्व एसपी थे जिन्होंने गांवों का दौरा किया और गांवों का दौरा करने के बाद उनको गांवों में छात्राएं मिलीं। जो छात्राएं दसवीं में सभी विषयों में फेल, जो छात्राएं बिलकुल पास होने की स्थिति में नहीं हैं ऐसी बीस छात्राओं को एसपी साहब बांसवाड़ा से लाकर सरकारी भवन में हास्टल के तौर पर पुलिस वालों ने उन छात्राओं की पैरवी की और वहां जहां दूरदराज के एरिया में अध्यापक नहीं होने की वजह से उन बच्चियों की यह दुर्दशा हुई थी और उन बच्चियों को शहर लाकर शिफ्ट किया और वो बच्चियां सैकंड क्लास और फर्स्ट क्लास पास होकर आज बांसवाड़ा में वापस उसी सरकारी भवन में अध्ययनरत हैं जिनको पुलिस विभाग सारा मेन्टेन करके पढ़ा रहा है। यह एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

माननीय सभापति महोदय, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे को समय दो।

श्री सभापति: समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): ...बीच में रोका-टोकी क्यों कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि हमारे जिस बजट भाषण में उदयपुर से आने वाले वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने कहा था कि उदयपुर सम्भाग को क्या मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने उदयपुर सम्भाग को क्या दिया था। इस सरकार ने उदयपुर सम्भाग में उदयपुर ट्राइबल एरिया को जो कुछ दिया है सबसे ज्यादा पिछली सरकारों में सबसे ज्यादा अगर दिया है तो अशोकजी गहलोत की सरकार ने दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अशोकजी गहलोत को जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, बांसवाड़ा में, पालिटेक्निक कालेज डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में देकर जो आदिवासी क्षेत्र का ध्यान रखा है उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। यही नहीं माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य सदन में विराजमान नहीं हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि वो 6 बार प्रतापगढ़ से जीतकर आये हैं और 6 बार का अध्ययन कर लें और अशोकजी गहलोत की सरकार में प्रतापगढ़ को जो दिया है पालिटेक्निक कालेज, आश्रम छात्रावास ये जो दिया है वो एक ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पूरा जिला दिया था ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: दस कालेज दिये थे।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): जिले में क्या दिया मैं माननीय सभापति महोदय, यह भी कहना चाहता हूं और दूसरी बात माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले यह बात कही गयी मैं उसी बात पर मेरी बात समाप्त कर रहा हूं कि पिछली सरकार ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट जिला दिया मतलब जिला दिया। दो अर्थ है इसके एक तो जिला दिया और एक जिला दिया।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): नहीं मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं जिला दिया...

श्री नगराज (धरियावद): जिला तो दिया पर जिला कलक्टर अकेला है

(श्री नगराज)

बाबू एक भी नहीं है वहां पर। अकेला बैठा रहता है वहां ऐसा जिला बनाना क्या काम का ...(व्यवधान) कलक्टर अकेला क्या करेगा खाली जिला बन गया साथ में मशीनरी तो कुछ है ही नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप समाप्त करें अब।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहते हुए मेरी बात समाप्त कर रहा हूं कि जो पच्चीस-चालीस साल में पिछली सरकार ने कुछ नहीं दिया और वो पांच साल में हमने करके दिखाया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अन्दर से बोल रहे हैं कि बाहर से ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): अन्तर आत्मा से बोल रहा हूं और वही बात मैं आपको कहते हुए मेरी बात समाप्त कर रहा हूं कि सही बात है कि पिछले चालीस साल में जो काम नहीं हुए हैं वो आपके पांच साल की सरकार ने किये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सात महीने में कर दिये।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): नहीं, हमने सात महीने में नहीं किये। आपने पांच साल में किये हैं वो बता रहा हूं कि आपने शिक्षा जैसे पवित्र विभाग में चालीस साल में जो भ्रष्टाचार नहीं हुआ वो पिछले पांच साल में हुआ है, जो आजादी से अब तक जो शिक्षा मंत्री बैठे हैं उन्होंने जो काम नहीं किया है अपने बेटे-बेटियों के अंक नहीं बढ़ाये हैं वो काम आपकी सरकार में आपके शिक्षा मंत्रियों ने बेटियों के अंक बढ़ा कर चालीस साल का रिकार्ड तोड़ा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, अंत में आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुन्दर लाल।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा पर मैं बोलना चाह रहा हूं। आज सुबह से बात चल रही है तो शिक्षा की बात एक दो को छोड़ कर किसी ने कही नहीं। वो उसको गाली निकाल रहा है

(श्री सुन्दर लाल)

और वो उसको गाली निकाल रहा है शिक्षा पर नहीं बोल रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपके सरकारी स्कूल में बीस मास्टर हैं और वहां ढाई सौ लड़के हैं, प्राइवेट स्कूल में बारह सौ लड़के हैं और चौबीस मास्टर हैं, वो बारह सौ लड़के तो सब फर्स्ट और सैंकिंड डिवीजन आते हैं और जो अपने बीए, बीएड किये हुए मास्टर हैं वहां लड़के थर्ड क्लास में रहते हैं। इसका कारण मेरे को समझ में नहीं आता है क्योंकि मैं पांचवीं पास हूं इसलिए मुझे बात का पता नहीं लग रहा कि यह बात क्या है। मैं कई बार यह बात कह चुका हूं कि अपनी शिक्षा में सबसे बड़ी कमजोरी इस बात की है जो मास्टर पक्का हो जाता है वो काम ही नहीं करता है। अगर यही सिलसिला चला तो दस साल के बाद में सब स्कूलें प्राइवेट हो जाएंगी, शिक्षा का भट्ठा बैठ जाएगा। ये मास्टर बोरिया-बिस्तर बांधकर अपने घर ही जाएंगे क्योंकि जब लड़के ही नहीं आएंगे तो किसको पढ़ायेंगे। 'जिस देश में उघाड़े रहते हैं वहां धोबी क्या धोएगा' इसलिए जब लड़के ही नहीं होंगे तो मास्टर पढ़ाएंगे किसको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें, बड़े-बड़े विद्वान हैं वो विचार करें जब बीए,बीएड किये हुए मास्टर हैं वहां तो लड़के रहते नहीं हैं और जो एक भी दसवीं पढ़ा हुआ नहीं है, स्कूल का जो मास्टर है, स्कूल हैं अंग्रेजी और उसका डाइरेक्टर है छठी पास। मैंने देखा है उनका डाइरेक्टर छठी पास है। मैंने पूछा कि आप कौनसी पास हो तो बोले कि मैं छठी पास हूं।

इसलिए इस तरह की जो बात चल रही है आप आपस में यह मत करो कि आपने हमारी नहीं खोली हमने आपकी नहीं खोली। इस पर मत चलो देश की शिक्षा पर बात करो । शिक्षा क्या चाहती है, किसको शिक्षा चाहती है । जो तीन हजार में अस्थाई अध्यापक लगाये थे आज उनको बैठा दिया और नये लगाये नहीं । तब तक नये नहीं लगाओ तब तक तो उनको रखो, शिक्षा मित्र लगाये थे । जैसे अभी नरेगा में तीन हजार मिलते हैं तो उनको भी तीन हजार ही देते थे तो उनका तो रखना चाहिये जब तक नये नहीं लगाओ । अब आप कहते हो कि आपने स्कूल खोल दी लेकिन मास्टर नहीं लगाओगे तो वह बराबर ही हो गया । आपने भी कौनसा काम कर दिया । इसलिए आप इस बात को देखो कि आपको मास्टर लगाना चाहिये । इसलिए आप इस बात को जरूर देखो कि हमने जो स्कूल खोल दी तो उसमें अध्यापक है या नहीं है । सरकार बदल जाती है तो सरकार बदलने के बाद क्या आप मास्टर नहीं

(श्री सुन्दर लाल)

लगाओगे? आपने यह तय कर रखा है कि इन्होंने जो नाम किया वह नाम बदल दो । एक शिक्षा मंत्रीजी यह भी फैसला करे कि अपनी स्कूलों के मास्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं । जैसे मेरे से पहले बोलने वालों ने कहा कि अब गरीब भी प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है । आज से 40 साल पहले क्या बात थी। आज से 40 साल पहले यह कहा करते थे कि मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पढता है और आज क्या कहते हैं मेरा लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है । आज भी मैं आपको बताता हूं प्राइवेट में लड़के ज्यादा पढ़ते हैं । मैं खूब सरकारी स्कूलों में जाता हूं वहां लड़की 22 लड़के 13, लड़की 40 लड़के 18 । सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चियां ही पढ़ती है वह भी गरीब की पढ़ती है । एक बात मैं आपको और बताता हूं कई स्कूलों में यह कहते हैं कि तू तो नाम लिखा दे भले ही बाद में कोई भी काम कर तुझ को फर्स्ट डिवीजन में पास कर देंगे । किस तरह से पास करते हैं यह भी आपको देखना पड़ेगा । शिक्षा मंत्रीजी आ गये मैं इनसे कहना चाहता हूं मुश्किल से इस बार मेघवाल के पाने पड़ा है तो इस बार कुछ कर के दिखाओ । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तब्दीली करो। अगले साल यह तय हो जाये कि सरकारी स्कूल में पढ़ने जायेंगे प्राइवेट में कोई नहीं जायेगा। मेरे अकेले भुआना गांव में दसवीं और बारहवीं के 14 प्राइवेट स्कूल हैं और हमारी जो सरकारी स्कूल है उसमें 180 लडके हैं और प्राइवेट में एक स्कूल में 1200 लड़के हैं ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुंदरलालजी पिलानी में 54 हैं।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): पिलानी तो शिक्षा नगरी है उसमें तो 54 से भी ज्यादा हो सकते हैं भुआना तो एक गांव ही है । इसलिए मैं कह रहा हूं पक्षपात की बात नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आप आपस में यह मत कहो कि आपने यह कर दिया, हमने यह कर दिया मास्टर लगाओ और ज्यादा से ज्यादा काम करो, धन्यवाद ।

श्री सभापति: श्रीमती मंजू देवी ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बहुत भाषण दिये हुए हैं 16 साल के थे तब से भाषण दे रहे हैं ।

श्रीमती मंजू देवी (जायल): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज सदन में राजस्थान प्रदेश की शिक्षा व मेरे क्षेत्र के बारे में बोल रही हूं । शिक्षा व समाज का वह सम्बन्ध है जो कि पत्थर, ईंट व सीमेंट का होता है । सीमेंट पर्याप्त होने पर ही इमारत सुदृढ बन सकती है उसी तरह मानव में

(श्रीमती मंजू देवी)

शिक्षा होने पर ही वह सुदृढ बन सकता है । शिक्षा के बिना मानव के विकास की कल्पना थोथी है । सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र जायल पूरा ग्रामीण क्षेत्र है । उप खंड मुख्यालय पर छात्रों की उच्च शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । 12वीं के बाद गरीब तबके के छात्र व छात्राएं पढ़ने के लिये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि जायल क्षेत्र से 50 किलो मीटर की दूरी पर नागौर जिला स्थित है और 50 किलो मीटर की दूरी पर डीडवाना है । इसी कारण से गरीब छात्र वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं और उच्च शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं । इसलिए मैं मंत्री महोदय से मेरे जायल विधान सभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय की मांग करती हूं और साथ में यह भी कहना चाहती हूं कि मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है मगर आज पिछड़ों के लिये हमारा भी दायित्व बनता है कि अपन उसमें कुछ सुधार करें और मूलभूत सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करावें । मैं मंत्री महोदय को जायल क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोलने के लिये बताना चाहती हूं कि जायल क्षेत्र में 146 प्राथमिक विद्यालय है, 108 मिडिल स्कूल, 32 माध्यमिक, 11 सीनियर सैकण्डरी, 2 मदरसा और 4 संस्कृत विद्यालय है, कुल मिलाकर 303 विद्यालय मेरे जायल क्षेत्र में है । इसी प्रकार से मैं अध्यापकों के लिये कहना चाहूंगी कि जायल क्षेत्र में थर्ड ग्रेड और सैकण्ड ग्रेड के 281 पद रिक्त है । प्रबोधक के 67 पद है और 2 पद के लिये मैं मांग करती हूं कि आप उनको स्वीकृत कराएं । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो सीनियर और सैकण्डरी स्कूल हैं उनकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है । मैं आपसे पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुकी हूं और आपको निवेदन भी कर चुकी हूं और लिख कर भी मैंने दिया है मेरे जायल क्षेत्र में जो सीनियर स्कूल है उसमें ऐसी नौबत आ गई है कि चार-पांच गांव के लोगों ने परेशान होकर दो तीन बार ताला भी लगा दिया है । उस वक्त में सत्ता में बीजेपी की सरकार थी लेकिन उन्होंने उस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की थी । मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए इन विद्यालयों में शिक्षक लगाने की कृपा करें । इसी प्रकार से मेरे जायल क्षेत्र में 4 -5 सैकण्डरी स्कूल हैं जिनके बंद होने की नौबत आ रही है। 2-2 अध्यापक वहां लगे हुए हैं। आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप वहां पर शीघ्र पद भरावें ।

इसी तरह से क्रमोन्नत विद्यालय के बारे में कहना चाहती हूं कि गत सरकार जो बीजेपी की सरकार थी उन्होंने पता नहीं किस नीति से राजनीतिकरण कर के विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है । उन्होंने यह नहीं

(श्रीमती मंजू देवी)

सोचा कि कहां बच्चे ज्यादा है और कहां कम हैं और विद्यालय खोल दिया । हमारे सामने इस प्रकार की नौबत आई कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाने लगे तो हमारे पास में जवाब देने के लिये कुछ नहीं बचा । हम ग्रामीणों को कह नहीं सके कि क्या कारण रहा है, यह तो यही सरकार जानती है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी आप इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए इसमें सुधार करें । मंत्री महोदय मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप शीघ्र स्टाफ लगाये और जायल क्षेत्र में 2 हजार बच्चे जो 12वीं पास कर के उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, केन्द्र सरकार प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिये कानून लाने जा रही है । हमारी सरकार की यह बहुत बडी उपलब्धि है इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इस प्रकार की उपलब्धि बजट में की है इससे जनता को निश्चित ही सुविधा मिलेगी । हर पंचायत मुख्यालय पर आपने दसवीं की बात की है जो अच्छी बात है। हमारे शिक्षा मंत्री बहुत ही संजीदा व्यक्ति है और शिक्षा के मास्टर भी है । अतः आपसे उम्मीद करती हूं कि इस असंतुलित ढांचे को संतुलित करने का प्रयास करें और रिक्त पद शीघ्र भरावे । मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह भी कहा है कि अभी जो चर्चा सुबह से सुनते आ रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय पिछली सरकार ने जिस प्रकार से काम किये हैं आपसे उम्मीद भी करती हूं कि वही नीति और राजनीति आप नहीं दोहराये और इस शिक्षा के ढांचे को सुधारे ताकि इस राजनीति की लड़ाई में जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आये हैं वह वंचित न रह जाये उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके । शिक्षा के ढांचे को अगर सुधारना है तो आपसी विचारों में सभी की सहमति बहुत आवश्यक है ताकि बच्चों का भविष्य बन सके।

और भविष्य बन सकता है तो देश सुधर सकता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये तहे दिल से आपकी आभारी हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक पींचा।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर अनुदान मांगों पर बहस की जा रही है। शिक्षा के जगत में मेरे हिसाब से बहस की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में अगर बालकों का, विद्यार्थियों का भविष्य बनाना है तो काम करके दिखाना पड़ेगा। इसलिये मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि आप, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सारे सदस्य जो माननीय सदस्य हैं, सब

(श्री अशोक पींचा)

लोगों की एक राय है कि अधिकांश स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। कहीं-कहीं पर चपरासी हाजिरी ले रहे हैं, कहीं-कहीं एल.डी.सी. हाजिरी ले रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शिक्षा की बात नहीं हो रही है। जो माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र की कमियों को उजागर कर रहे हैं या सदन में रख रहे हैं उन बातों की ओर आपके आफिसर, आपके अधिकारी, आप स्वयं अगर रुचि से, व्यक्तिगत रुचि लेकर ध्यान देंगे तो इस बात से निजात दिला पाएंगे। वरना तो शिक्षा का क्षेत्र, सरकारी तंत्र से वर्तमान समय में पिछड़ता जा रहा है, आगे भी पिछड़ता जाएगा। इसलिये आपके माध्यम से बहुत सी, राजस्थान के हिसाब से, कर्मचारी लगाने न लगाने के हिसाब से, स्कूलों का क्रमोन्नयन किया उसके हिसाब से बात हो चुकी है।

मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें माननीय मुख्य मंत्री महोदय को साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में 1959 से महाविद्यालय है। उस समय का हमारे जिले में बहुत पुराना महाविद्यालय है। 50 साल से उस महाविद्यालय का क्रमोन्नयन, यानि पी.जी. में क्रमोन्नयन नहीं किया गया है। वहां के छात्र-छात्राएं या तो पढ़ नहीं पाते हैं या उन लोगों को अन्यत्र जाना पड़ता है। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि पीछे केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यार्पण परिषद एन.ए.ए.सी. के द्वारा 2005 में मूल्यांकन भी इस महाविद्यालय का हुआ था। सक्रियता, सम्पूर्णता, क्रियाशीलता को देखते हुए राजस्थान के स्नातक स्तर के समस्त महाविद्यालयों में से इस महाविद्यालय को बी-प्लस ग्रेड प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। आवश्यकता को देखते हुए यू.जी.सी. के द्वारा 73.50 लाख रुपये महाविद्यालय को स्वीकृत किये गये और दिल्ली प्रस्ताव भिजवाकर अनुशंसा की गई। अतः मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर एक साथ आप इस महाविद्यालय को उच्च महाविद्यालय में चार संकायों को क्रमोन्नत नहीं कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा संख्या इस महाविद्यालय में कला संकाय के विद्यार्थियों की है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

इसके अलावा, दूसरा मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारे सरदारशहर तहसील के 78 तृतीय श्रेणी के अध्यापक, 68 तो राजगढ़ में अधिशेष के रूप में रह रहे हैं, 10 अध्यापक चूरू तहसील में अधिशेष के रूप में रह रहे हैं और

(श्री अशोक पींचा)

उनका भुगतान सरदारशहर से किया जा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, सभापति महोदय, मंत्री महोदय, जहां अधिशेष अध्यापक सरदारशहर तहसील के बजाय दूसरी तहसीलों में बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाह सरदारशहर तहसील से बनती है तो उनको सरदारशहर तहसील में ही भिजवाया जाए या उनकी तनख्वाह राजगढ़ और चूरू से दी जाए। पिछले साल भी हमें 80 विद्यार्थी मित्र हटाने पड़े थे क्योंकि तनख्वाह कहां से दें। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको या तो सरदारशहर तहसील में भेजा जाए या उनकी पोस्टिंग चूरू और राजगढ़ की जाए ताकि हम सरदारशहर तहसील में विद्यार्थी मित्र रख सकें। इसके अलावा 500 अध्यापक, जो मिडिल स्कूल हैं, पूरे सरदारशहर विधान सभा में 500 अध्यापकों की कमी है और एक विशेष तौर से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो 12-13 साल पहले क्रमोन्नत हुए थे लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े शर्म की बात है कि आज तक तीनों विद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं। तो 12 साल से उन विद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं, मात्र एक या दो अध्यापकों से वह स्कूल चल रहे हैं। 300-300, 350-350 विद्यार्थी हो गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि गांवों की जो वे तीन स्कूलें हैं उनमें आप पद स्वीकृत करायें। और इसके अलावा अभी पूर्व वक्तओं ने राजीव गांधी पाठशाला की बात की थी। तो मैं एक नमूने के रूप में सरदारशहर तहसील का एक वाकया आपको बताता हूं। राजीव गांधी प्राथमिक राजकीय विद्यालय खोल दिया गया था। एक पैराटीचर की नियुक्ति कर दी गई थी और आज तक वह राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय वहां चला नहीं है। और वह टीचर भी प्रबोधक के रूप में नियुक्ति हो गया है। उस स्कूल के बजाय वह दूसरे स्कूल में प्रबोधक लगा हुआ है। इसलिये मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अध्यापक को, जहां पैराटीचर लगा, पैराटीचर के हिसाब से प्रबोधक बन गया। ऐसी जहां भी स्कूलें हों, और जिन-जिन अधिकारियों से ऐसी स्कूलें, जो अनार्थिक थीं, खोलने की जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की है उसकी जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा आप जहां भी सैकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं, आपने मापदण्ड तय कर दिये पंचायत हैड-क्वार्टर पर खोले जाएंगे। यह हुआ कि माननीय वसुंधराजी ने पंचायत हैड-क्वार्टर पर खोली थीं, लेकिन इसके साथ-साथ में पंचायत हैड-क्वार्टर जहां छोटे गांव बीच में आते हैं उनको भी बना दिया जाता है। लेकिन स्कूलों की छात्र संख्या जहां ज्यादा है और शिक्षा मंत्रीजी भी एस.सी. से आते हैं, इसलिये मेरा एक निवेदन है कि उन

(श्री अशोक पींचा)

स्कूलों के साथ-साथ एक-एक तहसील में एक स्कूल जो सबसे बड़े सम्बल गांव है, उस गांव में भी, अगर वह पंचायत हैड-क्वार्टर नहीं है तो आप उस गांव में भी एक सैकण्डरी स्कूल का प्रावधान करें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आप घण्टी बजा रहे हैं, मेरा पहला अवसर है बोलने का। फिर भी मैं एक या दो मिनट आपसे और मांगना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बोलने दें, साहब।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनपालसर है, बड़े शर्म की बात है, एक एल.डी.सी. है, वही तो घण्टी बजाता है, वही हाजिरी लेता है, वही मिड-डे मील चलाता है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे जहां स्कूल हैं, उन स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर आप टीचर भेजिये और इसमें भी मेरा एक सुझाव है कि कई बार क्या है कि ताला लगा दिया जाता है, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं फिर अधिकारी लोग क्या करते हैं कि किसी भी शहर के अध्यापक को वहां डेपुटेशन पर भेज देते हैं ऐसे में अध्यापकों में रोष पैदा होता है। वे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं तो इसमें मेरा आपसे सुझाव है कि हर अध्यापक, जो सब्जेक्ट का अध्यापक है, अगर आपको जरुरत पड़े, भिजवाना चाहो तो 7-7 दिन के लिये प्रत्येक अध्यापक को ग्रामीण क्षेत्र में भेजने की व्यवस्था करें। ताकि कोई भी अध्यापक किसी भी कार्यकर्ता के पास नहीं आये और सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई हो सके। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-24 पर मंत्रीगण के प्रत्युतर तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय मांग संख्या के पूरे होने तक, मंत्रीजी के जवाब आने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री पवन कुमार दुग्गल।

मांग संख्या-24 पर विचार

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि यह जब पिछली सरकार में थे, पिछली सरकार थी कांग्रेस की तब 07.12.2002 को इन्होंने 19 जिलों के अन्दर अतिरिक्त पैराटीचर रखने की योजना बनायी जिसमें 10 जिलों की विज्ञप्ति एक बार और 9 जिलों की विज्ञप्ति इन्होंने एक बार दी।

माननीय सभापति महोदय, 07.12.2002 के आदेश के बाद 10 फरवरी, 2003 को इन्होंने गंगानगर जिले के लिए पैराटीचर की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया और 13.12.2002 को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित चयन कमेटी के अन्तर्गत साक्षात्कार हुआ। 01 अप्रेल, 2003 से लेकर 01 जुलाई, 2003 तक प्रशिक्षित पैराटीचर्स, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त पैराटीचर्स की नियुक्ति की गयी।

माननीय सभापति महोदय, तमाम मापदण्डों को पूरा करते हुए गंगानगर जिले के 302 अतिरिक्त पैराटीचर का चयन हुआ। 01 जुलाई, 2003 से उन्होंने अपने स्कूलों को जाईन किया मगर 01 सितम्बर, 2004 के बाद राज्य सरकार ने बिना कोई कारण बताये हुए इस बात को लेकर कि बजट का अभाव है, इन पैराटीचर्स को कार्य-मुक्त किया जाता है। मैं समझता हूं कि इनके कार्यकाल में उन टीचर्स ने लम्बा संघर्ष किया। 302 परिवार आज सड़क के ऊपर आ चुके हैं और पिछले पांच साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में भी उन 302 अध्यापकों ने संघर्ष किया, उनको नियुक्ति तो दूर, पिछले पांच सालों में तीन-चार बार लाठी-चार्ज हुआ और 302 अध्यापकों के लात-पैर और तोड़ दिये। चूंकि, दुबारा कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी है इसलिए मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं इन्होंने शिक्षा बजट के अन्दर भी नये शिक्षकों को लेने की घोषणा की है। चूंकि, 302 अध्यापक तमाम सरकारी मापदंडों को पूरा करते हैं। उन्होंने, जो राज्य सरकार ने प्रशिक्षण के प्रावधान किये थे, उनको पूरा किया है और उनका लगभग 17 महीने का उनका कार्यकाल रहा है इसलिए जब भी नई भर्ती और नये शिक्षकों को लेने की सरकार कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि गंगानगर जिले के 302 उन अध्यापकों का सबसे पहले नाम आना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश से विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों से आये हुए अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिले की, अपने विधान

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

सभा क्षेत्र की और प्रदेश के बारे में खूब विस्तार से शिक्षा पर और शिक्षा की कमी के बारे में ध्यान आकर्षित करवाया। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर प्रमुख रूप से छोटे-बड़े हमारे चार कस्बे आते हैं और चारों कस्बों में हमारे चार सीनियर सैकेण्डरी स्कूल हैं और चारों सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में माननीय सभापति महोदय, एक भी अभी प्रधानाचार्य नहीं है। चारों के चारों पद रिक्त पड़े हैं। ऐसी स्थिति में उन चारों सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों का क्या हाल होगा, मैं समझता हूं कि उसकी कल्पना खुद माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी कर सकते हैं। अनूपगढ़ के अन्दर 8 पद रिक्त हैं, घड़साना में 11 पद रिक्त हैं, रावला में सात पद रिक्त हैं और रोजड़ी के अन्दर 8 पद रिक्त हैं। इसके साथ-साथ माननीय सभापति महोदय, घड़साना उपखण्ड के अन्दर मुख्य राजकीय विद्यालय, घड़साना का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जो घड़साना शिक्षा समिति द्वारा पोषित, स्ववित्त पोषित विज्ञान संकाय चला रहा है। माननीय सभापति महोदय, परन्तु इस प्रकार चलाने के लिए जो शिक्षा कमेटी बनी हुई है उसके पास वित्त का अभाव है और वह अपने पैसों को, वित्त को पूरा करने के लिए उन विद्यार्थियों से फिर फीस ले रहा है और उन विद्यार्थियों से भी आठ हजार, सात हजार की फीस जब राजकीय स्कूल के अन्दर ली जा रही है तो वह भी एक प्राइवेट स्कूल का मॉडल रूप बन कर सामने आया है इसलिए राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए इतनी फीस देना मैं समझता हूं कि एक गरीब का बेटा और बेटी पढ़ती है, नामुमकिन है। इतनी फीस जो निजी विद्यालय ले रहे हैं, उनके समकक्ष भी पहुंच चुकी है।

अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, घड़साना में जो विज्ञान संकाय चल रहा है, सरकार उसको अपने अण्डर में ले।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर पहुंचा हूं वह भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर है। अनूपगढ़ की और पाकिस्तान सीमा की दूरी मात्र दस किलोमीटर है और अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र जो एक सुरक्षित क्षेत्र है, माननीय सभापति महोदय, एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 13.06.1997 को अनूपगढ़ के अन्दर उस समय के

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने 13.06.1997 को अनूपगढ़ में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा ही नहीं की, शिलान्यास भी किया था, शिलान्यास और आज 12 वर्ष बीतने के बाद ...(व्यवधान) दोनों का राज रहा है। 12 वर्ष बीतने के बाद, आज भी अनूपगढ़ में राजकीय महाविद्यालय नहीं बना। वह तो धन्य है जनता, जिसने उस पत्थर को सम्भाल कर रखा हुआ है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने नींव रखी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अनूपगढ़ गंगानगर से 150 किलोमीटर दूर है, बीकानेर से 144 किलोमीटर दूर और सूरतगढ़ से 98 किलोमीटर दूर है। आप बताओ कि वहां का बेटा या बेटी बी.ए., बी.एससी. करने के लिए कहां जाएगा? (व्यवधान) बिलकुल पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की दूरी मात्र दस किलोमीटर है। अगर यही हाल रहा तो वह विद्यार्थी, युवा विद्यार्थी कह रहा है अपने मुंह, राजस्थान हिन्दुस्तान की बजाए थोड़ा इधर कर लेना चाहिए क्योंकि दूरी कम है इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी, ऐसे इलाकों को आप चिह्नित करो जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जितनी बार जंग हुई है, एक किसान, एक नौजवान, एक विद्यार्थी और एक फौजी की तरह बोर्डर के ऊपर उसने पहरा दिया है, हिन्दुस्तान की रक्षा की है और वह शिक्षा के लिए तरस रहा है। बोर्डर पर रहने वाले उन विद्यार्थी, उन परिवार के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार है, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा निन्दनीय है।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, अनूपगढ़ के अन्दर राजकीय महाविद्यालय सरकार खोलकर न केवल बोर्डर पर रहने वाले विद्यार्थियों का भविष्य तय करे बल्कि आज से 12 साल पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो शिलान्यास किया था, उनकी भी इज्जत और मान-सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करे। वे कोई एक भारतीय जनता पार्टी के नहीं प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे थे और अगर यूं ही मुख्य मंत्री महोदय शिलान्यास करते गये तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता का, विधायक तो बहुत छोटी बात है, मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री जहां खुद शिलान्यास करते हैं वहां आज तक उसके कार्य की क्रियान्विति नहीं हुई है, मैं समझता हूं कि सबसे बुरी बात है। लोगों का विश्वास टूटा है, नौजवान विद्यार्थी के विश्वास को आघात लगा है।

इसलिए आपके माध्यम से गंगानगर जिले की प्रमुख समस्या 302 अतिरिक्त पैराटीचर्स का चयन, अनूपगढ़ के अन्दर राजकीय महाविद्यालय और

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

अनूपगढ़ पंचायत समिति माननीय सभापति महोदय, उसके अन्दर तीन एम.एल.ए., तीन माननीय विधायक आते हैं, विधायक रायसिंहनगर, विधायक सूरतगढ़ और विधायक अनूपगढ़, जिसमें से दो सरकार के माननीय विधायक हैं।

88 ग्राम पंचायतें हैं, राजस्थान की सैकण्ड नम्बर की हमारी पंचायत समिति, लगभग 347 के आस-पास स्कूल, हर स्कूल में एक-एक, दो-दो पद रिक्त हैं। 500 अध्यापकों की कमी और इतनी बड़ी पंचायत समिति में हालात क्या हैं? एल डी सी के दो पद खाली हैं, लेखाकार का एक पद खाली है और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि बीईओ आफिस का तो यह हाल है कि अध्यापकों की सर्विस फाइल गुम हुई है। वह कहां अपने भविष्य को तय करेंगे, जब वह रिटायरमेंट होंगे, तब पता लगेगा राजस्थान के अंदर, उन्होंने शिक्षा के अंदर अपने कदम रखे थे और देश की सेवा की थी, इसलिये शिक्षा का जनाजा, कोई एक सरकार की बात नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी माननीय विधायक ने कहा था, मैं आपसे निवेदन करता हूं हमने हिन्दुस्तान में केरल को शिक्षा के मामले में देखा है, मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन है कि केरल जाकर आइये। हम राजस्थान को शिक्षा के मामले में केरल जैसा देखना चाहते हैं। जहां का हर बेटा-बेटी नोकरी के अंदर है और यूं मेजे थपथपाने से मैं समझता हूं बहुत-से माननीय विधायक 6-6 बार एम एल ए बनकर आ गये, पता नहीं हम आयें या नहीं आयें, पर यह वक्त निकल रहा है और आने वाले समय में इस वक्त का भुगतान हमें देना पड़ेगा, राजस्थान को देना पड़ेगा। वहां 37 प्रतिशत विद्यालयों के अंदर एक अध्यापक है। माननीय सभापति महोदय, जब वह विद्यार्थी 20 साल बाद नौजवान होगा तब वह कटोरा लेकर मांगेगा, क्योंकि आज स्कूलों के अंदर ऐसे हालात हैं, विद्यार्थी जाता है सुबह तो उसको इन्तजार रहता है कि पोषाहार बने, दोपहर बाद खाता है, उसके बाद वह बर्तन साफ करता है। उसको मांगने की कला सिखाई जा रही है, पढ़ाने की कला नहीं। इसलिये, सभापति महोदय, शिक्षा में सुधार मैं समझता हूं सरकार को न केवल अपनी तरफ, विपक्ष से भी ऐसी सोच-समझकर रीति-नीति बना सके, राजस्थान को शिक्षा के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर राजस्थान का यही हाल रहा तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रदीप कुमार सिंहजी।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने 86 अरब से अधिक का बजट पेश करके एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। इसमें मुख्य मंत्री महोदय ने शिक्षा के हर पहलू को छुआ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी व माननीय शिक्षा मंत्रीजी को मैं हार्दिक बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। राज्य की 1900 ग्राम पंचायतों को बिना भेदभाव के सैकण्डरी स्कूल खोलने के जो प्रावधान किये हैं, वे निश्चय ही सराहनीय हैं। पिछली सरकार ने भी सैकण्डरी स्कूल खोले थे, लेकिन वहां छांट-छांटकर खोले थे कि यहां कौनसी पार्टी का सरपंच है, कौनसी पार्टी का कार्यकर्ता है और जहां हमारे कार्यकर्ता थे, उन पंचायतों को छोड़ दिया गया। लेकिन माननीय अशोक गहलोत साहब को साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बिना भेदभाव के, बिना किसी चीज को देखे सारी की सारी पंचायतों में सैकण्डरी स्कूल खोलने के प्रोविजन किये हैं। यह वास्तविकता है, आप इसको नकार नहीं सकते। (व्यवधान) 3000 खोले, फिर छोड़ क्यों दिये, पूरे ही खोल देते जैसे इन्होंने खोले, वैसे आप भी खोल देते। अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग कर रहा हूं कि जो बड़े गांव हैं तथा जहां की आबादी अधिक है, जहां की छात्र संख्या अधिक है और जो मापदण्ड पूरे करते हैं, उन गांवों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिये भी प्रोविजन करना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, बजट में कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने अनूठी पहल की है और दो हजार नये कम्प्यूटर केन्द्र के साथ 4,500 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। किन्तु कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मांग करना चाहता हूं कि अब तक जो कम्प्यूटर शिक्षक लगे हुए हैं, वह ठेका पद्धति पर लगे हुए हैं और जो बड़ी कम्पनियां हैं, उन कम्पनियों ने गांवों के स्कूल चलाने का ठेका ले रखा है और हमारे गांवों के लोग बड़ी मुश्किल से जिन्होंने कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त की है ओर वह कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज उन ठेकेदारों के चंगुल में फंसे हुए हैं।

(समय : 17.05 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

बड़ी कम्पनियां उन लोगों को औने-पौने दामों पर गांवों की स्कूलों में भेजती है जिससे उनका गुजारा भी नहीं हो पाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं मांग करना चाहूंगा कि इन कम्प्यूटर शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

दर्जा दिया जाये और उनके लिये कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकार के माध्यम से की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज गांवों व कस्बों में गली-गली में इंगलिश मीडियम के स्कूल खुले हुए हैं। हर आदमी अपने बच्चों को इंगलिश मीडियम की स्कूलों में शिक्षा दिलवाना चाहता है, क्योंकि इस अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का दबदबा ऐसा है कि हर कम्पीटिशन में आज बिना इंगलिश के किसी की कोई पूछ नहीं होती, इसलिये गांव का ठेठ गरीब से गरीब आदमी भी इंगलिश माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। मैं आज मांग कर रहा हूं कि हर ब्लाक लेवल पर एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल पहली क्लास से लेकर बारहवीं क्लास तक इंगलिश मीडियम का स्थापित किया जाये जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इंगलिश मीडियम में एजूकेशन मिल सके और गांवों की प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों के रिक्त पद यथाशीघ्र भरने की भी मैं मांग करता हूं। मदरसों में शिक्षा सहयोगी की बात कहकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अल्पसंख्यक समुदाय के बालकों के हित की बात सोची है। साथ ही राजकीय विद्यालयों में उर्दू के अध्यापकों की भर्ती की बात भी स्वागत योग्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछली बार राजीव गांधी विद्यालयों में जो शिक्षा सहयोगी या पैराटीचर्स भिन्न-भिन्न नामों से जो शिक्षक काम कर रहे थे, उन सब लोगों को अपने पदों से हटाकर नियम बनाकर प्रबोधक के नाम से पुनर्नियुक्ति ही गयी या पुनः उनकी भर्तियां की गयीं और सब जगह किया गया लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में जो शिक्षा सहयोगी डीपीईपी के माध्यम से काम कर रहे थे, पिछले सात-आठ सालों से वे लगे हुए थे, राजीव गांधी विद्यालयों में जिनकी भर्ती डीपीईपी के माध्यम से की गयी थी, उनको प्रबोधक के इंटरव्यू काल नहीं किया गया और जब उन्होंने प्रयास भी किया तो उनको उसमें अलाऊ नहीं किया। यह उनके साथ ज्यादती हुई है। वे यद्यपि एस टी सी और बी.एड. ट्रेण्ड हैं। उन लोगों को भी समान अवसर दिया जाना चाहिये था। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री अशोक परनामी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं मांग संख्या-24 पर अपनी बात कह रहा हूं। किसी भी देश एवं समाज के सतत विकास एवं शिक्षा के विकास में सीधा सम्बन्ध है। शिक्षा का विकास ही देश एवं समाज के विकास का आधार है एवं राष्ट्रों का निर्माण विद्यालय के कमरों एवं शिक्षकों के आशीर्वाद से होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले सदन में काफी चर्चा हुई। एक प्रतिवेदन राजस्थान सरकार द्वारा भेजा गया वर्ष 2008-09 का जेण्डर बजटिंग मैंने पूरा पढ़ा। इसमें जो लिखा है मैं वहीं तत्काल सदन के सामने रख रहा हूं, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर रहा। केवल मात्र मैंने इसमें विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इसमें मैंने चार भागों में तुलनात्मक विवरण दिया है। पहला तो विद्यालयों की संख्या, दूसरा उसमें अध्यापकों की संख्या, तीसरा कितने छात्रों ने एडमिशन लिया और चौथा, उसमें कितना व्यय हुआ? अध्क्ष महोदय, यह एक तुलनात्मक चार्ट है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें 2001, 2002 और 2003 इन तीन वर्षो का इसमें विवरण दिया हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी और उसके पश्चात् 2003-04 और 2008-09 तक का विवरण दिया गया है। जब पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं उसकी तुलनात्मक विवेचना कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

माध्यमिक विद्यालय पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय में तीन वर्षो में 1155 विद्यालय खोले गये और हमारे टाइम में 5690 माध्यमिक विद्यालय खोले गये। यदि इसका प्रतिशत निकालें तो 20 प्रतिशत तो आता है तीन वर्षो में और यदि हम इसको पांच वर्षो में परिवर्तित कर दें तो वह आता है 33 परसेंट तथा हमारे समय में यह आता है 100 परसेंट वृद्धि हमने विद्यालय खोलने में की।

इसके साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों की यदि हम विवेचना करें तो उसमें भी काग्रेस की सरकार ने जब कांग्रेस 156 सीटें लेकर जीती थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी उस समय अशोक गहलोतजी थे, उस समय 7 प्रतिशत की वृद्धि उन्होंने की थी और हमारी सरकार ने 106 प्रतिशत की वृद्धि की।

मान्यवर महोदय, यदि हम अध्यापकों की बात करें, अध्यापकों की भर्ती की बात करें, हमने केवल मात्र विद्यालय ही नहीं खोलें, हमने विद्यालय खोलने के साथ-साथ अध्यापकों की भी भर्ती की। माध्यमिक विद्यालयों में कांग्रेस की सरकार के टाइम पर 12.85 प्रतिशत अध्यापकों की भर्ती की गई। यह मैं उनके पांच वर्षों के फीगर दे रहा हूं और हमारे पांच वर्षों में हमने 32

(श्री अशोक परनामी)

प्रतिशत की वृद्धि की। यह हमारे पुरूषों का आंकड़ा है। इसके साथ-साथ माध्यमिक में महिला अध्यापकों की भर्ती की। उसमें कांग्रेस की सरकार ने 10 प्रतिशत की वृद्धि की जबकि हमने महिलाओं को 42 प्रतिशत की वृद्धि दी। 42 प्रतिशत महिला अध्यापिकायें हमने लगाई।

मान्यवर महोदय, यदि उच्च माध्यमिक की बात करें, उच्च माध्यमिक में भी 12 प्रतिशत की वृद्धि कांग्रेस की सरकार ने की अध्यापक लगाकर। जबकि हमारी सरकार ने 58 प्रतिशत की वृद्धि की अध्यापक लगाकर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने यह प्रगति विवरण पढ़ा नहीं था क्या? यह ब्यूरोक्रेसी आपका साथ नहीं दे रही है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मेरे ध्यान में है। ये माननीय सदस्य नये आये हैं। शायद इन्होंने नहीं पढ़ा है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मंत्री महोदय, मैं तो दुबारा याद दिला रहा हूं। इसी प्रकार से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कांग्रेस की सरकार ने 29 प्रतिशत की वृद्धि की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 33 प्रतिशत की वृद्धि की।

अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र विद्यालय ही नहीं खोले गये, केवल मात्र अध्यापकों की भर्ती ही नहीं की गई बल्कि विद्यार्थीयों को स्कूल में आने की प्रेरणा भी दी गई। इस प्रेरणा का नतीजा है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। कांग्रेस की सरकार में बालकों ने जो प्रवेश लिया वह 29 प्रतिशत लिया जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में बालकों ने 42 प्रतिशत प्रवेश लिया।

इसी प्रकार बालिकाओं ने 36 प्रतिशत कांग्रेस की सरकार में प्रवेश लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 41 प्रतिशत प्रवेश लिया। बालिकाओं का जो प्रतिशत रहा, कांग्रेस सरकार के टाइम में 1.16 प्रतिशत रहा और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 5.7 प्रतिशत रहा। हमने बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, आज पहली बार बोल रहा हूं। मेरे पास बोलने के लिए काफी है इसलिए आप थोड़ा समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट का समय निर्धारित है और आप छह मिनट बोल चुके।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले लोगों ने आधा-आधा घण्टा बोला है। यह मेरे सामने क्यों?

श्री अध्यक्ष: आपके साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। पांच मिनट का समय तय है, आप छह मिनट बोल चुके हैं।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आप चार्ट उठाकर देख लीजिये। आधा-आधा घण्टा लोगों ने बोला है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: पांच माननीय मंत्रियों को आज जबाव देना है और सूची जो आपकी तरफ से भेजी हुई है .....

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ अन्याय नहीं करे। मैं पहली बार आज बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: 21 लोगों के नाम आये हैं।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं आज पहली बार बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप सूची कम कर दीजिये। दोनों बातें तो नहीं चल सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: फिर सूची को कम कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): बालिकाओं पर व्यय की बात मैं कर रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, बैठें हैं। बालिकाओं पर व्यय कांग्रेस की सरकार में 1.63 प्रतिशत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 16.25 प्रतिशत हुआ और यह मैं नहीं कह रहा, यह आपका प्रतिवेदन कह रहा है। यदि प्रतिवेदन के पेज नं. 11 पर नीचे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि बालिकाओं की शिक्षा पर 33.33 प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है। जहां यह देखा जा सकता है कि गत तीन वर्षों में राज्य में बालिका शिक्षा के नामांकन के साथ व्यय में भी वृद्वि की गई है। हम बालिकाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हम बालिकाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, याद दिला रहा हूं और सुझाव भी दे रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह पुस्तक हर घर में गई है।

श्री अध्यक्ष: आप डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सुझाव यहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इनको बता रहा हूं कि आने वाले पांच वर्षों में राजस्थान

(श्री अशोक परनामी)

प्रदेश में विद्यालयों की आवश्यकता है। अभी भी इस राजस्थान प्रदेश में अध्यापकों की भर्ती की आवश्यकता है। इसमें सतत् प्रक्रिया जारी रखें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक नेशनल पालिसी आफ एज्यूकेशन जो कि हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी है ....

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप आठ मिनट बोल चुके हैं।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं आपका ध्यान उसकी ओर इंगित करना चाहता हूँ "Education will be treated as a crucial area of investment for national development and survival." अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय पालिसी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जयपुर की जनता को धोखा दिया है। (व्यवधान) अब सुधार करा रहे हो।

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी जबाव दे देंगे। आप बिराज जायें माननीय सदस्य। डिस्टर्ब नहीं करें। अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः फिर क्या मतलब है उससे? कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ना अंकित होगा, ना रिकार्ड पर जायेगा, ना मीडिया में जायेगा। कोई मतलब नहीं है व्यवधान पैदा करने का। आप समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): जो राष्ट्रीय पालिसी है, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी की नजर में लाना चाहता हूँ "Education will be gradually increased to reach at the level of 6% of national income." मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने छह परसेन्ट का प्रावधान इस बजट में किया है? यदि आपने शिक्षा में छह परसेन्ट का प्रावधान नहीं किया तो इसका मतलब शिक्षा के प्रति आप सतर्क नहीं हैं, आप जागरूक नहीं हैं और आप राजस्थान प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाना चाहते। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव ही दे रहा हूं, इसको छह परसेन्ट करिये। आप बीच में नहीं बोलिये। मैं भी बीच में कभी नही बोला।

श्री अध्यक्षः आप समाप्त करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है फीस की समस्या। हम जितने सरकारी विद्यालय खोल रहे हैं, वह हमारे सामने है और जितने भी प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, उन पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। जितने भी अभिभावक हैं उन्होंने इस बात का आन्दोलन किया था जितने भी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थायें हैं, वह मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया, माननीय मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया कि हम फीस को कम करेंगे परन्तु फीस अभी तक कम नहीं हुई।

आज अख़बार में छपा था कि 22 तारीख को, जितने भी अभिभावक हैं, वे विधान सभा पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय और सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): दो मिनट तो बोलने दीजिये साहब आप मेरे को। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, यह मैं अगर दो वाक्य पढ़ रहा हूं, आप उससे बता दें, मैंने सुना था कि दांत दिखाने के और होते हैं और दांत काटने के और होते हैं।

मैंने आपके खाने के दांत तो देख लिये, काटने के आपने दबा दिये हैं। इसको पढ़ रहा हूं, आप सुनिये। राज्य की गैर सरकारी निजी संस्थाओं हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1979 एवं नियम 1993 लागू है परन्तु निजी संस्थाओं पर नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार द्वारा आज तक फीस की दरों का निर्धारण नहीं किया गया है। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में फीस वृद्धि विनियम विनियमित करने हेतु आदेश तो जारी कर दिये परन्तु इस आदेश की क्रियान्विति निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा नहीं की जा रही है और यह आदेश प्रभावहीन हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी निजी शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण भी नहीं करते। यह तो है आपके दांत दिखाने के, अब आपके काटने के भी बता दिये मैंने। (समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्रीमती सज्जन कटारा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र दो मिनट ही लूंगा।

श्री अध्यक्ष: माफी चाहता हूं। श्रीमती सज्जन कटारा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। प्लीज, नहीं, बहुत हो गया, 12 मिनट बोल चुके आप। नहीं।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): एक मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्रीमती सज्जन कटारा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर अपने विचार रखना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, उदयपुर ग्रामीण में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया डिस्टर्ब नहीं, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): सरकार द्वारा विद्यालय तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, कृपया डिस्टर्ब न करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): वहां पर विषय अध्यापकों को और प्रधानाध्यापकों को नहीं लगाया गया इसकी वजह से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया डिस्टर्ब न करें, अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) कृपया विराज जाएं, अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य। कृपया विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौनसा तरीका है? (व्यवधान) अभी थोड़ी देर पहले महिलाओं के हितैषी हो रहे थे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये आप। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सज्जन कटारा, आप चालू रखें।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): अभी थोड़ी देर पहले महिलाओं के हित की बात कर रहे थे, अब महिलाओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठाइये इनको। (व्यवधान)

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, उदयपुर ग्रामीण में जितने विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, इनके अन्दर विषय अध्यापकों को नहीं लगाया गया है, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जो विद्यालय मेरे ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में क्रमोन्नत हुए हैं उसके लिए मैं अनुरोध करती हूं कि शीघ्रातिशीघ्र वहां पर अध्यापकों को लगाया जाय जिससे वहां की अध्ययन व्यवस्था प्रभावित नहीं हो। वैसे हमारी सरकार इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अन्दर हमेशा ध्यान दिया है। पूर्व में माननीय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर राजीव गांधी पाठशाला खोल कर के ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा इलाका उदयपुर सम्भाग एकदम ट्रायबल एरिया है वहां पर राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की थी लेकिन पूर्ववर्ती सरकार, भा.ज.पा. द्वारा आते ही इन राजीव गांधी पाठशालाओं को बंद कर के प्राथमिक विद्यालय में बदल दिया जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर शिक्षा में काफी फर्क पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि दूर-दराज क्षेत्र में मेरे इलाके में 52 शिक्षक, जो मेरे पंचायत समिति, गिरवा में आते हैं, यह 52 शिक्षक अधिशेष हैं और उनका वेतन पंचायत समिति, सलूम्बर से उठाया जा रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि दूर-दराज के इलाके में जो हमारे विद्यालय हैं वो तो एकदम खाली हो गये, पूर्व सरकार ने चुनाव के जस्ट पहले दूर-दराज के इलाके से सारे अध्यापक ट्रांसफर कर के उदयपुर के आस-पास और शहर में लगा दिये इसलिए दूर-दराज के स्कूल खाली हो गये। मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र इन विद्यालय में अध्यापकों को लगाया जावे जिससे शिक्षा की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा मंत्रीजी से मांग करना चाहती हूं कि जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं उनमें जो शिक्षक अधिशेष हुए हैं, उनको जो खाली स्कूल पड़े हैं उनमें लगाया जाय जिससे शिक्षा में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगी कि जहां पर विद्यालय खाली हैं वहां पर जल्दी से जल्दी अध्यापकों को लगाया जाय जिससे शिक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं हो। वैसे शिक्षा

(श्रीमती सज्जन कटारा)

के माध्यम से व्यक्ति समाज का एक आदर्श अंग बनता है और शिक्षा अगर नहीं है वहां पर अंधकार है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरा इलाका उदयपुर ग्रामीण ट्रायबल एरिया है, आदिवासी बाहुल्य लोग रहते हैं और दूर-दराज रहने की वजह से वहां ढाणियां और मजरे हैं, वहां पर शिक्षक व्यवस्था नहीं होने से जा नहीं सकते हैं। इसलिए भी आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खाली पड़े हैं वो भरने की व्यवस्था करायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उदयपुर सम्भाग और उदयपुर के विकास के लिए पूर्व में काफी काम कराये गये हैं। अभी हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि उदयपुर को कुछ नहीं दिया, इस मामले में बताना चाहूंगी कि पूर्व में उदयपुर के अन्दर जो भी विकास हुए हैं, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़कों को लेकर हो, हमारी सरकार द्वारा कराये गये हैं। उदयपुर के अन्दर मानसी वाकल द्वारा ड्रिंकिंग वाटर लाया गया हमारी सरकार के समय में और देवास योजना जो चल रही है वह भी हमारी सरकार द्वारा पूर्व में 40 साल पहले उसका काम शुरू करवाया गया था और भा.ज.पा. सरकार ने 2007 में पैसा नहीं दिया था उसके बावजूद भी इस योजना को चालू कर दिया। बजट में प्रावधान नहीं किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए इसको चलाने में दिक्कत तो नहीं आ रही लेकिन हमारी योजना सुखाड़ियाजी ने 40 साल पहले यहां प्रारम्भ की थी और हम ही इसको पूरा करेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आशा रखती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर के अन्दर पूर्व में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, हमारी सरकार द्वारा किया गया था और जयसमंद योजना के माध्यम से पानी लाये थे, हमारी सरकार के माध्यम से लाये। डामरी डेम का पानी लाये थे वो हमारी सरकार लायी और बड़ी तालाब में पानी लाये थे उदयपुर शहर में वो भी हमारी सरकार के माध्यम से आया था।

तो विकास में उदयपुर में और उदयपुर सम्भाग में कहीं पर कमी नहीं रखी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारी सरकार बहुत ही जवाबदेही है और पारदर्शी है। अशोकजी गहलोत के दिमाग में काम करने की भावना है वो निश्चित रूप से उदयपुर सम्भाग में और आदिवासियों को आगे बढ़ाने में काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। धन्यवाद।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से हमारे मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि शिक्षा में जो भी कमी है आप निश्चित रूप से तत्पर हैं और पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्षजी, आपकी अनुमति से मैं मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति के विषय में अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें पिछले पांच सालों में भी मैंने सुनी और अभी भी सुनी हैं। हम सभी लोग बैठ कर के सारी हमारी कौन-कौनसी समस्याएं हैं उनके बारे में जिक्र भी करते हैं, उपाय भी हमें पता है कि इस समस्या के समाधान के लिए यह उपाय हैं लेकिन वो उपाय धरातल पर हम कर नहीं सकते, किसी-किसी मजबूरी के कारण से। कभी हमारे पास वित्तीय संसाधन इतने ज्यादा नहीं हैं, कई बार राजनीतिक इच्छा-शक्ति नहीं होती है और कई बार वोट की राजनीति के कारण भी हम उन उपायों को लागू नहीं करते हैं। इस चीज को हम सब घर में जानते हैं लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाय होने चाहिए थे वो नहीं करते हैं पर फिर भी हम को यहां पर चूंकि बोलना है इसलिए बोलते हैं। मुझे सामने वाले की आलोचना करनी है, आलोचना के लिए मुझे आलोचना करनी है।

और उनको हमारी आलोचना करनी है इसलिए बोलना है पर जो उपाय हमारे ध्यान में हैं, जिसको हम जानते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए यह उपाय हैं, जानते बूझते भी यदि हम उसको नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको कभी भी कर नहीं सकेंगे और जिस चीज को हम कर नहीं सकते उस चीज को बार-बार कहकर के हम जनता को क्यों गुमराह करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं हम उनको गलत बातें बताना। हमारे पास बहुत बड़ी अधिकारियों की एक फौज है और शिक्षा विभाग में तो मैं जैसा जानती हूं बहुत बड़ा विभाग है और ठेठ गांव तक पहुंच है इस विभाग के माध्यम से। लेकिन गांव के बालकों के लिए शिक्षा नहीं है क्योंकि अध्यापक नहीं हैं। पहले तो मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो एक अभियान चला था ब्लैक बोर्ड वाला अभियान, जो राजीव गांधीजी ने शुरु किया था और उस अभियान में जब हमने यह देखा कि ब्लैक बोर्ड वाला अभियान चल रहा है क्योंकि हम तो

(श्रीमती अनिता भदेल)

प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, हमें पता नहीं था कि सरकारी स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं होते।

एक माननीय सदस्य: होते हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अब होते हैं, नहीं होते थे इसीलिए राजीव गांधी जी ने यह अभियान चलाया था और आपको जानकारी नहीं हो तो आप इतिहास के पन्ने उठाकर देख लेना कि उन्होंने क्यों चलाया था यह अभियान ...(व्यवधान) इसीलिए मैं बता रही हूं कि ...

श्री अध्यक्ष: कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सरकारी विद्यालय में मैंने पहले ही यह बात बता दी है कि मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है और ना ही मुझे यह जिम्मेदारी देनी है कि आपने क्या किया और हमने क्या किया। मैं यह कहना चाहती हूं कि जिन उपायों के बारे में हम खुद जानते हैं कि इस समस्या का यह उपाय है फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं और जब नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों उस गांव में बैठे हुए बालक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों उसके माता पिता को गुमराह करना चाहते हैं, क्यों हमारे गांव का बालक वहां प्राइवेट और निजी स्कूलों में जाने के लिए मजबूर है। क्यों हमारे विद्यार्थियों के ड्राप आउट की समस्या आज भी बरकरार है। हमने इस ड्राप आउट की समस्या के समाधान के लिए मिड डे मील योजना चालू की थी, जो माननीय अशोकजी गहलोत ने घूघरी के रूप में और माननीय वसुन्धराजी ने दोपहर के भोजन के रूप में उसको प्रारम्भ किया और उस समस्या के समाधान के लिए हमने यह योजना प्रारम्भ की थी लेकिन यह योजना भी हम ठीक प्रकार से लागू नहीं कर पाए। आज इस योजना की भी समस्या है कि बालक बीमार होता है, स्कूल में टीचर को सामग्री लाने के लिए लगना पड़ता है, उसको बर्तन मांजने के लिए लगना पड़ता है, खाना पकाने के लिए अलग से लगना पड़ता है और इसका हमने उपाय ढूंढा कि चलो एक केन्द्रीकृत किचन बना दें, एन जी ओज के माध्यम से उसको चालू करें तो वह एन जी ओज भी बिना प्रोफिट के आजकल काम नहीं करना चाहती तो बना तो दिये लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है।

हम एक समस्या के समाधान के लिए कोई रास्ता ढूंढते हैं और फिर वही समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि

(श्रीमती अनिता भदेल)

जब हम उपाय जानते हैं तो उनको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे पास में हो तब ही हम करें।

कई बार मैं सदन में यह सुनती हूं कि हम तो गांव से आते हैं, हम ग्रामीण एरिये में रहने वाले लोग हैं, हम गांव की कांस्टीट्यूएंसी से आते हैं और ठेठ राजस्थानी और मारवाड़ी में हम जब वोट मांगने जाते हैं तो मन्ने वोट दइजो और जब सदन में आते हैं और अंग्रेजी और हिन्दी की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, राजस्थानी को भूलते हैं। राजस्थानी भाषा के बारे में माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आपके माध्यम से सरकार से बोलना चाहती हूं, हालांकि मैं राजस्थानी नहीं जानती, बहुत टूटी फूटी बोलना आता है, मैंने बाद में सीखा पालीटिक्स में आने के बाद में मेरी मजबूरी बनीं क्योंकि मुझे वोट मांगना है इसलिए मुझे उनकी भाषा सीखनी है। यह वास्तविकता बता रही हूं, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगा रही हूं और मैं तो यह कहूंगी कि इस सदन में मैं जब दूसरी बार चुनकर के आयी तब एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने यह मांग रखी कि राजस्थानी भाषा में हमको शपथ लेनी है, हम अपनी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं और मैं तो यह कहूंगी कि आज माननीय अध्यक्षजी इस कुर्सी पर विराजमान हैं, मेरी जानकारी में जहां तक है, आप भी जब प्रथम बार विधायक बनकर आये थे सातवीं विधान सभा में, तब आपने भी यह मांग रखी थी कि मुझे मेरी भाषा में शपथ दिलवाइये अध्यक्षजी, और जब आप खुद अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुए तब जब विधायकों ने आपसे डिमांड की तब आप उस मांग को पूरा नहीं कर पाए।

मेरा निवेदन है इस सरकार से, आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात बहुत सालों पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में सम्मित से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा हुआ है। हालांकि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति हमारी इतनी दृढ़ होनी चाहिए, कई बार राजस्थानियों का यह दुर्भाग्य रहता है कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार तो यहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहां कांग्रेस की सरकार तो वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस चक्कर में अपना जो प्रस्ताव है वह इधर से उधर धक्के खाता रहता है। तो मेरा निवेदन है आपसे और मैं राजस्थानी बोलने वाले करोड़ों लोग जो राजस्थानी बोलते हैं उनका दर्द और उनकी आत्मा से आज यहां सदन में बोल रही हूं। आप इस काम को यदि इस पांच साल में

(श्रीमती अनिता भदेल)

पूरा करते हैं तो छह करोड़ राजस्थानी जो गांवों में बसता है वह अपने आपमें गर्व महसूस करेगा कि जो मुद्रा वहां चलती है, मुद्रा जिससे वह अपना व्यापार करता है उस मुद्रा पर उसकी भाषा का उल्लेख नहीं होता है। इतने छह करोड़ राजस्थानी आज इस पीड़ा को भोग रहे हैं। तो मेरा निवेदन है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक और बात मैं कहना चाहती हूं, माननीय कला और संस्कृति मंत्रीजी कि राजस्थानी एकेडमी, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं आज वह स्वर्गवासी हो गये माननीय शिवचरणजी माथुर साहब, जिनके द्वारा, जिनके मुख्य मंत्री रहते हुए राजस्थानी भाषा की एकेडमी की यहां शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत तो हमने कर दी पर दिया क्या? हमने उसमें, तेईस लाख के बजट में से सत्रह लाख का बजट लोगों की नौकरी में जो तनख्वाह देते हैं उसमें खर्च हो जाता है और मात्र पांच या छह लाख रुपये और उसमें हम पुरस्कार देने की बात करें, राजस्थानी भाषा की कम से कम (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) पौने तीन लाख पाण्डुलिपियां ऐसी हैं जिनको दीमक चाट रही है, ऐसी सांस्कृतिक विरासत की यह इतना बड़ा ताम झाम हम सम्भाल कर नहीं रख सकते तो हम क्या करेंगे। इस राजस्थान की धरोहर को यदि हम नहीं सम्भाल सकते तो इतना बड़ा तंत्र किसके लिए है।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं समाप्त कर रही हूं पर यह दर्द बताना चाहती हूं इस राजस्थान का। माननीय अध्यक्षजी, सिर्फ एक ही विषय मैंने आज चुना था, मैं आज एक विषय पर बोलूंगी, सब-सब विषय पर बोलते हैं। बालक क्यों आया, सबको पता है करना ही नहीं चाहते पर हम क्या करें। इसलिए मैं बोलना चाहती हूं कि इस राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाइये, राजस्थानी एकेडमी के बजट को बढ़ाइये।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उसके पुरस्कारों की जो राशि है उसको बढ़ाइये। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्षः श्री लालशंकर घाटिया।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-24 के बारे में सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो बजट शिक्षा का रखा है, बड़ा सराहनीय रखा है और मैं यह भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे डूंगरपुर में पोलोटेक्निक कालेज

(श्री लालशंकर घाटिया)

खोलकर वहां के आदिवासियों के प्रति बहुत बड़ा स्नेह अर्पित किया है। मैं आज की इस मांग संख्या 24 में यह कहना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, वहां पर हमारे अधिकांश आदिवासी भाई रहते हैं, उसके बाद ओ बी सी के अधिकांश भाई बन्धु रहते हैं।

मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि डूंगरपुर में हमारे वीर बाला काली बाई कन्या छात्रावास है, वहां पर कम से कम चार सौ बालिकाओं ने आवेदन किया है लेकिन मात्र दो सैक्शन होने के कारण वहां 120 बालिकाओं को एडमिशन दिया है और 120 बालिकाओं को एडमिशन नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वीर बाला काली बाई कन्या महाविद्यालय में कम से कम दो सैक्शन बढ़ाएं और 120 बालिकाओं का एडमिशन कराया जाए।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां पर विभिन्न विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालय के नाम से क्रमोन्नत कर दिया लेकिन वहां पर किसी प्रकार के प्राध्यापकजी नहीं भेजे हैं और संबंधित टीचरों का वहां पर सृजन नहीं किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा उधर उस क्षेत्र में ट्राइबल बैल्ट है तो अधिक से अधिक अध्यापक के पद छात्र अनुपात में पद स्वीकृत कर वहां के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने का कष्ट करें। यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। दूसरा निवेदन यह करता हूं कि हमारे डूंगरपुर में पंचायत समिति पिछिवाड़ा पड़ती है, उसमें ग्यारह उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।

26 माध्यमिक विद्यालय हैं, 104 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, 504 प्राथमिक विद्यालय हैं और 22 शिक्षाकर्मी विद्यालय हैं उसके बावजूद भी बिच्छीवाड़ा में कालेज नहीं है। कुल मिलाकर कम से कम 670 विद्यालय बनते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पंचायत समिति बिच्छीवाड़ा मुख्यालय पर एक कालेज भी दें।

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज में जो भी अध्यापक यहां से लगाये हैं पूर्व की सरकार ने, मैं पहले भी प्रधान रहा हूं और बिच्छीवाड़ा में 15 साल निकाले हैं। एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी बहुत करते हैं लेकिन बालकों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पहले अशोक गहलोत के राज में 29 विषय को पंचायती राज को सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया था और पंचायती राज में दिया था लेकिन उसके बाद में जैसे ही बी.जे.पी. की

(श्री लालशंकर घाटिया)

सरकार आयी और यह 29 विषय इधर-उधर फिसल गये। जो अध्यापक यहां से पदोन्नति होती या चयन होता वह सीधा ही स्कूल का नाम लेकर आता है तो जहां पर इंटीरियर ग्रामीण क्षेत्र में जो अध्यापक लगाने थे वह हम नहीं लगा पाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उधर बहुत ही स्कूलें खाली पड़ी हैं। वहां सिर्फ एक ही अध्यापक है मैं आपसे विशेष करके यह निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे सीनियर कटारिया साहब भी हैं, शिक्षा मंत्री तिवाड़ी साहब भी हैं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले अशोक गहलोत के राज में मिड-डे-मील का कार्यक्रम चलता था लेकिन उसके बाद में आपने मास्टरों के मार्फत यह कार्य कराया, तो मैं पंचायत समिति में 15 साल तक रहा लेकिन यह विगत 5 साल में जो मैंने मास्टरों की दुर्दशा देखी ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। एक अध्यापक बालकों की गलत हाजिरी भर कर पोषाहार को मेन्टेन करना चाहता है तो दूसरा सर्व शिक्षा का जो पैसा आता है उसमें निर्माण काम के पीछे लड़ते रहते हैं और दोनों की जब लड़ाई होती है तो बी.जे.पी. के एम.एल.ए. आकर उनका समझौता कराते हैं और कहते हैं आप तो सर्व शिक्षा के निर्माण को सम्भालो, आप अपने पोषाहार को सम्भालो।

तो यह जो विसंगति आयी है मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले पंचायती राज में जो मिड-डे-मील का कार्यक्रम पंचायतों के माध्यम से हुआ करता था। वहां पर परित्यक्ता या विधवा महिला कोई भी होती तो मिड-डे-मील के माध्यम से घूघरिया बांटती थी और अच्छा कार्यक्रम चलता था। उसमें कोई जरूरत नहीं थी कि अध्यापक को शामिल किया जाए लेकिन बी.जे.पी. की नीति ठीक नहीं थी। वहां पर जो बी.जे.पी. का राज था उसमें सभी अध्यापक 20 परसेण्ट कमीशन के हिसाब से चाहे वह एस.डी.ओ. हो, चाहे वह बी.डी.ओ. हो, कमीशन प्राप्त करने की नीयत से यह घूघरी कार्यक्रम में अपने मास्टरों को लगाया गया। मैं आपके माध्यम से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं मैंने आंखों से देखा है कि जो मास्टर अच्छा काम कराते या न कराते लेकिन जो सरकार को अच्छी तरह से कमीशन देते उस अध्यापक को एक-एक स्कूल में, मैं प्रधान था मैं जानता हूं। आप मुझे नामजद कहेंगे तो मैं...(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बताने में सक्षम हूं क्योंकि जो मास्टर उनको 20 परसेण्ट कमीशन देता है उस मास्टर को तीन-तीन स्कूलों में ट्रांसफर करके सर्व शिक्षा में निर्माण काम कराया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि शिक्षा की स्थिति को सुधारना है तो सबसे पहले मास्टरों के ऊपर कुछ न कुछ तो अंकुश होना

(श्री लालशंकर घाटिया)

चाहिये। मिड-डे-मील कार्यक्रम और सर्व शिक्षा के निर्माण कार्य से दूर रखना चाहिये। मैं दोनों ही सम्माननीय सदस्य महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि.. (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) 5 साल तक आपने जो राज किया उसमें मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम और आप सब मिलकर यह सोचें कि 'लगा सकें तो बाग़ लगाएं आग लगाना न सीखें, बिछा सकें तो फूल बिछाएं कांटे बिछाना न सीखें'...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्री अजय सिंह।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): यह कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि मानना है शिक्षा मंत्रीजी...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): मेरे क्षेत्र में जो एक-दो मेरे कालेज में ...(व्यवधान) बालिका जो भटक रही हैं उनके दो सैक्शन बनाने की कार्यवाही करें।

दूसरा एक हमारे कालेज खोलने की और स्कूलों में छात्रानुपात में अध्यापक लगाने की। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्षजी, मैं नागौर जिले के डेगाना विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं।

मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर मैं मेरे विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्षजी, डेगाना विधान सभा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। डेगाना कस्बा उप खण्ड मुख्यालय है तथा यह जोधपुर रूट का मुख्य रेलवे जंक्शन भी है। कस्बे में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 4000 से अधिक है लेकिन यहां की मुख्य समस्या है कि यहां गरीब किसान परिवार के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिये अन्य शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। यदि डेगाना कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित कर दिया जाए तो यह डेगाना कस्बे के लिये एवं 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों के विद्यार्थियों को कम खर्च में ही उच्च शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिल जायेगा एवं क्षेत्र का समुचित विकास भी होगा।

आज सदन में उच्च शिक्षा मंत्रीजी उपस्थिति हैं। मैं माननीय शिक्षा

(श्री अजय सिंह)

मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि डेगाना कस्बे में उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसका बड़ा भवन एवं बड़ा खेल का मैदान बना हुआ है और उसमें कम खर्च से, बिना कोई खर्च से सिर्फ सरकार को केवल शैक्षणिक स्टाफ ही उपलब्ध कराना पड़ेगा। यदि शुरू कर दिया जाए तो राजकीय महाविद्यालय शुरू किया जा सकता है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि यदि धन की कमी के कारण से राजकीय महा विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है तो जन सहयोग से भवन का निर्माण किया जा सकता है। अतः माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि इसी बजट में राजकीय महा विद्यालय स्थापित किये जाने पर विचार करें।

माननीय अध्यक्षजी, नागौर जिला मुख्यालय पर पालीटेक्निक कालेज नहीं है और लोगों के द्वारा काफी समय से यह मांग की जा रही है अतः मैं मांग करता हूं कि स्किल मिशन के तहत नागौर जिला मुख्यालय पर पालीटेक्निक कालेज स्थापित किया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी है अतः शीघ्र ही रिक्त पदों को भरा जाए। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह है कि जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन कम है उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी निर्माण किये जा रहे हैं उनमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। अभी तक आठवीं क्लास तक के जो भी विद्यालय हैं उनमें ही निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। मेरी मांग है कि इसमें सभी श्रेणी के विद्यालयों में निर्माण कार्य किये जाएं। वर्तमान में स्कूलों के खेल मैदान उनकी बाउण्ड्री वाल का काम इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत नहीं किया जा रहा है, जो किया जाए ताकि जगह-जगह जो अतिक्रमण हो रहे हैं खेल के मैदानों पर उनमें रोक लगे।

निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा हर वर्ष फीस बढ़ायी जा रही है। जनता इस बढ़ोतरी से परेशान एवं त्रस्त है। अतः सरकार को निजी संस्थाओं पर अंकुश लगाना चाहिये। सरकार को शीघ्र ही शिक्षा नियामक आयोग का गठन करना चाहिये। यदि सरकार ऐसा करती है तो इससे राजस्थान की जनता को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी।

(श्री अजय सिंह)

माननीय अध्यक्षजी, अभी हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व सरकार द्वारा पैराटीचर्स से प्रबोधक बनाये गये थे। बाड़मेर जिले में भी पैराटीचर से प्रबोधक लगाये गये थे। वह पिछले 9 वर्षों से उसी जिले के अन्दर पदस्थापित हैं। मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि कब तक उनका स्थानान्तरण अपने गृह जिले में कर दिया जायेगा और नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। मुझे यह जानकारी है कि यह जिले प्रतिबंधित हैं लेकिन प्रतिबंधित हैं तो भी 8-9 साल से वह वहीं हैं इसलिये उनका स्थानान्तरण उनके गृह जिलों में भी किया जाना चाहिये। बाड़मेर, बीकानेर आदि जिले जो प्रतिबंधित जिले हैं चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी वहां लगे हुए हैं, उनको वहां पर रहने के लिये विशेष भत्ता दिया जाता है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो प्रबोधक वहां लगे हुए हैं उनको यह विशेष भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है ? कब तक यह कर दिया जायेगा ?

मुझे बोलने का मौका दिया अध्यक्षजी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश मीना।

श्री रमेश चन्द्र मीणा (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने पर मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डांग क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के लोग प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित रहते हैं क्योंकि उच्च शिक्षा के लिये 40-50 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है। मुख्य मंत्रीजी की घोषणा गरीब बच्चों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये वरदान साबित होगी जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि गत सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में बिना किसी मापदंड एवं नीतियों के विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया था परंतु उक्त विद्यालयों के क्रमोन्नत करने के बाद आधारभूत सुविधाओं एवं अध्यापकों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी जिसके कारण आज भी विद्यालय नाममात्र के ही चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे उच्च माध्यमिक

(श्री रमेश चन्द्र मीना)

और माध्यमिक विद्यालय हैं परन्तु शिक्षण व्यवस्था के नाम पर कोई आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, न ही संस्था प्रधान है और न ही अध्यापकों की व्यवस्था की गयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पांच सौ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला एवं वाणिज्य संकाय खोलने का प्रस्ताव किया जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मेरे कुछ सुझाव हैं कि राज्य के सभी उप खण्ड मुख्यालयों पर संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय खोले जायें ताकि क्षेत्र के बच्चों को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़े। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पर मात्र एक ही विषय पढ़ाया जा रहा है जिससे अन्य विषय पढ़ने हेतु घर से बाहर बच्चों को जाना पड़ता है। खास तौर से बालिकाओं के लिए बहुत समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि उपखण्ड मुख्यालय मंडरायल में कला एवं वाणिज्य संकाय खोले जायें एवं साथ ही संबंधित संकाय का स्टाफ लगाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन की घोषणा की है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए बालिकाओं की औसत काफी कम है, जिन उप-खण्ड मुख्यालयों पर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं वहां सभी संकायों सहित आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जायें। मेरी मांग है कि उपखण्ड मुख्यालय मंडरायल में संचालित बालिका माध्यमिक विद्यालय को आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये साथ ही संबंधित संकाय का स्टाफ नियुक्त किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न श्रेणी में 17299 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के साथ ही शारीरिक शिक्षकों के 1000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के गिरते हुए स्तर को उठाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री को निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य नहीं लिये जायें।

(श्री रमेश चन्द्र मीना)

अध्यक्ष महोदय, करौली जिले के कई कार्यालयों में शिक्षक वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, इसके अलावा कई अध्यापकों को भवन निर्माण, पोषाहार, नोडल केन्द्र की डाक तैयार करने आदि में लगा रखा है। मेरी शिक्षा मंत्रीजी से मांग है कि करौली जिले में प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कराकर शिक्षण कार्य हेतु विद्यालयों में लगाया जावे ताकि विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो सके।

अध्यक्ष महोदय, करौली जिला पिछड़ा हुआ जिला है, इसके ग्रामीण क्षेत्रों में जिले के बाहर के शिक्षक नियुक्त हैं जो अध्यापन कार्य में पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते हैं या तो वहां बहुत कम आते हैं या अनुपस्थित रहते हैं या प्रतिनियुक्ति कराकर अन्य विभागों में काम करते हैं। मेरी शिक्षा मंत्रीजी से मांग है कि करौली जिले के मूल निवासी जो अन्य जिलों में या प्रतिबंधित जिलों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्त हैं उनका जिले में स्थानान्तरण किया जाये या करौली जिले को प्रतिबंधित जिले की श्रेणी में रखा जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रिक्त समस्त संस्था प्रधानाध्यापकों के पदों को भरा जाये जो कि लगभग विभिन्न श्रेणियों में 309 पद हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य में 2 हजार माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा लागू करने की योजना लागू की जिससे राज्य में 4500 विद्यालयों में कम्प्युटर शिक्षा उपलब्ध हो जायेगी। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में अभी बहुत से ग्रामीण क्षेत्र नान इलेक्ट्रिफाइड हैं। विद्युतिकरण से वंचित हैं, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं, उसके डांग क्षेत्र में आज भी बिजली नहीं है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विद्युतिकरण से वंचित क्षेत्र के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा सोलर लाइट प्लांट के माध्यम से लगायी जाये जिससे कम्प्यूटर शिक्षा का लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगा कि जो शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में 15 से 20 वर्ष तक प्राइमरी शिक्षा में रहते हैं जिसके बाद उनकी पदोन्नति हो जाती है उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उनको लगा दिया जाता है, यह शिक्षक उच्च शिक्षा के अध्यापन कार्य में असमर्थ रहते हैं। इसकी वजह से शिक्षण कार्य की गुणवत्ता में कमी आयी है। अतः इन शिक्षकों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ही कार्य करवाया जाये साथ ही इन्हें उक्त कक्षाओं के अध्यापन कार्य हेतु गुणवत्तापूर्ण

(श्री रमेश चन्द्र मीना)

शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिलवाया जाये। शिक्षा की गुणवत्ता हेतु विद्यालयों में समय-समय पर आकस्मिक सघन निरीक्षण अभियान चलाकर व्यवस्थाओं में सुधार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विद्यालयों में जो निर्माण कार्य किया जाये, उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाये ताकि कार्य की गुणवत्ता बढ़े तथा शिक्षकों को अनावश्यक कार्य में लगे रहने से रोका जाये जिससे शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो।

अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य में संचालित मदरसों में 2500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती किये जाने का प्रावधान तथा राज्य के 66 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का प्रावधान केन्द्र सरकार के माध्यम से किया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि निजी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु प्रभावी निरीक्षण, फीस, पाठ्यक्रम, विद्यालय पोशाक एवं योग्य शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का निर्धारण राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मानदण्ड अनुसार किया जाये। निजी विद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से गरीब सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को फीस अनुदान, विद्यालय विकास शुल्क में छूट दी जाये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा उच्च शिक्षा क्षेत्र में राज्य की निजी संस्थाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शिता, कुशलता लाने के लिए उच्च शिक्षा सुधार आयोग का गठन करना, राज्य के सभी उप-खण्ड मुख्यालय पर विद्यालयों में वाणिज्य, विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने तथा साथ ही कुछ माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षक संस्थाओं के पदों को भरने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय सपोटरा एवं उप-खण्ड मंडरायल में राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें ...(व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र मीना (सपोटरा): पहली बार बोलने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री ओटाराम देवासी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सिरोही विधान सभा क्षेत्र में जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में चर्चा करना चाहूंगा, साथ ही मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों के रिक्त शिक्षकों के पदों को यथाशीघ्र भरा जाये।

अध्यक्ष महोदय, सिरोही विधान सभा क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 134 प्राथमिक एवं 125 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों के 97 पद रिक्त हैं, वहीं माध्यमिक शिक्षा के 43, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 36 व्याख्याता एवं 35 वरिष्ठ अध्यापक विषय एवं 22 अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद रिक्त हैं।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर सरकारी स्कूलों में गरीब तथा सामान्य परिवार के बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य अथवा सामान्य से भी कमजोर होती है जिन्हें किसी विषय विशेषज्ञ शिक्षक से प्राइवेट ट्युशन की सुविधा नहीं मिलती है और अंत में छात्र-छात्राएं अपर्याप्त शिक्षण व्यवस्था के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़ जाते हैं अथवा उनके परिणाम सकारात्मक नहीं रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ही है जहां शिक्षकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत गांव सिलधर, मेर, माण्डवाडा, कालन्दरी, कृष्णगंज, बेलांगरी, जावाल, कैलाशनगर, अणादरा, अन्दोट, पालड़ी, अठवाड़ा एवं पोषाल्या में अध्यापकों के पद रिक्त होने से 47 क्रमोन्नत स्कूलों में बजट आबंटित नहीं होने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहां प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत पंचायत समिति सिरोही व शिवगंज क्षेत्र में 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दो या तीन अध्यापक लगे हुए हैं उनमें भी किसी अध्यापक को राजकीय कार्य के लिए...

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र सिंहजी, आपको तो नियमों की जानकारी होगी। आप बीच में से निकल रहे हैं।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): राजकीय कार्य की आड़ में अन्य कार्यों पर लगा दिए जाते हैं जिससे विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था दयनीय हो जाती है तथा गांवों की जनता तथा अभिभावक जन आंदोलन हेतु मजबूर होते हैं।

(श्री ओटाराम देवासी)

जैसा कि गत तीन दिन पूर्व 16 जुलाई को आल्पा गांव में ग्रामीणों द्वारा अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण स्कूल के ताला लगाने की घटना हुई। इस प्रकार क्षेत्र की बैरा जैतपुरा जहां शिक्षकों के अधिक पद रिक्त होने के कारण उक्त प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यथा शीघ्र ही शिक्षा विभाग में अध्यापकों के रिक्त पद भरे जाएं ताकि सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो सके एवं लोगों में सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़े। आदर सहित, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर राजकुमार शर्मा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

अब धीरे-धीरे मौसम बदलने लगा है,
वातावरण सो रहा था, अब आंखे मलने लगा है,
बहुत सी बातें हो रही है हमारे तुम्हारे विषय में,
रास्ते में जो खड़ा था, अब वह पर्वत पिघलने लगा है।

यह बात अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए कही है....

श्री अध्यक्ष: समय इसी में निकल रहा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मुझे पता है कि आप मुझे 5 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं देंगे तो मैंने सोचा कि कुछ मैं वैसे ही कह दूं इशारों में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के ऊपर, आज का जो विषय है, मांग संख्या 24, यह हमारे जीवन की शुरूआत से ही जुडी है। प्राचीन काल से जो हमारे चार आश्रम बताए गए हैं उसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है और ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा क्योंकि उसी दौरान व्यक्ति अपने जीवन की शुरूआत करता है, नैतिकता, जीवन जीने की शैली, शिक्षा के माध्यम से वह सीखता है और वही उसके जीवन में काम आती है, समाज के अन्दर, अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए, राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए, स्वयं अगर वह शिक्षित होता है तो निश्चित रूप से अपने देश को आगे लेकर जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तीन महीने की जो कार्य योजना बनाई है उसमें शिक्षा के लिए जो मैंने चार लाइनें पढ़ी थीं वह इसलिए पढ़ी थीं कि पिछले पाँच सालों के अन्दर शिक्षा के मामले में विकास जो रुका हुआ था वह अब

(श्री राजकुमार शर्मा)

धीरे-धीरे शुरू होने लग गया है। तीन महीने की जो कार्य योजना वर्तमान सरकार ने बनाई है मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को क्योंकि इस योजना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर में सुधार के लिए लगभग 2 लाख बच्चों को कक्षा कक्ष, फर्नीचर उपलब्ध कराने, 2500 चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित कर कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध कर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने राज्य के 400 मदरसों में 2 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर कम्प्यूटर एवं अन्य आवश्यक साज सामान उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों में 2900 अतिरिक्त कक्षा कक्षों एवं 700 शौचालयों का निर्माण एवं पीने के पानी की सुविधा हेतु 200 हैण्ड पम्प लगवाये जाने की बात कही। इसके लिए वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 500 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों के अन्दर जिस प्रकार से वाणिज्य और विज्ञान संकाय शुरू करने की बात बजट में कही है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्रायः कला विषय ही चलता है, कला विषय चलने से वर्तमान की जो उच्च शिक्षा पद्धति है उसमें कम्प्यूटर, वाणिज्य, विज्ञान जैसे आधुनिक तकनीकी शिक्षा है, वह जब उस बच्चे को मिलेगी तो वह बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को और शिक्षा मंत्रीजी को और युवा हृदय सम्राट राहुल गांधीजी का एक सपना है कि कम्प्यूटर से हर बच्चे को जोड़ा जाए, शिक्षा को जोड़ा जाए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। इस तकनीकी शिक्षा के मामले में इसी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय अशोकजी गहलोत ने इस वर्ष राज्य के 2 हजार माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने की बजट में घोषणा की है और इससे राज्य के 4500 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी जिस पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे निश्चित ही छात्रों को आगे रोजगार प्राप्त करने में कम्प्यूटर सहायक सिद्ध होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय जो हैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं, राज्य में या देश में स्वतंत्रता पहले से अनुदानित शिक्षण संस्थाएं कार्यरत थीं और विशेषकर मैं जिस अंचल से जीतकर आया हूं नवलगढ़ वहां ज्यादातर यही शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, जो उस समय से, आजादी से पहले से चल रही थीं। इन

(श्री राजकुमार शर्मा)

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य के 477 प्राथमिक, 239 उच्च प्राथमिक, 40 माध्यमिक और 185 उच्च माध्यमिक व 67 विशिष्ट विद्यालयों सहित 1008 अनुदानित विद्यालय हैं। इन विद्यालयों को दिया जा रहा अनुदान गत वर्षों से स्थिर कर रखा है। आज इन अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पद भरने पर प्रतिबन्ध है। नतीजा यह है कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत पद रिक्त चल रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में इसी सत्र में एक तारांकित प्रश्न लगाया था। आपने उसका जवाब दिया है कि राज्य के अन्दर अनुदानित विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा में 4867 पद स्वीकृत हैं जिनमें 1390 पद रिक्त हैं, संस्कृत शिक्षा में 572 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 235 पद रिक्त हैं, इन रिक्त पदों की वजह से अनुदानित विद्यालय आज बंद होने के कगार पर हैं। गत सरकार के जो पूर्व माननीय शिक्षा मंत्रीजी थे, जो अब मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें अनुदानित संस्थाओं के लिए कही थी। लेकिन मैं कहता हूं कि 5 साल के अन्दर पूर्व में जो भाजपा सरकार थी उन्होंने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के लिए कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2007 को एक समिति बनाई थी और उस समिति की रिपोर्ट अपने कार्यकाल में प्राप्त नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने आते ही राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्याओं के निराकरण हेतु...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष: 6 मिनट से ऊपर निकल गए हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 4 मिनट ही हुए हैं। आपने 12-12 मिनट सब को दिए हैं।

श्री अध्यक्ष: बोलने वाले को ध्यान नहीं रहता है। मैं नोट कर रहा हूं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 22.2.2009 को एक समिति का गठन किया है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि उसकी रिपोर्ट आप शीघ्र प्राप्त कर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008-2009

(श्री राजकुमार शर्मा)

में, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, कुछ बातें जो आपने की, उन बातों को बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि वर्ष 2008-2009 में गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए आपने 15 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया था लेकिन उसमें से एक भी पैसा पूरे 5 साल में खर्च नहीं किया। आपने घोषणा तो कर दी लेकिन एक भी गरीब बच्चे को निजी शिक्षण संस्था में पढ़ाने के लिए आपने जो प्रावधान किया था, मैं कह रहा हूं कि आपने कहीं पर भी किसी भी एक गरीब बच्चे को भी पढ़ाया हो तो आप हमें बताएं। यह सिर्फ घोषणा थी, जो घोषणा होकर रह गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 में जिला परिषदों के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई थी। माननीय शिक्षा मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1998 में जिला परिषदों के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इसमें कुछ शिक्षक रह गए थे। माननीय सदस्य जो मालवीय नगर से आते हैं, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने बजट सत्र के दौरान शिक्षा की मांग पर जवाब देते हुए सदन में जो कहा था वह मैं उद्धृत करना चाहता हूं, 1998 में जिला परिषदों के माध्यम से हुई नियुक्ति में शेष रहे अभ्यर्थियों के विषय में एडीशनल चीफ सेक्रेटरी पाण्डेजी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की हुई है जिसकी रिपोर्ट 15 दिन में आना सम्भावित है। इनको एक और अवसर देने के लिए अगले वर्ष में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान तो किया है और यह रिपोर्ट आने के बाद पूरा निर्णय लिया जाएगा। यह माननीय कालीचरणजी सराफ ने इस सदन के अन्दर जो उत्तर दिया था उसमें कहा था लेकिन इनका पूरा कार्यकाल निकल गया, आज तक वह रिपोर्ट नहीं आई। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 1998 के कुछ ही लोग बचे हैं, ज्यादातर लोग तो आर.पी.एस.सी. के तहत चले गए, कुछ ही बचे हैं उनको क्यों कोर्टों के चक्कर कटवाते हो। मेरा आपसे निवेदन है कि 100-150 लोग ज्यादा से ज्यादा हैं उनको आप इस भर्ती में लो ताकि वह कोर्टों के चक्कर न काटे, वे पहले से सलेक्टेड लोग हैं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 60 हजार की आबादी नवलगढ़ कस्बे की है, उस नवलगढ़ कस्बे के अन्दर आज गवर्नमेंट सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। आजादी के 64 साल के बाद भी बहुत शर्म आती है जब 60 हजार की आबादी जहां पर हो और वहां पर एक भी सरकारी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। मैं शिक्षा मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नवलगढ़ शहर में जहां 60 हजार की आबादी बसती है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्री हनुमान बेनीवाल।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): वहां पर इस बार एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल देने की कृपा करें, निश्चित रूप से आपका भला होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजें। कृपया पहले समय की ओर देख लें, 6.10 हुई है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा समय पिछली बार भी काट लिया था।

श्री अध्यक्ष: मेरी मजबूरी है संख्या इतनी दी है आज दोनों पार्टियों के व्हिप ने कि उसको पूरा करना मुश्किल हो जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा एवं कला, संस्कृति पर आज मैं विचार प्रकट करने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। मैं चूंकि खुद राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा और शिक्षा के क्षेत्र से हमेशा जुड़ा हुआ रहा। अभी मेरे से पूर्व नवलगढ़ से जीते हुए माननीय विधायक जो बात कह रहे थे उसके अन्दर वो एक बात भूल गये इन्होंने शेखावाटी विश्वविद्यालय की बात जोरदार ढंग से उठायी थी। इस बात के वोट इन्होंने लिये थे और ये बसपा से कांग्रेस के अन्दर चले गये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): उठाया नहीं, इसके लिए पांच साल संघर्ष किया था, आप भूल गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए प्लीज। प्लीज, माननीय सदस्य, डिस्टर्ब न करें। माननीय सदस्य, विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के अन्दर बेरोजगारी की समस्या से जूझते हुए बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान के लिए इस राजस्थान के नौजवान को एक नयी दिशा दी उसकी दशा के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सुधार के लिए 2.50 लाख लोगों को रोजगार देकर 1952 से लेकर पहली बार राजस्थान के अन्दर नौकरियों का सिलसिला अगर किसी ने जारी किया तो हमारी पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री वसुधरा राजे ने शुरूआत की। 65 हजार तृतीय श्रेणी के शिक्षक, जो राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है 65 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षक और 85 हजार टोटल शिक्षकों को, जिसमें मदरसा, सेकण्ड ग्रेड के टीचर और कालेज लेक्चरर शामिल थे और तीन विश्वविद्यालय राजस्थान के अन्दर अगर किसी ने दिये हैं, 40 साल लगातार आपने कांग्रेस ने राजस्थान के अन्दर राज किया, आपने कौनसा नया इतिहास गांवों में, ढाणियों में बदल दिया? तीनों विश्वविद्यालयों के अंदर एक एक करोड़ रुपये का बजट हमारे घनश्यामजी तिवाड़ी जब शिक्षा मंत्री थे और एक-एक ओएसडी की नियुक्ति कर दी, लेकिन आपने न तो इस बजट के अंदर यह बात कही है, आपकी मंशा क्या है, आप नये विश्वविद्यालय खोलना चाहते हो या शेखावाटी, भरतपुर और अलवर के अन्दर जो विश्वविद्यालय की घोषणा पिछली सरकार ने की थी आपकी मंशा क्या है? आप तो अपनी मंशा भी स्पष्ट नहीं करना चाहते इस सदन के अन्दर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

आज प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर जब हमने प्रवेश लिया तो राजस्थान कालेज की मैरिट जाती थी 55 परसेंट, 52 परसेंट और आज उसी राजस्थान कालेज की मैरिट जाती है 70 परसेंट। सीबीएसई बोर्ड से जो लड़के आते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लड़कों की इतनी परसेंटेज नहीं बनती जितनी सीबीएसई के लड़कों के आती है। उनकी व्यवस्था है, उनकी सैटिंग है और सैटिंग से वे परसेंटेज बनाकर आज जो गांव से गरीब लड़के आएंगे वे माध्यमिक बोर्ड के जरिये या गवर्नमेंट स्कूल से आएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो लड़के यहां आते हैं उनके लिए अलग से कोटा हो कालेज और विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए तभी जाकर गांव और गरीब का भला होगा। आज संगठक महाविद्यालय हैं, आज लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिनों दिन आबादी बढ़ती जा रही है और पढ़ाने वाली शिक्षण संस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन संगठक महाविद्यालय आज राजस्थान विश्वविद्यालय जिसका देश के बड़े -बड़े विश्वविद्यालयों में नाम है, आज संगठन महाविद्यालय महारानी कालेज जिसका क्रेज पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर है और महारानी कॉलेज के अन्दर एडमिशन लेने के लिए बड़े-बड़े अधिकारियों और बड़े

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बड़े नेताओं के पसीने आ जाते हैं, महारानी कालेज में अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि महारानी कालेज की तरह एक और संगठक महाविद्यालय खोला जाए कामर्स का एक और संगठक महाविद्यालय खोला जाए और गांव से सबसे ज्यादा आर्ट्स के विद्यार्थी इसलिए आते हैं कि गांव के अन्दर साइंस का सब्जेक्ट खोलने का कांग्रेस ने कभी विचार ही नहीं रखा। कांग्रेस की तो एक ही नीति थी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ रखो, ज्यादा होशियार हो गये तो कांग्रेस के राज का खात्मा कर देंगे क्योंकि पिछले 40 साल में आपकी नीति कभी सक्सेस नहीं रही। इसलिए सीनियर सैकण्डरी स्कूलों के अन्दर आपने विज्ञान सब्जेक्ट, गांव का लड़का विज्ञान पढ़कर आएगा तभी वो डाक्टर बनेगा, तभी इंजीनियर बनेगा, तभी आईआईटी के अन्दर जाएगा, तभी वो स्पेस साइंस के अन्दर पढ़ेगा इसलिए आपने विज्ञान सब्जेक्ट को गांवों के अंदर खोलना उचित नहीं समझा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा प्रत्येक गांव के अन्दर जहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल है वहां विज्ञान का और कामर्स का सब्जेक्ट खोलें ताकि गांव का लड़का एमबीए कर सके, गांव के लड़के आगे आ सकें।

अध्यक्ष महोदय, जो 50 हजार नियुक्तियां पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आरपीएससी को जाते-जाते 30 हजार पद घनश्यामजी तिवाड़ी देकर गये थे और वित्त विभाग की परमिशन ले ली गयी थी, लेकिन आप आते ही उन 30 हजार पदों को भी खा गये। आपका तो एक ही काम 1998 में अशोक जी मुख्य मंत्री थे तो राजस्थान के अन्दर बेरोजगारी से तंग आकर लोग आत्महत्या करने को मजबूर थे, राजस्थान का किसान आत्महत्या करने को मजबूर था। अशोकजी का कार्यकाल इनको याद नहीं आता और अब की बार राजस्थान की जनता ने आपको पूरा जनमत नहीं दिया है, खण्डित जनादेश और विकलांग सरकार आपकी है, किस तरह आपने बसपा को तोड़कर अपने सरकार बनायी, किन प्रजातांत्रिक मूल्यों का आपने यहां हनन किया है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव के अन्दर आपको सबक सिखाएगी और बिजली व पानी के लिए आप तो पिछले 6 महीने के अन्दर कठघरे के अन्दर आकर खड़े हो गये हो। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आपका आह्वान करता हूं आज रुक्टा और रूटा के 5 हजार लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे चड्ढा कमेटी की सिफारिश लागू करने की घोषणा पत्र में आपने बात कही थी, जो केन्द्र सरकार ने चड्ढा कमेटी बनायी है जो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर विश्वविद्यालय और कालेज के लेक्चरर्स के वेतन तय करेगी, आपने घोषणा-पत्र में यह बात कही कि हम अगर राज में आये तो चड्ढा कमेटी की सिफारिश लागू करेंगे, लेकिन आपने राज में आते ही चड्ढा कमेटी के ऊपर एक और कमेटी बना दी। आपकी नीयत के अन्दर खोट है, आप कुछ नहीं करना चाहते। घोषणा-पत्र पर लम्बी-लम्बी बातें करना आपका काम है और यह खण्डित जनादेश आपको मिला है आप वापस 56 और 56 से 46 आने वाली विधान सभा के चुनाव में हो जाएंगे।

मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ का अध्यक्ष रहा हूं और आपने छात्र संघ का चुनाव कराने की बात कही, लेकिन परसों आपके उच्च शिक्षा मंत्री से जवाब नहीं दिया गया और कह रहे थे कि हाई-कोर्ट का मामला है, कोर्ट का निर्देश आएगा तो फिर आपने घोषणा-पत्र में क्यों लिखा कि छात्र संघ के चुनाव कराएंगे। आपको पता था 1981 के अन्दर भी राजस्थान के अन्दर छात्र संघों के चुनाव अगर बंद किये हैं, राजस्थान के छात्र संघों की अगर हत्या किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है और कांग्रेस ने ही देश के अन्दर छात्र संघों का बंटाधार किया।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को आगे लाने के लिए आप ईमानदारी से काम करें, खाली घोषणा-पत्र में असत्य बातें लिखने के लिए किया है। आज हमने आपके लगाये हुए पैराटीचर जो राजीव गांधी विद्यालयों में लगाये थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र ओला।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमने 20 हजार पैराटीचर्स को नियमित किया था, आप तो इतना कर दें उस टाइम जो पैराटीचर बच गये थे वो 4 हजार पैराटीचर उस टाइम, जिन्होंने उस टाइम प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उन्होंने प्रशिक्षण अब प्राप्त कर लिया है, आप उन प्रशिक्षण प्राप्त पैरा टीचर्स को लगा देंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र ओला।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो भी आपको मान जाएंगे कि आपकी नीति साफ है। आपकी नीयत के अन्दर खोट है, आपकी नीयत साफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र ओला। कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सिवाय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप लगाने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गांव, गरीब और किसान की दुश्मन यह कांग्रेस है।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर विचार हो रहा है उस पर मैं आपकी आज्ञा से विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से यह बात आ रही है कि शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने 40 साल में नहीं खोली उतनी हमने पांच साल में खोल दीं। ठीक बात है आपने उतनी संस्थाएं खोल दीं, पर हमारे शासन में 40 साल में जितनी शिक्षा की गिरावट नहीं आयी उतनी पांच साल में ही आ गयी।

एक समय था जब पंडित नेहरू जी ने कहा था कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल हो, एक को-आपरेटिव सोसाइटी हो, एक पंचायत हो तो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए शुरुआत है। पहले गांव वाले इकट्ठे होकर आते थे, मेरे बड़े भाई पिलानी से आने वाले सदस्य यहां बैठे हैं पूरा गांव आता था स्कूल के लिए और स्कूल से पूरा गांव जुड़ाव रखता था। आप प्राइमरी स्कूल चालू करवा देते थे तो यह मानते थे कि पता नहीं कितना बड़ा काम एमएलए साहब ने कर दिया। धीरे-धीरे स्थिति यह आयी कि संख्या तो बढ़ गयी, क्वांटिटी तो बढ़ गयी, पर क्वालिटी गिरना शुरू हो गई। पहले अध्यापकों के रिजल्ट पर ध्यान रखा जाता था, जिस अध्यापक का रिजल्ट 50 परसेंट से कम होता था उसको शहर से बाहर भेजा जाता था, जिसका रिजल्ट अच्छा होता था उसको पुरस्कृत किया जाता था। पूरा गांव स्कूल से जुड़ाव रखा जाता था, स्कूल में जाता था। आजकल तो यह सुनने में आता है कि अमुक बच्चे की पिटाई कर दी।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

पहले अध्यापक प्रताड़ना भी देते थे तो अभिभावक और बच्चे यह समझते थे कि उसकी भलाई के लिए दे रहे हैं। स्थिति में धीरे-धीरे और गिरावट आई। अभी बात हो रही थी कि हमने महिला शिक्षा में बहुत बढ़ावा दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि मैं उस जिले से आता है जिसकी महिला शिक्षा का औसत राजस्थान में तो सबसे ज्यादा है ही पर राष्ट्रीय औसत से भी 7 परसेंट अधिक है। उसमें जैसा कि राजकुमारजी कह रहे थे जो आजादी के पहले की संस्थाएं थी उनका भी योगदान है और मेरा जिला हरियाणा जो पंजाब से अलग हुआ उसके नजदीक है, उसका भी प्रभाव हुआ क्योंकि वह कांग्रेस के सीधे शासन में थे, आर्य समाज का भी प्रभाव हुआ, मेरे जिले में लोग सेना में ज्यादा थे, उन्होंने देखा कि लोग पढ़ रहे हैं, सेना के कल्चर का भी प्रभाव पड़ा। शिक्षा में गिरावट धीरे-धीरे क्यों आई, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पहले स्कूल खोला जाता था, चाहे उनका शासन सहो या हमारा शासन हो, जिस दिन स्कूल खोलते थे, वह विविध संकाय का होता था उसमें उसी दिन से वाणिज्य विषय भी खुलता था, विज्ञान विषय भी खुलता था, कला विषय भी खुलता था। धीरे-धीरे एक संकाय के विद्यालय खोलने शुरू कर दिये, प्रेशर आया, सब तरफ से मांग उठने लगी, विज्ञान के विषय नहीं खुले वाणिज्य नहीं खोले तो लोग अपने बच्चों को उन सब्जेक्ट के लिए प्राइवेट स्कूलों में ले जाने लग गये। अध्यापक लोगों ने राजकीय स्कूलों में यह समझ लिया कि हमारी तनख्वाह तो पूरी है, अच्छा है, कम बालक रहेंगे तो कम पढ़ाना पड़ेगा, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब माननीय शिक्षा मंत्रीजी अब हैं, पहले वाले थे, उन्होंने यह कहा कि समानीकरण करेंगे, अनार्थिक विद्यालय बंद हो गये तो उन्होंने थोड़ा हाथ पैर मारना भी शुरू किया पर उससे अब क्या होता था, जब एक बात ही दूसरी तरफ चलने लग गई और ग्रामीण क्षेत्रों में मल्टी सिटी कर दी, आंगनबाड़ी में भी उन्हीं बच्चों के नाम हैं, प्राइमरी स्कूल में भी उन्हीं बच्चों के नाम हैं, कोई सतत शिक्षा में, उसमें भी उन्हीं बच्चों के नाम हैं और वास्तव में पढ़ रहे हैं वह प्राइवेट स्कूल में। जिस अध्यापक को 20 हजार रुपये मिलते हैं उसका बच्चा भी उसी गांव की प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं, वह ठीक पढ़ा रहा हूं, वह अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। जब अध्यापक ही अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है तो दूसरे लोगों को भी यही है, जरूर इसमें कुछ होगा।

श्री अध्यक्ष: रघु शर्माजी, आपको ध्यान है क्या, किधर से आप आ रहे हैं?

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह पहले भी गये थे ...(व्यवधान) पहले भी क्रास किया था इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: थोड़ा नियमों का ध्यान रखिए।

श्री सुखराम (बसेड़ी): नियम आप तोड़ रहे हैं शर्माजी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं तो ज्ञान दे चुका ...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह अच्छा नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इधर से उधर जा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): अध्यक्ष महोदय, आज भी इतनी गिरावट आ गई। उसके बाद में भी स्थिति यह है कि आरपीएससी, यूपीएससी में जो सलेक्शन होकर लोग आते हैं उनमें सरकारी स्कूलों के 80 परसेंट हैं, आज की स्थिति के बावजूद भी। प्राइवेट स्कूलों के लिए कुछ मापदण्ड तय होने चाहिए थे, पीजन हॉल बना दिये, टेंट के कमरे हैं, बिलकुल कोई व्यवस्था नहीं, ठूंस-ठूंस कर बच्चे भर रखे हैं, न खेल का मैदान है, न कोई पर्याप्त और आल राउण्ड विकास की उनकी सुविधा है। सरकारी स्कूल हैं बहुत अच्छे भवन हैं, बहुत अच्छे खेल के मैदान हैं, बहुत अच्छे सुशिक्षित हाइली एजुकेटेड टीचर्स हैं पर उनमें से तो बच्चे जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। एक टाई बाँध देते हैं, दो शब्द इंग्लिश के सिखा देते हैं, घर में आते हैं तो मां को और पिता को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल देते हैं, वह सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत आगे बढ़ गया। इन्हीं बातों पर हमको मनन करना है, चाहे उधर के सदस्य हों, चाहे हम हों, चाहे सदन की एक कमेटी बना दें, चाहे उच्चाधिकारियों की, पर यह देखें कि सरकारी स्कूल में सब सुविधा होते हुए भी उन स्कूलों में बच्चे क्यों जा रहे हैं, उस बीमारी को ढूंढकर उसको दूर करने की चेष्टा करें। इस बजट में .....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट आपसे मांग कर लूंगा। इस बजट में 10 आईटीआईज में विशेष तरह के कोर्स शुरू करने की बात है। मैं चाहूंगा कि झुंझुनूं के आईटीआई में भी वह शुरू करें। उप

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

खण्ड मुख्यालय पर जो महाविद्यालय हैं उनमें विज्ञान विषय खोले जाएंगे। मेरे यहां झुंझुनूं जिला मुख्यालय है उसका आरआर मुरारका राजकीय महाविद्यालय में भी विज्ञान का विषय खोला जाए। जो कम्प्यूटर की शिक्षा ढाई हजार स्कूलों में शुरू की गई है, मैं चाहूंगा कि धीरे-धीरे वह सब स्कूलों में कर दी जाए जिससे हम प्राइवेट स्कूलों से मुकाबला कर सकें। हो सके तो इंग्लिश की पढ़ाई प्रथम कक्षा से हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में भी शुरू कर दी जाए। इस बार संस्कृत स्कूल खोलने के लिए इसका प्रोविजन नहीं रखा गया, रखा जाता तो अच्छा था, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी शायद नहीं हैं पर उनके साथी नोट कर रहे होंगे। झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर हमारे यहां बीआईटीएस है और 1-2 प्राइवेट इंजिनियरिंग कालेज हैं पर एक सरकारी इंजिनियरिंग कालेज भी जिला मुख्यालय पर खोला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने घंटी बजा दी। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री हेमसिंह।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 के अन्तर्गत शिक्षा से संबंधित करीब 4-5 घंटे से चर्चा सदन में चल रही है। शिक्षा का विषय राजस्थान के लिए एक बहुत अहम और गम्भीर विषय है। पक्ष और विपक्ष के, सब सदस्यों को इस बात का मनन करना चाहिए कि शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल तंत्र है और शिक्षा के जरिए ही आज अन्तर्राष्ट्रीय जगह में हमारा राजस्थान, हमारा इण्डिया तभी स्टैंड करेगा जब हमारी शिक्षा का सर्वांगीण विकास होगा। आज राजस्थान सरकार ने अपने बजट में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी को शिक्षा से जोड़ने की बात की। मेरे से पूर्व सत्ता पक्ष के सदस्यों ने, हर सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि राजीव गांधी जो पाठशालाएं थी उनको माननीय विगत सरकार ने खतम किया। राजीव गांधी पाठशालाओं को हमारी सरकार ने समाप्त नहीं किया, उनको प्रमोशन देकर सब को प्राइमरी विद्यालय में कन्वर्ट किया था। उन विद्यालयों में शर्म की बात कि 1998 से 2003 तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, माननीय मुख्य मंत्री जी जो फिलहाल हैं, इन्होंने एक बेरोजगार के साथ इतना लम्बा चौड़ा खिलवाड़ किया कि 1200 और 1400 रुपये के अन्दर उनको सरकारी स्कूल में, उसी ढाणी के चाहे मैट्रिक पास हों, चाहे हायर सैकण्डरी हों, उसी वार्ड के व्यक्ति को लगा कर उसकी बेरोजगारी के साथ मजाक किया। लेकिन हमारी सरकार ने

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

माननीय मुख्य मंत्रीजी जिस टाइम वसुंधराजी थी, शिक्षा मंत्री घनश्यामजी तिवाड़ी थे, उन्होंने एक लाइन में सभी पैरा टीचरों को हटा कर परमानेंट टीचर के रूप में नियुक्ति दिलाई। आज आवश्यकता है, यह सरकार गांव-गांव, ढाणी ढाणी में जहां शिक्षा देना चाहती है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है, मैं उस गांव की बात करता हूं। मेरे से पूर्व कालेज शिक्षा की बात बी.ए. कालेजों की बात की चूंकि बी.एड. कालेज और शिक्षा में कब जाएगा ग्रामीण अंचल का बच्चा जब उसको प्राइमरी में मूल रूप से अच्छी शिक्षा मिलेगी। प्राइमरी से मूल रूप से शिक्षा देने का काम उस तृतीय श्रेणी के अध्यापक है उसको आपने कहीं उसकी ड्यूटी लगा रखी है, आपने मतगणना में उसकी ड्यूटी लगा रखी है, भवन गणना में कहीं उसकी ड्यूटी लगा रखी है, आपने उस पल्स पोलियो के अन्दर, कहीं ड्यूटी लगा रखी है गाय और भैंस गणना में, आपने कहीं ड्यूटी लगा रखी है डाक ले जाने और लाने में, आपने सीआरसीएफ और बीआरसीएफ के माध्यम से इन अध्यापकों को वहां से, स्कूलों से हटाने का काम कर रखा है तो मेरा तो अध्यक्षजी, आपके माध्यम से सरकार से आगाह है कि जितनी भी जो गिरावट है उनको, अध्यापक को, शिक्षा को, गांव से जोड़ना चाहते हैं तो ग्रामीण पटवारी होता है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ग्राम सहकारी समिति का सचिव होता है और एक कृषि पर्यवेक्षक होता है जिनका बहुत लम्बा चौड़ा काम नहीं होता उनको इस पशु गणना में, इनको टीकाकरण में, इनको भवन गणना में लगा दीजिए इन अध्यापकों को अध्यापक रहने दीजिए, इनको बहुद्देशीय काम करने से रोकिए। दूसरी बात, इन कार्यों को कराने के लिए आप जो दायित्व ग्राम सेवकों को सौंपेंगे।

तो निश्चित रूप से अध्यापक अपने काम में जायेगा, बच्चे को पढ़ायेगा। आप शिक्षा में समानीकरण की बात कर रहे हैं तो समानीकरण तो जिस दिन हो जाएगा जिस दिन राजस्थान का बच्चा-बच्चा पढ़ेगा। एक स्कूल में 30 बच्चे हैं, अध्यापक वहां पर 5 कार्यरत हैं। ग्रामीण दूर-दराज में आपने कहीं नहीं लिखा कि हम 50 बच्चों पर, इतने लड़कों पर अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। यह कब तक कर देंगे इस तरह की कोई बात नहीं की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले थे और भवन बन रहे हैं, उनका इस बजट में कब तक आप अध्यापकों की नियुक्ति कर देंगे, कब तक उनको चालू करा देंगे

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

इसका कहीं भी सरकार ने उल्लेख नहीं किया। देवनारायण योजना के नाम पर हमारी सरकार ने 550 करोड़ रुपये का जो प्रावधान दिया उसमें एक करोड़ रुपया शिक्षा पर देकर उन गुर्जर बाहुल्य इलाकों में....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्रीजी, बात कहने दो मुझे, मैं दो मिनट नहीं लेता हूं। जो बात कहना चाह रहा हूं कि आवासीय विद्यालय खोले उनमें न तो आप स्टाफ की व्यवस्था कर पाये और न उनकी कार्य योजना ही कर पाये और हमको इन 70 आदमियों का नाम लेने वाली सरकार ने सबसे बड़ी शर्म की बात है कि मात्र 28.22 करोड़ रुपया उस योजना के नाम पर दिया है जिसमें शिक्षा पर देंगे, स्वास्थ्य पर देंगे या अन्य कार्यों पर देंगे।

मेवात विकास पर जिसके बलबूते पर कांग्रेस सरकार शासन करना चाहती है, हमारी पिछली सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह कहा था कि मेवात विकास के अन्दर बालिकाओं के उत्थान के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे और चिकित्सा मंत्री जी अभी हैं नहीं, उनके क्षेत्र में भी अलवर जिले में 11 आवासीय विद्यालय और 5 बालिका आवासीय विद्यालय खोले। मेवात क्षेत्र का विकास कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि मेवात योजना में जो आवासीय विद्यालय खोले गये हैं उनको हम कब तक स्टाफ मुहैया करवा देंगे, उनका संचालन हम कब तक करवा देंगे। यह मेवात क्षेत्र उपेक्षित है, ग्रामीण अंचल है। शहरों की बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा के अन्दर ब्लाक बीईओ होते हैं। बीईओ का प्रमोशन होने के बाद एसडीआई, एबीईओ में 50 प्रतिशत कम से कम उन्हीं के अन्दर से लगने चाहिए लेकिन माध्यमिक विद्यालय का प्रिंसिपल का कार्य भी एबीईओ करता है। 6 महीने बाद उनका प्रमोशन हो जाता है, प्रशासनिक अनुभव नहीं होता है तो शिक्षा में आप इस तरह की गुणवत्ता लाना चाहते हो तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): पिछली सरकार ने हमारे तीन विश्वविद्यालय खोले थे। अलवर की बात कहना चाहूंगा कि अलवर जिले में मत्स्य भर्तृहरि विश्वविद्यालय, भरतपुर विश्वविद्यालय और शेखावाटी विश्वविद्यालय खोले थे। तीनों ही विश्वविद्यालयों का संचालन किया, ओएसडी

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

की नियुक्ति की पर आज तक कांग्रेस सरकार ने न तो बजट में लिखा है और कांग्रेस का कोई भी शिक्षा मंत्री यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हम इन विश्वविद्यालयों को बजट देंगे या नहीं देंगे, इन विश्वविद्यालयों को चालू करेंगे या नहीं करेंगे। शिक्षा की बात करते हो तो निश्चित रूप से आप....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): राजनीतिक दूरियां मिटाते हुए इन विश्वविद्यालयों को चलाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री सी. एल. प्रेमी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा भी नाम था।

श्री अध्यक्ष: श्री सी. एल. प्रेमी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): एक मिनट। आपसे यह निवेदन है कि इस सरकार को जो कि शिक्षा के नाम पर बहुत लम्बी चौड़ी बातें कहती है, 5 साल के अन्दर हमारी सरकार ने डेढ़ लाख नियुक्तियां दी हैं.....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। अगले माननीय सदस्य का नाम पुकारा जा चुका है। कृपया समाप्त करें। आपने अपना समय ले लिया। श्री प्रेमी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ..... एक भी नियुक्ति नहीं हुई। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि संवेदनशील और कल्याणकारी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए.....

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। अंकित नहीं होगा। श्री सी.एल. प्रेमी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारा भी नाम था, नाम दिया है।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय अध्यक्षजी, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा संतों की और मंत्रों की संस्कृति रही है जिसमें हमेशा गुरु का सम्मान रहा है। मैं एक श्लोक बोलता हूं।

(श्री सी.एल. प्रेमी)

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः

गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।

श्री अध्यक्ष: लेकिन गुरु घंटालों का क्या करें।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जीवन को चार भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य है, यहीं विद्यार्थी का जीवन काल प्रारम्भ होता है। इसमें वह गुरु और शिक्षा दोनों का जो समन्वय है, वह करता है। लेकिन आज के युग में जैसा कि पक्ष और विपक्ष के हर विधायक ने अपने-अपने विचार रखे, आज का जो युग है उसके हिसाब से देखा जाए तो शिक्षा का जो स्तर है, मैं समझता हूं कि स्कूलों की वो दशा और छात्रों की वो दशा देखकर के बड़ा दुःख होता है। मेरे से पूर्व के विधायकों ने इस बारे में बताया कि कहीं टीचर कम है तो कहीं छात्र कम हैं और वास्तव में सही स्थिति है। इसका आंकलन करने और इसमें कुछ करने की आवश्यकता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में शिक्षा क्षेत्र में भी काफी प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के कई उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आज भी मात्र कला विषय को ही पढ़ाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और वाणिज्य विषय पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को दूर कर चालू वर्ष में 500 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने का निर्णय लिया है और हर एसडीओ हैड क्वार्टर पर महाविद्यालय में वाणिज्य और विज्ञान विषय पढ़ाने जाने की योजना इस बजट में रखी गई है, जिसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ इस बजट में 1900 ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है, यह हमारे शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्कूल खुलें यह बहुत अच्छी बात है लेकिन टीचर वहां होना बहुत जरूरी है। हम विद्यालय खोलें लेकिन वहां टीचर्स की पोस्टिंग भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आजकल इस प्राइवेटाइजेशन के युग में, शिक्षा का पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो गया है और आज मेरे छोटे से केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में चार बड़े कस्बे हैं, सभी जगह सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल हैं लेकिन हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी विषय

(श्री सी.एल. प्रेमी)

के लैक्चरर या टीचर का अभाव है। जबकि वहां देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में कम पढ़े-लिखे टीचर, कम तनख्वाह के टीचर अच्छी पढ़ाई कराकर के अच्छे रिजल्ट देते हैं और हमारे यहां सारे ट्रेंड टीचर हैं, बी.एड. हैं, एम.ए., बी.एड. हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं लेकिन उनके रिजल्ट बहुत कमजोर आते हैं। इस पर भी मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस लेवल के हों, आरएएस लेवल के हों या शिक्षा लेवल के हों, उनको इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं वो इस बात की कुठाराघात में रहते हैं, इस बात का उनको रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाते हैं जबकि वहां जो टीचर हैं या जो अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी बात है। यह जो युग चल रहा है, मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता हूं।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में पिछली सरकार ने आई.टी.आई. की घोषणा की थी लेकिन अभी तक वह आई.टी.आई. वहां नहीं खुली है। इसके लिए पैसे का प्रावधान भी हो गया था, पैसे भी सेंक्शन हो गये थे तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा कि केशवरायपाटन में आई.टी.आई. की स्थापना हो, यह मेरी आपसे गुजारिश है।

मैं बूंदी जिले से आया हूं। बूंदी जिला राजस्थान में छोटी काशी नगरी के नाम से जाना जाता है और पर्यटन का भी अच्छा केन्द्र है लेकिन शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां मात्र एक कालेज है और बी.एड. कालेज भी नहीं है और कोई महिला पोलीटैक्निक कालेज भी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि बूंदी में भी महिलाओं के उत्थान के लिए, लड़कियों के उत्थान के लिए भी वहां पोलीटैक्निक कालेज खोलें तो मैं समझता हूं कि बच्चियों की शिक्षा के लिए एक बहुत बढ़िया कदम रहेगा और माननीय अध्यक्ष महोदय, केशवरायपाटन में जो बालिका सैकण्डरी स्कूल है, केशवरायपाटन, लाखेरी, इन्द्रगढ़ में विज्ञान और वाणिज्य विषय खोले जाने की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि केशवरायपाटन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मात्र कला विषय है और जितनी भी लड़कियां वहां 11वीं

(डा. सी.एल. प्रेमी)

पढ़ने के बाद या 10वीं पढ़ने के बाद विज्ञान विषय लेना चाहती हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर विज्ञान विषय खोला जाये।

मेरा एक अनुरोध और है। मेरे ही केशवरायपाटन क्षेत्र में लाखेरी एक ऐसा कस्बा है जिसमें एशिया का बहुत बड़ा ए.सी.सी. प्लांट है और मैं समझता हूं, 30,000 की आबादी वाला वह कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है। लाखेरी से जो कालेज की दूरी है, वह बूंदी वहां से 80 किलोमीटर पड़ता है और सवाई माधोपुर भी 80-90 किलोमीटर पड़ता है और कोटा भी 100 किलोमीटर पड़ता है। वहां अभी तक कोई महाविद्यालय नहीं है तो मंत्रीजी से मैं अनुरोध करूंगा कि वहां मुख्यालय पर महाविद्यालय खोला जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बोलने वालों को भी तो बुलाओ।

श्री अध्यक्ष: बोलने वालों को ही बुला रहा हूं, और किसको बुला रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारा नाम तो नहीं है, हमारा नाम भी तो बुलाओ।

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप, विराज जाओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आसन की कृपा नहीं हो तो बैठेंगे ही, और क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष: पहले जो सूची आई है, उसमें आपका नाम नहीं है और यूं बार-बार पर्ची जोड़ते-जोड़ते तो रात को 12 थोड़े ही बजानी है। विराजिये विराजिये। श्री अवस्थीजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको उदार दिल होना चाहिए, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, पांच मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत बड़े आदमी हो। आप उस आसन पर बैठते हो जहां राजस्थान का भाग्य तय होता है। आप पांच मिनट भी नहीं दे सकते क्या? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, और क्या होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आसन को व्यक्ति की संज्ञा दी है, आसन कभी व्यक्ति नहीं होता है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने कहा है, आप बहुत बढ़िया आदमी हो। नहीं अध्यक्ष महोदय, यह एक्सपंज कराओ। आसन तो आसन है, आसन को व्यक्ति की संज्ञा थोड़े ही दे सकते हैं ये।

श्री अध्यक्ष: छोड़िये छोड़िये। जैसा सोच है, वैसा ही कहेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कह रहा हूं, आप उदार व्यक्ति हो। आप आसन के मालिक हो। हम आपको निवेदन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री अवस्थीजी। कृपया विराजिये। माननीय सदस्य का नाम पुकारा जा चुका है, उन्होंने शुरू कर दिया है बोलना। कृपया आप विराजें। व्यवधान नहीं पैदा करें, व्यवधान नहीं पैदा करें। अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: इस प्रकार से व्यवस्था नहीं चल सकती। इस प्रकार से व्यवस्था नहीं चल सकती। आप बिराज जायें। श्री अवस्थीजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री अवस्थीजी। इस प्रकार से अव्यवस्था नहीं चल सकती। इस प्रकार से किसी माननीय सदस्य ने ऐसा नहीं किया। व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है। माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, कृपया विराज जायें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री अवस्थीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर वाद-विवाद चल रहा है, तीन घंटे से बहस चल रही है...

श्री अध्यक्ष: इसमें दो मिनट खराब हो गये बिना किसी कारण।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): वह मेरे नहीं कटेंगे अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैंने देख लिया है। मैं वही कह रहा हूं कि दो मिनट उनके खराब कर दिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आज का जो विषय है शिक्षा और संस्कृति, इस राजस्थान सरकार के बजट में शिक्षा पर तो ध्यान दिया गया है लेकिन इसके साथ जो पूरक विषय है संस्कृति, इस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है। पूरे बजट को रोजगारोन्मुखी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इसके नाम से समर्पित किया गया है और कैसे हम आई.ए.एस. पैदा करें, कैसे आई.पी.एस. पैदा करें, कैसे इंजीनियर पैदा करें, कैसे मैनेजर पैदा करें, उनके नाम से नये-नये कोर्स बनाये जा रहे हैं लेकिन अच्छा मनुष्य कैसे बने, अच्छा पुत्र कैसे बने, अच्छा भाई कैसे बने, अच्छा व्यापारी कैसे बने, अच्छा अफसर कैसे बने, इस तरफ शिक्षा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है और जो संस्कृति विषय आपने रखा है, वह संस्कृति का विषय इसलिए रखा है, सरकार यह तो मानती है कि शिक्षा को संस्कृति से जोड़ा जाये लेकिन इस बजट में इस विषय में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। रोजगार के नाम पर हम शिक्षा को पैसा कमाने का माध्यम बनाते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, शास्त्रों में लिखा है, शिक्षा अपने आप में एक धन है, सबसे बड़ा धन है। "न चोर अचौर्यम् न राजहार्यम्, न भ्रातृभ्राज्यम् न च भारकारि, व्यक्कृतै वरधति ए वतश्य विद्या धनम् सर्वधनम् प्रधानम्" अध्यक्ष महोदय, हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने शिक्षा पद्धति का विकास किया था और भारतीय संस्कृति का निर्माण किया था, उस समय सबसे बड़ा धन शिक्षा था और आज 11वीं क्लास तक आते-आते बच्चा यह देखता है कि मेरे पढ़ने के बाद केवल मुझे पैसा कमाना है। आज राजस्थान के इस बजट में शिक्षा के माध्यम से केवल रोजगार देने का पाठ पढ़ाया जा रहा है जबकि अच्छा इंसान बनाने का पाठ अभी तक शुरू नहीं किया गया है। आजादी के 60 वर्षों में, जो समस्याएं आजादी से पहले नहीं थी, शिक्षा ज्यों-ज्यों बढ़ी, ज्यों-ज्यों विज्ञान बढ़ा, हमारी समस्याएं बढ़ी हैं। आज यह शिक्षा पद्धति है, यह सम्पूर्ण नहीं है। जब तक इसको संस्कृति से नहीं जोड़ा जायेगा प्राचीन भारतीय संस्कृति से, तब तक यह सम्पूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती। हमको पहले पढ़ाया जाता था गंगा हमारी मां है। जब तक हमने यह पढ़ा कि गंगा हमारी मां है, गंगा अशुद्ध नहीं हुई, गंगा पवित्र रही लेकिन जब से हमने इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया, गंगा शब्द हटा दिया, एक नदी के रूप में पढ़ना शुरू किया, गंगा को शुद्ध करने के लिए हमें अरबों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। जब गाय हमारी माता है, हम पढ़ते थे तो हमारे देश में

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

शुद्ध दूध और दही की नदियां बहती थीं। आज हमारे देश में कृत्रिम दूध मिलना शुरू हो गया है। हमने पढ़ना बंद कर दिया कि गाय हमारी माता है तो समस्याएं हमारे सामने आने लगी हैं।

अध्यक्ष महोदय, हिमालय हमारा बाप है, यह हमको पढ़ाया जाता था, फिल्मी गानों में सुनाया जाता था कि गंगा मेरी मां का नाम है, बाप का नाम हिमालय और जब हमने हिमालय को अपना पिता मानना बंद कर दिया, आज हिमालय पर भी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ रही है कि हिमालय को बचाने के नाम पर अरबों रुपये लगाने पड़ रहे हैं। गंगा का ग्लेशियर पिघल रहा है। ऐसी शिक्षा पद्धति है। यह विज्ञान की देन है। हमारी गंगा नष्ट होने के कगार पर है। हमारी गाय नष्ट होने के कगार पर है, हमारा हिमालय नष्ट होने के कगार पर है। मेरा इस सदन से निवेदन है कि जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की अच्छी बातें हैं, आज राजस्थान में हरित राजस्थान का अभियान चलाया जा रहा है, जाने कितने करोड़ का बजट इस हरित राजस्थान को दिया गया है, शुद्ध का युद्ध चलाया जा रहा है, यह कारण केवल एकमात्र है कि हमारी शिक्षा पद्धति में जो हमारी भारतीय संस्कृति की अच्छी बातें थी उनका लोप किया गया, आज हरित राजस्थान केवल मात्र कुछ लोगों को हरा-भरा बनाने का अभियान बन कर रह जायेगा जब तक हम हमारी शास्त्रोक्त बातों को शिक्षा पद्धति में नहीं जोड़ेंगे, हरित राजस्थान तभी बन सकता है जब मत्स्य पुराण का एक श्लोक हमारी इस पढ़ाई में जोड़ा जाय तब इस अभियान की सार्थकता रहेगी। दस कूपः समो वापि, दस वापस समः रदः, दस रदः समो पुत्रः, दस पुत्रो समः धूमः। अध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ है कि दस कुएं खुदाओ, यह मत्स्य पुराण का श्लोक है, यह हमारी शिक्षा पद्धति में जोड़ना चाहिए अगर हम हरित राजस्थान का अभियान चला रहे हैं और अरबों-खरबों रुपये उस पर लगा रहे हैं तो इसके साथ उन पेड़ों को बचाने का अभियान भी हमको भावनात्मक रूप से जोड़ना पड़ेगा। दस कूपः समोः वापि, दस कुए खुदाओ और एक बावड़ी खुदाओ, बराबर पुण्य मिलता है। दस बावड़ी खुदाओ और एक तालाब बनाओ, बराबर पुण्य मिलता है और दस तालाब बनाओ और एक योग्य पुत्र पैदा करो, बराबर पुण्य मिलता है और दस पुत्र, योग्य पुत्रों के बराबर एक पेड़ को बचाओ, उसका पुण्य मिलता है। यह मत्स्य पुराण में लिखा है। ऐसी ऐसी हमारी प्राचीन संस्कृति की बातों को अगर हमने शिक्षा पद्धति में जोड़ा होता तो आज हरित राजस्थान और शुद्ध का युद्ध चलाने की हमको आवश्यकता

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

नहीं पड़ती और जो अरबों रुपये हमारे यह गंगा शुद्धिकरण में, यह पेड़ बचाने में, पानी बचाने में, बिजली बचाने में, यह खर्च हो रहे हैं, यह हमारी शिक्षा के नाम पर, हमारे गांवों में शिक्षा के विकास में, गांव के विकास पर खर्च होते। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को जो हमारा सांस्कृतिक आधार थी, इस देश में लाखों साल तक बचा कर रखा है, हमने प्रदूषित किया है, आज समय आ गया है जब पक्ष और विपक्ष में बैठे लोग जिन्होंने शिक्षा को धर्म निरपेक्षता और साम्प्रदायिकता के ताने-बाने में फंसा कर प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट करने का काम किया है...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): और जिसके कारण से सारी समस्याएं पैदा हुई हैं, उसको वापिस समावेश किया जाय। हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति जो हमारे ऋषि-मुनियों ने विकसित की थी उसका समावेश इस शिक्षा पद्धति में करके...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): इन सब समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की मांग संख्या 24 पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं। इस चर्चा में, बजट भाषण में भी बता दिया था और आज भी मैं इस बात को पुन: कहना चाहूंगा कि इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीमहोदय और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने शिक्षा के रूप में हर पंचायत क्षेत्र में जो माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सभी पंचायतों को जो तोहफे के रूप में विद्यालय दिये हैं और उसके साथ-साथ कामर्स और आर्ट के सब्जेक्ट भी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जो दिये गये हैं, हम आभारी हैं। इसके साथ-साथ हर जिले में जिस तरीके से छात्रावासों की योजना, एस.सी. और एस.टी. की छात्रवृत्ति को बढ़ा कर जिस तरीके से शिक्षा को सुदृढ़ करने का जो तोहफा दिया है हम आभारी हैं मुख्य मंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय के। सामने बैठे हुए अभी हमारे माननीय कटारिया साहब जो बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, शिक्षा हम सब की वह महती आवश्यकता है जो समाज की बुनियाद को मजबूत बनाने के

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

लिए इसमें सुधार का होना आवश्यक है। मैं, नीमकाथाना, मेरे क्षेत्र की एक बात बताना चाहूंगा। शिक्षा का अभी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका एक छोटा-सा उदाहरण आज मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां राजकीय उच्च प्राथमिक शालाएं 153 हैं। 153 में यह सरकार, जो पिछली रही, इन्होंने उच्च शब्द लगा कर एक कागजी रूप में इनको अपग्रेड तो कर दिया लेकिन आप और सभी माननीय सदस्य यह देखकर अचम्भा करेंगे कि 153 इन शालाओं में 77 में आज भी प्रधानाध्यापक जिनको हम हेडमास्टर कहें, वह नहीं हैं। किस तरीके से वह सभी हमारी प्राथमिक शालाएं अस्त-व्यस्त हो रही हैं। यह महिला उत्थान की बात कर रहे थे, बालिका विद्यालयों को बहुत कुछ देने की बात कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय, इसमें 22 प्राथमिक शालाएं, उच्च प्राथमिक शालाएं तो ऐसी हैं जो बालिका प्राथमिक शालाएं हैं, यह मेरी पंचायत समिति का मैटर है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की जो 11 पंचायतें पड़ती हैं उनकी 27 उच्च प्राथमिक शाला भी इसमें हैं जिनमें हैडमास्टर नहीं हैं। एक ग्यारह पंचायतों की यह पोजीशन है और पूरे मेरे क्षेत्र की 77 शालाएं ऐसी हैं जिनमें हैडमास्टर नहीं है तो क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या उनसे संबंधित व्यवस्थाएं उस स्कूल की बन पायेगी। हमारे पहले के शिक्षा मंत्री महोदय, दोनों बैठे हुए हैं, मैं इनको दो मिनट में एक बात बताना चाहता था। नीमकाथाना की कालेज किस तरीके से यह विचारधारा की जो नीति अपना रहे हैं, कि हमारे स्टूडेंट के अन्दर विचारधारा हमारी पार्टी की आये, हमारे वहां के एजुकेशन में हमारी विचाराधारा हमारी पार्टी की आये, उस तरीके से, किस तरीके से बरबाद यह पूरी शिक्षा प्रणाली हो रही है, उसका एक जीता-जागता उदाहरण नीमकाथाना का मैं आपको बता रहा हूं। 2003 तक वहां दस सेक्शन थे जिसमें हमारे बच्चे और हमारे स्टूडेंट जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, पर एक षड्यंत्र के तहत यहां के जो इस विचाराधारा को जन्म देने की जो नीति अपनाने का जो विचार रखा उन्होंने, चाहे वह किसी संगठन से थे या किससे थे, इन लोगों ने अपने कार्यकाल में, इस भाजपा के कार्यकाल में उस दस सैक्शन को सात सैक्शन में बदल दिया। तीन सैक्शन बड़े ही तरीके से खतम कर दिये, बढ़ने चाहिए थे सैक्शन, अपग्रेड होनी चाहिए स्कूलें, उसके विपरीत इन्होंने सैक्शन बंद सिर्फ इसलिए कर दिये कि उन विचाराधारा के जो वहां मालिक बने हुए हैं, जो अपने मंत्रियों को आ-आ कर वहां की रिपोर्टिंग करते हैं, उनके चहेते बने हुए हैं कि किस तरह से हम वहां प्राइवेट स्कूलों को जन्म

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

दे रहे हैं, कालेजों को जन्म दे रहे हैं और उन कालेजों को वह अपने इस पांच साल के कार्यकाल में नीमकाथाना में बड़ी तेजी से यह प्राइवेट कालेज डवलप हुई, उसका मुख्य कारण यह रहा कि इन लोगों ने यह गवर्नमेंट कालेज को बड़े ही सिस्टेमेटिक तरीके से सैक्शन कम करते हुए, बढ़ाने की बजाय कम कर दिये और उधर प्राइवेट जो कालेज थे, जो इनकी विचारधारा से संबंधित भी थे और कहीं न कहीं डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट इन लोगों से संबंधित थे, उसको इन्होंने जबरदस्त एडमिशन दिलाये। तो मैं यह कहना चाहूंगा, हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को, यह बात हमने इनको बताई कि आप देखिये किस कांस्प्रेसी के तहत किस तरीके से यह खतम कर रहे हैं कालेज की व्यवस्थाओं को और यह प्राइवेट, यह बता तो रहे हैं कि प्राइवेट कालेज बढ़ रहे हैं, स्कूल बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, आज भी अगर काम्पीटीशन में देखा जाये, चाहे वह आरएएस का काम्पीटीशन हो, चाहे कोई आईएएस का हो या और कोई हो, हमारे गांव के जितने भी बच्चे निकल कर आते हैं उनमें ज्यादातर गवर्नमेंट कालेज में पढ़े हुए हैं, एडमिशन तो लेना चाहते हैं। आज उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने न केवल तीन सब्जेक्ट वापिस दिये बल्कि तीन सब्जेक्ट और देकर वह सैक्शन दस कर दिये वापिस, 600 बच्चों को हम एडमिशन दिला पाये अभी और यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को जो एक नये कालेज की तरह हमारी कालेज लगी और आज प्राइवेट कालेज वाले मुंह की तरफ देखते रह गये। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मिड डे मिल की बात कर रहे थे, हकीकत में इसमें कोई दो राय नहीं, मैं एक छोटी-सी मांग रखूंगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से घूघरी बनाई गई, जिस तरीके से मिड डे मिल का सिस्टम बनाया गया, हमारे अध्यापक या वहां के जो भी इंचार्ज हैं वह पूरे दिन लगे रहते हैं इस कढ़ाई में और इस पतीले के चक्कर में और इस चक्कर में, हकीकत में शिक्षा बड़ी बाधित हो रही है। और शिक्षा पूर्ण रूप से बच्चों को नहीं दी जा रही है। मेरा भी यही निवेदन है कि अगर, आज इस पर विचार करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति बन रही थी कि हकीकत में यह मिड डे मिल में सुधार होना चाहिए। अगर इसको सिस्टेमैटिक तरीके से अपनाते हुए गवर्नमेंट, यह आप मानकर चलें कि घूघरी का यह खाना कोई नहीं खाना चाहता बल्कि गैप बिटवीन हैव्ज एण्ड हैवनोट्स ज्यादा बढ़ जाता है।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

जो बच्चा खाना खाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, जो प्राइवेट में पढ़ता है वह कहता ही यही है कि यह खाना खाते हैं इसलिए उसमें जाते हैं तो यह मानसिकता जो बिलकुल दब गई...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करे।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): दो मिनट मैं और कहना चाहूंगा। यह मामला हकीकत में बड़ा बर्निंग टापिक है। हमारे क्षेत्र में जो बच्चा खाना खाने के लिए उसमें जाता है वह इनफिरिएटी काम्पलेक्स का शिकार होता है। स्टार्टिंग से ही उसको गरीबी का अहसास दिलाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसी व्यवस्था को बदल कर यह गवर्नमेंट अच्छे बढ़िया प्रोटीनयुक्त कोई बिस्कुट का पैकेट बड़ा हो जिसमें बिस्कुट तक पर मोहर लगी हुई हो और गवर्नमेंट उसके साथ 250 या 300 ग्राम दूध का पैकेट देकर और सिस्टेमैटिक अगर सप्लाई कर देती तो यह बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, कृपया समाप्त करें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): बजाय इस सिस्टम के, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा पर चर्चा हो रही है। इस अवसर पर मैं स्वामी विवेकानन्दजी के उद्धरण अवगत करना चाहूंगा ''ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली हमें कुंठित कर हमारा स्वतंत्र व्यक्तित्व गिरवी रख कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर कुठाराघात किया है। इसे स्वामी विवेकानन्द जी ने गहराई से अनुभूत किया एवं देश के लिए राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया। उनके द्वारा कहा गया कि विदेशी भाषा में दूसरों के विचार रट कर उन्हें अपने मस्तिष्क में ठूंस कर तथा विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त कर लेने भर से शिक्षित समझना क्या यही शिक्षा है? शिक्षा का उद्देश्य क्या मुंशीगिरी प्राप्त करना भर है? अधिक से अधिक वकील अथवा डिप्टी मजिस्ट्रेट हो जाना बस यही है ना। इससे तुम्हारा देश का एवं इस प्राचीन संस्कृति का भला क्या होगा? वह शिक्षा जो समाज को जीवन संघर्ष के अनुकूल नहीं बनाती, जो चरित्र का विकास नहीं करती, जो दया-भाव एवं साहसिक साहस पैदा नहीं करती क्या उसे शिक्षा का नाम देना उपयुक्त है?'' यह उस समय की बात है जब विदेशी लोग भारत की जो शिक्षा थी और भारत के लोगों को वह हमेशा अनपढ़ और गवार मानते थे। लेकिन अब हालात बदल

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

गए। जो विदेशी लोग इस प्रकार भारतवर्ष को मानते थे अनपढ़ और ग्वार, आज हालात यह है कि अमरीका के राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन और वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने नौजवान युवाओं को यह कह रहे हैं, सेमीनार लेकर के कह रहे हैं कि जाग जाओ भारत का युवा आ रहा है नहीं तो हमारा अमरीका पिछड़ जाएगा। इस प्रकार वे कहने लगे हैं। वास्तव में हिन्दुस्तान के अन्दर जो उच्च शिक्षा है, वह उच्च शिक्षा बढ़ी हैं और उच्च शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन यहां आये हैं। शहरों में उच्च शिक्षा बढ़ी है और बात कर रहे हैं आईआईटी भी खुल रही हैं, आईआईएम भी खुल रहे हैं, केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी खुल रहे हैं इससे प्रतिस्पर्धा में हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। यह तो उच्च शिक्षा का है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में उच्च शिक्षा तभी सम्भव है जब ग्रामीण शिक्षा जो है जिसमें प्रारम्भिक और प्राथमिक शिक्षा है, वहां के बालकों को और प्रतिभाओं को आगे लाने की जरूरत है। मैं कह सकता हूं कि आर्थिक समीक्षा के जो आंकड़े हमारे सामने आये हैं उसके अनुसार साक्षरता की हमेशा बात करते रहे हैं और 1991 में 38.55 प्रतिशत थी और 2001 की जनगणना के अनुसार 61.03 प्रतिशत हो गई। कुल पुरुष तो 75.70 प्रतिशत हैं, महिला 43.85 प्रतिशत हैं। फिर भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक क्षेत्र में हम पीछे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में आज दिन तक साक्षरता की बात हो रही है लेकिन गांव के अन्दर शिक्षा जरूरी है और शिक्षा की गांवों में प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गत दशक में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य में 1 लाख 23 हजार 559 शिक्षक सहित 5 लाख 51 हजार 724 प्राथमिक एवं 1 लाख 19 हजार 777 शिक्षकों सहित 49 हजार 669 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। जिसमें 124.86 लाख विद्यार्थियों का नामांकन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी साक्षरता की बात चल रही थी लेकिन गांवों में गुणवत्ता की सुधार की जरूरत है। हम कहना चाहेंगे कि बालक कोई सुगम नहीं है जिसे भरा जाए वह तो चिराग है जिसे रोशन किया जाए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में गांवों में जो प्रतिभाएं थी, उन प्रतिभाओं में ही हमारी जो विभूतियां हुई हैं, महापुरुष हुए हैं उसमें भारत रत्न सर्वपल्ली राधा कृष्ण, लाल बहादुर शास्त्री, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यह भी गांव से निकल कर आये हैं।

श्री अध्यक्ष: खेतसिंह राठौड़ भी गांव से हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): खेतसिंह राठौड़ वह भी गांव से हैं, वे भी वहीं से निकल के आये हैं। इसलिए आप सब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में उच्च शिक्षा दिलाने के लिए और अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए आज बालक आजीविका के साधन बन गए हैं, बालक शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उनके अभिभावक भी शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और वहां जाकर के वह उच्च शिक्षा के लिए बालक को पढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सब से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में आज जो हालात गांव के हैं, उन गांवों के हालात सुधारने की जरूरत है इन बालकों के चरित्र के निर्माण की जरूरत है। उनमें व्यक्तित्व के निर्माण की जरूरत है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने की जरूरत है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की जरूरत है, अमृतमयी जीवन देने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में अभी पिछले मुख्य मंत्री कार्यकाल के अन्दर परम आदरणीय वसुंधराजी ने एक निजी संस्थान से बात की, स्वयं सेवी संस्थान से बात की, भारती फाउंडेशन की सती भारती स्कूल और सती भारती की स्कूलें आपने राजस्थान के अन्दर खोली हैं। आपने जोधपुर जिले में करीब 27 स्कूलें सती भारती की खोली हैं। उसमें से 23 स्कूल हमारे शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खुली हैं। बहुत ही अच्छी उसकी बिल्डिंग है, अच्छा नक्शा है, 4-5 अध्यापक उसमें हैं और आज शेरगढ़ तहसील में साढ़े पांच हजार बालक उन विद्यालयों के अन्दर पढ़ रहे हैं, 50 प्रतिशत बालिकाएं उसके अन्दर पढ़ रही हैं और किसी प्रकार का उसमें ड्रोप आउट नहीं है। ड्रोप आउट नहीं होने का कारण यही है कि जिस प्रकार प्राइवेट विद्यालयों के अन्दर शहरों में शिक्षा दी जा रही है वैसी की वैसी शिक्षा उनको वहां मिल रही है और सरकार से जब उन्होंने निवेदन किया तो उनको जमीनें भी अलाटमेंट की गई, उनको सुविधाएं भी दी गई, उनको और भी सुविधाएं दी गई हैं और वास्तव में पहली क्लास से कम्प्यूटर शिक्षा भी दी जा रही है, अंग्रेजी शिक्षा भी दी जा रही है, पेरेन्ट्स और टीचर की मीटिंग करके उनकी सारी स्थिति बताई जा रही है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): एक विचारधारा विशेष का भी प्रवाह उसमें किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): और वह सती भारतीय स्कूल में 4-5 हजार प्रति अध्यापक, प्रति शिक्षक सैलेरी मिल रही हैं जबकि पास में जो

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

सरकारी विद्यालय हैं उन सरकारी विद्यालयों में 15 हजार से 25 हजार तक सैलेरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है फिर भी मैं कहना चाहूंगा जब से यह सती भारती स्कूल खुली हैं, अड़ौस-पड़ौस के सारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें ड्रोप आउट हो गए, नामांकन कम हो गए और वहां वास्तव में बंद होने की कगार पर हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैंने तो शुरू ही किया है। पहली बार ही बोल रहा हूं, शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष: मैं घड़ी देख रहा हूं। अधिकांश माननीय सदस्य पहली बार ही बोल रहे हैं, आप छह मिनट से ऊपर पहुंच गए हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे विद्यालय जिससे राजस्थान के अन्दर यह ऐसे स्कूलें खुली हैं तो उन स्कूलों के अन्दर जैसे राजस्थान के जयपुर में आमेर ब्लाक में 24 स्कूल हैं, अलवर के नीमराणा में 25 स्कूल गोद लिए हैं और वो स्कूलें चला रहे हैं। इसी प्रकार की देश के अंदर भी वो स्कूलें चला रहे हैं जैसे हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु में 236 स्कूल चला रहे हैं, उन्होंने शुरू की है तथा जो राज्य सरकार उनको सही ढंग से सुविधाएं देगी, वह अपने एनजीओ के माध्यम से बहुत बढ़िया शिक्षा गांव के अन्दर कर रहे हैं। वास्तव में गांव का गरीब कभी उसने नहीं सोचा होगा कि पहली क्लास से कम्प्यूटर व अंग्रेजी शिक्षा मिलेगी। ऐसे विद्यालयों में मिल रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप आने वाले समय में जब भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलें तो निजी सहभागिता के स्कूलें खोलें जैसे हमारे बीए ट्रेंड टीचर हैं उनको भी पंजीकरण के साथ रजिस्ट्रेशन के साथ स्कूलें खुलवायें, जमीनें अलोटमेंट करके दे, बिल्डिंग बनाकर के दें...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): और खासतौर से जैसे सती भारती के स्कूल खुले हैं इन स्कूलों को भी सरकारी सहायता देनी चाहिए और हमने उनको प्रोटेक्ट किया तो ऐसे सती भारती की स्कूलें खुलेंगी। निजी एनजीओ स्कूल खोलेंगे, निजी संस्थान स्कूल खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप ठीक फरमा रहे हैं लेकिन समय का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अन्य माध्यम से फिर कभी उठा लीजिएगा। आठ मिनट बोल चुके हैं आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, 20-20 मिनट सब बोले हैं।

श्री अध्यक्ष: आठ मिनट में निपटाना है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 12 कर दो आप, दो मिनट मैं कह देता हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे विद्यालय को आपको जो उनका बिजली का कनेक्शन है वह कॉमर्शियल है उनका घरेलू में लिया जाना चाहिए, पानी का कनेक्शन उनको फ्री दिया जाना चाहिए और किताबें जो राज्य सरकार मुफ्त में दे रही है अगर उन स्कूलों के अन्दर किताबें अपनी तरफ से मुफ्त दिला देंगे तो उनको भी बल मिलेगा और वह राजस्थान में ओर ज्यादा स्कूल खोलेंगे। हमारे बालकों को पढ़ा सकेंगे। यह मेरा आपसे खासतौर से एक निवेदन है और दूसरा अब यह स्कूलें जो बंद हो रही हैं इसका कारण यही है और विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में करीबन 280 स्कूल ऐसे हैं जो एकल अध्यापकों के सहारे चल रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप समानीकरण के अन्दर रिक्त पदों को ज्यादा से ज्यादा भरें जिससे हमारे शेरगढ़ में स्कूलों की व्यवस्था सुधर सके। दूसरा मेरा आपसे खास तौर से यह निवेदन रहेगा कि बजट के अन्दर मुख्य मंत्री महोदय ने जो उन्नीस सौ ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय खोले हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री बाबूसिंह राठौड़: मैं डिमाण्ड पर आ रहा हूं बस डिमाण्ड दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): दो मिनट डिमाण्ड ही है मेरी बस। डिमाण्ड रख देता हूं दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: दो-दो मिनट भी आपने कई बार कह दिया।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 12 मिनट मांग रहा हूं हुकुम, आपने 9 मिनट दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: 12 मिनट देने नहीं हैं न।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक डिमाण्ड रख दूं बस।

श्री अध्यक्ष: जल्दी करो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जो हमारे 10-20 स्कूलें रह गईं उसमें देड़ा, जिनजिनमाला, कला, सिंयादा, सुवालिया, पाबूसर, बेलवाराणाजी, भोमसागर, साबूसिंह का बेरा, हिम्मतपुरा, साबरसर, गोदलाई, डेरिया, भालू अनूपगढ़, दासणिया, ठाठनिया भायला ये हमारे स्कूलें हैं 15 तो ये जिन पंचायतों में नहीं हैं वो खोलें और खास तौर पर अभी मेरे दादो सा खेतसिंहजी साहब का नाम ले रहे थे उनकी भी तमन्ना थी, सपना था और वे घोषणा करते थे कि मैं जीतूंगा तो आपके लिए आईटीआई खोलूंगा, राजकीय महाविद्यालय खोलूंगा...

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनका एक सपना तो हमने, वसुन्धराजी ने आईटीआई का पूरा करा दिया ।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): और राजकीय महाविद्यालय आप खोल दें, यही मेरा आपसे निवेदन है जिससे उनकी सारी घोषणाएं पूरी हो जाएं, उनका सपना पूरा हो जाए। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री टीकाराम जूली। (अनुपस्थित) श्री मेवाराम जैन। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24, शिक्षा, पर मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट 2009-10 में शिक्षा पर मुख्य मंत्रीजी ने रखा है यह बहुत ही अच्छा है और मैं इसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में जो माध्यमिक विद्यालय, स्कूलें 1900 खोलने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है मैं इसका धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि जो पूर्व में माध्यमिक स्कूलें आनन-फानन में भारतीय जनता पार्टी के टाइम खोली गई हैं और उनको पंचायत हैडक्वार्टर पर नहीं खोल कर न कोई उसमें बच्चों की स्ट्रेन्थ देखी गई, न कोई दूरी देखी गई और जाते समय खोल दी गईं, मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि पंचायत हैडक्वार्टर पर माध्यमिक शिक्षा खोलनी चाहिए अभी जो उन्नीस सौ ये विद्यालय खोले जा रहे हैं और उसमें वो पंचायतें रह जाएंगी जहां पूर्व में

(श्री मेवाराम जैन)

पंचायत हैडक्वार्टर पर नहीं खोल कर कहीं अन्य दूसरी जगह पर खोल दी गई हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि उस पर खोलने के लिए मंत्रीजी विचार करें। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन रहेगा कि पूर्व में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती के तहत माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोतजी ने एक साथ जो विद्यालय खोले थे और जो ढाणी-ढाणी, स्कूलें खोली गईं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक स्कूलें अभी भी कई ऐसे एरिया हैं जहां खुली हुई नहीं है तो इस बजट में आप कुछ थोड़ा बहुत भी इसमें लेने का प्रयास करें, ताकि जिस एरिया में जो बच्चे वंचित हैं वो इसमें लाभ ले सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में बालिका महिला कालेज जो बाड़मेर में है उसमें बहुत बढ़िया अच्छा भवन बना हुआ है, फर्नीचर की व्यवस्था, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था है और उस विद्यालय में कामर्स का सब्जैक्ट नहीं है। सत्तर बच्चियां हैं और अभी एडमिशन में भी बच्चियां वंचित रह रही हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन है कि तत्काल कामर्स का इसमें विषय खोला जाए ताकि उन बच्चियों को लाभ मिल सके। बॉर्डर एरिया है और उस एरिया की बच्चियों का विशेषकर ध्यान में रख कर ये विषय खोला जाए। उसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सैकण्डरी स्कूलें खोली जा रही हैं इनमें बालिकाओं के लिए ग्रामीण एरिया में कुछ विद्यालय खोले जाएं ताकि ग्रामीण एरियाज की बालिकाएं जो शहर में पढ़ने के लिए नहीं आ सकती है तो उनको इसमें लाभ मिल सके। इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में घोषणा की थी समानीकरण के बारे में, मंत्री जी भी चाह रहे थे। मेरा आपसे निवेदन है कि समानीकरण हो तो अच्छा है परन्तु जो जिस तरह से विद्यालय खोले हैं और हमारे जिले में तो हालत इतनी खराब है कि एक-एक अध्यापक भी मिडिल स्कूल में है और कहीं पोजिशन बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरा निवेदन रहेगा कि जो शहर के नजदीक विद्यालय हैं और जो मिड डे की वजह से हैं या जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, एक स्कूल प्राइमरी स्कूल है बीस से पच्चीस बच्चे हैं और पांच-पांच अध्यापक हैं अगर उसको परीक्षा के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ मानी जाए बच्चों की तो यह ग्रामीण एरिया में जो खाली विद्यालय हैं उसमें भरा जा सकता है। शहर के नजदीक जितने भी विद्यालय हैं उसके अन्दर यही झगड़ा है एक स्कूल में पड़ोस की दो-दो स्कूलों के बच्चों के नाम उसी विद्यालय में लिख कर और जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बात कही, ये अगर ठीक हो सकता है तो इसमें

(श्री मेवाराम जैन)

मेरा यह सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि ये शिक्षा, चिकित्सा और पानी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सभी मिलकर यह सोचें कि कैसे इसको ठीक किया जा सके, इस पर हमें मनन करना चाहिए। आपस में वाद-विवाद नहीं करके कैसे इसको ठीक करें, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जिस तरह अभी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है वहां जल्दी से जल्दी भरा जाए और उन एरियाज में स्कूलें खोली जाएं जहां वास्तव में आवश्यकता है, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा । आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुखराम कोली।

श्री सुखराम (बसेड़ी): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर मुझे विचार प्रकट करने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। शिक्षा मंत्री महोदय से अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा एक ऐसा समाज के लिए अंग है कि जिसके बिना अगर हम समाज के विकास की, राजस्थान के विकास की और अपने देश के विकास की कल्पना करें तो वो अधूरी ही होगी क्योंकि लिखा भी है, ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी, यहां के जितने भी सम्माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं इनके पप्पू तो पढ़ते हैं कान्वेंट स्कूल में वो तो पास हो जाएगा परन्तु उस गरीब के पप्पू का क्या होगा जिसके पास न तो किताब है, न फीस भरने के पैसे हैं और अगर आवागमन के साधन को देखें तो वो पैदल आता-जाता है अगर रास्ते में दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए भी कोई जिम्मेदार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम आपस में इस टकराव को छोड़ें। कांग्रेस वाले बीजेपी वालों की और बीजेपी वाले कांग्रेस वालों की बुराई करते हैं परन्तु यह शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर एकचित्त होकर, एकाग्र होकर, एकमन हो करके...

(समय : 19.20 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

उस गरीब की आह को समझना होगा, उस गरीब की बेबसी को समझना होगा तभी जाकर शिक्षा का उद्धार हो सकता है । अगर शिक्षा पर राजनीति करेंगे तो निश्चित है कि जनता हमें भी देखेगी और आपको भी देखेगी।

(श्री सुखराम)

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में जिसमें करीबन 25 हजार जनसंख्या है और लगभग 18 हजार एसटी की जनसंख्या है पर इतनी जनसंख्या होने के बाद भी पता नहीं क्यों मुख्य मंत्री महोदय ने हमारे क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिये कुछ नहीं रखा । बसेड़ी में जो सीनियर सैकण्डरी विद्यालय है मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस विद्यालय में मैथ्स और कामर्स की क्लासें शुरू की जाये क्योंकि वहां से दूरदराज तक अगर देखते हैं तो धौलपुर में ही एक मात्र ऐसा विद्यालय है जहां पर ऐसी शिक्षा की उपलब्धता है, बसेडी में ऐसी कोई उपलब्धता नहीं है । इसलिए बसेडी की आवश्यकता को समझते हुए उस बसेड़ी सीनियर सैकण्डरी स्कूल में मैथ्स और कामर्स विषय शुरू किये जाये । इसके साथ तहसील बसेडी का एक मात्र गर्ल्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल है और उस स्कूल में न तो स्टाफ की व्यवस्था है और न ही भवन की व्यवस्था है । जबकि पूरी बसेडी तहसील की गरीबजन की जो बच्चियां हैं वहां अध्ययन करने के लिये आती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान दें ।

सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र चम्बल से लगा हुआ है। वहां पर शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो वहां पर दो चीजें हैं या तो उन्हें शिक्षा दो या अगर शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो मजबूर होकर उनको बंदूक उठानी पड़ती है, वह डकैत बनते हैं। अगर उनको इससे दूर रखना है तो निश्चित रूप से उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी । जब तक शिक्षा की माकूल व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारा क्षेत्र हमेशा से पिछड़ा ही रहेगा। मथुरा में जो कस्बा है उसमें एक मात्र धौलपुर जिले का संस्कृत महाविद्यालय चलता है । परन्तु उस संस्कृत महाविद्यालय की स्थिति ऐसी है कि वहां स्टाफ के नाम पर तीन व्याख्याता हैं, भवन के नाम पर एक टूटी-फूटी बिल्डिंग है । अगर बारिश हो तो उसका संपूर्ण रिकार्ड भी कभी-कभी भीग जाता है । इसलिए शिक्षा मंत्रीजी आप अगर इस तरफ ध्यान देते तो ज्यादा बेहतर होता। बसेडी विधान सभा के सम्पूर्ण स्कूल और धौलपुर के संपूर्ण स्कूल अगर हम आकलन करते हैं तो निश्चित रूप से न तो वहां अध्यापक है, न बैठने की व्यवस्था है । हां एक चीज जरूर है वहां पर जो कुछ चहेते अध्यापक हैं एक ही स्कूल में 10-10 वर्ष से लगे हुए हैं और कहीं-कहीं पर तो जो गुरुजन है आज शायद उनको गुरु कहने में भी शर्म महसूस होती है । एक बाल्टी दही पीयेंगे और आराम से

(श्री सुखराम)

सोयेंगे । अगर लड़का खड़ा हो जाये किताब पढ ले, यह प्रश्न लगा लो गुरुजी का यही पता नहीं सो रहे हैं या जाग रहे है । ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। जो थोड़े अध्यापक हैं भी सीआरसीएफ, बीआरसीएफ का उन पर दोहरा कार्यभार डाल रखा है। वह फील्ड में काम करें या विद्यालय में काम करें। उनको भी एक जगह ही नियुक्त करना चाहिये या तो विद्यालय में काम करावें या फील्ड में काम करावें। अगर हम डीपीईपी को देखते हैं तो डीपीईपी के द्वारा जितने भी निर्माण कराये जा रहे हैं उनमें कहीं पर भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा । इसमें जो संबंधित जिला अधिकारी है, डीपीईपी समन्वयक है उनकी मिलीभगत से इस तरह के कार्य करवाये जा रहे हैं जिनसे कभी भी किसी भी विद्यालय में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे सभी कार्यों की जांच कराई जाये और उनकी गुणवत्ता निर्धारित की जाये जिससे भविष्य में कोई अनहोनी घटना नहीं घटे। यहां जो शिक्षा मित्र लगे थे लगभग 3000 शिक्षा मित्र लगे थे परन्तु 28 फरवरी, 09 को उन्हें हटा दिया और इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने इनको 15 अप्रैल तक कार्य करने का आदेश दिया । हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मेरे धौलपुर जिले में डीईओ कहते हैं बीईओ के पास जाओ, बीईओ कहता है डीईओ के पास जाओ । आखिर यह कब तक चक्कर लगाते रहेंगे । इसलिए उनको भी कार्य करने का आदेश प्रदान किया जाये। यहां एनटीटी के छात्र आये दिन धरना देते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं परन्तु सरकार ने उनके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। 6200 अध्ययनरत छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि 1982 से 2007 तक जितनी भी थर्ड ग्रेड भर्ती हुई उनमें एसटीसी और एनटीटी को समकक्ष माना गया था पर अब उनके साथ इस तरह का दुर्भाव क्यों रखा जा रहा है। एससी और एसटी के जो छात्र-छात्राएं हैं उनके लिये धौलपुर जिले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो शायद एससी एसटी के छात्रों के लिये कोई भी प्रावधान नहीं है। जहां पर जिसका पव्वा फिट हो गया वही अपने काम करवा लेता है। सभापति महोदय, मैं यहां विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा धौलपुर जिले के लिये एक इंजीनियरिंग कालेज दी गई है महाराणा प्रताप संस्थान को । यह वह महाराणा प्रताप संस्थान है जिसके मालिक का भी आज तक अता पता नहीं है । पता नहीं कौन से शिक्षा सचिव या शिक्षा मंत्री या किस तरह की यह व्यवस्था है कि जिसके मालिक का ही नहीं पता कि कौन है । जिसकी एक कालेज में 10-10 कालेजें चल रही

(श्री सुखराम)

हैं ऐसे संस्थानों को अगर यह इंजीनियरिंग कालेज दिया जाता है तो वह कभी भी जो शिक्षा माफिया के नाम से जाने जाते हैं अगर उस संस्थान को यह इंजीनियरिंग कालेज दिया जाता है तो निश्चित है कि धौलपुर जिले में उससे शिक्षा का कोई विकास नहीं हो सकता सिर्फ उसका व्यावसायीकरण किया जायेगा । सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस संस्थान की सम्पूर्ण जानकारी कर के उसको इंजीनियरिंग कालेज दी जाये। अभी एक घटना घटी थी जिसमें एक ट्राली पलटी थी उसमें उसी बीएड कालेज की छात्राएं थीं। 38 छात्राओं को मैंने खुद जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया जिसमें 9 छात्राओं की बहुत गम्भीर हालत थी । एक छात्रा वहां पर खतम हुई और एक छात्रा आज तक एसएमएस में भर्ती है जिसके तीन आपरेशन हो चुके हैं चौथा आपरेशन उसका होना है परन्तु न तो शिक्षा विभाग ने और न ही उस संबंधित कालेज ने उसके लिये आज तक कोई सहायता दी है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनट और लेना चाहूंगा, जो शकुंतला नाम की बच्ची है उसके लिये सरकार की तरफ से या उस कालेज की तरफ से कोई भी सहायता नहीं दी गई। सभापति महोदय, हमारा जो धौलपुर जिला है वह एजुकेशन की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर इसके लिये विशेष कार्य योजना बना कर शिक्षा को बढावा दिया जाता है तो निश्चित रूप से हमारा धौलपुर जिला भी अन्य जिलों के समकक्ष खड़ा हो सकता था। मिड डे मिल में मेरे धौलपुर जिले में कहीं पर चूहे पाये जा रहे हैं, कहीं पर सड़ा हुआ भोजन दिया जा रहा है जिससे अभी सुआ के बाग़ पर घटना घटित हुई । क्योंकि बाहर से आने वाली संस्था को मिड डे मिल के वितरण का आदेश दे दिया जाता है जबकि अगर इस मिड डे मिल वितरण को महिला स्वयं सेवी संस्था को दे दिया जाये, क्षेत्र विशेष में दे दिया जाये तो निश्चित ही वह अपना कार्य करेगी ।

सभापति महोदय, मैं खुद भी प्राइवेट कालेज में कम से कम पांच साल प्रिंसिपल रहा हूं । वहां की व्यवस्थाएं देखी हैं पता नहीं कैसे यह डिपार्टमेंट उनको खोल देता है जबकि वहां देखें तो कागज तो किसी और के चल रहे हैं और वहां पढा कोई और रहा है। जो पढ़ाने वाले व्याख्याता हैं पता नहीं वह आठवीं पास है या दसवीं पास है । क्योंकि जो डिग्रियां हैं वह किसी और की लगी हुई हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): इसलिए इन सब डिग्री कालेजों की जानकारी की जाये । सभापति महोदय, बस एक मिनट और पहली बार समय मिला है। दूसरी बात अगर इनके परीक्षा केन्द्र की आती है तो 10 हजार रुपये देओ परीक्षा केन्द्र कराओ, पांच हजार रुपये देओ नया विषय ले लो । ऐसे दोषी अधिकारियों के प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। यहां पर शिक्षा मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था 7.4.2009 को कि जुलाई तक सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपका यह जो वक्तव्य कि 5 जुलाई तक सब कुछ ठीक कर लेंगे, 7 जुलाई को दिया था, अब तक क्या ठीक किया क्योंकि 7 महीने हो गये आपकी सरकार को । जबकि सभी में सत्र शुरू हो गया है । बीए का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। 6 हजार बीएड के छात्र निकाल दिये गये जबकि उन छात्रों का कोई दोष नहीं है दोष है उन अधिकारियों का जिन्होंने बीए का रिजल्ट नहीं निकाला । फिर उन 6 हजार छात्रों के साथ क्यों इस तरह का व्यवहार किया गया कि उन्हें बीएड की काउंसिल से निकाल दिया गया। जबकि दोष है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के उन अधिकारियों का जिन अधिकारियों ने उनके रिजल्ट को रोका । उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये या उन 6 हजार छात्रों को दुबारा काउंसिल का समय दिया जाये और आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपालजी मीणा।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, आज मुझे मांग संख्या-24 शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि राज्य के यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान की शिक्षा के चहुंमुखी विकास को समर्पित बजट दिया है जो सभी बालक-बालिकाओं को शिक्षित करने के संकल्प, उनके पक्के इरादे को दर्शाता है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिये लाया जाने वाला कानून भी क्रान्तिकारी कदम है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस घोषणा का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि जिनके द्वारा उन्होंने 1900 ग्राम पंचायतों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 11 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक शिक्षा विद्यालय नहीं हैं। इसके साथ

(श्री गोपाल मीणा)

मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं जो अनुसूचित जनजाति के लिये सुरक्षित है, वहां पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बहुतायत है जिनमें अशिक्षा का प्रतिशत अन्य वर्गों से अधिक है। ऐसी स्थिति में ग्राम दंताला-मीणा, भावपुरा, दौलतपुरा और डकोता में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय खोलने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में मुख्य मंत्रीजी की 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने की घोषणा भी स्वागत योग्य है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को अपना भविष्य संवारने का मौका मिलेगा, उनकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सरकार की समानीकरण की योजना भी एक स्वागत योग्य कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और हमारे बच्चों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध होगी। मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में 80 उच्च माध्यमिक, द्वितीय श्रेणी के 51, तृतीय श्रेणी के 60, प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी के 52 पद रिक्त हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि समानीकरण के पश्चात् इन विद्यालयों को शिक्षक उपलब्ध होंगे।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पहले कार्यकाल में कम्प्यूटर शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिये पहल की थी। इसके अच्छे परिणाम आये हैं। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा है। कम्प्यूटर शिक्षा का महत्व हम सभी जानते हैं कि 2000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उसकी शुरूआत की घोषणा भी स्वागत योग्य है। सेवानिवृत्ति के साथ ही नये शिक्षकों की भर्ती सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न श्रेणी के 17229 शिक्षकों की, एक हजार शारीरिक शिक्षकों की भर्ती, मदरसों हेतु 2500 सामान्य शिक्षक सहयोगियों की भर्ती से सर्व शिक्षा के लक्ष्यों को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे अल्पसंख्यक वर्गों में शिक्षा का विकास तेजी से हो, इसके लिये मुख्य मंत्रीजी ने मदरसों में शिक्षा सहयोगियों की भर्ती का प्रावधान किया है। साथ ही मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर तक मान्यता का प्रावधान किया है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 19 हजार बच्चों को प्री-मैट्रिक स्कालरशिप की संख्या अब बढ़ाकर 66 हजार की जा रही है। जो एक बहुत ही श्रेष्ठ कदम है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में

(श्री गोपाल मीणा)

कार्यरत राजकीय एवं निजी संस्था में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने एवं उनके प्रबन्धन को और अधिक कुशलतापूर्वक बनाने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी की उच्च शिक्षा सुधार आयोग के गठन के बाद प्रदेश के शिक्षा तंत्र में बहुत ही अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का मेरे क्षेत्र के उच्च शिक्षा के क्षेत्र की दिशा की ओर विनम्रतापूर्वक ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ में 13 सीनियर सैकण्डरी स्कूल, 31 सैकण्डरी स्कूल और 89 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें हजारों की तादाद में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। किन्तु इतने व्यापक शिक्षा तंत्र के बावजूद भी यहां पर राजकीय महाविद्यालय का अभाव है क्योंकि इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षित सीट है। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि इस क्षेत्र में महाविद्यालय होना अति आवश्यक है। मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो जमवारामगढ़ क्षेत्र है वह अभी काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बसते हैं। हमारे छात्र-छात्राओं को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की स्नातक स्तरीय शिक्षा मिले इसके लिये मैं जमवारामगढ़ में स्नातक महाविद्यालय खोलने की पुरज़ोर मांग करता हूं। इस कालेज के प्रारम्भ होने से जयपुर शहर पर भी दबाव कम होगा। जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा विकास की दृष्टि से ग्राम टोडा -मीणा, बासना, ताला, नीमला, धुला रावजी, लांगडीवास में सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोलने का भी मेरा विनम्रतापूर्ण अनुरोध है। राजकीय महाविद्यालय में निजी क्षेत्र भागीदारी से युवा विकास केन्द्रों की स्थापना से निःसन्देह छात्र-छात्राओं को कैरियर को संवारने में मदद मिलेगी।

आज शिक्षकों की कई अभियानों में ड्यूटी लगा दी जाती है। कभी चुनावों में, कभी मतगणना में, कभी पशुगणना में, कभी जनगणना में, मिड-डे मील में, डी.पी.ई.पी., भवन निर्माण में, न जाने क्या-क्या कार्य शिक्षकों से कराये जा रहे हैं। इससे शिक्षक पढ़ाते कम हैं और इन कार्यों में व्यस्त ज्यादा रहते हैं। आप एक निश्चित नीति तय कर दें कि इन शिक्षकों को हम इन-इन कामों में ही लगाएंगे। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक इन कार्यों में लग जाते हैं और शिक्षण कार्य नहीं हो पाता है। डी.पी.ई.पी. के कामों में शिक्षकों को लगा दिया जाता है तो शिक्षक कभी लोहा खरीदने जाते हैं, कभी ईंट खरीदने जाते हैं, कभी क्या खरीदने जाते हैं। आपने गत वर्ष विद्यालयों को क्रमोन्नत तो कर दिया लेकिन उन क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों में

(श्री गोपाल मीणा)

प्रधानाध्यापक नहीं लगाये गये, व्याख्याता नहीं लगाये गये, शिक्षक नहीं लगाये गये, नतीजा उन क्रमोन्नत विद्यालयों का छात्रों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है।

मैं संस्कृत शिक्षा के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज संस्कृत विद्यालयों में काफी संख्या में रिक्त पद हैं। इन पदों को भरने के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 जुलाई को भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। आप जो भी पद रिक्त हैं, वह इस परीक्षा के माध्यम से शीघ्र भराएंगे। राज्य में राजकीय क्षेत्र में कोई बालिका संस्कृत महाविद्यालय नहीं है। आप राज्य में संस्कृत शिक्षा में कम से कम एक राजकीय महाविद्यालय बालिका शिक्षा का अवश्य खोलें। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में सामान्य शिक्षा में काफी स्कूल क्रमोन्नत किये गये हैं किन्तु संस्कृत शिक्षा में आपने सामान्य शिक्षा के अनुपात में न तो स्कूल खोले और न ही क्रमोन्नत किये गये। मैं शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि संस्कृत शिक्षा में नये विद्यालय खोलने और क्रमोन्नत करने में भेदभाव नहीं होना चाहिए।

मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज इंजीनियरिंग, एम.बी.ए., आई.टी.आई. जैसे रोजगार देने वाले पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आप आने वाले समय में अधिक से अधिक संख्या में तकनीकी महाविद्यालय, आई.टी.आई. खोलें और मैं मेरे क्षेत्र में भी निवेदन करुंगा कि एक आई.टी.आई. और तकनीकी शिक्षा का महाविद्यालय खोलें। इसके लिये मैं आपको पुरजोर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस जमवा रामगढ़ क्षेत्र में, जैसे बांसवाड़ा में तकनीकी महाविद्यालय खोला, इसी प्रकार से हमारा भी सुरक्षित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है। तो मैं माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री से निवेदन करुंगा कि मेरे क्षेत्र की ओर भी ध्यान दें और एक तकनीकी शिक्षा का महाविद्यालय दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दे दिया, हो गया, दे देंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): दे दिया। हमारे माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करुंगा कि इसके लिये हमें आश्वासन दें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ग्यारसारामजी कोली।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के बारे में आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए आभार प्रगट करता हूं।

(श्री ग्यारसा राम कोली)

किसी भी व्यक्ति, समाज, देश और प्रदेश के उत्थान और उन्नति के लिए एक मात्र अगर कोई साधन है तो शिक्षा है और शिक्षा के माध्यम से ही चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, तकनीकी प्रगति का मार्ग हो, प्रोग्रेस हो या सामाजिक व्यवस्था हो, शिक्षा के माध्यम से यह सब कुछ सम्भव है। इस क्षेत्र में मेरे कुछ सुझाव हैं और समस्याएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, सुबह से काफी लम्बा इस विषय पर विचार -विमर्श हुआ है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी शायद प्रस्थान कर चुके हैं। मैं उनको एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण पेश करना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, एक ऐसे स्कूल का मैं नाम लेता हूं उदाहरण के तौर पर, अभी यह सुनने को आया है कि वहां जहां प्रधानाध्यापक है तो टीचर नहीं है और टीचर अगर हैं तो कम स्थिति में हैं। मैं एक ऐसे विद्यालय का नाम उजागर करता हूं, शिक्षा विभाग का अमला यहां बैठा हुआ है, सिघंनिया सैकण्डरी स्कूल, पंचायत समिति बयाना, जिला भरतपुर। मैंने उसका निरीक्षण किया है और जब मैं स्कूल में पहुंचा तो जाकर मैं अकेला मेरे साथियों सहित बैठा। दौड़-भाग करके एक व्यक्ति आया। मैंने पूछा आप कौन? कि साहब मैं इस स्कूल को चला रहा हूं। मैंने कहा कि आपका परिचय तो बताइये कि क्या आप हैडमास्टर हो? कि नहीं। कि आप सैकण्ड ग्रेड के अध्यापक हो? बिलकुल नहीं। तो क्या थर्ड ग्रेड के अध्यापक हो? कि नहीं। क्या यह इस केडर के कोई आदमी भी है? तो उसने मुझे बताया कि मैं मात्र एक पैराटीचर हूं जो डेपुटेशन पर लगा हुआ हूं सैकण्ड्री स्कूल में, वह भी दूसरे स्कूल से डेपुटेशन पर और एक मेरे साथ में फोर्थ क्लास है, वह आज आया नहीं है तो महोदय, आप मुझे यह बताइये कि स्कूल कैसे चल रहा होगा? सैकण्डरी स्कूल में एक पैराटीचर जो भी डेपुटेशन पर हो और पोस्ट वह जनवरी से खाली है। मैंने वहां के डी.ई.ओ. को लैटर लिखा, कोई प्रत्युत्तर नहीं। आज मुझे इस माध्यम से आपको यह निवेदन करने का मौका मिला है, इसके लिए शिक्षा मंत्रीजी नोट करें, इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि सैकण्डरी स्कूल बिना टीचर के और पैराटीचर के भरोसे चलाये और फिर इस बात की दावत देते हैं, इस बात का ढोल बजाते हैं कि सत्ता पक्ष ने यह कर दिया, वह कर दिया। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, यह तो बताओ कि कब से किये हुए हैं वह ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सदस्य, यह भी बताने का कष्ट करें कि कितने समय से खाली है। (व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): इससे शर्मिन्दगी की तो कोई बात नहीं है। महोदय, इससे दयनीय कोई बात नहीं है दूसरी। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): एक सिंगल अध्यापक कितने समय से है, यह भी बता दो।

श्री नगराज (धरियावद): कब से खाली है यह बताओ? यह भी बता दो न । ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): यह भी बता दो न ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): सच को ...(व्यवधान) सच को मानना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो आप पूछिये जिला कलक्टर, भरतपुर से कि ऐसा स्कूल आज की तारीख में है या नहीं? आपके वहां के डी.ई.ओ. को पूछिये। आप यहां, आपका अमला बैठा है। किसी डाइरेक्टर से पूछिये। जे.डी. से पूछिये कि ऐसा स्कूल है कि नहीं है? अगर आप किसी सही बात का विरोध करते हैं तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अगर ऐसे ही सरकार चलानी है तो ...(व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो यह जानना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): शर्म की बात है।

श्री नगराज (धरियावद): हम तो यह जानना चाह रहे हैं कि वह कब से चल रहा है? यह जानना चाह रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): सरकार बनी है तभी से चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): क्या छह महीने में सारे अध्यापकों का ट्रांसफर कर दिया? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): चुप रहो, मैं बताता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये-विराजिये।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): पिछली जुलाई के बाद याद आया था क्या आप लोगो को? (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): गलती किसी से भी हुई, सुधारो तो सही। (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदय, 26 हजार पर अध्यापक ...(व्यवधान) एक अभियान चलाया था उसमें सारे अध्यापक खाली हो गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये। (व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): यह व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूं इसमें। मैंने उसमें डिटेल में अपने नोट्स भेजे हैं डी.ई.ओ. को। पहले कुछ टीचर्स थे और आपको इस बात को फिर विरोध करने का, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी सही बात को सही नहीं मानते। मेरा मतलब सत्ता पक्ष से यह नहीं है कि मैं आपका विरोध कर रहा हूं लेकिन सही बात को मानो तो सही कम से कम। इसलिए माननीय सदस्य इसका विरोध नहीं करें। ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सही कहें, बड़ी ईमानदारी से बात कहें मगर तय यह करना है कि डेपुटेशन किसने लिया है, उसको आपके ही टाइम पर नहीं लगाया कहीं? एक ही आदमी को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय सदस्य, गलती कहां से भी हुई, उसको सुधारो तो सही न। आप बैठे हो इस समय, क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सुधारने के लिए टाइम तो चाहिए थोड़ा-सा।

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह जवाब तो मंत्री महोदय, आप देते न। ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): चुनाव के जस्ट बाद, आपकी सरकार के आते ही उन टीचर्स को आपके बल पर उनको इधर-उधर फेंक दिया गया और वह स्कूल खाली पड़ा है आज की तारीख में। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, नये हैं। बोलने दें। बोलने दें। बोलिये-बोलिये।

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने अभी तक कोई डेपुटेशन नहीं किया है और न तबादला किया है इसलिए हम यह जानना चाह रहे हैं कि यह कब का मसला है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो। आप विराजो।

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह जवाब मंत्रीजी वाला दे दिया। यह जवाब तो मंत्री देते न ...(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मालूम ही नहीं है कि पूरे राजस्थान में डेपुटेशन चल रहे हैं छह महीने से। हर डिपार्टमैंट में डेपुटेशन हो रहा है। आपको मालूम ही नहीं है, इतनी देर हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय सभापति महोदय, सदस्य महोदय, आपको वहां की थ्योरी का पता नहीं है। मात्र विरोध कर जाए, यह कोई बात नहीं होती है।

दूसरा मेरा सुझाव है कि अगर शिक्षा में आपको सुधार लाना है, बहुत कुछ सिस्टम के बारे में डिसकस हो गया, मैं व्यवहारिकता की बात निवेदन कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, ट्यूशन प्रणाली, अगर आप ट्यूशन प्रणाली को 50 प्रतिशत राजस्थान में से कम कर दें तो मैं यह समझूंगा कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मैं यह नहीं कहता कि यह ट्यूशन प्रणाली अभी से लागू है। हमारी भी सरकार रही है, हो सकता है कि हम कम कर पाये हो, मेरा निवेदन है सरकार को माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इस प्रवृत्ति को रोकें। ट्यूशन प्रणाली, अध्यापक का, किसी भी टीचर का जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न देखते हैं तो ढाई लाख और तीन लाख का इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है, लेकिन उसकी अर्निंग देखिये आप। अगर फिजिक्स का, केमेस्ट्री का, हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल का टीचर है तो उसके ट्यूशन को आप जोड़िये, वह सात लाख से लगाकर आठ, नौ, दस लाख तक उसका बैठता है। यह उदासीनता नहीं है तो क्या है? क्या शिक्षा मंत्री यहां आंख बंद करके बैठे हैं, राजस्थान में? उस पर ध्यान करें। यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। आपका अमला यहां पर बैठा हुआ है, इस अमले को यहां नहीं बैठायें। मेरा यह व्यक्तिगत सुझाव है। आप कितना करेंगे यह तो आपके सोच की बात है लेकिन यहां से उनकी जांच करायें और अध्यापकों का ठहराव करायें और ट्यूशन प्रणाली खतम करायें।

(श्री ग्यारसा राम कोली)

माननीय सभापति महोदय, आपको तीसरा मेरा इसमें सुझाव है कि यह विरोध की जो बात है, आप इसमें थोड़ी समानता लायें और किसी बात को मानें और जब आप मानेंगे तो डेफीनेट सुधार होगा अगर आप किसी चीज में हमारा सहयोग चाहते हैं, आप हमारा सहयोग लीजिए। यह तो आपकी बुद्धिमत्ता का उदाहरण होगा और मात्र उसका विरोध कर देना, यह कोई समझदारी का प्रतीक नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा मत है इसमें आप यूं कहते हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। बी.जे.पी. सरकार ने यह कर दिया। बी.जे.पी. सरकार ने तो यह कर दिया जो आपने 45 साल में किया, हमने पांच साल में आपको भूला दिया और हर क्षेत्र में आपके बराबर से ऊपर आ गये जिससे आप बौखला गये। यह किया है हमने और यदि यह तो आपकी सरकार आ गयी वरना आपको अगले चुनाव में कैंडिडेट देखना दुर्लभ हो जाता। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): आसन को पुकारो। इधर नहीं, उधर। उधर पुकारो।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): कांग्रेस का सफाया हो जाता। बजट के मामले में, बजट के मामले में आप पूरा दुदुम्भी बजा रहे हैं लेकिन आप यह देखिये कि पूर्वी राजस्थान को बिलकुल उपेक्षित रखा। मेरे विधान सभा का तो मुझे दर्द है ही लेकिन मेरा विधान सभा क्षेत्र ही नहीं, मेरा जिला ही नहीं, पूर्वी राजस्थान बिलकुल उपेक्षित रखा है आपने। यह आपकी समरूपता और बराबरी का उदाहरण है, आप कितनी जलैसी भावना से सरकार चलाना चाहते हैं, क्या आधे राजस्थान को प्रोग्रेस कर देना आपकी सफलता का प्रतीक होगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: अब आप समअप करो माननीय सदस्य।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): यदि किसी व्यक्ति का शरीर है उसके एक हाथ को निष्क्रिय कर दिया जाये तो क्या शरीर स्वस्थ रहेगा? राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के क्षेत्र को देखते हुए, राजस्थान की जनता को देखते हुए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि पूरे क्षेत्र को साथ में लेकर चलें, किसी

(श्री ग्यारसा राम कोली)

भी जिले को उपेक्षित नहीं करें, यही आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। थोथी बातों को तो करने से क्या मतलब है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: अब समअप करो। समय की सीमा में तो सभी को रहना पड़ेगा न माननीय सदस्य।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): यह बात सही है सभापति महोदय, मैं अपनी बात को पूरा करना चाह रहा था, ठीक है।

श्री सभापति: जल्दी समअप करो आप। ...(व्यवधान) बिलकुल नहीं माननीय सदस्य, मैं इस आसन पर बैठकर सबके समय का आप देखेंगे तो मैं पूरा चार्ट रख दूंगा आपके सामने। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप काम ही नहीं करोगे तो चाहे कितने ही दे दो। राजेन्द्रजी को मैंने बहुत ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): नया सदस्य बोलता है माननीय सभापति महोदय, और आपकी घंटी बजती है तो हमारे सीने में गोली जैसे लगती है। हमें कम से कम आप एक दो मिनट का समय दे दिया करो।

श्री सभापति: आप समअप करो जल्दी।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पदमारामजी।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापतिजी, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा, कला और संस्कृति- मांग संख्या-24 पर दो शब्द बोलना चाहता हूं। मनुष्य जीवन के अन्दर अपना जीवन-यापन करने के लिये, अपना विकास करने के लिये और समाज, क्षेत्र, जाति, धर्म, सबका विकास करने के लिये शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा मनुष्य को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला एक विषय है। उसका विकास करना बिना पार्टी, बिना जाति-पाति, भेदभाव भुलाकर उसका सर्वांगीण विकास करने के लिये सबको सहयोग करना चाहिये। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो किसान के बेटे हैं, गांव से उनका हमेशा लगाव रहा है। गरीब, दलित और किसान का हित देखते हुए उन्होंने ग्रामों के अन्दर जो 1900 उच्च माध्यमिक स्कूलों की घोषणा की है, वह सराहनीय है। हम उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। मैं माननीय

(श्री पदमाराम)

मुख्य मंत्री महोदय को यह भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों के अन्दर सैकण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत तो बहुत पहले कर दिया था, परन्तु चुनाव को मद्देनजर रखते हुए माननीय पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने जो ग्रामीण इलाके के जो अध्यापक थे, उनकी अपनी इच्छा से सिटी के अन्दर स्थानान्तरण कर दिया और गांव की स्कूलें पूरी खाली हो गयीं। उनको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी ने समानीकरण योजना लागू करके 15 हजार बिना रिक्त पद के जो सिटी में रहते हैं, उनको ग्रामीण इलाके में भेजने की जो व्यवस्था की है, वह बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण विकास को और ग्रामों के स्कूलों को, ग्रामीण बच्चों को सबल बनाने के लिये 17,229 शिक्षकों की भर्ती की है, वह जल्दी ही लागू कर दी गयी, इसलिये उनको धन्यवाद देते हैं। हम यह भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि शारीरिक शिक्षा को मजबूती देने के लिये एक हजार अध्यापकों की भर्ती है, इसके लिये भी मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और पाकिस्तानी सीमा के नजदीक है, इसलिये हमारे क्षेत्र के अन्दर एक बाकासर ग्राम पंचायत है, जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल से 50 कि.मी. दूर है। वहां आज की तारीख में 70-80 गरीब, एस.सी., एस.टी. और पिछड़े वर्गों की ग्रामीण बच्चियां अध्ययन कर रही हैं, इसलिये वहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने की कृपा करें।

मेरा यह भी निवेदन है कि हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति के 70 प्रतिशत लोग वहां रहते हैं और स्कूलों के अन्दर मास्टरों की कमी है। आपसे निवेदन है कि गरीब बच्चे हैं, जो दूरदराज अध्ययन करने के लिये नहीं जा सकते हैं, इसलिये उन स्कूलों के अन्दर अच्छे से अच्छे अध्यापकों की व्यवस्था करावें तो गरीब जनता का भला हो सके और जनता का सुधार हो सके। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि एक गरीब किसान का बेटा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या हो रहा है माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) और माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करें और मोबाइल बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सदस्य मोबाइल चैक करें, मेरा बंद है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप जब 1990 में आये थे तब आपके साथ भी यही होता था। आप नये सदस्ये को डिस्टर्ब कर रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, अगर आसन के निर्देशों की इसी तरह पालना करवानी है तो सबको छूट दे दो। (व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपको पहली बार आये विधायक रास नहीं आ रहे हैं क्या? हो गयी गलती, बात खतम हो गयी। अब नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): बात थोड़े ही कर रहा हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर जो ग्रामीण इलाका है, उस ग्रामीण इलाके के अन्दर कई दूरदराज ढाणियों में रहते हैं वहां ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तीसरी बार आने वाले माननीय सदस्य को देख लो। (व्यवधान) तीसरी बार आने वाले माननीय सदस्य को देख लो। कुछ तो रखो साहब।

एक माननीय सदस्य: क्या कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): दूरदराज की चार-चार, पांच-पांच, दस-दस कि.मी. के अन्दर स्कूलें नहीं हैं। आपसे निवेदन है कि ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की व्यवस्था करावें और माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अल्पसंख्यक वर्गों को प्रोत्साहन देने के लिये जो मदरसों को उच्च शिक्षा के अंदर प्राथमिकता दी है, इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनको सबको साथ लेकर चलने की उनकी नीति है और अल्पसंख्यकों का उन्होंने सम्मान किया है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने मदरसों के अन्दर 2500 संविदा पर सहयोगी रखे हैं उससे अल्पसंख्यक वर्ग के जो युवा छात्रों को वहां अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिये स्थान मिलेगा, हम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को सहयोग देने के लिये, उनका विकास करने के लिये उन्होंने जो रणनीति तैयार की है और उनको समानता दी है। मेरा आपसे यह भी निवेदन है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपका पूरा हो गया क्या भाषण? कर लो पूरा, ठीक है।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सेडला उप तहसील है, वहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बाहुल्य लोग हैं। पाकिस्तानी बोर्डर के नजदीक है। वहां शिक्षा की कमी है इसलिये वहां एक माडल स्कूल खोली जाये तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। आपके बड़े आभारी रहेंगे। आपने हमको बोलने का मौका दिया, हमारी बात सुनी, इसलिये मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन यह करना चाहूंगा कि सदन में जो कुछ मान-सम्मान बहुत बरसों से बना है, उनको आसन द्वारा परिपालन कराया जाना चाहिये। अगर नहीं कराते हैं तो धीरे-धीरे यह वातावरण खराब होता जायेगा और सदन की मर्यादा नहीं रहेगी। नियम है कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं और आसन, इसके बीच में कोई भी माननीय सदस्य नहीं निकलेगा, क्योंकि अपन टोकते नहीं हैं, इस कारण से कई बार वह मन को बहुत अखरता है। इसलिये मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है। मैं आपको लोक सभा का एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। लोक सभा में एक मनीरामजी बागड़ी सदस्य हुआ करते थे। एक बार महिला माननीय सदस्य थीं, उन्होंने लोक सभा में स्वेटर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया अध्यक्ष से कि यहां लोक सभा में स्वेटर बुनी जा रही है। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर देख लेंगे। दूसरे दिन, पीड़ा होता न खाट, वह लेकर आ गये मनीरामजी बागड़ी और लोक सभा में उन्होंने बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, यह क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि कल मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। आपने कहा कि कोई बात नहीं तो फिर यह भी कोई बात नहीं। इसलिए सदन में जो मान-मर्यादा और नियम हैं, उनका ठीक ढंग से हम पालन करायें, इसकी आवश्यकता है। अभी माननीय पदमारामजी बोल रहे थे। उनके सामने से तीन माननीय सदस्य निकलकर गये। आपका ध्यान भी आकर्षित था। (व्यवधान) मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तीन माननीय सदस्य निकलकर गये तो इस प्रकार की व्यवस्था सदन में रहे, यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सभापति: श्री बाबूलालजी खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): आदरणीय सभापतिजी, आपने मुझे मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने की सहमति दी है इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं मांग संख्या-24 पर इस चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट भाषण पढ़ा और बजट भाषण के पहले अन्तरे में आपने शिक्षा के क्षेत्र में यह घोषणा की कि जिन पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं उन सभी पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह घोषणा तो पुरानी हो गयी। यह घोषणा तो पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धियाजी ने इसी सदन में की थी। अच्छा होता, मुख्य मंत्रीजी यह कहते कि पूर्व सरकार ने जो घोषणा की थी, उन अधूरे कामों को, जो स्कूलें बची हैं उनको खोलकर मैं उस स्थान को पूरा करूंगा।

सभापति महोदय, आज मैं गांवों की स्थिति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी बातें इस सदन में उठीं। सत्तापक्ष ने प्रतिपक्ष पर आरोप लगाये और प्रतिपक्ष ने सत्तापक्ष पर आरोप लगाये लेकिन सत्य बात कहना चाहता हूं कि गांव की चिन्ता किसी ने की, राजस्थान की धरती पर, सबसे ज्यादा यदि किसी ने किया है तो इस सत्तापक्ष ने किया है और गांव की स्थिति यह थी कि गांवों में स्कूल चलता था तो गांव के अहसान से चलता था। खपरैल में स्कूल होता था या मुखिया पटेल के घर में स्कूल चलता था। अच्छा हुआ, भैरोंसिंहजी शेखावत जो पूर्व उप राष्ट्रपति थे, उनकी सोच थी कि गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़-लिखकर आगे आये। उन्होंने तय किया, नीति बनायी कि जिस गांव में विद्यालय नहीं है उस गांव में हम विद्यालय खोलेंगे। उसके निमित्त प्रत्येक ग्राम पर एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया और विद्यालय ही नहीं खोला उसके साथ-साथ उस विद्यालय के भवन के निर्माण की व्यवस्था भी सरकार के खजाने से की गयी। (व्यवधान) कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वह भी हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां तक ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिस पंचायत मुख्यालय पर, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर हम उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। इस निमित्त उन्होंने प्रत्येक पंचायत पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था की थी।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी यहां पर

(श्री बाबूलाल खराडी)

बहुत बड़ी चर्चा हुई गांव और गरीब को पढ़ाने की । गांव का आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और बच्चे को स्कूल भेजता है, बच्चा स्कूल जाता है। जाने के बाद में मास्टरजी उस बच्चे से कहते हैं कि कल किताब लेकर आना। बाप के सामने बच्चा कहता है कि पिताजी, मुझे किताब दिलाना। बाप भी चाहता है बच्चे को पढ़ाना। एक दो दिन बहाने बनाता है और बहाना बनाने के बाद, मास्टरजी और कठोर हो जाते हैं। बच्चा रोता है बाप के सामने। बाप की जेब में पैसा नहीं होने के कारण वह बच्चा मास्टरजी के डर से पढ़ाई छोड़ देता है और उसकी सारी की सारी जिन्दगी बरबाद हो जाती थी। अगर बच्चे को पढ़ाने की कल्पना अगर किसी ने की तो वह भैरोंसिंहजी के शासन में हमारे उदयपुर से आने वाले माननीय शिक्षा मंत्रीजी थे, उन्होंने तय किया कि हम गरीब के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने से पहली से लगाकर पांचवीं तक बच्चे को मुफ्त में किताब देने का प्रबन्ध उस समय किया था और पहली से लगाकर आठवीं तक के बच्चे की किताबें मुफ्त में सरकार के खजाने से छापकर के देने का काम भैरोंसिंहजी के शासन में हुआ था। ये कोई शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कारिक कदम हुए थे और बीच में माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी का राज आया था, आठवीं से लगाकर दसवीं तक को किताबें मुफ्त देने का नहीं किया था। क्या कल्पना थी? और वापस सरकार आयी, माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजेजी की, भारतीय जनता पार्टी की, उस समय कल्पना की गयी थी कि आठवीं तक और पांचवीं तक तो अभी कम है, अब हमको सभी वर्गो के बच्चों को पहली से लगाकर बारहवीं तक सरकार के खजाने से खरीदकर जुलाई की पहली तारीख को उनके हाथ में देने का काम किया था।

श्री ओम जोशी (फलौदी): शिक्षा के क्षेत्र में मट्टी पलीत कर दी थी। मास्टर लगे नहीं। आज सभी इस बात को लेकर चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपका नम्बर आये तब बोलना। इनको बोलने दीजिए। आदिवासी क्षेत्र से आये विधायक हैं, इनको बोलने दीजिए।

श्री सभापति: बीच में डिस्टर्बेंस नहीं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र की यह स्थिति है, जुलाई का महीना निकलने को आ गया, विद्यालयों में किताबें नहीं

(श्री बाबूलाल खराडी)

पहुंची हैं। आज गांव का बच्चा टकटकी लगाये देखता है कि कब किताबें मिलेंगी और कब मैं तैयारी करूंगा। सभापति महोदय, आज यह दुर्दशा है। क्या सोच है पढ़ाई की, क्या सोच है उस गांव और गरीब के बच्चे को आगे बढ़ाने की।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गांव में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्चा जाता है तो विद्यालय में ताला मिलता है। गांव का बच्चा जाकर के घूम फिरकर वापस घर पर आता है। उसकी चिन्ता करने वाला कोई नहीं। अध्यापक नहीं हैं। (व्यवधान) कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं किया तो आप कर लो। आप पुण्य का लाभ ले लेना। कोई बात नहीं, यह काम आप कर लो, आपको पुण्य मिलेगा।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यापकों की बात तो दूर रही, बी ई ई ओ मात्र से काम चल रहा है और अध्यापकों से बाबू का काम कराया जाता है। क्या सुपरविजन होगा, कौन देखेगा उन विद्यालयों को? इसलिए मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो अध्यापकों के रिक्त पद हैं, अच्छा है आप उनको भरेंगे और भरना चाहिए। आप भरेंगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

दूसरी बात और मैं करना चाहता हूं। काफी बातें मिड डे मील की हुई हैं। काफी सदस्यों ने कहा कि पहले घूघरी बनाते थे, अच्छी क्वालिटी की घूघरी खिलाते थे। बच्चा एक दो दिन खाता था, मरोड़ें आती थी और बीमार होता था। गुणवत्तायुक्त था। वसुन्धराजी की सरकार ने यह तय किया कि हम घूघरी नहीं खिलायेंगे। छह दिन का मीनू बनाकर, छह दिन का अलग-अलग भोजन देंगे। वह सदस्यों को नागवार हुआ इसलिए सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जो मेरी डिमाण्ड्स हैं, उनके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा और झाडोल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। गांव का और गरीब का बच्चा विज्ञान और वाणिज्य पढ़े और पढ़ लिखकर डाक्टर बने, बिजनेस लाइन में जाए, इसके लिए झाड़ोल, कोटड़ा और फलासिया के विद्यालयों में वाणिज्य और विज्ञान के संकाय खोले जाएं।

दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि फलासिया में विज्ञान संकाय 1995 में खुला था, किन कारणों से बंद है? माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जब आप जवाब दें तो इन पर जवाब दें कि इन कारणों से है या जानकारी कर लें। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा में वाणिज्य, विज्ञान 1990

(श्री बाबूलाल खराडी)

में खुला था, किन परिस्थितियों से उस संकाय को बंद कर दिया गया था? अगर बंद कर दिया है तो पुनः उनको चालू कर दो। यही कहते हुए, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 जो मानव का सबसे बड़ा स्तम्भ शिक्षा है। कहा करते थे 'चिंता शरीर शोषणम्, माता शरीर पोषणम्, विद्या शरीर भूषणम्', चिंता से बड़ा शरीर का कोई शोषण करने की चीज नहीं, मां से बड़ी कोई पोषण करने वाली चीज नहीं और विद्या से बड़ा कोई आभूषण नहीं। सरस्वती मां की वन्दना करते हुए मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि सरस्वती मां की जो वन्दना करता है वो हमेशा पवित्र सदन में खड़ा होकर के हमेशा सुख पाता है । सरस्वती मां के लिए कहा है, 'मां, तेरी उपमा चांद से करूं। कहा, नहीं, चाँद में दाग है तू पवित्र है। सरस्वती मां को कहा, मां, तेरी उपमा सूरज से करूं। कहा, नहीं मां, सूरज गरम है, तू ठण्डी है। कहा, मां तेरी उपमा समुद्र से करूं। कहा, नहीं मां, समुद्र का पानी खारा है, तू मीठी है। तो यह समुद्र, मां की किसी से उपमा नहीं की जा सकती। यह सरस्वती मां अपने आप में मां है।

सभापति महोदय, आज शिक्षा पर बोलते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में बहुत कटमोशन आये, बहुत विद्वानों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। पर मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई मिस्त्री गलती करता है तो एक मकान गड़बड़ कर सकता है, एक इंजीनियर गड़बड़ करता है तो एक नक्शे को खराब कर सकता है, एक दर्जी गड़बड़ करता है तो एक कपड़े को खराब कर सकता है पर एक शिक्षक अगर गड़बड़ करता है तो समाज को गड़बड़ करता है। हमारा समाज डूब जाता है, हमारा समाज अंधकार की तरफ अग्रसर हो जाता है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अपने बारे में बता दो न कि श्रवण जैसा बेटा नहीं। वो भी बता दो न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): श्रवण सा पुत्र जहां में हुआ न होगा ही। एक बार जन्मा था उसके बाद कोई जन्मा नहीं। अभी जन्मा है ना, कलयुग में आया है न, देख लीजिए, आपके सामने खड़ा है न।

कृपया घंटी न बजायें, पांच मिनट का समय दें।

श्री सभापति: पांच मिनट।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज के स्टूडेण्ट के बारे में बताना चाहता हूं। पहले जब पढ़ाया करते थे तब स्टूडेण्ट में पांच गुण मांगते थे, 'काक चेष्टा, बको ध्यानम्, अल्पाहारी, श्वान निद्रा, गृह त्यागी'। पांच स्टूडेण्ट में ज्ञान होने चाहिए थे, वह स्टूडेण्ट हुआ करते थे। गुरु को धोक खाते थे, माता-पिता की सेवा करते थे और खादी के कपड़े पहनते थे, जनेऊ पहनते थे। आजकल स्टूडेण्ट क्या करते हैं, भ्रमणकारी, पिटूहारी, मोबाइलधारी, कंघाधारी, यह स्टूडेण्ट हो गया। न शिक्षा रही न अध्यापक रहा, न शिक्षक रहा न पढ़ने वाला स्टूडेण्ट रहा। यह सारा सिस्टम चरमरा गया और ना इसका कोई निरीक्षण करने वाला रहा। आज पहली बार राजस्थान की धरती पर मास्टरों की मास्टरी में भी मास्टर को लगाया है, मास्टर भंवरलालजी को। मैं चाहूंगा कि मास्टर मास्टर को ज्ञान दे और शिक्षा की दिशा और दशा में परिवर्तन लाये।

माननीय सभापति महोदय, आज स्कूलों की हालत यह है कि पांच वर्ष पहले, चाहे उससे पांच वर्ष पहले, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक कलोठ गांव है, लड़कियों की स्कूल है, एक शरीरिक शिक्षक के द्वारा चलते हुए पांच वर्ष हो गये और अब भी वो चल रही है। बोलते हैं प्राइवेट स्कूलों के अन्दर बच्चे को भेज दिया, अभी हमारे आदरणीय सुन्दर लालजी भी कह रहे थे, हमारे अमरारामजी भी कह रहे थे, कौन नहीं भेजेगा जिस स्कूल में केवल एक शारीरिक शिक्षक होगा। शारीरिक शिक्षक जहां होना चाहिए वहां तो नहीं है और जहां नहीं होना चाहिए वहां है। शारीरिक शिक्षक होना चाहिए जहां सात अध्यापक होते हैं, आठ अध्यापक होते हैं वहां शारीरिक शिक्षक होना चाहिए। स्टूडेण्ट्स के लिए शिक्षा भी जरूरी है तो शारीरिक शिक्षक भी जरूरी है मगर लड़कियों की स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक है, यह दुःख का विषय नहीं है क्या? यह कोई हंसने का विषय नहीं है, यह पीड़ा का विषय है।

सभापति महोदय, हमारे किसान वर्ग का आदमी जो अपनी बच्ची को मेयो स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, जयपुर में तो नहीं पढ़ा सकता पर केवल गरीब झोपड़ी में पढ़ा सकता है और वह गरीब झोपड़ी गांव के खेत और खलिहान के गांव का दरवाजा है। किसी के दिल में दर्द नहीं आया होगा कि शहर के अन्दर एक स्कूल के अन्दर 25 बच्चे हैं और 15 मास्टर बैठे हैं जबकि हमारे गांव की झोपड़ी में 4000 बच्चे हैं और 40 मास्टर हैं। यह शर्म का विषय है, चाहे शिक्षा मंत्री मैं हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। घनश्यामजी जैसे विद्वान भाषण करते थे, शिक्षा में भारी परिवर्तन लायेंगे, शिक्षा

(श्री श्रवण कुमार)

की नीति बनायेंगे, ट्रांसफर की नीति बनायेंगे, समानीकरण करेंगे। यह समानीकरण करना किसी की इच्छा-शक्ति पर है। क्या किसी की इच्छा-शक्ति नहीं है केवल बातें करते हैं। किसी की इच्छा-शक्ति तब आयेगी जब मानव का पूरा विनाश हो जायेगा। मैं चाहूंगा कि मास्टर भंवर लालजी इस बात को दिल में पक्का कर लें कि समानीकरण भी करेंगे और शिक्षा की नीति भी बनायेंगे और इच्छा में और इच्छा-शक्ति में अन्तर नहीं परिवर्तन करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कथनी और करनी में अन्तर, हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, मैं कहता हूं कथनी और करनी में अन्तर नहीं है पर मैं इस बात को भी सिद्ध मानूंगा कि इन अध्यापकों पर कोई नियंत्रण करके दिखा दे। सारे राजस्थान का एक है, झुन्झुनूं जिले की बात नहीं करना चाहता हूं। पूरे राजस्थान की छोर, बाड़मेर से लेकर और लुहारू तक एक स्थिति है। मास्टर चाहता है कि मेरी खाट के पास स्कूल हो, मैं साइड बिजनस करूं, चाहे इन्श्योरेंस करूं या कोई अनाज का व्यापार करूं। शिक्षक का यह काम नहीं है। 'गुरु गोविन्द दोउ खड़े, का के लागूं पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविन्द दियो बताय'। भगवान से बड़ा किस को माना है? गुरु को माना है और गुरु आज हमारे समाज के साथ धोखा कर रहा है और धोखे को बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति भी समाज के साथ धोखा कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं मंत्रियों को भी, इनको भी मौका मिला था, यह कुछ नहीं कर पाये, आपको भी मौका मिला है, कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ मलते रह जाओगे, जनता चली जायेगी, रास्ता, समय कभी उसका इन्तजार नहीं करता है। समय इन्तजार नहीं करता है, समय चला जाता है आदमी देखता रह जाता है। जिस तरह ट्रेन निकल जाती है और यात्री खड़ा रह जाता है, ट्रेन सिगनल पर आगे रुकती नहीं है इसलिए समय भी किसी का रुकता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भंवर लालजी, 'जब तू दुनिया में आया था दुनिया हंस रही थी मगर तू रो रहा था, ऐसे करम कर चल बंदे, दुनिया रोये मगर तू हंसते चला जाय।'

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): समानीकरण तो जून में हो गया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हो गया क्या?

माननीय सभापति महोदय, स्कूलों की हालत यह है कि प्राइवेट स्कूलें खोल कर गली-गली में स्कूलें खोल दी, स्कूलों का कोई आधार नहीं है, कोई ग्राउण्ड नहीं है। बच्चे के खेलने के लिए ग्राउण्ड नहीं, चार कमरों में स्कूल

(श्री श्रवण कुमार)

खोल कर, कालेज खोल कर के बैठ गये मान्यता देने वाले अंधे होकर के, हमारे बी.जे.पी. सरकार ने धड़ाधड़ मान्यता दे दी। मैं कहता भी था कि आप नोर्म्स तो दखिये कि स्कूल के क्या-क्या नोर्म्स होते हैं। ग्राउण्ड नहीं हैं, कमरा नहीं है, अध्यापक नहीं है, रजिस्टर तक भी नहीं है और परमिशन दे दिया। एज्यूकेशन को कौन बिगाड़ रहा है? एज्यूकेशन को बिगाड़ने वाले कौन हैं? यह हमारा दायित्व बनता है, हम 200 माननीय सदस्य हो इस सदन में बैठे हैं यह राजस्थान का उच्च कोटि का सदन है, इसमें यहां फैसला होता है और राजस्थान के कोने-कोने में 6 करोड़ 40 लाख जनता पर लागू होता है। अगर पाप करते हैं तो पाप लागू होगा, अगर धर्म करेंगे तो धर्म लागू होगा। यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम लोगों में समाज का एक उत्तरदायित्व होता है, अगर हम चोरी करना सिखायेंगे चोरी करेंगे तो हमारा समाज भी चोरी करेगा और ईमानदारी से अगर हम काम करेंगे तो नीचे के अधिकारियों को भी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। मंत्र कौन होता है, मंत्री होता है, तंत्र कौन होता है, हमारा अधिकारी होता है। अगर मंत्र के अन्दर ताकत होगी तो तंत्र हिलायेगा, घूमेगा नहीं हिलेगा। अगर शेर के पास बकरी बांध दी जाय तो कभी पत्ते नहीं खा सकती, मींगणी कर सकती है, दूध दे सकती है पर पत्ता नहीं खा सकती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

...(व्यवधान)

मंत्रियों में गड़बड़ है, सब में है, सारे हिन्दुस्तान के मंत्रियों में गड़बड़ है। मैं तो खुद कहता हूं, आज नयी बात थोड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, स्कूलों के अन्दर कमरे नहीं, सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं और अगर इसमें बुराई मानते हों न तो बहुत बड़े अंधेरे में हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चमेली है जिसमें 440 बालिकाएं हैं। महिला शिक्षा को हमारी पूर्व मुख्य मंत्रीजी कहती थीं कि महिला शिक्षा को अग्रणी दिशा में ले जाकर खड़ा कर देंगे, खड़ा नहीं कर दिया, पटक दिया। खड़ा नहीं किया। खड़ा तो वो होता है जो कोई चीज खड़ी हो जाय। स्तम्भ को खड़ा किया और नीचे पैर लगाया नहीं नीचे पड़ गया, गिर गया। लड़कियों को साइकिल देंगे, ग्यारह साइकिल बांटी ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ग्यारह नहीं, आपको पता ही नहीं ...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सदस्या, ज्ञान का विस्तार बहुत बड़ा है आपका, बाद में बांटना, बैठिये। आपका सोच बदल दूंगा, बैठिये दो मिनट। आपका ज्ञान सुनने के लिए जनता इच्छुक है, आपको लोक सभा में इसीलिए नहीं राजस्थान में इसलिए भेजा है कि आपका ज्ञान इधर बांटना है। मैं कहना चाहता हूं ना कमरा है, उस कमरे की चारों दीवारें फट गयीं और कमरे में बच्चियां बैठ नहीं सकतीं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को लेकर जाऊंगा और वहां क्या दशा है, एक भी कमरा नहीं है और आज से तीस चालीस साल पुरानी स्कूल है। आपका परम कर्तव्य बनता है, जिस स्कूल में कमरा नहीं है वहां सरकार का दायित्व बनता है कि वहां कमरे बनाएं और शिक्षा के प्रचार-प्रसार को न बढ़ाकर पहले शिक्षा के लिए बैठने के लिए स्थान दें, यह हमारा कर्तव्य बनता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) प्लीज दो मिनट।

सभापति महोदय, आपने देखा होगा शिक्षा का काम करते-करते अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, आज 2400 ऐसे अध्यापकों के आश्रित हैं जो हाथ में थैला लिये घूम रहे हैं। आज तक सरकार ने, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री ने भी नीति नहीं बनायी, अब माननीय भंवरलालजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मृतक राज्य कर्मचारी को या तो आप जवाब दें कि हम नौकरी नहीं दे सकते। वह बच्चे पांच-पांच साल से घूम रहे हैं, उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी जा रही है और हमारे जो शहीद हुए उनके बच्चों को भी आज तक नौकरी नहीं दी जा रही है। यह केवल ड्रामा नहीं चलेगा, यह इम्पलीमैंट करना पड़ेगा आपको। विदेशों की बात करते हैं, चांद पर जाने की बात करते हैं पर हिन्दुस्तान की तलहटी को नहीं देखना चाहते कि गरीब का बेटा थैला लेकर जयपुर और गांव की गलियों में घूम रहा है, अपने बाप की नौकरी के आश्रित के लिए मारा-मारा फिर रहा है। किसी के दिल में दर्द नहीं आया। या तो आप उसको जवाब दीजिए या नीति बनाइये कि उनको कहां नौकरी करनी है, नहीं देनी है तो उनको जवाब दीजिए। यह क्या है दस-दस साल तक लेकर घूमते रहते हैं। न कोई काम कर सकते, न कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में जा सकते, न कोई अपना घर का काम कर सकते। मैं तो मेरे पिताजी के आश्रित की जगह नौकरी लगूंगा, कब लगोगे जब बूढे हो जाओगे जब, कौन लगेगा, तुम्हारा बेटा लगेगा क्या, यह क्या है। नीति तो बनानी पड़ेगी और सारा जब बंटाधार हो जाएगा उसके बाद बनाओगे क्या, बनानी पड़ेगी, इम्पलीमैंट करनी पड़ेगी। काम करना है तो सोच को बदलना पड़ेगा। अगर इसको बर्बाद करना है तो सोच को बदलें न बदलें इससे कोई मतलब नहीं है।

(श्री श्रवण कुमार)

हमारी शिक्षा के आपने देखा होगा न कोई डी.ई.ओ.है, डी.ई.ओ. के पद खाली पड़े हैं सब जगह। पूछो ना गुलाब चन्दजी कटारिया बता देंगे, शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 100 परसेंट मेरे टाइम के भरे हुए हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं प्रजेण्ट की बात कर रहा हूं, भूतकाल की बातें क्यों कर रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अब नहीं हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अब की बात करो, प्रजेण्ट की बात करो, पहले वाली बातें मैं नहीं कहूंगा, भूतकाल की बातें भूत लोग करते हैं, मैं नहीं करूंगा पुरानी बातें। मैं प्रजेण्ट की बात कर रहा हूं, आज की बात करो ना आज भरे हुए हैं क्या। मैं यह कहना चाहता हूं हमारे डी.ई.ओ. के पद खाली, बी.ई.ओ. हमारे सारे लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं वो तो हैड मास्टर को तो लगाना था ना। इसमें भी आपको माननीय मंत्रीजी चैंज करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कैडर के आदमी को बी.ई.ओ. बनाना पड़ेगा और पंचायत समितियों के स्कूलों को भी आपने दे दिया, उसका कोई आधार नहीं, किसी का उसके अण्डर में नहीं, कोई काम करने की नीति और दायरा नहीं, काम वो ही लोग करते हैं, मैं कह रहा हूं इसमें भी शिक्षा को अगर आप क्षति पहुंचाकर खतम करोगे तो सारे देश का आधार खतम हो जाएगा।

राजस्थान अग्रणीय पंक्ति का स्टेट है जो शिक्षा के नाम से जाना जाता है, इसको यू पी नहीं बनाएं, इसको बिहार नहीं बनाएं। यह राजस्थान अपने आप में पवित्र स्थान है, शिक्षा की अग्रणी दिशा का देश है। इसकी दशा और दिशा में सुधार करें। यह मेरी विनती है हाथ जोड़कर आपसे, इसका बुरा नहीं मानें। इसको पाजिटिव लें, नेगेटिव प्रश्न को आप एक बार हटा दें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): श्रवण कुमारजी को शिक्षा मंत्री बना दें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं तो सिपाही हूं, सिपाही बनूंगा। वह तो जनता बनाकर भेजती है। यह आपके कहने से तो न कल बनने वाला, यह बातें आप बाजार में मत कहो, मेरे को सब मालूम है। मैं सबसे सीनियर हूं, कोई जूनियर आदमी नहीं हूं, आपने तो शिक्षा का भट्ठा ही बैठा दिया था।

(श्री श्रवण कुमार)

संस्कृत भाषा जो हमारी सभी भाषाओं की जननी है, मैं चार घंटे से भाषण सुन रहा हूं, संस्कृत का किसी ने नाम ही नहीं लिया, जो हमारी सब भाषाओं की जननी है। जो पैदा करती है, जिस संस्कृत ने सब भाषाओं को पैदा किया, उस भाषा का नाम ही नहीं लिया। मैं कहना चाहता हूं कि केवल बातें करने से विकास नहीं होगा, इम्पलीमैंट करना पड़ेगा और उस कानून को लागू करना पड़ेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी को, अपने सब सदस्यों को चाहे पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सभी को एक बात को इंडिकेट करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी के प्रति लायबल नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा उस बात को उसके ऊपर ड्यूटी देनी पड़ेगी।

हमारे सुभाषचन्द्र बोस जो देश के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर हुए, उन्होंने एकमात्र छोटी-सी बात पर उसमें लिखा था, आई सी एस का जब इंटरव्यू दिया, पास हो गये तो माननीय सभापति महोदय, एक शब्द के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक दूसरा पेपर, लास्ट पेपर दिया उसमें लिखा था "Indians are generally dishonest." तो सुभाषचन्द्र बोस ने जाकर कहा कि इसको काटिये तो बोले क्या है कैसे काटेंगे तो बोले नहीं काटोगे तो मैं परीक्षा नहीं दूंगा। तो जिस देश का आजादी दिलाने वाला बंदा केवल एक शब्द के ऊपर अपनी आई सी एस की नौकरी छोड़कर के और उन्होंने कहा "Indians are generally dishonest." उस बात को उन्होंने पर्चा फाड़ दिया और नौकरी को छोड़ दिया और देश की सेवा में लग गये। उस देश की धरती का पुत्र अगर इस देश की शिक्षा को नहीं सुधार पाएगा तो हम उस जगह से आते हैं (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) जहां स्वामी विवेकानन्दजी ने खेती से शिक्षा प्राप्त की थी। विदेश में स्वामी विवेकानन्दजी गये, लेट हो गये जाने में मेरी तरह और जब वह बोलने लगे तो नौ विषयों पर बोल चुके सब, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और उनको बिन्दु मिला और जब स्वामी विवेकानन्दजी बोलने लगे तो बिन्दु पर चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस घण्टे बोलते चले गये, लोगों ने कहा बिन्दु मिला है, एका मिलता तो क्या होता। उस देश की धरती पर पैदा होने वाला शिक्षा का स्तर डाउन चला जाएगा, यह समाज को पाप लगेगा, यह सारे सदन को मैं कहना चाहता हूं।

शिक्षा हमारी आधारशिला है, जिस देश की शिक्षा अच्छी है, एक बार कोई ओर्नामैंट पहनकर जाएगा उसको कोई आदमी पांच मिनट देख सकता है, अच्छे कपड़े पहनकर जाएगा उसको दस मिनट देख लेगा पर जिसके मुंह से

(श्री श्रवण कुमार)

सरस्वती बोलेगी वह हिन्दुस्तान के किसी कोने में जाएगा, जनता उसकी तरफ देखेगी और वह देश का सबसे उच्च कोटि का प्राणी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापतिजी, मांग संख्या-24 पर शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा में मुझे विचार विमर्श करने का मौका दिया, इसके लिए आपको साधुवाद। पूर्ववर्ती सरकार ने और तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने इसी सदन में पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने के लिए एक नीति बनाई थी और उसमें उन्होंने 3108 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया था। उसी की तर्ज पर इस बजट में 1900 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है लेकिन अभी माननीय सदस्यों ने एक बात रखी कि उस समय विद्यालय में विषय अध्यापकों की कमी थी, उन्होंने पूरा नहीं किया लेकिन इस बजट में इन्होंने 1900 विद्यालय खोले हैं तो इसके लिए भी इन्होंने विशेष विषय अध्यापकों के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं रखा है।

माननीय सभापतिजी, अभी हमारे साथी केकड़ी से आने वाले सदस्य ने पूछा था कि यह पंचायत मुख्यालय जब इन्होंने खोले तो बाकी कैसे रह गये थे तो मैं निवेदन करूंगा उनसे कि आप और हमारे जैसे पहले माननीय सदस्यों ने जो पंचायत मुख्यालय थे और उनमें आने वाले राजस्व गांव थे जो फिजिबल थे, जो पंचायत मुख्यालय के बजाए उनके आने वाले राजस्व गांव वह माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के फिजिबल थे तो उस पंचायत मुख्यालय में उसके आने वाले राजस्व गांव को क्रमोन्नत किया गया था इसलिए यह पंचायत मुख्यालय जो 1900 बच गये थे उन्हें अब आपने हाथ में लिया इसके लिये भी मैं आपको और शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

बीच में अभी आपने यह भी कहा था कि 21,000 के करीब राजीव गांधी विद्यालय थे उसमें से उन्होंने नाम हटा दिया, उसमें निवेदन यह था कि उनको प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया और मेरे को एक बार पता है कि तत्कालीन सहकारिता मंत्रीजी रामसिंह विश्नोई साहब के साथ मुझे एक बार मौका मिला। राजीव गांधी स्कूल को वह चैक करने के लिये गये थे तो

(श्री अर्जुन लाल)

उन्होंने बच्चों से पूछा था कि गंगा का उदगम स्थान कहां है और कहां जाकर यह गिरती है तो बच्चे ने बता दिया था कि हिमालय से निकलती है और अरब सागर में गिरती है तो उसमें जो पैराटीचर्स पास में बैठे थे उनसे पूछा कि यह कैसे बता रहा है बच्चा ? बच्चे ने कहा हमें तो बताया वह आपको बता दिया तो पैराटीचर ने कहा साहब, 1200 रुपये में तो गंगा ऐसी ही बहती है, यदि बंगाल की खाड़ी में गिरवानी है तो 2400 रुपये हमारी तनख्वाह करो। तो इस वजह से उनको ट्रेण्ड किया गया और प्रबोधक के रूप में उनका वेतनमान बढ़ाकर यदि उनको सम्मान दिलवाया तो इसका श्रेय तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी को है।

अभी जो बजट रखा गया, शिक्षा बजट में 1900 विद्यालय क्रमोन्नत कर दिये लेकिन बालिका शिक्षा में एक भी विद्यालय प्राथमिक स्तर से लगाकर सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक क्रमोन्नत करने का इसमें कोई नामोनिशान नहीं रखा। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करें। जो भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका के हैं कम से कम उन्हें बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये क्रमोन्नत करने पर पुनर्विचार करें।

अभी बात चली थी सर्व शिक्षा अभियान की कि शिक्षक को उनमें एक इंजीनियर का रूप दे दिया है। शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर उन्हें भवन बनाने का कार्य सौंप दिया। इसके अलावा मिड डे मील में उनको रसोइया बना दिया है। मैं निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्रीजी से कि मिड डे मील में या तो कोई एन.जी.ओ. या कोई महिला स्वयं समूह से इस पर कोई व्यवस्था करें तो उचित रहेगा।

अभी शिक्षा बजट में विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय खोलने के लिये 500 विद्यालय के लिये बात चली है तो इसमें शिक्षा मंत्रीजी को मेरा सुझाव है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जिसमें जो गांव 7,000 या 10,000 के बीच में या उससे ऊपर की आबादी के गांव हैं जिनमें बच्चों की स्ट्रेन्थ लगभग 300-400 हो जाती है तो वहां पर जरूरी है कि विज्ञान संकाय या वाणिज्य संकाय खोलें।

अभी राजस्थानी भाषा के लिये भी बात चली थी और इस सदन में सबसे पहले मैंने ही राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की बात कही थी। तो मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन के माननीय नेता मुख्य मंत्रीजी से

(श्री अर्जुन लाल)

निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान की आठवीं सूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित करने के लिये सिफारिश भिजवायी जाए केन्द्र सरकार को ताकि आगे आने वाली चौदहवीं विधान सभा में सदस्यों को कम से कम राहत मिल सके।

अब मैं शिक्षा मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में करीब 14 सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स हैं जिसमें मात्र 2..(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जिसको सदन के माननीय नेता और मुख्य मंत्रीजी जब भी चुनाव होते हैं तो जोधपुर के अलावा दूसरा घर पीपाड़ शहर को बताते हैं वहां पर भी विज्ञान संकाय नहीं है। 14 में से मात्र 2 विद्यालय में विज्ञान संकाय है तो कम से कम जो 10,000 की आबादी के गांव हैं उनमें तो आप जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल पूर्व में खुले हुए हैं, विज्ञान संकाय के लिये प्रोविजन लें और बिलाड़ा कांस्टीट्वेंसी में एक भी महाविद्यालय नहीं है। सारे विद्यार्थी जोधपुर के लिये जाते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिलाड़ा में कम से कम बालिका महा विद्यालय खोल दें। छात्र तो चले जायेंगे लेकिन बालिका का इतनी लम्बी दूरी पर आना-जाना मुश्किल हो जायेगा तो बिलाड़ा में बालिका महाविद्यालय खोलने पर आप पुनर्विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बजट में शारीरिक शिक्षकों के लिये आपने हजारों पद भरने की बात की है, बहुत अच्छी बात है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्येक ग्राम में खेल प्रशिक्षक का पद रखा था और उनके 1500 के साक्षात्कार भी हो गये हैं, फिजीकल फिटनैस भी हो गयी है लेकिन उनको अभी तक...

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट लूंगा। साक्षात्कार लेने के बाद भी अभी तक उनकी भर्ती नहीं की गयी और वह भर्ती शायद बंद कर दी है तो मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप जो 1500 खेल प्रशिक्षकों की भर्ती करनी थी इस पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती नसीम अख्तर।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर चर्चा चल रही है इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा बजट पेश किया, मैं अपनी ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं।

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। बालक-बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहें इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी का हर ग्राम पंचायत हैड क्वाटर की उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा, एक सराहनीय कदम है। 500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोले जायेंगे, यह भी एक सराहनीय कदम है क्योंकि गांव के स्कूलों के बच्चे विज्ञान और वाणिज्य संकाय नहीं होने की वजह से उन्हें शहरों की ओर जाना पड़ता है तो शहरों में पलायन रुकेगा छात्रों का।

शिक्षकों की कमी की समानीकरण व्यवस्था को लागू करके शिक्षकों की कमी को दूर किया जायेगा, यह भी एक अच्छा कदम है।

प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्ति से होने वाले 10,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 17,299 शिक्षकों की भर्ती की जायेगी, 1000 शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद भरे जायेंगे और 4,500 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिये 55 करोड़ रुपये खर्च होंगे, यह माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का शिक्षा विभाग के लिये एक सराहनीय बजट है। मैं उसका स्वागत करती हूं।

मदरसा शिक्षा के लिये 2,500 शिक्षा सहयोगियों की संविदा के आधार पर भर्ती की जायेगी, यह अल्पसंख्यकों के विकास के लिये एक अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। मैं इसका स्वागत करती हूं। राजकीय विद्यालय में उर्दू के समस्त रिक्त पदों को भरा जायेगा। उर्दू शिक्षकों की भर्ती लम्बे समय से नहीं हो पायी है तो उर्दू शिक्षकों को राहत मिलेगी क्योंकि उर्दू शिक्षकों की भर्ती की इतने टाइम से मांग चल रही थी, भर्ती नहीं हो पायी थी अब भर्ती होगी तो उन्हें राहत मिलेगी। उन्हें रोजगार भी मिलेगा।

अल्पसंख्यक समुदाय के 19000 बच्चों को फ्री स्कालरशिप दी जा रही है जिसे बढ़ाकर 66000 कर दिया गया है इससे अल्पसंख्यक समुदाय जो शिक्षा जगत में पिछड़ा हुआ है उनकी शिक्षा का स्तर सुधरेगा और अल्पसंख्यक समुदाय भी दूसरे समुदाय के समान सिर उठाकर जीना सीखेगा।

प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन केन्द्र सरकार का एक अच्छा प्रयास है। बालिका शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, एक बालिका पढ़ती है तो दो परिवार बढ़ते हैं और दो परिवारों का विकास होता है। जयपुर में क्षेत्रीय शिक्षा विज्ञान स्थापित करने के लिए एक

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

करोड़ का प्रावधान है यह भी शिक्षा जगत में सराहनीय कदम है। राजकीय व निजी संस्थाओं की गुणवत्ता के लिए और पारदर्शिता के लिए उच्च शिक्षा सुधार आयोग का गठन किया गया है। इससे शिक्षा की विसंगतियां दूर होंगी। इससे सीधे-सीधे जो भी शिक्षा का व्यवसायीकरण है उस पर भी रोक लगेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी अभी चार दिन पहले जब उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मैं मिली, मुझे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, अजमेर के लिए छात्रसंघ वालों का फोन आया कि यहां सीटें भर गयी आप सीटें बढ़वायें तो मैंने मंत्रीजी से जाकर निवेदन किया तो उन्होंने निवेदन सुनते ही सीटें बढ़ा दीं। मैं मंत्रीजी का अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहूंगी कि बालिका शिक्षा की ओर उन्होंने अच्छा प्रयास किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं, यह सरकार की संवेदनशीलता का एक उदाहरण है।

सभापति महोदय, मैं अपने सुझाव भी देना चाहती हूं, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारना होगा। शहरी क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले असमान भत्ते हैं, असमानताएं हैं भत्ते में, जो शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को ज्यादा भत्ते दिये जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को कम भत्ते दिये जाते हैं। इससे शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पोस्टिंग कराने में रूचि नहीं रखते हैं, वह शहरों की ओर दौड़ते हैं तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि समानीकरण करके इस प्रक्रिया को आप सुधारें क्योंकि ग्रामीण स्कूलों की हालत बद से बदतर होने से आप रोकें। मैं मेरे क्षेत्र की बताती हूं, अजमेर के आसपास पेराफेरी के गांवों में 8, 10, 14 और 18 तक टीचर्स हैं, उन टीचर्स को आप समानीकरण के तहत गांवों में लगायें तथा गांव में शिक्षण व्यवस्था को सुधारें।

सभापति महोदय, एक बात मैं बताती हूं कि जुलाई 2008 की बात है, गेगल उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जहां शिक्षा सत्र चालू हुआ, वहां दस अध्यापक हैं, सप्लीमेंट्री का एग्जाम हो जाता है, एक बच्चा देकर के आ जाता है, उन्हें यह भी पता नहीं कि सप्लीमेंट्री का एग्जाम हो गया उसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगा दिया। वहां मैं गयी, मैंने डीइओ को बुलाया, बीईओ को भी बुलाया, उसके बाद समझाइश करके मैंने स्कूल के ताले खुलवाये। यह उदासीनता का उदाहरण है ऐसे शिक्षक के खिलाफ आप कार्यवाही करें जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हों।

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

सभापति महोदय, मेरा मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है, पुष्कर और रूपनगढ़ दोनों ही उप तहसील कार्यालय हैं, वहां पर एक-एक महाविद्यालय खोलें तो बड़ी कृपा होगी।

सभापति महोदय, उर्दू अल्प भाषीय एसटीसी प्रशिक्षण संस्थान जो अजमेर में स्थापित था, लम्बे समय से उसको बंद कर दिया गया था, उसे किस कारण से बंद कर दिया गया था, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती की जायेगी तो उर्दू शिक्षकों की भर्ती आप करेंगे, उर्दू शिक्षक जब प्रशिक्षण ही नहीं लेंगे तो उर्दू शिक्षक पैदा कहां से होंगे फिर बाहर के प्रांतों से आयेंगे तो मेरा निवेदन है कि जो अजमेर का उर्दू प्रशिक्षण संस्थान था उसे आप वापस चालू करें क्योंकि वह राजस्थान का एकमात्र उर्दू प्रशिक्षण संस्थान था।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट लूंगी, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो मनमाने तरीके से फीस बढाते हैं उन पर भी आप अंकुश लगायें ताकि दूसरे बच्चे भी अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें क्योंकि बहुत ज्यादा फीस होती है अच्छे स्कूलों में पढा नहीं पाते हैं। सभापति महोदय, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की भी हालत अच्छी नहीं है इनको भी आप ग्रांट रिलीज करें ताकि उन्हें राहत मिले। उनके परिवार जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उन्हें राहत प्रदान करायें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गत समय में भी जब धरना चल रहा था और अपनी सरकार नहीं आयी थी, सरकार बनी तो उनका एक डेलीगेशन आया था, मैं माननीय मंत्रीजी से मिली थी, मंत्रीजी ने आश्वासन भी दिया था, अग्रवाल स्कूल का एक मैटर था उसमें माननीय मंत्रीजी ने प्रशासक भी नियुक्त कराया। इसके लिए माननीय मंत्रीजी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी और अनुदानित स्कूलों के लिए आप ग्रांट भी रिलीज करवायें।

सभापति महोदय, एक मेरा सोमलपुर का मसला है, सोमलपुर जो उच्च प्राथमिक था, माध्यमिक में क्रमोन्नत हुआ वह इस वजह से चालू नहीं हो पाया कि इनके अधिकारियों की मिसप्रिंट की वजह से सोमलपुर की जगह सोमपुर छप गया, वह आज तक चालू नहीं हो पाया। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि उस मिसप्रिंट को आप सुधारें और उस स्कूल को चालू करवायें ताकि गांव के बच्चों को आर्थिक हानि उठाकर बाहर नहीं जाना पड़े। जो भी इस मिसप्रिंट के लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

क्योंकि उससे एक साल बच्चों को बाहर जाकर के पढ़ाई करनी पड़ी, उसका भुगतान कौन करेगा। परिवारों की भी आर्थिक हानि हुई है उसका भुगतान भी कौन करेगा।

सभापति महोदय, मैं एक चीज से समाप्त करूंगी, प्राइमरी स्कूल शिक्षा को मजबूत करना जरूरी है, शिक्षा की नींव तभी मजबूत होगी जब प्राइमरी शिक्षा मजबूत होगी और विद्यार्थी जब आगे बढ़ेगा।

श्री सभापति: अब आप समअप करें, समअप करें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मैं एक शेर के साथ खतम करना चाहूंगी।

श्री सभापति: कर दो शेर ...(व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, करुणा जनित सहानुभूति का उद्वेग मनुष्य का सहज धर्म होता है एवं पर दुखांतरता व परोपकार के कार्य में संलग्नता उसका क्रियात्मक प्रतिफलन होता है। समाज में व्याप्त व्यथा और वेदना के समहार के लिए जब उच्च एवं पवित्र मनोभावों से प्रभावित, प्रेरित और संचालित होकर महान आत्माएं एक महापुरुष के रूप में संघबद्ध होती हैं और समाज के संताप के परिहार्य के लिए रचनात्मक और सकारात्मक कार्यक्रमों की संरचना करते हैं तब जाकर के कहीं शिक्षा का वास्तविक अर्थ उदय होता है।

सभापति महोदय, मनुष्य सामाजिक बने और समाज मानवीय बने यही शिक्षा का पथ है। इस सर्वकालिक और शाश्वत आलोक की परिधारणा में यह आज का वर्तमान हिन्दुस्तान और भारतवर्ष अपने आपको पुनः विश्व गुरु के अलंकरण की स्थापना के लिए अपने आपको उस शाश्वत के लिए परिपूर्ण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि समय का अभाव है और शिक्षा के स्वरूप में इतनी बड़ी-बडी हस्तियां यहां मौजूद हैं कि उनकी विचारधारा और अभिव्यक्ति के उपरांत अपने शब्दकोष से इतनी व्यथा और वेदना के बीच में जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि साठ वर्ष के उपरांत भी आज वर्तमान के परिप्रेक्ष में यह कदापित उचित नहीं है कि भारतवर्ष का इतना बड़ा प्रांत, दसवां भाग अपने आपको इस भौगोलिक प्रदेश में ऐसी व्यथा और वेदना से अंकुरित

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

महसूस करता है जहां शिक्षा अभी भी बहस और वाद-विवाद का विषय बनी हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान और राजस्थान की भाषा के बारे में आदरणीया अजमेर से पधारने वाली विधायक महोदया ने अपनी बात बहुत वेदना से आपके बीच रखी, लेकिन सदन शायद इस बात को भूल गया कि राजस्थान का एक आलौकिक इतिहास भी रहा है। यह पूरा संसार और पूरा राष्ट्र जब राजस्थान के बारे में बात करता है तो यहां का गौरव, यहां का त्याग और बलिदान की गाथाएं, यहां के चरित्र के स्वरूप में इस भू-भाग को उजागर करती हैं। मैं आज आपके बीच में इस बात को वेदनापूर्वक स्थापित करना चाहता हूं कि प्रत्येक किलोमीटर पर हमने प्राथमिक शालाएं खोली हैं। हर ग्राम पंचायत में माध्यमिक शालाएं खुल गयी हैं।

हर भू भाग में हम माध्यमिक शिक्षा लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद हम भूल गए कि पूरे हिन्दुस्तान में 5 प्रतिशत जनसंख्या का यह भू भाग जब हम अगर मिलिटरी स्टेटिस्टिक्स देखें, सेना के स्टेटिस्टिक्स देखें तो सेना के 7 से 8 प्रतिशत जो सैनिक हैं वह राजस्थान के हैं। पूरे के पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जहां की जनसंख्या 5 प्रतिशत हो लेकिन सेना के अन्दर अगर हमारा हस्तक्षेप देखें तो सात से साढ़े आठ प्रतिशत है। मैं आपके बीच में सेना की स्टेटिस्टिक्स इसलिए रखना चाहता हूं कि शायद यह एक ऐसा विषय है जो हम सबने छोड़ दिया। हम कालेज, यूनिवर्सिटी और जनरल एजूकेशन की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे चरित्र के अन्दर एक ऐसा अंकुर है जो इस देश की सीमाओं पर रहकर और देश पर बलिदान होने के लिए समर्पण करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। यह मैं इस वेदना के साथ कह रहा हूं कि पिछले दो साल के आप एन डी ए के स्टेटिस्टिक्स ले लीजिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अन्दर दो-दो सौ छात्रों के पद खाली इसलिए रह गए कि वहां पर जाकर कोई अपना नामांकन नहीं करवाना चाहता। आदरणीय, यह मैं आपको इसलिए विवेचन कर रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति साइन्स का यहां बैठा हो तो उसको यह मालूम होगा कि Theories must be derived on the basis of observation and conversely observation must be demonstrated validity of the theory. हम बात कर रहे हैं This is all theoretical. अगर वेलेडिटी डेमोंस्ट्रेट हमने नहीं की तो Our emotions will be con-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

fined to this very House. इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रदेश की बात हम कर रहे हैं उस प्रदेश के जो वास्तविक स्टेटिस्टिक्स हैं वह मैं आपके बीच में निवेदनपूर्वक प्रस्तुत कर रहा हूं। Population of Rajasthan at one time. जिस वक्त यह किया गया 5.65 crores. 5% of the total population. Population of armed forces from Rajasthan – 7-8% of the total recruitment in India, number of ex-solders in entire country- 22 lacks, the number of ex-serviceman in Rajasthan – 1.6 lakhs which is 7.5 per cent of the total ex-servicemen in the entire country, total number of ex-servicemen thus 5% of the population servicing – 7.5 percentage of dedication. उसके बाद है Total number of registered war widows in the country from Second World War onwards 10 thousand, the number of registered war widows from Rajasthan, 1183 i.e. 12 % of the total number of war widows. This is the character of the state Sir. Why are we not deliberating on? हो सकता है कि केन्द्र से और डिफेंस से एक्रेडिट सैनिक स्कूल हम नहीं खोल सकें लेकिन यहां का जो चरित्र है, एन डी ए में बच्चा इसलिए नहीं जा रहा है कि यहां मिलिटरी एजुकेशन की कोई सुविधा आपके यहां ढंग की नहीं है। मैं कहता हूं कि सदन एक मत होकर प्रत्येक जिला हैड क्वार्टर पर सैनिक स्कूल पद्धति से हमारी राजस्थान सरकार एक-एक स्कूल खोले, भले उसको एक्रिडिशन न मिले लेकिन पाठ्यक्रम आप वह का वह रखिये। अगर पाठ्यक्रम वह का वह होगा तो वह वहां से पढ़कर और ट्रेनिंग लेकर जाएगा तो वह चाहे उसको कम्पीटिशन में बैठना पड़े वह वहां पात्रता हासिल कर लेगा। मल्टी नेशनल्स की तो यह हालत है कि लोग बाग़ आज सिविल सर्विसेज में भी जाना पसन्द नहीं करते। एम्प्लायमेंट एण्ड एम्प्लोयीबिलिटी के आपको आंकड़े दूं, आज जितनी एम्प्लोयीबिलिटी की बात है, आपने एक बहुत अच्छी बात इसमें की है, इस बजट का सार अगर आप देखें तो इसमें 3 पैराज हैं जो वॉकेशनल एजुकेशन की तरफ कहते हैं और सबसे पहला पैरा जो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने लिखा है, राज्य में सुरक्षा शिक्षा हेतु श्रम और रोजगार के बीच में आई विश अगर इसका टाइटल राजस्थान इन्स्टीट्यूशन्स फोर सिक्यूरिटी एजुकेशन न होकर मिलिटरी एजुकेशन होता। यह 21वीं सदी में मैं मेरे बच्चे को चौकीदार नहीं बनाना चाहता। यह सिक्यूरिटी सर्विसेज की बात है। मैं मेरे बच्चे को सेना में भेजना चाहता हूं, मैं मेरे बच्चे को सूबेदार मेजर भी नहीं बनाना चाहता, अगर मुझे व्यवस्था जिला स्तर पर मिल जाएगी तो मैं

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उसको लेफ्टिनेंट बनाना चाहता हूं जिससे वह कमीशण्ड फोर्स में आए। आखिर Education is only a source of earning materialist gain. It is also a source to serve this country. This country and its character depends upon the people who can sacrifice. शिक्षा उदर पूर्ति का संसाधन नहीं है। शिक्षा आपके उत्कृट अवतरण मानव के स्वरूप में उसको विभूति तब प्राप्त होती है जब आप विसर्जन की ताकत रखती है और शिक्षा से विसर्जन और किसी विषय में और भाग में नहीं हो सकता।

आदरणीय, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि बहुत समय की पाबन्दी है और मैं किसी और विषय की विवेचना नहीं करूंगा, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, खासकर उच्च शिक्षा से सम्बन्धित यह विषय है, दो प्रकार की एजुकेशन होती है, एक वह एजुकेशन जहां नालेज क्रिएट होती है, एक वह एजुकेशन जहां नालेज का डेसीमिनेशन होता है। आज जितने हमारे पास में कालेज और यूनिवर्सिटीज हैं वह नालेज का डेसीमिनेशन कर रही हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जहां बूंद-बूंद खींचते खींचते पानी भी लुप्त होने लगा, जहां काटते-काटते वनों की हरियाली खतम होने लग गई। अगर इस नालेज का क्रिएशन नहीं होगा तो डेसीमिनेशन कैसे करेंगे? आज अगर कोई यह कहता है कि राजस्थान में बड़े उद्योगपतियों को आना चाहिए, मैं यह कहूंगा कि आप विनम्रतापूर्वक कहिए कि अम्बानीजी, आप अपनी रिफायनरी कहीं और ले जाइए लेकिन धीरू भाई अम्बानी रिसर्च एण्ड डवलपमेंट इन्स्टीट्यूशन आप राजस्थान में डालिए क्योंकि अगर नॉलेज क्रिएट हागा, रिसर्च होगा, डवलपमेंट होगा तो डेसीमिनेशन अपने आप उपस्थित हो जाएगा। रिसर्च एण्ड डवलपमेंट आरियन्टेड एजुकेशन यूनिवर्सिटी और वेरायसिटी, आप ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आई आई टीज की बात कर रहे हैं। इन सारी फैकल्टीज का एकमात्र अगर आप पहलू देखें, अगर रिसर्च नहीं होगा तो आपका एजुकेशन कहीं न कहीं से बोरो ही करना पड़ेगा। आपने इन्जीनियर खूब बनाए, आपने डाक्टर्स खूब बनाए, आपने साइन्टिस्ट खूब बनाये लेकिन उन्होंने जाकर अमेरिका की सिलीकॉन वेली को डवलप किया क्योंकि वहां डेसीमिनेशन का सोर्स वहां था, क्योंकि वहां रिसर्च एण्ड डवलपमेंट का क्रिएशन था, आपने बुनियादी चीज तो डवलप कर दी मगर अंकुरित करने के लिए फसल नहीं है तो फसल काटने की बात अगर हम करते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। 21वीं शताब्दी में आप जनरल एजूकेशन की बात कर रहे हैं। पिछले साल हमने

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

8 यूनिवर्सिटीज को जन्म दिया, 8 यूनिवर्सिटीज के सैकण्ड शिड्यूल में सबने बड़े-बड़े इमर्जिंग फील्ड का नाम लिया लेकिन आदरणीय आप देखें कि स्टेटिस्टिक्स जो कहते हैं, ओसनियोग्राफी, ओसनियोग्राफी का मतलब यह नहीं हुआ कि राजस्थान किसी समुद्र तट के पास नहीं है तो यहां का बच्चा ओसनियोग्राफी के बारे में नहीं सीख सकता। अर्थ साइन्स, आज तक इस बात का कोई आविष्कार नहीं हुआ कि अर्थ के आने के पहले किसी प्रकार की जानकारी हो जाए, एविएशन इंजीनियरिंग, मैं फिर एविएशन साइन्स की बात करूंगा, पायलट बनाने की बात मैं नहीं कर रहा, एविएशन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, डिफेंस साइन्स, 72 हजार करोड़ रुपये का बजट है आदरणीय सभापति महोदय, इसके अन्दर लेकिन रिसर्च एण्ड डवलपमेंट आज भी नहीं है। न्यूक्लियर साइन्स की बात कर रहे हैं, हालांकि यह एकाधिकार डाइरेक्टर आफ एटोमिक एनर्जी के पास है लेकिन उसकी ब्रांच राजस्थान में स्थापित हो सकती है। यह बात भी आप करें क्योंकि आपके पास अगले दो वर्ष में यह जो एटोमिक एनर्जी का न्यूक्लियर पैक्ट जो आपने किया है, वह यहां प्लांट लगाने आएंगे तो प्लांट लगाने आए तो उससे पहले अगर आपके इंन्जीनियरिंग कोर्सेज यहां हो, चाहे वह डाइरेक्टर आफ एटोमिक एनर्जी के माध्यम से हो, क्योंकि यह आपमें क्षमता नहीं है तो कम से कम आपका बच्चा भी उस साइन्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।

आदरणीय, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं I am running out of time. लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा की बात हो रही है, 100 करोड़ का देश और एक स्वर्ण पदक हम ले आएं तो एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए नहीं थकते। राजस्थान का स्पोर्ट्स का इतिहास देख लीजिए। हम रणजी क्वालीफाई नहीं करते, रणजी जीतना तो अलग बात हुई, रणजी टेस्ट मैच को क्वालीफाई नहीं करते। आप पग-पग पर प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पग-पग पर फिजीकल एजूकेशन की बात क्यों नहीं कर रहे? एक-एक तहसील में अगर आपने एक खेल से सम्बन्धित विद्यालय डाल दिया, 8 साल की उम्र में जिमनास्टिक्स में चयन हो जाता है, 9 साल से 10 साल की उम्र के अन्दर सोलो स्पोर्ट्स का चयन हो जाता है, 12 से 15 साल की उम्र में वह प्ले करने लग जाता है, 17 से 18 साल की उम्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित स्पोर्ट्समैन कीर्तिमान स्थापित करने लग जाता है, 25 साल में तो उसका वापस उत्तरार्द्ध चालू हो जाता है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आपके पास में 5-6 करोड़ राजस्थान की जनता है, सेना में जाने को तैयार है, फिजीकल एबिलिटी और एलिजिबिलिटी है, जनरल एजुकेशन की बात करें लेकिन आप जनरल एजुकेशन के साथ-साथ अगर स्पोर्ट्स एजुकेशन और फिजीकल एजुकेशन दो तो हो सकता है राजस्थान अपने आप में कोई स्वर्ण पदक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आए।

आप क्रिकेटर कैसे बनाएंगे, आपके पास में प्रिंसिपल एकेडमी तो है नहीं। आप स्पोर्टसमैन एथेलीट कैसे बनाएंगे प्रिंसिपल एकेडमी तो आपके पास है नहीं और प्रिंसिपल एकेडमी प्राइमरी एकेडमी होती है। अगर प्राइमरी एजुकेशन की आवश्यकता है तो उतनी ही आवश्यकता है क्योंकि दो ही चीजों में आदमी एक्सेल करता है किसी ने खूब कहा है सबसे छोटी दौड़ और रातोंरात अगर कोई मिलेनियर बनता है तो या तो स्पोर्ट्स से बनता है या फिल्म से बनता है और दोनों ही एकेडमी आपके यहां नहीं है। मैं तो आर्ट एण्ड कल्चर मंत्री महोदया से ही अनुरोध करूंगा क्योंकि फिल्म से आपका खूब अच्छा संबंध रहा है, आर्ट और कल्चर आपके पास में है, अगर हमारे पूना में वह एकेडमी हो सकती है तो जयपुर में वो एकेडमी क्यों नहीं हो सकती? अभिनेताओं की तो यहां कहीं कमी नहीं है, यह हाउस भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है उसके लिए आप उस एकेडमी को स्थापित करने की भी कम से कम जरूर सत्कर्म करें। मैं एक बात निवेदन करके अपनी बात को विराम देना चाहता हूं सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सम-अप करिए माननीय सदस्य।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी हमारे एक सदस्य फरमा रहे थे कि नेशनल पॉलिसी आफ एजुकेशन में पैरा 11.4 यह बात स्पष्ट करता है कि नेशनल इनकम का 6 परसेंट कम से कम हिस्सा एजुकेशन पर जाना चाहिए। हमें भी इस बात पर गौर करना पड़ेगा, यह नहीं कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया या हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, हमने समय रहते इसके अन्दर अपनी प्रतिस्पर्धा के स्वरूप में अंकन जरूर किया है, लेकिन आज की जो मार्मिक व्यवस्था है उसके अन्दर इतना जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि पिछले एनुअल प्लान में और इसके एनुअल प्लान में अबकी बार के एजुकेशन प्लान में भी 29 करोड़ 34 लाख का फर्क है। पिछले आयोजना में और अब की आयोजना में फर्क है यह तो जनरल एजुकेशन की बात है, 29 करोड़ 16 लाख माफी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चाहता हूं और तकनीकी एजुकेशन में 5 करोड़ 14 लाख का फर्क है, कम है। कला व संस्कृति में 23 करोड़ 56 लाख का फर्क है। जब हमारी योजना का आकार बढ़ गया उसके बाद में कम क्यों हो रहा है? यह सबके लिए है और यह हर बार होता है यह आप ही ने किया, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हर बार होता है कि जब आयोजना का आकार बढ़ता है तो कहीं न कहीं तो कला और संस्कृति धीरे-धीरे पीछे रह जाती है।

मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि संस्कृत शिक्षा के बारे में शायद किसी ने नहीं कहा। मैं बहुत बड़ा उदाहरण आपके बीच में पेश करना चाहता हूं। दो हजार कर्मकाण्ड करने वाले पण्डितों की आवश्यकता पड़ी, ज्योतिष कर्म करने वालों की आवश्यकता पड़ी, ढूंढने पर विदेश जाने के लिए सिर्फ 400 मिले। 1600 जगह फिर भी खाली रह गयी। यह बात तो इस आराध्य प्रदेश की है जिसको हम कहते हैं कि यहां सारे शास्त्रों की विभूतियां मौजूद हैं। आपके उदयपुर में देख लीजिए 40 से ज्यादा ऐसी स्कूलें हैं जहां संस्कृत का टीचर मौजूद नहीं है तो बच्चे क्या कर रहे हैं? चपरासी पढ़ा रहे हैं? मैं इस विषय पर इसलिए ज्यादा आपको अर्ज कर रहा हूं कि कुछ ऐसे प्रसंग रह गये हैं जो समयाभाव से आपके बीच में उनकी विवेचना नहीं कर पा रहा हूं। यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं यह कहता हूं कि चाहे सारे तीर्थ कर लो, अगर शिक्षा का तीर्थ आपने सद्‌भावनाओं से और मन की पवित्रता से कर लिया तो वो सारे तीर्थ एक जगह और यह तीर्थ अपने आप में एक जगह है, ये भावी पीढ़ी के तीर्थ हैं, यही कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। आपने मुझे इजाजत दी, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, शिक्षा पर बहस चल रही है और सभी लोगों ने अपनी-अपनी बातें रखीं, लेकिन इस बहस में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि राजस्थान का राज संभाले हुए हमें सात महीने हुए हैं, लेकिन 5 वर्ष में जितने भी खराब कर्म सामने वालों ने किये वो सारे हमारे ऊपर डालने की पूरी तैयारी इन्होंने कर ली। मैं आज आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूं इन्होंने जो घोषणा-पत्र में कहा था वो इन्होंने पूरा किया या नहीं किया, लेकिन हमारे घोषणा-पत्र में हमने जो कहा वो सारी बातें हमारे इस बजट में नजर आती हैं, शिक्षा का स्वरूप भी सुधारना चाहते हैं। इन लोगों ने जो राजस्थान में खाका बिगाड़ा उसको भी सुधारना चाहते हैं। आपने स्कूलें खोलने की घोषणा कर दी। जाते-जाते आपने

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कह दिया कि पूरे राजस्थान में स्कूलें खुल जाएंगी, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि कागजों में जिन स्कूलों को खोलने की घोषणा कर रहे हो उनके साथ कम से कम टीचर लगाने की घोषणा कर दो। एक लाख 13 हजार पद केन्द्र सरकार की तरफ से सर्व शिक्षा अभियान में आये उसमें से आपने 28 हजार पद प्रबोधकों के लिए लगा दिये। आपने बार-बार कहा, हम यह नहीं कहते कि केन्द्र सरकार से पैसा आया उस पैसे पर स्टेट का कोई अधिकार नहीं है, स्टेट का अधिकार है, लेकिन आपको जनता को भ्रमित करने का अधिकार नहीं है। आपको बात स्पष्ट करनी चाहिए, लोगों को यह बताना चाहिए। आपने पूरे राजस्थान में कह दिया कि सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में आपने घोषणा कर दी कि यहां पर हम नये सब्जेक्ट खोल रहे हैं। आपने सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलें खोलने की भी घोषणा कर दी, लेकिन आपने टीचर नहीं लगाये। मेरे खुद के गांव खाचरियावास में पिछले पांच वर्ष से साइंस का टीचर नहीं लगा। मैं एमएलए बन गया तो बार-बार मुझे फोन करते हैं, अब तो आपका राज आ गया आप टीचर लगा दो। यह अव्यवस्था क्यों हुई? आज भी ऐसी स्कूलें बहुत हैं। आज जो खाका आपने बिगाड़ा, जो अव्यवस्था आपने की क्योंकि आपके ऊपर अलग-अलग संगठनों का दबाव है। राज तो भारतीय जनता पार्टी संभालती है, लेकिन डोर कहीं और से चलती है, वहां से फैसला होता है, कौनसा टीचर कौनसी स्कूल में लगेगा, क्योंकि आपने तो संकल्प ले रखा है कि राज हम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नाम से, लेकिन आपने शिक्षकों में धड़ेबंदी शुरू कर दी, आपने संगठन खड़े कर दिये सब जगह। आपकी डोर जहां से चलती है, जिस भवन में बैठकर आपकी डोर चलती है वहां बैठकर आप टीचर्स का ट्रांसफर नहीं कर सकते। यही कारण है जहां पर 20 विद्यार्थी हैं वहां आपने 24-24 टीचर लगाए क्योंकि वहां से फैसले हो रहे हैं, लेकिन आप एक बात तय कर लो सात महीने में आपने जो बिगाड़खाता किया उसको सुधारने में समय लग रहा है, लेकिन मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी की भावना अच्छी है, हमारे मंत्रियों की भावना अच्छी है, हमारे एमएलएज् की भावना अच्छी है और पूरे राजस्थान की जनता मानती है कि राजस्थान में चाहे शिक्षा हो, कोई भी फील्ड हो हम सब जगह काम करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। आज हमारा कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए मुख्य मंत्री से भयभीत नहीं है, खुलकर बात करता है और जाकर कहता है यह हमारी डिमाण्ड है, हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

डेमोक्रेसी नजर आती है सब जगह। अब ऐसा नजर नहीं आता कि तानाशाही होगी या कोई भी जाकर अपनी बात नहीं कह सकता।

मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं आज कालेजों में प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, स्कूलें बढ़ रही हैं, लेकिन ये स्कूलें, ये कालेज पिछले पांच वर्ष में इस कदर अन्याय कर रहे हैं, मैं एक कालेज का उदाहरण दे रहा हूं, जयपुर में एक कालेज चलता है खण्डेलवाल कालेज। वहां की टीचर्स ने आकर मुझसे कहा है राजस्थान के एक नेता से कहा है कि वहां का सैक्रेट्री उन टीचर्स को अपने कमरे में बुलाता है, बुलाकर कहता है नौकरी करना चाहते हो तो मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे से बात करनी पड़ेगी। रात को बुलाऊंगा तो रात को आना पड़ेगा। जिस तरह का माहौल खण्डेलवाल कालेज के सेक्रेट्री ने बनाया है वो खण्डेलवाल कालेज का सैक्रेट्री एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य है और खुलेआम वो महिलाएं आज सब जगह घूम रही हैं और पिछले पांच वर्ष से वो महिलाएं दर-दर की ठोकरें खाती रहीं, सरकार के एक नेता के पास गयीं, सरकार के मंत्री के पास गयीं, लेकिन सरकार के एक मंत्री ने भी उनकी मदद नहीं की। मैं आपसे अनुरोध करूंगा उन टीचर्स को जहां भी जरूरत होगी, अख़बार में, सदन में, वहां पर आकर वो बयान करने को तैयार हैं। जरूरत होगी तो न्यायालय में जाने को तैयार हैं, लेकिन इतने बड़े सदन में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं खण्ड्लेवाल कालेज पर प्रशासक लगाया जाना चाहिए और ऐसे सैक्रेट्री, वो किसी भी कालेज के हों उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। तनख्वाह देते नहीं हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ती नहीं है और जब महिला टीचर लगती हैं तो उनके ऊपर हमारा नियंत्रण ऐसा होना चाहिए, ऐसा कानून लाना चाहिए कि यदि कोई बिगाड़ कर गये तो आगे भविष्य में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हम दे सकें और ये कह सकें कि जिन लोगों ने कालेजों में बैठकर इस तरह की कार्यवाही शुरू की है उनके खिलाफ हम कार्यवाही कर सकें।

आज प्राइवेट स्कूलों का क्या हो रहा है? प्राइवेट स्कूलों के लिए पिछले पाँच वर्ष से पुरानी सरकार बार-बार पेरेंट्स को यह कहती रही हम फीस को कंट्रोल करेंगे, हम इनकी मनमानी को रोकेंगे। जो पैरेलल सरकार चला रहे हैं प्राइवेट स्कूल, रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, हमारी राज्य सरकार उनका रजिस्ट्रेशन करती है, उस रजिस्ट्रेशन में शर्तें दी गयी हैं उन शर्तों के अनुसार स्कूलें मनमानी नहीं कर सकती, लेकिन आज हमारे मुख्य मंत्री का स्वप्न है कि

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

शिक्षा नियामक आयोग भी बने, हमारे 100 दिवसीय प्रोग्राम में भी यह है, लेकिन सिर्फ मुख्य मंत्री से नहीं, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हम भी प्लान देकर करेंगे और हमारे मंत्री भी आगे बढ़कर यह संकल्प ले लें इन प्राइवेट स्कूलों ने यहां तक दादागिरी कर रखी है, एक स्टूडेण्ट टेन्थ में पास हो गया। अब वह इलेवंथ में सब्जेक्ट क्या लेगा, वह भी प्रिंसीपल तय करेगा। प्रिंसिपल कहता है जबकि रूल्स रेगुलेशन में सीबीएससी में ऐसा कोई रूल नहीं है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्रिंसिपल की मर्जी से सब्जेक्ट मिलेगा। वह यह मानते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज होती नहीं है, उनको डेमोक्रेटिक रूल रेगुलेशन समझाने पड़ेंगे। बार-बार आदरणीय तिवाड़ी साहब सही कहते हैं कि यह सदन सबसे बड़ा सदन है, इस सदन से कोई बात निकले तो लोगों में संदेश जाना चाहिए, पता चलना चाहिए कि मनमानी नहीं चलेगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम से स्टूडेंट के अधिकारों की रक्षा करने की हमारी मोरल ड्यूटी है। आज इन स्कूलों ने मनमानी फीस लगा रखी है, आए दिन यूनिफार्म बदल देते हैं, आए दिन टाइम बदल देते हैं, आए दिन एक आप शिक्षा सत्र शुरू करने की डेट देते हैं, वह जो मानता है, वह मानता है, जो नहीं मानता है, वह नहीं मानता है। जिस तरह के हालात पैदा हो गये हैं, उन हालातों में मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह प्राइवेट स्कूलें जो भी पूरे राजस्थान में चल रही हैं, हम मानते हैं शिक्षा का स्तर बढ़ाने की यह बात करते हैं। आज निवेदन करूंगा मौका है जब हमारे मुख्य मंत्री और आपके सब के मन में कुछ भावना है, जब सेंट्रल सरकार सेंट्रल स्कूलें चला सकती है तो हम भी स्टेट स्कूलें चला सकते हैं, बराबर टक्कर में लाकर उनको खड़ा कर सकते हैं कि यह हमारा स्टेट स्कूल है, हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं लेकिन हमें एक मैनेजमेंट की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम भी स्टेट स्कूलें खोलें, उनकी टक्कर में खड़ा करें और ऐसा सख्त कानून हम लेकर आएं कि जिसमें बड़े से बड़ा पेरेंट्स जब स्कूल में जाता है तो उसकी आंखें नीची हो जाती हैं, उससे बदतमीजी की जाती है, उसको तंग किया जाता है, उसके बच्चे को टीसी देने की धमकी दी जाती है और यह कहा जाता है आपकी मर्जी हो तो पढ़ाइए नहीं, बाहर निकल जाइए। उनको हमारे अधिकारियों ने नोटिस भेजे, नोटिस भेजकर कहा आप फीस नहीं बढ़ा सकते, उसके बावजूद उन्होंने फीस बढ़ा दी क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, सरकार ने कोशिश की लेकिन हमारी सबसे बड़ी फीस अब होनी चाहिए, अब इस संकल्प के साथ होनी चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, प्राइवेट स्कूलों को मनमानी नहीं करने देंगे। आज के दिन मैं आपको इतना

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कहूंगा, वापस मैं फिर कह रहा हूं, इन सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कालेजेज और यह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितनी आ रही हैं उनमें भी आपके दखल की जरूरत है।

यूनिवर्सिटी इस देश की सबसे बड़ी आधार हैं जो इस देश की शिक्षा को सबसे आगे लेकर जाएगी। हमारा देश तरक्की कर रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन होने के साथ-साथ उसमें चेक की भी जरूरत है, समय-समय पर चेकिंग हो, समय-समय पर सरकार का नियंत्रण हो, कोई प्रतिभा छिपी नहीं रह जाए। कल किसी के साथ ट्रेजडी नहीं हो जाए, कल यहां मनमानी होना शुरू नहीं हो जाए, हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाएं लेकिन साथ साथ हमारा चेकिंग सिस्टम इतना जबरदस्त हो कि लोगों को नजर आए कि यह सरकार ऑनेस्ट है, इस सरकार का मन साफ है। हमारे मुख्य मंत्रीजी का जिस दिन विज्ञापन छपा और जब यह छपा कि अब प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण होगा, पेरेंट्स के मन में भावना जगी, अभी हमारे एक साथी विधायक कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अभिभावक आंदोलन कर रहे हैं, बिलकुल सही कह रहे हैं, अभिभावक आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वह अभिभावक मेरे से भी मिलते हैं, मैं जयपुर में रहता हूं, वह खुद यह कहते हैं, इस मुख्य मंत्री की भावना से हमको नजर आता है कि यह मुख्य मंत्री कुछ करना चाहता है और सुधार करके राजस्थान को इन माफियाओं से बचाना चाहता है। यह भावना जब उनको मुख्य मंत्री में लगी, वह आज सड़कों पर हैं, हम आज आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जो लोग आज जितनी बहस यहां पर कर रहे थे, यदि एक शब्द भी उन्होंने उस वक्त कहे होते, खुल कर कहे होते तो निश्चित रूप से सुधार उनका भी नजर आता और यदि उनका सुधार अच्छा होता तो पहले तो 76 पर आए थे, अब की बार 4 पर भी मामला नीचे बैठ गया। वह सुधार नजर आता वह इसलिए पिट गया कि एक भ्रम में आपकी सीटें 76 आ गईं लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में राजस्थान में आप लोग हारे, हारने के बाद भी, हार जीत चलती है, मैं भी चुनाव खूब हारा हूं, हार जीत इधर-उधर होती रहती है लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा इस सरकार के मन में भावना है, यह सरकार नियंत्रण करना चाहती है, सुधार करना चाहती है, आप भी शुरूआती एक वर्ष के लिए मुख्य मंत्रीजी के साथ मंत्रियों के साथ, विधायक के साथ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आगे आइए और आकर बताइए कि क्या सुधार हो सकता है, मैं निश्चित रूप से आपको गारंटी से कह

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सकता हूं, पूरा राजस्थान आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, आज प्राथमिक स्कूलों में 20 हजार सरप्लस टीचर चल रहे हैं, आपने जाते-जाते सब कुछ काम कर दिया, आपने जाते जाते जो घोषणाएं की, वह घोषणाएं जो आपने अंतिम जो आपके 5वें वर्ष थी, जो शिक्षा में की थी, वह हमने आते-आते की हैं। हमारे मन में कुछ है, कल जब हम नहीं करेंगे तो आप दूसरे वर्ष में हमको पूछ सकते हो, आपने पिछले बजट में यह कहा था, इतनी स्कूलें खोलने के लिए कहा था, आपकी यह सारी घोषणाएं कागजी हैं, हमारा मन साफ है, हम कुछ करना चाहते हैं इसलिए जो कहा है वह शुरूआती दौर में कहा है और यह आपको काम होता हुए नजर आएगा।

मैं अंत में आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि आज जब बजट पर चर्चा हो रही है, मैं अंत में उच्च शिक्षा मंत्रीजी से फिर कहूंगा, इस खण्डेलवाल कालेज के मामले में, मैं चाहूंगा, मैं आपके यहां पर खुद उन महिला टीचर्स को लेकर आऊंगा लेकिन वह चाहे राष्ट्रीय पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे वह सदस्य हो, पाँच वर्ष तक उसका उस सरकार में बहुत बड़ा दखल रहा हो, अखबारों में वह खूब छपा हो लेकिन उसके खिलाफ इस सदन को कार्यवाही करनी चाहिए नहीं तो, राजस्थान की महिलाएं यह कहेंगी कि हमने सरकार से निवेदन किया 5 वर्ष तक वह महिलाएं सरकार में दर-दर की ठोकरें खाती रहीं, जाकर उन्होंने फोटो दिखाई, निवेदन किया, मुख्य मंत्री से मिलीं, मंत्रीजी से मिलीं, एमएलए से मिलीं, अधिकारियों से मिलीं लेकिन एक भी व्यक्ति ने उस व्यक्ति के खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत नहीं की। आज राज बदल गया, राज आम आदमी का आया है, आम आदमी यह महसूस करता है, मुख्य मंत्री मेरे जैसा है, यह सरकार मेरे जैसी है, मैं किसी भी कीमत पर वहां जाकर आवाज उठा सकता हूं। जब आज मैं विधान सभा में आ रहा था, तब भी उन महिलाओं ने मुझे रोक कर कहा कि आपसे हम उम्मीद करती हैं, आज सदन में एजुकेशन पर चर्चा है, आप हमारी बात को उठाना, मैं आपको मंत्रीजी उनका नाम भी बता दूंगा। इस सदन में नाम लेकर मैं किसी ऐसे असभ्य व्यक्ति का सम्मान नहीं बढ़ाना चाहता लेकिन मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि वह व्यक्ति बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का हमारे बाद जो दूसरी पार्टी है, उसकी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है और वह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने दीजिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, बिना किसी आधार के बार-बार यह इंगित करना कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपको तकलीफ क्या है माननीय?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कि राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य है, क्या कहना चाहते हैं यह? (व्यवधान) किस आधार पर कह रहे हैं, सदन का मखौल बना दिया इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): देखिए, सभापतिजी, हमारे बड़े भाई, हमारे सम्माननीय ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप सरकार लिए बैठे हो, चलाओ कार्यवाही ...(व्यवधान) करो न कार्यवाही, कौन मना करता है ...(व्यवधान) पर बार-बार यह कहना कि राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य है ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, आप इजाजत दों तो मैं नाम बता दूं।

श्री सभापति: रहने दो नाम।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नहीं, नाम बताने में क्या है, वह पूछना चाहते हैं, लिखित में शिकायत है।

श्री सभापति: मूल विषय पर चर्चा करिए ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप यदि कार्यवाही करना चाहें लेकिन मैं निवेदन कर दूं, सभापति महोदय, मैं किसी की भावनाओं को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मूल विषय पर चर्चा करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरे बड़े भाई बीच में खड़े हुए। जब यह बोलते हैं, मैं खड़ा नहीं होता, जब यह कोई भाषण देते हैं, मैं खड़ा नहीं होता, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। यह राजस्थान की छात्र राजनीति के बहुत बड़े जनक रहे हैं लेकिन यह जिस तरह से बार-बार खड़े होते हैं, इनमें और मेरे में अंतर भी बहुत है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन गये, मैं इनके सामने बच्चा हूं लेकिन यह बार-बार खड़े हो जाते हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा, आपका राजस्थान में बहुत बड़ा नाम है, आप तिवाड़ी साहब से कुछ सीखिए, यह बार-बार खड़े नहीं होते, यह जानते हैं कि बच्चों से टकराऊंगा तो मैं बच्चों के बराबर हो जाऊंगा इसलिए बार-बार खड़े नहीं होते, इन्होंने बंद कर दिया खड़ा होना। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बेवजह उत्साहित हो रहे हो, वह महिलाएं

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

अखबार में भी जाएंगी, कोर्ट में भी जाएंगी, पुलिस में भी जाएंगी, फिर वह नाम आएगा इसलिए आप उत्तेजित मत होइए, उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, यह मामला महिलाओं का है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि इस घोषणा-पत्र को देख लो और इन फोटोज को देख लो, हमारा ठोस यह घोषणा-पत्र राजस्थान में राज करने के लिए आया है, देख लो अच्छी तरह से सब लोग देख लो 3 हैं और बिलकुल धड़ल्ले से इस घोषणा-पत्र में जो जो कहा है वह इसमें नजर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह घोषणा-पत्र अलग हो और हमारे बजट में हमारी बातें अलग हों, दोनों बिलकुल मिलते जुलते हैं, मन में हमारी भावना में कोई कमी नहीं है, हमारे मुख्य मंत्री की भावना में कोई कमी नहीं है।

शिक्षा नियामक आयोग आपने नहीं बनाया लेकिन मैं विधायक होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, हम निवेदन करेंगे उच्च शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा मंत्रीजी से हम निवेदन करेंगे, मुख्य मंत्रीजी से, पूरा सदन जाकर कहेगा कि नियामक आयोग बनाओ क्योंकि यहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम कोई बात कह सकते हैं, हम हमारी बात उठा सकते हैं। सभापतिजी, जब आज शिक्षा पर बहस हो रही है, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि यह बजट पूरा बजट और इसमें शिक्षा के लिए जितने भी प्रावधान हुए उसमें हमारी भावनाएं, हमारी सरकारी स्कूलों का स्तर सुधरे और जिन सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं वहां टीचर्स लगें और जहां पर बिना सोचे समझे आपने स्कूल खोल दिये उनमें जहां पर पहले से स्कूल हैं, वहां की घोषणाएं हो गई, कहीं पर यह नहीं देखा गया कि साहब, यहां टीचर हैं या नहीं हैं, हैड मास्टर है या नहीं है। मैं अंत में इतना ही कह सकता हूं कि हम जो बजट लेकर के आये हैं, हमारी भावना अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है, हमारी दशा अच्छी है। निश्चित रूप से यह शिक्षा का बजट राजस्थान की जनता का बजट है और मैं इतना कह सकता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार की नीयत साफ है, मन साफ है और कांग्रेस सरकार शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लायेगी और हमारी कोशिश होगी कि शिक्षा के नाम पर जिन लोगों ने राजस्थान में मनमर्जी कर रखी है उनकी मनमर्जी रुके और राजस्थान की जनता को न्याय मिले। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: डा. गोपाल जोशी।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापतिजी, आज मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में जो मांग के साथ में बहस हो रही है उसमें मैं अपने कुछ विचार आपके सामने व्यक्त करूंगा।

शिक्षा इसलिए दी जाती है कि उससे मनुष्य और जानवर में जो फर्क है वह फर्क महसूस हो। शिक्षा अगर किसी के पास है और बाद में वो आदिवासी की तरह रहे तो वह उसी तरह से रहेगा जैसे 'मनुष्यरूपेण मृगश्चरन्ति' कहावत है। मनुष्य के रूप में जानवर चलते हैं। शिक्षा के लिए कहा गया है, कई लोग यह कहते हैं कि essence of knowledge is having and applying it. इसको शिक्षा ले और उसको एप्लाई भी करे ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। फिर किसी विद्वान ने यह कहा कि the knowledge is of two types – one, that you have got the knowledge of the subject yourself and, second, you know from where it can be got. इस तरह की शिक्षा, आप किसी तरह की व्यवस्था करें। मैं इसकी फिलोसाफी में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे बीकानेर के बारे में जरूर कुछ न कुछ बोलना है। बीकानेर के बारे में मैं वहीं बात बोलना चाहूंगा, हालांकि कई लोगों ने छठे वेतन आयोग के बारे में बता दिया कि 86 और 96 के अन्दर जब यह वेतन आयोग आया था तब तो एज इट इज लागू कर दिया था लेकिन अबकी बार इन्होंने एज इट इज लागू नहीं किया है और यूनिवर्सिटी और कालेज के टीचर्स को इस वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है। उनको आपको देने में कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आती हो क्योंकि 80 प्रतिशत तो यूजीसी देती है और आपको 20 प्रतिशत ही देना पड़ता है। फिर अभी हमारे एक और साथी ने बताया था कि इसमें इन्कम टैक्स और कट जाता है तो और भी कम आपको, 20 प्रतिशत से भी कम देना होता है तो यह लागू कर दें पर एक समिति बनाकर के उसको टाला गया है। उस समिति से या तो बहुत जल्दी उसका परिणाम निकल जाए और यह छठे वेतन आयोग के बारे में कर दें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि बीकानेर के अन्दर आठवीं बोर्ड की स्थापना हेतु बहुत अर्से से चलता आ रहा है। जब राजस्थान बना था तो इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की रिपोर्ट 1949 की है, 31 मार्च, 1950 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट आफ राजस्थान की है जिसमें यह हुआ है कि ''Though the capital of the new State was located at Jaipur, it was decided that headquarters of some Heads of the Departments should be dispersed to places other than Jaipur. Thus, the High court and the Accountant General's offices were sent to Jodhpur and Customs & Excise, Mines & Geology and Ayurvedic Departments to Udaipur and Education Department to Bi-

(डा. गोपाल जोशी)

kaner." एजुकेशन बीकानेर का सौंपा गया था। पहले तो कालेज, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सभी बीकानेर के अन्दर थी पर धीरे-धीरे उच्च शिक्षा को भी हटा दिया गया, माध्यमिक शिक्षा अभी तक चल रही है लेकिन आठवीं के बोर्ड के बारे में ऐसा सुना जाता है कि अभी तक कोई तय नहीं किया है कि बीकानेर में ही आठवीं का बोर्ड दिया जाएगा। हालांकि इसकी परीक्षाएं आपकी डाइट की तरफ से या किसी तरफ से की जा रही हैं। तो यह जरूरी है, हम यह चाहते हैं कि इसमें सभी तरफ की, 1999-2000 के बजट भाषण के अन्दर भी वित्त मंत्री ने कहा था कि यह बीकानेर के अन्दर होगा और प्रारम्भिक शिक्षा के आयुक्त महोदय ने भी 15.9.2007 को और 22.2.2008 को भी इसके बारे में यह कहा था कि इसका गठन होगा और बीकानेर में होगा। यूआईटी ने इसमें अपनी जमीन भी जोहड़ बीहड़ में देने की बात की है। ये सारे के सारे कागजात मेरे पास में है तो यह आठवीं का बोर्ड, शिक्षा मंत्री जी, आप बीकानेर संभाग के हैं, मैं समझता हूं कि आपको इसका दर्द महसूस होता होगा कि वहां के लोग निश्चित रूप से आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस बोर्ड को बीकानेर में रहने दें। वह कहीं दूसरी जगह नहीं जाए क्योंकि बीकानेर के अन्दर पहले तो सारी की सारी शिक्षा होनी चाहिए थी जो अब नहीं रही, डायल्यूट हो गई, यह डायल्यूट नहीं होनी चाहिए और यहां रहनी चाहिए। दूसरा, माननीय शिक्षा मंत्रीजी मुझे यह बताया गया है कि बीकानेर का जो डायरेक्ट्रेट आफिस है यहां के डायरेक्टर साहब या कमिश्नर साहब जो भी हैं, कई अर्से से ही जयपुर के अन्दर ज्यादा रहते हैं, बीकानेर के अन्दर कम रहते हैं। तो यह धीरे-धीरे लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि शायद यह डायरेक्ट्रेट भी जयपुर चला जाए इसलिए ऐसा नहीं हो कि बीकानेर को सभी से आप वंचित कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी यह मांग है, मेरी यह प्रार्थना है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत् शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा का यह जो हैडक्वार्टर है और आठवीं का जो बोर्ड है यह यहीं पर रहना चाहिए।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि अनार्थिक स्कूलों, जो आर्थिक रूप से स्कूलें ठीक नहीं हैं उनको आप हटाना चाहते हैं लेकिन कुछ वेलफेयर स्टेट के अन्दर कभी आपको सब्सिडी भी देनी पड़ती है उस ढंग से अगर आपको रखना भी पड़े तो आप रखियेगा, इसको हटाइये मत, इसको हटाने से कोई फायदा नहीं है।

तीसरी बात, मुझे अभी जल्दी-जल्दी कहना है नहीं तो अभी ये घंटी

(डा. गोपाल जोशी)

बजा देंगे। तीसरी बात, यह है कि राजस्थानी भाषा की मान्यता के ऊपर बात करना जरूरी है। राजस्थान भाषा के सम्बन्ध में 25 अगस्त, 2003 को इस हाउस ने सर्वसम्मति से यह पास करके भेजा था कि इसको संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित कर दिया जाए। उसके बाद में अब क्या हुआ है, अभी तक वह ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। सभापतिजी, मेरा आपके माध्यम से खास तौर से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि वे ऊपर पत्र लिखें, दबाव डालें और इसको मान्यता दिलायें। क्योंकि जब कभी भी हम मिलते हैं, घर के अन्दर मिलते हैं तो राजस्थानी बोलते हैं। अभी माननीय खाचरियावास जी बोल रहे थे कि घर में कि अब तो लगाद्यो, तो लगायो, तो ये राजस्थानी ही बोलते हैं घर में जाकर। बाहर हम जहां कहीं भी मिलते हैं तो राजस्थानी ही बोलते हैं लेकिन राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही है। आप भी सब लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया हुआ है, आप सब लोग सहमत भी हैं तो इस राजस्थान को मान्यता दिलावें। देखिये, पहले आजादी से पूर्व राजस्थान में यह राजकोट, उमरकोट, यह राजभाषा थी, राजस्थान में भी थी और दूसरी जगह भी। इसकी लिपि जरूर मोडिया थी, यह जरूर बात थी लेकिन कई जगह पर राजभाषा थी। बीकानेर में आज भी राजस्थान भाषा में लिखे हुए पट्टे हैं, और कई जगह भी राजस्थान के अन्दर पट्टे वगैरह लिखे हुए होंगे। गीत में जो छंद होते हैं वो 120 भेद हैं छंद के, तो बहुत सशक्त भाषा है, कम से कम 10 -15 करोड़ लोग इसको बोलते हैं, इसको आप मान्यता दिलावें और कोशिश करें। जहां बस में और कई जगह लिखे होते हैं कि 'पधारो म्हारे देश', ऐसा सब जगह बार-बार कहीं पर लिखा जाए तो यह अच्छा रहेगा। यह 'पधारो सा' यह कहीं लिखा हुआ हो तो अच्छा लगेगा और फिर इसमें फिल्मों को भी मनोरंजन कर से मुक्त करायें तो भी ठीक रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं।

एक बात मैं शिक्षा मंत्रीजी यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आप अपने घर से दूर भेजें और ज्यादा दूर हो और ऐसे दुर्गम स्थान पर जहां उनको पैदल भी चलना पड़े तो यों ही लोग नहीं जायेंगे। शहर के अन्दर तो उनको आप मकान किराया वगैरह देते हैं, भत्ता देते हैं, सब कुछ फैसेलिटी है, सुख-शांति है लेकिन गांवों के अन्दर पैदल भी चलना पड़ता है, ऊंट के ऊपर चलना पड़ता है, बैल गाड़ियों पर चलना पड़ता है और वहां पर रहने का स्थान मिलता है या नहीं मिलता है तो उनको जितनी दूर जाए, जितनी तकलीफ है उसको असेस करके कुछ पैसे उसको ज्यादा मिले। निश्चित रूप से अगर उनको

(डा. गोपाल जोशी)

ज्यादा पैसे मिलेंगे तो उनका ठहराव भी वहां पर हो सकता है नहीं तो वहां पर ठहराव रहने के लायक स्थिति नहीं है। चाहे वह मेडिकल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे और भी कई कर्मचारी किसी तरह के हों तो वो लोग वहां ठहरेंगे नहीं। अगर पैसे का लाभ उनको मिला तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वो इस तरह के ठहराव के लिए हां भर सकते हैं। राजकीय विद्यालय के अन्दर विद्यार्थी नहीं आते, सार्दुल स्कूल जो हमारी वहां बीकानेर के अन्दर है तो वहां पर पहले तो ऐसे मारा-मारी होती थी कि किसी तरह से एडमिशन नहीं मिलता था और वहां के लड़के फर्स्ट, सैकण्ड, कोई न कोई मैरिट में आता था। आज टी.वी. के अन्दर उसका एड आ रहा है कि वहां पढ़ने के लिए आइये तो यह सारे जितने लोगों की हमने भावना अभी देखी तो यह बात सही है कि राजकीय विद्यालयों के अन्दर लोग अपने बच्चे भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। तैयार नहीं हैं तो उन सबके कारण ढूंढकर आप उनके काम्पीटिशन के अन्दर आयें। जिस तरह से टेलीफोन के अन्दर, मोबाइल के अन्दर दूसरी कम्पनियां आई हैं तो काम्पीटिशन के अन्दर सरकार भी है, उसी ढंग से आप भी उस काम्पीटिशन के अन्दर आ जायें तो आपकी गुणवत्ता में भी फर्क आएगा और आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। यह सभी कुछ मैं कहना चाहता हूं।

उच्च शिक्षा के अन्दर, कालेज के अन्दर फोरेन लेंग्वेज पढ़ाना शुरू करें तो यह भी एक बहुत बड़ी बात होगी। यह देखिये, जहां विदेशों के अन्दर अंग्रेजी सीखे लोगों को प्राथमिकता है। चाइना के अन्दर ज्यादा काम मिलता है और अब चाइनीज अंग्रेजी सीख रहे हैं लेकिन अगर आप यहां चाइनीज सिखा दो तो आपको चाइना वगैरह में जाकर काम मिलने में बड़ा फायदा हो सकता है, और भी दूसरी लेंग्वेज जो विदेशों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा बोली जा सकती है अंग्रेजी के अलावा, यह भी अगर किया जाये तो यह बहुत अच्छी होगी। मैं इतनी ही खास तौर से यही बातें हैं, जो जल्दी-जल्दी मैंने अपनी बात कह दी। मैं बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इसमें से आप जरूर देखें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): आप राजस्थानी में बोलते तो ज्यादा ठीक रहता। वह आप अच्छे लगते।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): मैं राजस्थानी में बोल तो लेता पर आप अंकित कर लेते क्या? सभापति महोदय, अगर मैं राजस्थानी भाषा में बोलूं तो आप उसको अंकित करवा दोगे क्या? आप उसको अंकित करवा दोगे

(डा. गोपाल जोशी)

क्या? मैंने तो इतना जोर लगाया था राजस्थानी भाषा में शपथ लेने के लिए पर मुझे शपथ लेने नहीं दी राजस्थानी भाषा में, इस कारण से मुझे तो हिन्दी में लेनी पड़ी शपथ, नहीं तो मैं तो वैसे ही तैयार था। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता गरासिया।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 के तहत कला, संस्कृति और शिक्षा पर आज पूरे दिन लम्बी चर्चा हुई और सभी ने अपने-अपने ढंग से शिक्षा के महत्व को बताया, शिक्षा की समस्याओं को सदन के सम्मुख उठाया। आज इस सदन में आपकी अनुमति से शिक्षा पर जो चर्चा हुई थी, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगी कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो सभी समस्याओं का समाधान करता है। शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और शिक्षा ही विकास का द्वार है।

सभापति महोदय, दक्षिण राजस्थान जो कि उदयपुर संभाग है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जो न केवल आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है बल्कि शैक्षिक क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा हुआ है। वहां पर अब तक आदिवासियों को आरक्षण की सुविधा दी गई लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि हमारे संभाग में अब तक मात्र एक आई.ए.एस. अधिकारी बना, वह भी पदोन्नति के मार्फत। वहां का आदिवासी और पढ़ा-लिखा युवा अब तक सिर्फ एक पटवारी और शिक्षक बनने तक की सोच रखता आया है। वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता का अभाव रहा है लेकिन समय के साथ अब धीरे-धीरे शिक्षा के प्रति शिक्षा के महत्व को समझकर जीवन में शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब शिक्षा की तरफ वहां आदिवासी छात्र-छात्राओं का और अभिभावकों का रुझान बढ़ा है। अब छात्र पी.एम.टी., पी.ई.टी. और आई.आई.टी. की प्रतिस्पर्द्धा में अपना भविष्य आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से अधिकांश में सफलता मिली है। ऐसी स्थिति में अब तक हमारा क्षेत्र उपेक्षित रहा है लेकिन इस बजट में हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य है, वहां पर इंजीनियरिंग कालेज और पोलीटैक्नीक कालेज खुली, जिसकी इस बजट में घोषणा की, इसके लिए मैं मेरी तरफ से और मेरे वागड़ अंचल की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आपने इस उपेक्षित और वंचित क्षेत्र की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया और इस बजट में स्थान दिया। उसके

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

लिए मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्रीजी और विशेषकर हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी की आभारी हूं कि आपके प्रयासों से इस क्षेत्र में कालेज खोलें। आज शिक्षकों की जैसी व्यवस्था है, राजस्थान का और क्षेत्र, वन बस्तियां हैं, शहरी क्षेत्र है लेकिन हमारा जो आदिवासी संभाग है जो बिखरी बस्ती है जहां पर हर घर के बीच में, हर मकान के बीच में एक-आध किलोमीटर की दूरी होती है और ऐसी स्थिति में दूर-दराज में जो स्कूलें होती हैं, वहां पर सड़कों की सुविधा का अभाव है और अन्य भौतिक सुविधा का अभाव है, वहां पर कोई भी शिक्षक जाना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अभी इस बजट में और माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो समानीकरण की व्यवस्था करने की घोषणा की है। मैं धन्यवाद देती हूं माननीय मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि इससे अधिकांश फायदा हमारे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को मिलेगा। जहां पर एक या दो शिक्षक के भरोसे स्कूलें चलती हैं, जहां पर कोई भी टीचर जाना नहीं चाहता है और पिछली सरकार ने अपने भाई-भतीजावाद और अपने परिचितों और रिश्तेदारों को यहां पर डेपुटेशन करके, उनकी व्यक्तिगत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सड़क की तरफ और शहरों के आसपास डेपुटेशन किया था और हमारे गांवों की स्कूलों को खाली कर दिया था। मैं धन्यवाद देती हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को आपकी इस समानीकरण की व्यवस्था से निश्चित रूप से आदिवासी अंचल के उन छात्र-छात्राओं को उसका लाभ मिलेगा, उनके शैक्षिक स्तर में सुधार होगा।

माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि एस.सी. एस.टी. के छात्रों के शैक्षिक उन्नयन के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिसमें क्योंकि आदिवासी छात्र जिसके अभिभावक पढ़े-लिखे नहीं है तथा उनके घर-परिवार में शैक्षिक माहौल नहीं मिल पाता है, इस वजह से वह इस शिक्षा की प्रतिस्पर्द्धा में अपने आपको नहीं आजमा पाता है। ऐसी स्थिति में इन छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवासीय विद्यालय खोले गये और जिसमें सरकार की यह मंशा रही है कि घर में वातावरण और माहौल शिक्षा में बालक को नहीं मिल पाये, वह आदिवासी, वह गरीब, वह एस.सी. का परिवार जिसके दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं हो पाता है, वह अपने बच्चे की शिक्षा की चिंता नहीं कर पाता है। इस भावना को मध्यनजर रखते हुए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई जिसमें छात्र पढ़ करके और आज

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

की आधुनिक प्रतियोगिताएं हैं, उसमें अपने आपको सम्मिलित कर सके। लेकिन माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार की इस योजना के पीछे जो भावना रही है, जो मंशा रही है, वह यह रही है कि छात्र पर अपने पारिवारिक अभाव का असर नहीं पड़े और छात्र अपने अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त करे...

लेकिन वहां पर जो शिक्षकों की व्यवस्था है उस आवासीय विद्यालयों में, उन शिक्षकों के ठहराव की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। वहां पर शिक्षक अपनी मर्जी पड़े उस समय मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण करवा लेता है जिससे कभी भी वहां का पद रिक्त हो सकताहै और उससे वहां के छात्रों का शैक्षिक स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि आप उन आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के ठहराव के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिसमें मात्र नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें सिर्फ उन आवासीय विद्यालयों के लिए ही शिक्षकों की भर्ती की जाय ताकि उनका स्थानांतरण उस आवासीय विद्यालय से दूसरे आवासीय विद्यालय में हो, अन्य अन्यत्र स्कूलों में नहीं हो, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस बात को गम्भीरता से लेते हुए निश्चित ही इसमें कदम उठाने का आपसे अनुरोध है मेरा। अंत में, माननीय सभापतिजी, मुझे बहुत समय बाद, मेरे बाद वाले सदस्य ने बाद में आवेदन किया था आपसे बोलने का, मुझे तो काफी देर से अवसर मिला है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, मेरी बात को थोड़ा सा सुनिये, मेरा जो गढ़ी विधान सभा क्षेत्र है जो नवसृजित है, जो तीन विधान सभा क्षेत्रों को काट कर के नया विधान सभा क्षेत्र बनाया गया है जिसमें एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है, निजी महाविद्यालय हैं उसमें तीन लेकिन आदिवासी छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वह उसमें नहीं जा सकते हैं और बांसवाड़ा में दो पीजी कालेज हैं, एक गर्ल्स कालेज और एक सामान्य कालेज लेकिन वह मेरे विधान सभा क्षेत्र से 50 किलोमीटर की दूरी पर होने से वहां के जो गरीब छात्र-छात्राएं हैं वह वहां अध्ययन करने के लिए नहीं जा सकते, हालांकि जो भी अध्ययनरत हैं उसमें तीस प्रतिशत, सात हजार के लगभग अध्ययनरत हैं, उसमें से तीस प्रतिशत छात्र-छात्राएं गढ़ी विधान सभा क्षेत्र के हैं लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय खोला जाय। अंत में एक निवेदन और करना चाहूंगी कि पिछली जो सरकार थी उसने सत्र 2008-09 में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

विद्यालय में जिन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया था वह क्रमोन्नत विद्यालयों की संख्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में 30 है, जहां पर प्रधानाध्यापक का पद तो स्वीकृत हुआ लेकिन बाकी सारे पद वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापकों के जो पद हैं वह रिक्त हैं। वहां पर अभी तक तो नवीं कक्षा जो एक क्लास निकल गई है उसको तो प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों द्वारा अध्यापन कराया गया, लेकिन अभी दसवीं में जो छात्र हैं जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कराया जाना संभव नहीं होगा और अगर उन्होंने अध्यापन कराया तो निश्चित ही उनके शैक्षिक स्तर में गिरावट आयेगी, उसकी गुणवत्ता में फर्क आयेगा, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप इन विद्यालयों में शीघ से शीघ्र जो अभी शिक्षकों की भर्ती है, उन शिक्षकों को उन विद्यालयों में वरियता के तौर पर भरा जाए।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां पर बालिकाएं भी अधिक मात्रा में अध्ययनरत हैं, वहां पर एक महाविद्यालय बालिकाओं का अलग से भी होना चाहिए और एक बार पुनः उस बात को दोहराना चाहूंगी, हमारे माननीय सदस्यों ने यहां पर कही, उसका समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा, शिक्षक एक पवित्र व्यवसाय है और उसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनको निर्माण कार्यों में लगाया जा रहा है, उन निर्माण कार्यों से उन्हें अलग किया जाय क्योंकि कहीं न कहीं निर्माण कार्यों में शामिल होने से वहां का वातावरण एक शिक्षक का जो मानस है वह दूषित होता है और वहां पर भ्रष्टाचार की बू आती है। अन्त में एक बार नः आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जैसा कि इस बजट में वाणिज्य और विज्ञान संकाय खोलने का जो प्रावधान किया गया है, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे पिछड़े क्षेत्र मं अब तकनीकी शिक्षा के लिए महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक वाणिज्य और विज्ञान संकाय के जो विषय खोले जायें वे अधिकतर हमारे पिछड़े और आदिवासी अंचल में खोले जायें जिससे कि वहां शिक्षा प्राप्त करके वहां का छात्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ जायेगा। धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में जो भी स्टूडेंट मोबाइल लेकर आता है, कृपया यह नियम लागू कर दें कि इस शिक्षा के अन्दर, सैकण्डरी

(श्री श्रवण कुमार)

और हायर सैकण्डरी में कोई भी लड़का मोबाइल लेकर नहीं आयेगा, तब तक शिक्षा का सुधार नहीं हो सकता। (व्यवधान) यह मेरा सुझाव है।

श्री सभापति: पहले सदन पर तो यह व्यवस्था लागू करो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह तो मेरा सुझाव है, माने तो बहुत अच्छा, नहीं माने तो बहुत अच्छा।

श्री सभापति: मास्टर श्री भंवर लाल मेघवाल, शिक्षा मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

एक माननीय सदस्य: बहुत अच्छा सुझाव है।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): सभापति महोदय, मुझे भी दो मिनट बोलने का मौका दें। सभापति महोदय, दो मिनट का बोलने का मौका दें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैंने भी मेरा नाम दिया था, मेरा नाम आया ही नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): नहीं, मैंने सवेरे मेरा नाम दिया था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। कोई आपकी पर्ची ही नहीं है। माननीय सदस्य, विराजें आप। आपकी कोई पर्ची ही नहीं है। मैं कैसे आपका नाम लूंगा। कोई आपकी पर्ची नहीं है, कोई आपका इसमें नाम नहीं है, न कोई आपकी पर्ची है। शिक्षा मंत्रीजी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के बारे में सदन में चर्चा हुई। कुल 175 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि समस्त कटौती प्रस्तावों के लिखित जवाब सात दिन के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायेंगे। आज 41 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। आज की चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे यह भी प्रसन्न्ता हो रही है कि माननीय सदस्यों ने राज्य में शिक्षा के विकास में अपनी भागीदारी को परिलक्षित करते हुए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है एवं अनुभव के आधार पर बहुमूल्य सुझाव दिये हैं इसके लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभार भी प्रकट करता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है शिक्षा का विकास राज्य सरकार की सदैव

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

प्राथमिकता रही है, राज्य सरकार द्वारा विषम भौगोलिक परिस्थितियों व सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के विस्तार के लिए हर सम्भव प्रयास किये हैं। वर्ष 1991 से 2001 के बीच राज्य की साक्षरता दर 21.85 प्रतिशत वृद्धि हुई जो राष्ट्रीय स्तर पर लगभग दुगुनी है। अभी भी शिक्षा में विस्तार..

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्रीगण लिखित भाषण नहीं पढ़ सकते

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे सदन की परम्परा रही है, माननीय मंत्रीजी उत्तर देते हैं तो उत्तर पूरे का पूरा वरबेटम पढ़ कर नहीं देते, यह एक नई परिपाटी बनती जा रही है, माननीय मंत्रीजी को इतना ज्ञान तो इनके विभाग के बारे में होना चाहिए कि विभाग में क्या करने वाले हैं, विभाग की क्या कार्यकारी योजना है, विभाग को किस ओर ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में उत्तर तो कम से कम सदन को अच्छी तरह अवगत तो करायें और सभापति महोदय, हमारे नियम और प्रक्रिया में भी लिखा है कि पढ़ कर कोई नहीं बोल सकता।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप जब उत्तर का समय आता था तो लड़ाई हो जाती थी, देते ही नहीं थे ना। भूल गये क्या? तब तो लड़ कर भाग जाते थे, हाय-हल्ला करते थे और जोर-जोर से बोल कर भाग जाते थे, वह समय भूल गये क्या।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अभी भी शिक्षा के विस्तार व गुणात्मक सुधार के लिए काफी कार्य किया जाना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 259 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, इसमें साफ लिखा है कि ऐसी पुस्तक या पत्र नहीं पढ़ेंगे, मतलब, क्या मतलब, यह तो वहां से किताब पढ़ कर ले आये और इस तरह उत्तर दे रहे हैं, यह टेबल करा दीजिये। नहीं, टेबल करा दीजिये। अगर इतना समय मंत्री महोदय को नहीं था कि मंत्री महोदय तैयारी करके आते तो टेबल करा दो, हम मान लेंगे, उनका उत्तर पढ़ा हुआ मान लेंगे। वह मुख्य मंत्रीजी ने जो परिपाटी प्रारम्भ की है उसी पर सारे मंत्री चल रहे हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, मैं निवेदन

करना चाहूंगा..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मुख्य मंत्रीजी ने पानी पी-पी कर जवाब दिया था आपको। मुख्य मंत्रीजी ने पानी पी-पी कर जवाब दिया था आपको।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): रामलालजी, एक मिनट ।

श्री सभापति: वन मंत्रीजी, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उसके बाद आप उनको बोलने भी नहीं दे रहे साजिश के तहत बार-बार। मुख्य मंत्रीजी ने क्या परिपाटी डाली, बताइये आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बोलने के लिए कोई मनाही नहीं है सभापति महोदय, बोलें लेकिन पढ़ने की व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति: आंकड़े देख कर बोल रहे होंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पहली बार कोई माननीय आये हों, यह तो बार-बार आये हैं, भंवरलालजी तो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, सदन में प्राय:कर पढ़ा जाता है, मैं तो देख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ऐसे पढ़ कर। यह थोड़े ही होता है कोई, इस तरह का रिप्लाई करायेंगे आप।

श्री सभापति: आंकड़े ही देख रहे हैं वह। आंकड़े देख रहे हैं। शिक्षा मंत्रीजी यह तो आप मानते हैं कि ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह तो देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, दोनों चीज हो रही हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं देख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं और ...(व्यवधान)

श्री सभापति: इनकी विद्वता पर आप प्रश्न-चिन्ह मत लगाओ ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देखिए सभापति महोदय, व्यवस्था आपकी मर्जी में आये जैसा करो परन्तु सदन में नियम यह है कि मंत्री ही नहीं माननीय सदस्य भी मैंने बहुत से सदस्यों को देखा कि सब लेकर के यूं करके पढ़ रहे थे। किसी भी प्रकार सदन में पढ़ना पूर्णत: वर्जित है, नियमों के विपरीत है, परम्पराओं के खिलाफ है। माननीय मंत्री महोदय चाहे तो इसकी सहायता ले सकते हैं लेकिन इस प्रकार से पढ़ना किसी भी प्रकार से उचित

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं है। यह नियमों के विपरीत है। नए कोई माननीय सदस्य हों, जैसे आये हैं वह पढ़ते थे तो अपन ने इनको इग्नोर कर दिया। यह तो बहुत वरिष्ठ हैं, पुराने हैं तो इनको आप कहिए कि इनको जरूरत पड़े तो इसकी सहायता ले लें, वरना बोलो आप तो खुलकर जो जी में आये।

श्री सभापति: सहायता ही ले रहे हैं। सहायता ही ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, उत्तर कल करवा देना बाकी माननीय मंत्री महोदय चाहे तो ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ...(व्यवधान) आंकड़ो की सहायता ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं?

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इनके मंत्री क्या बोल देंगे, दूसरे बोल देंगे, बोल देंगे उत्तर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मान लेंगे, मान लेंगे न, सारा सदन तैयार है।

श्री सभापति: विराजो-विराजो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) यह सारा सदन तैयार है आपकी बात नहीं है, महिला व बालिका शिक्षा में राज्य अभी बहुत पीछे है। हमारा विश्वास है कि राज्य में तेजी से विकास के लिए राज्य का पूर्ण साक्षर होना अति आवश्यक है। इस दिशा में हम विद्यालय जाने वाली आयु के प्रत्येक छात्र और छात्राओं को विद्यालय में लाना व उसका ठहराव और कक्षा के स्तर के अनुरूप पढ़ाई का स्तर प्राप्त करना हमारी प्राथमिकता रहेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन की गरिमा को बचाइए। मेरा हाथ जोड़ कर के निवेदन है इस तरह के पढ़-पढ़ के बुलाएंगे आप।

श्री सभापति: यह कोई आंकड़े देखकर के बोल रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप कोई व्यवस्था भी नहीं दे सकते ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय आसन पर विराजे हैं आप, व्यवस्था तो दीजिए आप, नहीं व्यवस्था तो दीजिए आप।

श्री सभापति: आंकड़े देखकर के बोल रहे हैं माननीय मंत्रीजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आंकड़े एक होता है, दो होता है और निशान लगाते हैं, हमारे को सिखाओगे क्या आप? आंकड़े बोल रहे हैं, देखकर के बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आंकड़े एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ होते हैं, एक भी शब्द एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ में से किसी का आया हो तो मान लेंगे कि आंकड़े दिए हैं, यह कोई बात हुई क्या? आज इस सदन का अपमान हो रहा है। यह इतने वरिष्ठ अगर किताब पढ़ने लग जाए तो यह कोई उत्तर हुआ क्या?

श्री सभापति: आप जो सदन में जो जवाब दे रहे हैं, आप लोग सुनो तो सही पहले।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसको उत्तर मानेंगे क्या? आसन से व्यवस्था चाहते हैं।

श्री सभापति: हां, पूरी व्यवस्था देंगे, पूरी व्यवस्था देंगे, पूरी-पूरी व्यवस्था होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या कर रहे हो? यही सदन की मर्यादा और परम्परा है क्या? इस तरह के पठन करे किताब लेकर के?

श्री सभापति: पूरी-पूरी व्यवस्था होगी। एक मिनट आगे बोलने तो दें इन्हें, आप विराजो तो सही, आप विराजो तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): फिर इनको क्या है? यह तो इनके अधिकारी जो बना कर दे दें वह किताब पढ़ दो न, हमने यहां जो सवाल खड़ा किया उनका जवाब कौन देगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो आप, आप वरिष्ठ हैं, आप विराजें, उपनेता महोदय विराजो आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कमाल की बात है? क्या मतलब है यह कोई? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आसन पर बैठने वाले माननीय सभापति महोदय यूं हाथ नहीं करते हैं, उनको करना यह है कि हमने जो बात कही है उसकी खड़े होकर व्यवस्था दीजिए और हमारे को रिजेक्ट कर दीजिए। आप यह व्यवस्था दीजिए, यह व्यवस्था दे दीजिए कि मंत्री महोदय सब पढ़ेंगे, दे दीजिए व्यवस्था और दूसरे दिन इस हाउस में सदन की कुर्सी पर आप नहीं बैठोगे? इसलिए आप कम से कम खड़े होकर जब मैं जिम्मेदारी से यह प्रश्न उठा रहा हूं, क्या मतलब आप व्यवस्था करिए और आप यह कह कर सदन में विराजिए-विराजिए व्यवस्था खराब कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय शिक्षा मंत्रीजी विराजिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी विराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं खड़ा हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या बात हुई? (व्यवधान) नहीं, यह कोई बात हुई क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय विराजिए आप, सचेतक महोदय माननीय सदस्य विराजिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जितनी भी परफोर्मेंस दिखानी है दिखा लो अभी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): Let me complete first. (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इतनी देर से सुन रहे थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो आप, विराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): Let me complete first. व्यवस्था देने से पहले मैं ...(व्यवधान) कह रहा हूं।

श्री सभापति: उपनेता महोदय विराजिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप व्यवस्था बाद में देंगे। सभापति महोदय, पहले नहीं दे सकते, सभापति महोदय, पहले व्यवस्था दे नहीं सकते आप। पहले Let him complete.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले सुनो पूरा।

श्री सभापति: आपने जो फरमाया ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, यह आपको धमका रहे हैं, आसन नहीं मान रहा इनके कहने से ...(व्यवधान) सभापति महोदय इधर भी देखिए आप ...(व्यवधान) सभापति महोदय एक मिनट मैं भी कहना चाहता हूं। यह आपको धमका रहे हैं, आप इनकी धमकी में आ रहे हो, यह धमकाने का तरीका नहीं है क्या?

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बार-बार धमका रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। मेरे पर किसी धमकी का असर नहीं है आप विराजो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): हां-हां यही तरीका है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान) आप आसन को धमका रहे हो, आप आसन को इंडिकेट नहीं कर सकते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो, माननीय सदस्य विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप आसन को इंडिकेट करके धमका रहे हो, यह सदन की तौहीन है। आप इंडिकेट नहीं कर सकते, इंडिकेट नहीं कर सकते कि आप बैठिए, आप कैसे कह सकते हो सदन को बैठिए?

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आप इंडिकेट कर रहे हो कि आप बैठिए ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह अधिकार नहीं आपको।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप इंडिकेट नहीं कर सकते ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिए आप, विराजिए आप, माननीय सदस्य विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप रिजेक्ट कर सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पढ़ना और कागज में बहुत अंतर है, पढ़ना उसको कहेंगे कि ए टू जेड सारी बातें पढ़कर के सुना दे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ...(व्यवधान) कोई नहीं कर सकता इस कुर्सी पर ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय हंगामा मचाना इनका मकसद है और कोई इनका मकसद नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय इनका हंगामा मचाना, हंगामा मचाना इनका स्रोत है, स्रोत बदलना इनका काम नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए आप, विराजो आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, व्यवस्था का क्या हुआ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं अपनी बात रख रहा था तो आप इसकी व्यवस्था दें। अपने नियम, अपने उप नियम कानून कायदे यह हैं कि जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो विराजिए, विराजिए कहना तो ठीक है, हम बैठ जाते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था चाहे आप रिजेक्ट करो, चाहे आप एक्सेप्ट करो, वह आपको करनी पड़ती है एक, दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय तो बड़ी बात है माननीय सदस्य मेरे जैसे जो सदस्य हैं वह भी लिखित में अपना भाषण यहां नहीं पढ़ सकता। बहुत से माननीय सदस्य पहली बार आये हैं तो ...(व्यवधान) तो आप व्यवस्था का प्रश्न उठा लेते आपको कौन मना करता है? इसलिए आप इस पर व्यवस्था करिए। मैं आपको कह रहा हूं आप व्यवस्था करिए कि सदन में माननीय मंत्री महोदय लिखित भाषण पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी क्या व्यवस्था है?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): भाषण पढ़ ही नहीं रहे हैं, वह आंकड़े दे रहे हैं।

व्यवस्था

लिखित भाषण नही दे सकते परन्तु आंकड़े/कोटेशन आदि लिखित में देखकर बोल सकते हैं

श्री सभापति: उप नेता महोदय बोलना शुरू किया माननीय मंत्रीजी ने और उसके साथ-साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया। वह कोई देखकर के बोल रहे हैं, कोई आंकड़े होंगे। जब भी कभी वाद-विवाद पर कोई जवाब दिया जाता है, उसके पहले कोई भूमिका बनाई जाती है, उस भूमिका के आधार पर बोल रहे होंगे। लिखित में थोड़े ही पढ़ रहे हैं वह, भाषण लिखित में पढ़ना नहीं है यह इनको भी मालूम है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैंने दे दी व्यवस्था...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): लिखित कोटेशन पढ रहे हैं, लिखित कोटेशन पढ़ रहे हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य आपके माननीय सदस्य जो बहुत इस सदन में कई बार चुनकर आये हैं, वह भी कई बार जब बोलते हैं जब अपने कुछ लिखे हुए का सहारा लिया जाता है..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपकी बात बहुत सही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप भी जब बोल रहे थे, जब आप भी सहारा ले रहे थे। अभी राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ बोल रहे थे तब भी वे सहारा ले रहे थे, हर माननीय सदस्य सहारा लेकर बोलता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक दो पेज का कोटेशन था ना, एक दो पेज का डा. राधाकृष्णन का कोटेशन था ना।

श्री सभापति: यह कोई भूमिका बना कर के बोल रहे हैं, उसमें आपने जब बोलना शुरू किया ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह दो पेज का डा. राधाकृष्णन का कोटेशन था शिक्षा के बारे में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप वरिष्ठ हैं, आप विराजो तो सही, आप विराजो तो सही।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आसन ने व्यवस्था दे दी है, आसन ने व्यवस्था दे दी, आसन की व्यवस्था को मानना ...(व्यवधान) आसन ने व्यवस्था दे दी है।

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे चुका हूं, मैं व्यवस्था दे चुका हूं आप विराजें। शिक्षा मंत्रीजी, आप विराजें पीछे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अभी समां बाधेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजे, आप विराजें पीछे, माननीय सदस्य विराजे, माननीय सदस्य विराजे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): समां बांधेंगे हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ...(व्यवधान) अभी बोलना शुरू करके समां बांधेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें, माननीय सदस्य विराजिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इन्होंने आपत्ति की है, मैं 1980 से लगातार देखता आ रहा हूं बराबर कई ऐसे माननीय मंत्री महोदयों ने लिखित में पढ़ा है, गलत है तो आप पहले क्यों नहीं टोके? आपने पहले क्यों नहीं टोका उनको? यह बताइए।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) बिलकुल मैंने देखा है ना ...(व्यवधान)

मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आप भी पहली दफा आये थे, मैं भी आपके साथ ही आया हूं, आपके साथ ही 1980 से मैं भी हूं, ऐसी बात

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

नहीं है लेकिन आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि आज मैं ही पढ़ रहा हूं, यह बात नहीं है, पहले भी पढ़े हैं ...(व्यवधान) कैसे नहीं बोल सकते पढ़कर के? सभापति महोदय, राष्ट्र व समाज का विकास शिक्षा में ही निहित है। शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने की शाश्वत संकल्पना हमारे नीति ग्रंथों में भी की गई है। देश में आम जन के प्रति सम्मान व संवेदनशीलता शिक्षा से ही सीखी जा सकती है। 'सा विद्या या विमुक्त्ये:' अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करे। शिक्षा के इन उद्देश्यों को...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह कोटेशन है या कोई आंकड़े हैं, यह है क्या? बता दे न वो?

श्री सभापति: कोटेशन ही तो बोल रहे हैं वो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभी चीजों का समावेश है इसमें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अभी आपने कहा कि वह आंकड़े दे रहे होंगे या कोई स्पेशियल कोटेशन दे रहे होंगे, यह तो कोई कोटेशन ही नहीं दिख रहा है और न ही कोई आंकड़े दिख रहे हैं। इतना हमने, तीनों, सब लोग यहां बैठे हुए हैं, इसको सुन रहे हैं...

श्री सभापति: अभी कोटेशन बोला है इन्होंने।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): तो आप इनको टेबल ही करवा दो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): टेबल करा दो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): कोटेशन है, कोटेशन।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): कोटेशन, आप इसको इन्वरटेड कोमा में लगा दीजिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): हां लगा देंगे, लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं बिलकुल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय का भाषण आप टेबल करवा दो, हम इनका पढ़ा हुआ भाषण, हम इनका वर-बैटिम पढ़ा हुआ भाषण सुनने को तैयार नहीं है। यह सदन की परम्पराओं का हनन है, यह सदन के नियमों का हनन है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, जवाब ही नहीं सुनना चाहते माननीय सदस्य। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, ये हर बार जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जिस तरह का ...(व्यवधान) जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। आप लोग विराजें। आप लोग विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपने व्यवस्था दे दी है। (व्यवधान) व्यवस्था के बाद में इस तरह का ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय मंत्रीजी, अच्छी घोषणा करने जा रहे हैं आप सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, अगर ये भाषण इसी तरीके से पढ़ा जाएगा तो या तो टेबल कर दिया जाए परन्तु अगर पढ़ने वाले हैं तो मैं तो समझती हूं कि हमें तो यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी व्यवस्था के खिलाफ हम बहिर्गमन कर रहे हैं। हम सब बहिर्गमन कर रहे हैं। (व्यवधान)

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, माननीय विपक्ष की नेता पूरे सदन को अपने तरीके से चलाना चाहती हैं। इधर भी माननीय सदस्य हैं जो शिक्षा मंत्रीजी का भाषण सुनना चाहते हैं। शिक्षा मंत्रीजी क्या योजनाएं लेकर आये हैं, सुनना चाहते हैं। माननीय विपक्ष की नेता अपने कहने से सदन चलाना चाहती हैं वो नहीं चलेगा। इधर भी सदस्य बैठे हैं जो सुनना चाहते हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): जब भी कोई जवाब आता है ये सदन छोड़ कर चले जाते हैं।

श्री सभापति: विराजो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): ... शिक्षा के इन उच्च उद्देश्यों को साकार करना अपने आप में कठिन परन्तु महान एवं पवित्र कार्य है। इस कार्य को अंजाम देने में आ रही समस्याएं राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास एवं भविष्य में लागू होने वाली योजनाओं की रूपरेखाएं सदन के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। यथा सम्भव माननीय सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्तावों के माध्यम से उठाये गये मुद्दों के बारे में राज्य सरकार के विचारों से भी सदन को अवगत कराना चाहूंगा।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

शिक्षकों की रिक्तियां–सभापति महोदय, अधिकतर कटौती प्रस्तावों में प्रदेश के विद्यालयों में चल रहे रिक्त पदों का मुद्दा उठाया गया है। विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की समस्या निश्चित रूप से छात्रों के भविष्य से जुडी हुई है एवं महत्वपूर्ण है। विद्यालय में शिक्षक की उपलब्धता सर्वप्रथम प्राथमिकता है। इसके लिए जहां एक तरफ शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति करना आवश्यक है वहीं दूसरी तरफ विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। चालू वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के तहत सतरह हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 1000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र आरम्भ करने हेतु बजट में घोषणा की है। इसके अतिरिक्त राजकीय विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के समस्त रिक्त पदों को भरे जाने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले समस्त पदों पर भी एक साथ भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से जो पद भरे जा सकते हैं उनके भरने की कार्यवाही भी विभाग द्वारा प्राथमिकता से की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, केवल धनराशि आबंटन एवं भर्ती प्रक्रिया समस्या का सम्पूर्ण समाधान नहीं है। विद्यालयों में अध्यापकों के अभाव के लिये केवल रिक्तियां जिम्मेदार नहीं है। उपलब्ध अध्यापकों का विषम वितरण भी अध्यापकों के अभाव का प्रमुख कारण है। इसलिए रिक्तियां भरने के साथ-साथ उपलब्ध अध्यापकों का छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए समान वितरण राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। हो सकता है यह कदम उठाने से कुछ को असुविधा महसूस होगी, परन्तु अंततः शिक्षा के विकास और विस्तार के लिये किये गये प्रामाणिक प्रयासों से ही ज्ञान गंगा राजस्थान के कोने-कोने तक पहुंच जायेगी। मैं माननीय सदस्यों का इस शिक्षा यज्ञ में सहयोग चाहता हूं।

विद्यालयों का क्रमोन्नयन – सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने विद्यालय क्रमोन्नति हेतु कटौती प्रस्तावों के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिनमें 9 प्रस्ताव प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, 27 प्रस्ताव उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति हेतु प्राप्त हुए हैं।

जहां तक प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन का

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

प्रश्न है इस कार्य को सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के माध्यम से किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालयों का स्कूल मैपिंग किये जाने के पश्चात् क्रमोन्नयन हेतु स्कूलों को चिह्नित किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन करने का प्रश्न है माननीय मुख्य मंत्री महोदय अपने बजट भाषण में 1900 विद्यालयों को क्रमोन्नत करना प्रस्तावित किया है।

माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने की मांग को देखते हुए वर्ष 2009-10 में कुल पांच सौ वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने की माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट भाषण में घोषणा की है। इन संकायों को खोलने के पश्चात माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के क्रमोन्नयन के बारे में कार्यवाही की जायेगी।

विद्यालय भवनों की स्थिति – सभापति महोदय, राजकीय विद्यालयों के सुचारू संचालन हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालय का स्वयं का पर्याप्त भवन होने के साथ-साथ आधारभूत सुविधायुक्त हो। माननीय सदस्यों द्वारा विद्यालय भवनों की स्थिति सुदृढ़ करने के साथ-साथ स्वयं के भवन होने के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 2117 राजकीय विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 45 विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं हैं। ये विद्यालय सामान्यतः किराये के भवनों में संचालित हैं। इन विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं होने का मुख्य कारण नगरीय क्षेत्रों में विद्यालय हेतु भूमि की अनुपलब्धता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस वर्ष 2673 अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा 1084 प्रधानाध्यापक कक्ष बनाने का प्रावधान है। हमारा लक्ष्य सभी भवन रहित विद्यालयों हेतु उपयुक्त भूमि प्राप्त कर भवन निर्माण करना है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा विद्यालय भवनों की रखरखाव व मरम्मत की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नियमित रखरखाव हेतु सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के माध्यम से अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष मरम्मत कार्य के

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

लिए विद्यालय की आवश्यकतानुसार 75,000 रुपये तक की राशि का आबंटन किया जाता है। इस हेतु इस वर्ष 9.39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, त्वरित जल आपूर्ति परियोजना के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के 33,000 विद्यालयों में शौचालय एवं 5,740 विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त 12वें वित्त आयोग के तहत इस वर्ष 10.80 करोड़ रुपये का प्रावधान है। माध्यमिक विद्यालयों के रखरखाव हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना में पर्याप्त प्रावधान किया जायेगा। यह वार्षिकी कार्ययोजना शीघ्र ही भारत सरकार को प्रेषित की जा रही है।

गुणात्मक सुधार हेतु प्रयास–माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता के मुद्दे पर चिन्ता व्यक्त की है। माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु हम कटिबद्ध हैं। गुणवत्ता सुधार हेतु सर्व शिक्षा अभियान में लहर कार्यक्रम, कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम पूरी ऊर्जा के साथ लागू कर दिये जायेंगे। कल्प योजनान्तर्गत इस वर्ष कुल 836 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लाभान्वित किया जायेगा। इसके साथ ही कुल लाभान्वित स्कूलों की संख्या 4142 हो जायेगी। इस कार्यक्रम अन्तर्गत पाठ्य सामग्री तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिससे इस योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। प्रायः यह देखा गया है कि छात्रों को अंग्रेजी विषय के अध्ययन में आत्म विश्वास की कमी रहती है इसका शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए यह निश्चय किया है कि प्रथम कक्षा से ही अंग्रेजी विषय को पूर्ण रुचि और गम्भीरता से पढ़ाया जावे। तदनुसार विद्यालयों को निर्देश दिये जा चुके हैं। पूर्व तैयारी के रूप में हमने ग्रीष्मावकाश में अंग्रेजी विषय पठन के शिक्षकों को एसआईईआरटी के माध्यम से सत्तर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। शिक्षकों के प्रशिक्षणों की कारगरता बढ़ाने हेतु एसआईईआरटी तथा डाइट के समन्वित कार्यक्रम द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्य-योजना बनाई जायेगी तथा प्रशिक्षण यथा सम्भव डाइट कैम्पस में प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु बल दिया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु नामांकन, ठहराव और परीक्षा परिणाम को सभी स्तर पर विद्यालय

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

मूल्यांकन का आधार बनाया जायेगा। इसके साथ-साथ अधिक से अधिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। वर्तमान में 2500 विद्यालयों में आईसीटी योजनान्तर्गत कम्प्यूटर लगाये गये हैं तथा इस वर्ष 2000 माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लगवाये जायेंगे। इस परियोजना के माध्यम से कठिन विषय का अध्यापन सुलभ करने हेतु साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस वर्ष आईसीटी योजनान्तर्गत 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाकों में चरणबद्ध रूप से 1-1 माडल स्कूल केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर स्थापित किये जायेंगे । इस हेतु पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकूद की सुविधा आदि का प्रावधान किया जायेगा। यह विद्यालय शेष विकास खण्ड के लिये एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित होंगे । इनका निर्माण केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। जिसमें विषयों की अच्छी शिक्षा के साथ-साथ पुस्तकालय, प्रयोगशाला के साथ-साथ अन्य गतिविधियों के अवसर प्रदान होंगे। प्रत्येक विद्यालय के निर्माण कार्य पर 3 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय की जायेगी तथा संचालन हेतु प्रति वर्ष 75 लाख रुपये से अधिक राशि व्यय की जायेगी।

बालिका शिक्षा, सभापति महोदय, एक शिक्षित महिला पूरे परिवार की धूरी होती है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान की प्रत्येक बालिका को शिक्षित करें। प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अधिक जेंडर गैप वाले विकास खण्डों में कक्षा 6 की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिये नि:शुल्क पौशाक दिये जाने की योजना राज्य में प्रथम बार लागू की जा रही है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राओं को औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रथम बार की गई है।

सभापति महोदय, माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शिक्षण शुल्क से छूट, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, आपकी बेटी योजना, साइकिल

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर इत्यादि योजनाएं संचालित हैं। इनको लागू करने के साथ शैक्षिक दृष्टि से पिछडे 186 विकास खण्डों में प्रथम बार माध्यमिक शिक्षा की बालिकाओं के लिये छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु प्रति छात्रावास 42.5 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य कराया जायेगा। प्रति छात्रावास प्रतिवर्ष 14 लाख रुपये से अधिक की राशि संचालन में खर्च की जायेगी ।

विधवा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किये गये प्रावधान के अनुसार कुल नवीन नियुक्ति में 10 प्रतिशत पद विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिये आरक्षित कर स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में सृजित पदों में इस वर्ग की महिलाओं के लिये 697 पदों पर नियुक्ति करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेष प्रयास एवं संवेदनशीलता की आवश्यकता है जिससे यह बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड सकें। इन बच्चों को विद्यालय तक जाने हेतु रुपये 500 प्रतिमाह तक परिवहन भत्ता एवं उन्हें विद्यालय ले जाने वाले एस्कार्ट को 300 रुपये प्रति माह तक के भत्ते की सुविधा दी जायेगी। श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित व मानसिक विमंदित क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक श्रेणी के लिये एक अर्थात तीन संदर्भ शिक्षक प्रत्येक ब्लाक पर लगाये जायेंगे। राजकीय/अनुदानित विद्यालयों के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टि बाधित बालक-बालिकाओं को ब्रेललिपि पाठ्य पुस्तकें पहली बार उपलब्ध कराई जायेंगी।

सभापति महोदय, 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने हेतु महिला बाल विकास विभाग के साथ संयुक्त प्रयास किये जायेंगे। इस हेतु प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में आंगनबाड़ी को कक्षा कक्ष उपलब्ध कराये जायेंगे। साथ ही 15 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु शैक्षिक किट उपलब्ध करवाये जायेंगे। किट्स के लिये सर्व शिक्षा अभियान में 3.20 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, राजस्थान में लगभग 3 हजार मदरसे मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिये दीनी तालीम के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा देने का कार्य भी कर रहे हैं जिससे इनमें पढ़ रहे बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जुड सकें। वर्तमान में इन मदरसों में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, पोषाहार, शिक्षण सामग्री आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही इनमें पढ़ रही छात्राओं के लिये कौशल विकास शिविरों का आयोजन किया जायेगा। मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर तक मान्यता राज्य सरकार द्वारा पहली दफा दी जायेगी। साथ ही मदरसो में 2500 सामान्य शिक्षा सहयोगी संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे।

अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में इस वर्ष 66110 छात्रवृत्तियों का वितरण किया जायेगा। गत वर्ष की तुलना में यह वृद्धि तिगुनी से भी अधिक हो गई है।

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के लिये मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, राज्य में महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत दर से काफी कम है। प्रत्येक महिला को साक्षर बनाना हमारा संकल्प है। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन के गठन की घोषणा का हम तह दिल से स्वागत करते हैं जिसके माध्यम से अगले 5 वर्ष में राज्य की प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने के लिये पूर्ण प्रयास किये जा सकेंगे। इस हेतु विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2011 तक महिला साक्षरता को 65 प्रतिशत तक पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा ।

औपचारिक शिक्षा से वंचित वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ कर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना स्ववित्त पोषित संस्था के रूप में की गई है। इसके लचीले कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थियों को अपनी रुचि, समय और जरूरत के मुताबिक विषयों के चयन करने की छूट होगी। वर्तमान में 1,07,082 विद्यार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है।

गैर सरकारी अनुदानित शिक्षा संस्थाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु सभापति महोदय, संस्थाओं के अनुदान को डीफ्रिज करने, छठे वेतन आयोग का लाभ देने एवं अन्य मांगों के सम्बन्ध में क्या नीति होनी चाहिये उस पर विचार करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, सोशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त कर कमेटी द्वारा अपनी अभिशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वृद्धि करने को गम्भीरता से लेते हुए इसे विनियमित करने हेतु दिनांक 1 जून, 2009 को आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

सभापति महोदय, राजस्थान राज्य में माननीय मुख्य मंत्री महोदय के दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान को हरित राजस्थान में बदलना है। मुझे सदन को यह अवगत करवाते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इस योजना का समस्त अध्यापक और छात्रों ने तहे दिल से स्वागत किया है। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में पदस्थापित अध्यापकों द्वारा जगह की उपलब्धता को देखते हुए सामूहिक रूप से कम से कम 10 पौधे प्रतिवर्ष लगाये जायेंगे। साथ ही प्रत्येक अध्यापक द्वारा एक-एक पौधा आवश्यक रूप से लगाया जायेगा तथा उनका संरक्षण संबंधित अध्यापक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा। व्यक्तिगत रूप से लगाये गये प्रत्येक पौधे पर संबंधित अध्यापक के नाम की पट्टिका लगाई जायेगी। योजनान्तर्गत श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालयों में से 5-5 राजकीय, गैर राजकीय/अनुदानित विद्यालयों का चयन कर इस योजनान्तर्गत 15 अगस्त, 26 जनवरी के समारोह में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उन विद्यालयों को पुरस्कृत किया जायेगा। हरित राजस्थान योजना में किये गये सराहनीय कार्य का उल्लेख अध्यापक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित किये जाने का प्रावधान भी कर दिया गया है।

समानीकरण, पदोन्नति, नवीन भर्ती के माध्यम से अध्यापकों की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान राज्य अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार होगा।

अन्त में सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि विभिन्न उपरोक्त उल्लेखित प्रयासों से सबको सुलभ शिक्षा उपलब्ध होगी तथा शिक्षा में गुणवत्ता आयेगी।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग के प्रस्तावित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मांग संख्या-24 के अन्तर्गत आपके समक्ष वर्ष 2009-10 में कुल 86 अरब, 93 करोड, 56 लाख, 35 हजार रुपये के बजट अनुमान अनुमोदन हेतु रख रहा हूं, धन्यवाद ।

श्री सभापति: उच्च शिक्षा मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शिक्षा मंत्रीजी क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे अगस्त महीने में यह जो अध्यापकों की कमी चल रही है क्या इनकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे या बातें ही करेंगे, कृपया बताइए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा पहले सदन में भी इस बात के लिये कहा था कि थर्ड ग्रेड से सैकिण्ड ग्रेड के पद जितने होने चाहिए, हिसाब से वह पद 31 जुलाई से पहले-पहले सैकिण्ड ग्रेड के जो पदोन्नति के हिसाब से आधे भरे जाते हैं, वह भर दिये जाएंगे, नम्बर-एक। नम्बर दो, उसके बाद जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में कहा है, समानीकरण के हिसाब से इन्होंने एक-एक के हिसाब से, 20-20 बच्चे हैं, वहां 20-20 अध्यापक लगा दिये और जहां-जहां 20-20 अध्यापक लगा दिये, वह अध्यापक बाहर जाएंगे, इनके लाए हुए हैं, इसलिये यह पहले ही आउट करके चले गये तो वह समानीकरण के हिसाब से 35 हजार हमारे प्राथमिक शिक्षा में ऐसे शिक्षक सरप्लस हैं, इन सरप्लस शिक्षकों को, समानीकरण जब किया जाएगा तब गांव और ढाणियों में जहां रिक्तियां हैं, वहां पर इन अध्यापकों को भेजा जाएगा, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, भेजा जाएगा, इससे कन्फर्म हो गया ना। यह उनके बारे में मत कहो। वह 10 बजे बाद नहीं रुकते हैं कभी भी। उनके रुकने के बारे में बात मत करो, वह 10 बजे बाद रुकते ही नहीं हैं। (व्यवधान) परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे ....(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, गंगानगर में जो 302 टीचर लगाये, उनका भी कोई प्रावधान रखा है या नहीं? (व्यवधान) गंगानगर में जो 302 टीचर लगाये, उनका भी प्रावधान रखा है या नहीं। गंगानगर में 302 अतिरिक्त पैराटीचर जो लगाये हैं ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारे जो स्कूल हैं, हमारे साइंस के, केमेस्ट्री के, फिजिक्स के...(व्यवधान) हमारे गांव का...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): माननीय सभापतिजी, मंत्रीजी से यह जानना चाहते हैं कि खेल संयोजक और ....(व्यवधान) पद सृजित करेंगे या नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारे गांव की स्कूलों का जो खालीपन नजर आ रहा है, प्रधानाध्यापक नहीं हैं, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, आप अलग से मिल लेना। अभी कोई जरुरी जानकारी हो तो... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): प्रधानाध्यापक नहीं हैं, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): प्रधानाध्यापक पदोन्नति से भरे जाते हैं। पदोन्नति हो रही है, डी.पी.सी. होते ही तत्काल उनमें प्रधानाध्यापक नियुक्त हो जाएंगे। पहले डी.पी.सी. होगी। पिछले कई वर्षों से डी.पी.सी. हो नहीं पाई है। वह डी.पी.सी. पिछले कई वर्षों से नहीं होने की वजह से प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं। ज्योंही डी.पी.सी. होगी, पद भरे जाएंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कृपया पूछना चाहता हूं, डी.पी.सी. कब तक होगी। डी.पी.सी. कब तक होगी। (व्यवधान) हम गांव में जवाब क्या देंगे। हम गांव में लोगों को क्या जवाब देंगे, डी.पी.सी. कब तक होगी?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारा सजेशन यह है कि डी.पी.सी. की आप केवल बातें नहीं करेंगे। हमें नेट प्रोग्राम देंगे कि अगस्त में हो जाएगी, नवम्बर में होगी, दिसम्बर में होगी। कृपया बताने का कष्ट करेंगे।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): डी.पी.सी. की प्रक्रिया है। पिछले कई वर्षों से नहीं हुई।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): I know, I know. But what can I do? जनता को क्या जवाब देंगे।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आर.पी.एस.सी. से एक व्यक्ति, एक सदस्य आर.पी.एस.सी. से उसमें आता है तब जाकर डी.पी.सी. होती है। जल्दी हम करवा देंगे डी.पी.सी.।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): I know very well but what can I do? I want to know that. हम यह चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें, माननीय सदस्य, विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, विराजो। (व्यवधान) विराजें तो सही।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह मेरे अकेले का नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जनता को हम क्या जवाब देंगे, जनता को हम क्या जवाब देंगे। जनता को जवाब देना पड़ेगा या नहीं। कृपया बतायें ना। जनता को जवाब देना पड़ेगा।

श्री सभापति: शिक्षा मंत्रीजी, माननीय सदस्य यह जानकारी चाह रहे हैं कि शिक्षकों की जो कमी है, तृतीय श्रेणी की है, द्वितीय श्रेणी की है, प्रधानाध्यापक की है, प्रधानाचार्य की है, वह कमी कब तक आप समयबद्ध, किस समय पर पूरी कर देंगे, यह जानकारी चाहते हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, नम्बर-एक, पहली बात तो यह है कि आर.पी.एस.सी. को 17229 पदों के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु भेजा जा चुका है और ज्योंही वहां से आएंगे, पद उनसे भरे जाएंगे, नम्बर-एक। दूसरी बात कि थर्ड ग्रेड से सैकिण्ड ग्रेड के अन्दर...

श्री सभापति: वह कब तक आ जाएंगे। आप साथ के साथ सारी चीजें बताएं, आर.पी.एस.सी. से कब तक आ जाएंगे। (व्यवधान) आप विराजिये, विराजिये ना। (व्यवधान) आप सारा स्पेसिफिक बता दीजिये।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आर.पी.एस.सी. के अन्दर भेजा जा चुका है। एक विषय की कल परीक्षा है, 22 तारीख को, जो 6 महीने के अन्दर-अन्दर उनका लम्बा पीरियड है, आर.पी.एस.सी. में टाइम लगता है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने लगते हैं।

श्री सभापति: प्रक्रिया ज्यादा जल्दी करें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): वह जल्दी हो जाएंगे।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापतिजी, मंत्रीजी, गंगानगर के 302 अतिरिक्त पैराटीचर्स को आप रखेंगे या नहीं रखेंगे, इस बात के लिये आप बताओ। इस बात का वक्तव्य दो। आपने ही रखे थे और आपकी सरकार ने हटाये थे। अब 5 साल बाद आप दुबारा आए हैं, कम से कम अब तो 302 परिवारों को न्याय दें आप। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वसुंधरा की सरकार ने गांव के लोगों के साथ धोखा किया। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मंत्रीजी इस बात का जवाब दें कि गंगानगर के अतिरिक्त पैराटीचर्स को रखेंगे या नहीं रखेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नियुक्ति दो ना। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। डा. जितेन्द्रसिंहजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम लोगों को क्या जवाब देंगे। हम चाहते हैं कि हमें बताएं कि अगस्त में, सितम्बर में, नवम्बर में, कब तक करा देंगे। हम जवाब कैसे देंगे।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, विराजिये। मंत्रीजी बोल रहे हैं, विराजिये। आप विराजिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मैं सदन का बहिष्कार करता हूं, जा रहा हूं। (व्यवधान)

बहिर्गमन

(माननीय सदस्य श्री पवन कुमार दुग्गल द्वारा बहिर्गमन)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, मंत्रीजी, बोल रहे हैं, विराजिये।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): मंत्रीजी ने जो ढाई हजार शिक्षा मित्र लगाने की बात कही है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं कोई पद नहीं मांग रहा हूं। मैं कोई खान नहीं मांग रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो, आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये। आप इनके चेम्बर में जाएं। इनकी कोई समस्या है क्षेत्र की, वह आप सुनकर के समाधान कर दीजिये, शिक्षा मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): समस्या मेरी नहीं है, समस्या राजस्थान की है, मेरी समस्या नहीं है। It is not my personal demand ...(व्यवधान)

श्री सभापति: शिक्षा मंत्रीजी, अपने चेम्बर में बुला करके इनके क्षेत्र की कोई विशेष समस्या है, उसका समाधान कर दीजिये। विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह क्या बात करेंगे। यह मेरा प्रश्न है क्या। यह पूरा राजस्थान कह रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। सारा बता तो दिया। शिक्षा मंत्रीजी ने सारा बता तो दिया। विराजो। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): सभापतिजी, ढाई हजार शिक्षा मित्र लगाने की बात कही थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): पूरे राजस्थान की समस्या है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप लोगों का और हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है, हम गांव के लोगों को, हम गांव के लोगों को यह कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): ×××

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): ×××

श्री सभापति: शिक्षा मंत्रीजी बता चुके हैं ना सारी। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): ×××

श्री सभापति: बता तो दिया सारा, विराजो, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: बता दिया, शिक्षा मंत्रीजी ने बता दिया, बता तो दी सारी बातें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: आपको सारी चीजें बता दी हैं, माननीय सदस्य, सब बता दी हैं, सब बता दी, सब बता दिया है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): ×××

श्री सभापति: डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राबर्ट फ्रास्ट, बहुत बड़े पोइट हैं, उन्होंने कहा है,

"The woods are lovely, dark and deep
But we have promises to keep
Miles to go before we sleep."

(डा. जितेन्द्र सिंह)

मानननीय सभापति महोदय, राजस्थान में भारत के अन्य प्रान्तों के मामले में जबकि एक कालेज 77000 की पापुलेशन पर होना चाहिए, राजस्थान में अभी कमिंग यीअर्स में वह अब 55000 की पापुलेशन पर एक कालेज हो गया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में करीब 1032 कालेज हैं, जिसमें 126 गवर्नमेंट के कालेज हैं, बाकी स्ववित्त व प्राइवेट कालेज हैं। राजस्थान और भारत में We have got 6 times more post-graduate than China. जैसा कि साथी बता रहे थे कि विदेशों में भी हमारे जो राजस्थान व अन्य प्रान्तों के छात्र हैं उनका स्टेटस बहुत ऊंचा है। इवन जो प्रेसीडेण्ट आफ यू.एस.ए. हैं, ओबामा, उनके पहले भी प्रेसीडेण्ट थे, उन्होंने कहा है कि "Be alert, your jobs are going." हिन्दुस्तानी आ रहे हैं। तो यह इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान में हायर एजुकेशन का रिवोल्यूशन चालू हो चुका है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इन विश्वविद्यालयों में करीबन साढ़े आठ लाख छात्र हैं जिसमें एक लाख 65 हजार छात्राएं हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। सभापति महोदय, इन विश्वविद्यालयों का स्तर, जैसे कि बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में कुकरमुते की तरह कालेजेज और यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, उनके स्टेण्डर्ड का क्या होगा। उनका स्टेण्डर्ड मेण्टेन करने के लिये रेगुलेटरी मेकेनिज्म ला रहे हैं ताकि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन आयें उनके ऊपर कंट्रोल रहे। जिस तरह से मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया पूरे मेडिकल कालेजेज का लुक-आफ्टर करती है और कहीं पर भी अगर यह देखती है कि उनका स्टैण्डर्ड ठीक नहीं है तो एक वर्ष के लिये उनको प्रभावित करती है। उन पर मार्क लगाती है।

तो यह रेगुलेटरी जो हमारा मेकेनिज्म है यह it will be an observing body over the institution. माननीय सभापति महोदय, जैसा कि बहुत से हमारे माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की जैसे माननीय, स्कूल में भी टीचर्स की कमी थी या कालेजेज के टीचर्स की कमी है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि 425 हमारे टीचर्स को आलरेडी एम्प्लाय करके लगा दिया गया है और करीबन 457 और कालेजेज के टीचर्स के लिए हमने आर.पी.एस.सी. को लिखकर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शिक्षा का क्षेत्र जो हमारे ग्रामीण रूप से, पिछड़े हुए जिले हैं, झुन्झुनूं, सीकर, चूरू,

(डा. जितेन्द्र सिंह)

आज उन्हीं जिलों का शिक्षा का स्तर कोटा और अजमेर के मुकाबले बिलकुल झुन्झुनूं तो वुमैन एजुकेशन में टॉप पर है। यह सब निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हायर एजुकेशन के अन्दर रिफार्म है।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के सुधार के लिए 'उच्च शिक्षा सुधार आयोग' का गठन किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में कहा है कि हर उपखण्ड के ऊपर जितने भी कालेजेज हैं उसमें यह सारे सब्जैक्ट्स, साइंस होगा, आर्ट्स होगा और कामर्स का, आर्टस तो तकरीबन सारे 126 हमारे ब्लाक कालेजेज पर है, तहसील पर लेकिन बहुत से में हमारे अभी साइंस और कामर्स नहीं है। मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा के बाद फर्स्ट राउंट में 11 हमारे कालेजेज हैं उनके ऊपर साइंस सब्जैक्ट स्टार्ट हो रहा है और 3 पर कामर्स का चालू कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में 'कैरियर काउंसिलिंग कार्यक्रम', हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जो छात्र आते हैं वे अपने भविष्य के प्रति अनसरटेन होते हैं। नो-गाइडेंस। कुछ पता नहीं क्या बनना है, क्या करना है तो उसके लिए 1.26 करोड़ रुपये रखा गया है ताकि उनको राइट गाइडेंस मिले और ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों को सही अपने भविष्य का मार्गदर्शन मिले।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे कालेजेज की यह स्थिति है कि उनके पास स्पोर्टस, उनके पास फील्ड नहीं है, ढंग से उनके पास टीचर्स नहीं है। हमारे खेल के शिक्षक नहीं हैं जबकि हमारे अभी राजस्थान के रणदीप सिंह थे, ट्रैक शूटिंग में उनको सिल्वर मैडल आलम्पिक मिला था आलम्पिक में और गोल्ड मैडल भी इनको मिला था, हमारे जो अभी जो रिसेंट आलम्पिक में था तो उसमें निहायत जरूरी हो गया to catch them as a young kid तो हमने 72 जो हमारे कालेजेज के अन्दर पद थे शारीरिक शिक्षकों के, उनको भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।

माननीय सभापति महोदय, जो यह बड़े-बड़े दावे कर रहे थे, शिक्षकों के रिवाइज्ड पे स्केल की बात कर रहे थे लम्बी-लम्बी बातें, मैं इनको कहना चाहूंगा कि 1999 में जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री था उस समय शिक्षकों की रिवाइज्ड पे स्केल मुख्य मंत्रीजी के आदेश से कांग्रेस रिजीम में ही उस वक्त उनकी हुई थी, उनके पे स्केल रिवाइज्ड और आज यह बात कर रहे हैं रिवाइज्ड पे स्केल की, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, अपने बजट में कि हमारे जो रिवाइज्ड, यू.जी.सी. के रिवाइज्ड डाइरेक्शन है, पे-स्केल के

(डा. जितेन्द्र सिंह)

उसकी उन्होंने एक समिति के गठन के लिए कहा और उससे वह गठन हो चुका है, उस समिति का, उसके चेयरमैन प्रिंसिपल सैक्रेटरी मेडिकल एण्ड हैल्थ हैं और he will look after और प्रिसिंपल सैक्रेटरी, हायर एजुकेशन हैं, करें। दो माह में वह अपनी रिपोर्ट देगी और जो हमारे शिक्षक हैं उनके लिए जो सिक्स पे कमीशन लागू होना है वह दो महीने में गवर्नमैंट ने रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने स्पष्ट उसमें लिखा है निर्देश कि उस रिपोर्ट के आने के बाद सिक्स पे कमीशन लागू करने की कार्यवाही की जाएगी। What more do they want? क्या चाहते हैं? वह वॉक-आउट करके चले गये। नहीं सुनना चाहते हैं हमारे मंत्रीजी को। क्या कोई लिखना-पढ़ने से कोई आब्जेक्शन होता है? You have to collect the data. Nobody is computer. कम्प्यूटर कोई भी नहीं है, जो खड़ा-खड़ा होकर सारे अपना डेटाज दे सकें। वह कितने इनके मंत्री हैं जो देते हैं। एक-दो को छोड़कर वह भी नहीं दे सकते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा यह डिसीजन था कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर कालेज हो। हनुमानगढ़ में, माननीय सदस्य विराजे हुए हैं, एम.एल.ए. साहब, हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला हैडक्वार्टर था जहां गवर्नमैंट कालेज नहीं था। हमारी उस शिक्षा नीति के अनुरूप हनुमानगढ़ में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गवर्नमैंट कालेज खोलने की घोषणा की है। यह आपने उसमें देखी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे साइंस के अन्दर इस वक्त कालेजेज के अन्दर फाइनेंस पूरे हैं नहीं इसके बावजूद साइंस की जो लेबोरेटरीज हैं, उसके लिए चार करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन गांवों के कालेजेज को दिया है ताकि वहां पर अच्छी लेबोरेटरी बने और हमारे बच्चे डाक्टर और इंजीनियर बनकर आये। जो पुरानी हमारी लेब्स हैं उनके लिए 70 लाख रु. माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है ताकि वह जो हमारे पुराने उपकरण हैं उनको चेंज करके उनको दुबारा ला सकें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो हमारे कालेजेज में बहुत सारे सब्जैक्ट्स की मांग है, मैं व्यक्तिश: गया और यह 2.75 करोड़ रुपये की लागत से 10 यू.जी. कालेजेज में 10 सब्जैक्ट्स खुलेंगे और 10 पी.जी. कालेज में सब्जैक्ट्स खुलेंगे जैसे-जैसे हमारे माननीय सदस्य कहेंगे उनके लिए वह किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, पांच साल इन्होंने हायर एजुकेशन में क्या

(डा. जितेन्द्र सिंह)

किया? इन्होंने सिर्फ प्राइवेट सैक्टर के कालेजेज को स्ट्रेन्थन करने के लिए जो गवर्नमैंट कालेजेज थे उनके सैक्शंस को तोड़ दिया। स्वयं मैं उच्च शिक्षा मंत्री रहा हूं। मेरे कालेज के ही दो सैक्शन इन्होंने ढेर कर दिये। नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य खुद बता रहे थे कि उनके तीन कालेज के सैक्शन पांच साल पूर्व समाप्त कर दिये गये और इस वक्त यह छात्र एजीटेशन हुआ, यह लम्बे-लम्बे दावा करने वाले लोग कहीं नजर नहीं आये। हमने उस समय 60 कालेजेज के अन्दर, हमारे 21 कालेजेज में 60 सैक्शन खोले, कम से कम पांच हजार उसमें छात्रों को फायदा होगा। फिर मांग आयी सम्माननीय सदस्यों की तो हमने हर कॉलेज के अन्दर हर सैक्शन 20-20 छात्रों के बढ़ा दिये। 25 हजार छात्रों, 25 हजार गरीब छात्रों को दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, 25 हजार गरीब छात्रों को गवर्नमैंट कॉलेजेज का लाभ मिला।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे पास जो ग्रामीण परिवेश से हमारे छात्र आते हैं उनको अपने भविष्य के लिए टेन प्लस टू के बाद उनको डाक्टर, इंजीनियर, आई.आई.टी. उनका एक रास्ता हो और सब घर वालों के ऊपर बरडन होता है कि लड़के ने कर लिया टेन प्लस टू, कोटा भेज दें। वहां भेज दें। लाखों रुपये उसके खर्च होते हैं। मुझे स्वयं, मेरे जो एक गरीब सरपंच का ध्यान है जिसने अपने बेटे को पी.एम.टी. कराने के लिए कम से कम सात लाख रुपया चार साल में खर्च कर दिया फिर भी वह लड़का पी.एम.टी. क्लियर करके नहीं आया। यह एक भारी समस्या है। करोड़ों रुपया, करोड़ों रुपये का गांव से, एक तरह से वह शोषण है। हमने यह निर्णय किया है कि राजस्थान के जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैडक्वार्टर्स के ऊपर कालेजेज हैं, सब कालेजेज पर हम एस.एफ.एस. स्कीम के अन्तर्गत हम वहां पर पी.एम.टी., पी.ई.टी. और अदर कोचिंग चालू करें। यह सरकार के बेहतरीन डाक्टर्स मिलेंगे। वहां बेहतरीन गवर्नमैंट के लेक्चरर्स मिलेंगे और वहां पर एस.एफ.एस. स्कीम में, जिसमें जो दो-दो लाख, तीन-तीन लाख रुपये खर्च करते हैं मात्र नाममात्र के चार-पांच हजार रुपये में एक छात्र को बेस्ट टीचर मिले और जो सीकर का टीचर होगा वह अपने बच्चे के लिए ज्यादा मुफ़ीद होगा, ज्यादा शिक्षित। माइक से क्लासेज नहीं चलेंगी। माइक से पांच-पांच सौ बच्चों की क्लासेज नहीं चलेंगी। 50 बच्चों को वह वहीं का कालेज का टीचर पढ़ाएगा। यह हमने निश्चित किया है और मैं समझ रहा हूं कि अगले वर्ष से हम यह योजना चालू कर रहे हैं और इस योजना से लाखों करोड़ों रुपये बचेंगे। गांवों के इन छात्रों के, उन

(डा. जितेन्द्र सिंह)

गरीब बच्चों के जिनके मुझे पता है, मेरे एक सरपंच ने जमीनें बेची हैं अपनी बच्चे को पढ़ाने के लिए, मेडिकल कराने के लिए, कोटा कोचिंग करवाने के लिए तो यह निर्णय किया है इस सरकार ने, यह व्यवस्था करेंगे। आर.ए.एस. और आर.पी.एस. के लिए हमारे बच्चे दौड़े आज, हमने फर्स्ट राउंड में यह डिसाइड किया है कि जो हमारे डिविजनल हैडक्वार्टर्स हैं, उनके ऊपर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोचिंग एस.एफ.एस. स्कीम में करेंगे जो हमारे पांच-छह जितने डिविजनल हैडक्वार्टर्स हैं वहां पर आई.ए.एस., आई.पी.एस., आर.ए.एस., आर.पी.एस., आर.जे.एस. की वह वहां बेस्ट टीचर्स, यह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इनके पास बेहतरीन है क्या टीचर्स? हमारे जो कालेजेज हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अन्दर We have got talented teachers. उनका इस्तेमाल करेंगे हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए पांच हजार में लाखों रुपयों का फायदा होगा।

अन्त में माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा, मैं जिस जिले से आता हूं माननीय, मेरे दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य आते हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी जिस जिले से आते हैं वहां के हजारों लोग, वहां लाखों, Jhunjhunu districts alone is having about 10% persons in Indian Army. दस लाख में से एक लाख फौजी अकेला झुन्झुनूं से है और कम से कम सैकड़ों मार्टियर्स, गांवों में जाओगे तो जगह-जगह शहीदों के बुत खड़े हुए मिलेंगे। हमने यह निर्णय किया जैसा कि शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि आज मिलिट्री, हमारे साइंस के सब्जैक्ट की जरूरत है, हमारे बच्चे इंग्लिश नहीं जानते। वह एनडीए में पास नहीं हो सके, हमने निर्णय किया कि आब्जेक्टिव रूप में जो हमारे आर्मी के पापुलेटेड डिस्ट्रिक्स हैं – सीकर, झुंझुनूं, नागौर, चूरू, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और भी हैं कई, वहां अगले साल से यह निर्णय करेंगे। आज हमारे पास फौजी हैं, जवान हैं, आफिसर्स नहीं, क्योंकि हमारे लड़के फैल हो जाते हैं, एयरफोर्स की ट्रेनिंग में जाने में उनकी जो इनीशियल कोचिंग होती है, वह इंगलिश नहीं बोल सकते, टर्न आउट का पता नहीं। हम अगले साल से एक माडल के रूप में जो हमारे कालेजेज हैं, उनमें मिलिट्री साइंस सब्जैक्ट शुरू करेंगे और मैं इसकी योजना बनाऊंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: तकनीकी शिक्षा मंत्री, श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24- शिक्षा, कला और संस्कृति के ऊपर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वर्तमान सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल 6 नये राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने की माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट में घोषणा की गई है। भारत सरकार की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्किल्ड डवलपमेंट मिशन के अन्तर्गत राज्य में ऐसे 15 जिलों को चिह्नित किया गया, जहां पर पोलिटेक्निक महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य में 5 पोलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं एवं इस हेतु राशि रुपये 6.00 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक सम्भागीय मुख्यालय पर एक महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय होना चाहिये। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेख है कि राज्य में सात सम्भागीय मुख्यालयों में से छह सम्भागीय मुख्यालयों पर पूर्व से ही महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित थे। भरतपुर में पोलिटेक्निक महाविद्यालय नहीं है, अतः भरतपुर में महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा की गई है एवं इसके लिये राशि रुपये 5.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में बजट घोषणा अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से मुझे इस बात को कहते हुए बहुत हर्ष और खुशी अनुभव होती है कि जहां जिस क्षेत्र के बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र के हम काफी विधायक जीतकर आये हैं। वहां अभी तक छात्रों को यह नहीं पता है कि तकनीकी शिक्षा है क्या? लड़के इंटेलीजेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सुविधा नहीं है, गरीब हैं। बार-बार हमने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारी सब की भावनाओं को समझते हुए बांसवाड़ा जिले के अंदर राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना करने हेतु बजट के अन्दर घोषणा की है और इस महाविद्यालय की स्थापना के लिये जनजाति विभाग अपनी ओर से जो बजट होगा, वह पूरा का पूरा देने की अपनी इच्छा रखता है।

माननीय सभापति महोदय, शैक्षणिक सत्र 2009-10 के अन्दर 17 नये अभियांत्रिकी महाविद्यालय निजी/निजी सार्वजनिक जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत आरम्भ किये जाने की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

दिल्ली द्वारा अनुमति प्रदान की गई है जिससे कुल प्रवेश क्षमता विगत वर्ष 25,000 से बढ़कर लगभग 30,000 हो जायेगी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की संख्या 76 से बढ़कर 93 हो जायेगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता में भी वृद्धि की अनुमति दिये जाने के कारण लगभग 2000 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है, अतः अभियांत्रिकी में कुल प्रवेश क्षमता इस वर्ष लगभग 32,000 हो जावेगी।

माननीय सभापति महोदय, शैक्षणिक सत्र 2009-10 हेतु 23 नये एम.बी.ए. संस्थान खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है जिससे कुल प्रवेश क्षमता विगत वर्ष की तुलना में 6,300 से बढ़कर 7,600 हो जायेगी एवं संस्थानों की संख्या 98 से बढ़कर 121 हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत TEQIP-II के तहत राज्य सरकार द्वारा योजना में सम्मिलित होने की सहमति भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है एवं भारत सरकार द्वारा यदि उनके द्वारा निर्धारित मानदण्डों के तहत राजस्थान राज्य का चयन हो जाता है तो राज्य के लगभग 8 प्रमुख अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को इस परियोजना की चार वर्ष की अवधि में करीब रुपये 90.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त हो सकेगा। इससे अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाएं, उच्चतर अध्ययन की सुविधाएं, शोध कार्य की सुविधाएं विकसित की जायेंगी एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए एवं दक्ष जनशक्ति की मांग को देखते हुए राज्य में राजस्थान व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद (राजस्थान कौंसिल फोर वोकेशनल एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग) का गठन भी किया जाना प्रस्तावित है, जो कि राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्बद्धन, परीक्षाओं का आयोजन, लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रमाणीकरण आदि कार्यों को सम्पादित करेगी।

माननीय सभापति महोदय, विश्व बैंक की सहायता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना Vocational Training Improvement Project के तहत वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रतिवर्ष क्रमोन्नयन किया जाना था लेकिन

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

विगत दो वर्षों में इस योजना के लिये वांछित वित्तीय प्रावधान एवं पदों का सृजन नहीं होने के कारण यह योजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पा रही थी। इस योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत केन्द्रीय अंश की राशि उपलब्ध हो चुकी है। इसमें राज्यांश 25 प्रतिशत शामिल करते हुए बजट प्रावधान (बजट प्रावधान एवं पदों का सृजन कर) किया जाना है।

माननीय सभापति महोदय, वित्त विभाग से चर्चा कर इस योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक बजट उपलब्ध हो जाने हेतु सहमति प्राप्त कर ली गई है जिससे कि इस योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सकेगा। इस बाबत् माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में Vocational Training Improvement Project को लागू करने की बजट घोषणा भी की जा चुकी है।

अब सदन के समस्त माननीय सदस्यों से निवेदन है कि शिक्षा के ऊपर काफी विचार विमर्श हुआ है। नये कालेज, नये आई टी आई और विभिन्न और संस्थान खोलने का भी प्रावधान आया है। जैसे ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की जो नीति है उस नीति के अनुसार हम आने वाले वर्षों में जहां-जहां पर आवश्यकता महसूस करेंगे, वहां-वहां पर हम और भी संस्थान खोलेंगे। मेरी ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: संस्कृत शिक्षा मंत्री, श्री बृजकिशोरजी शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (संस्कृत मंत्री): माननीय सभापतिजी, संस्कृत शिक्षा के लिये 10 कटौती प्रस्ताव आये हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन 10 कटौती प्रस्तावों का जल्दी से जल्दी उत्तर भेज दिया जायेगा। माननीय सभापतिजी, जिन सदस्यों ने संस्कृत के लिये जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, कटौती प्रस्तावों के जरिये मैं उनका हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से सदन को मैं संस्कृत के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। संस्कृत हमारी राष्ट्रीय चेतना और अस्मिता का संवाहक है। यह सामाजिक जागरण भावनात्मक एकता के लिये सुबोध और सुगम माध्यम है। हमें गर्व है संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति का न केवल प्रतीक मात्र है अपितु यह समस्त संसार का मार्गदर्शक है। आज राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना संस्कृत के संदेशों से ही सम्भव हो सकी है। इसी भाषा ने विविध धर्मों, दर्शनों, भाषाओं

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

और साहित्य के पोषण के लिये एक विशेष आधारभूमि प्रदान की है। इसलिये देश के प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों में संस्कृत और उसका साहित्य भारत की मौलिक अति बौद्धिकता को स्थाई रखने वाली है। संस्कृत की इन्हीं अनुपम विशेषताओं के कारण 1953 में देश के प्रमुख शिक्षाशास्त्री सी.पी. रामास्वामी अय्यर ने संस्कृत को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया था जिसका डा. कैलाश नाथ काटजू और काका साहब कालेलकर ने भी समर्थन किया है।

भारत सरकार द्वारा इस अमूल्य धरोहर को समुचित प्रतिस्थापना करने के एवं प्रचार-प्रसार की दृष्टि से सन् 1956 में संस्कृत आयोग का गठन किया गया। सभापति महोदय, देश में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए काम किया और जिसमें निदेशालय, सम्भागीय कार्यालय, शास्त्रीय विद्यालय स्थापित किये हैं। राजस्थान सरकार ने संस्कृत को मजबूत आधार और प्रतिबद्धता के साथ जो आयाम स्थापित किये हैं उनकी सम्पूर्ण भारत में मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाती है। देश में राजस्थान ही एक मात्र वह प्रदेश है जिसमें संस्कृत का स्वतंत्र निदेशालय 1956 से कार्यरत है जिसके अधीन संस्कृत शिक्षा के 6 सम्भागीय कार्यालय स्थापित हैं। एक शिक्षण संस्था के रूप में 23 आचार्य, 36 शास्त्रीय विद्यालय और 1805 विभिन्न स्तर पर विद्यालय संचालित हैं। प्रशिक्षण की दृष्टि से एक राजकीय संस्कृत एस टी सी के अतिरिक्त प्रदेश में 67 शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय, 15 संस्कृत एस टी सी विद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हैं। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2008-09 में 2 लाख 40 हजार 324 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

माननीय सभापतिजी, संस्कृत शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं और संस्कृत शिक्षा विभाग की बेवसाइट www.rajasthanrajyasanskrit nic in गत वर्ष लांच हो चुकी है। संस्कृत महाविद्यालयों को आधुनिक संचार सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए बी एस एन एल ब्रॉड बैण्ड कनेक्शन लिये जाने के लिए निदेशित किया गया है।

माननीय सभापतिजी, संस्कृत शिक्षा के सम्मान में परम्परा निर्धारित की गयी है। संस्कृत शिक्षा के अध्ययनरत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को साइकिल वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, एस सी, एस टी की बालिकाओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त मेधावी

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

छात्रों को गौरव एवं गार्गी पुरस्कार का प्रावधान भी निर्धारित किया हुआ है। संस्कृत विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु प्रवेशोत्सव और जन सम्पर्क पर विशेष बल दिया गया है। संस्कृत शिक्षकों को मण्डल, राज्य और राष्ट्र स्तर पर सम्मानित करने के अतिरिक्त संस्कृत दिवस पर विद्वानों का सम्मान करने की परम्परा है। (व्यवधान) कर रहे हैं। शिक्षा के प्रसार हेतु 2008 की तुलना में परीक्षा परिणाम इस साल उत्साहवर्द्धक हैं।

मैं आपके लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। शैक्षणिक उन्नयन की दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों को चिह्नित कर उनकी अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की गयी हैं जिसके परिणामस्वरूप 2008 की अपेक्षा 2009 में वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम 70.69 से बढ़कर 89.6 हो गया है तथा प्रवेशिका का परीक्षा परिणाम 36.21 से बढ़कर 58.92 परसेंट हो गया है। परीक्षा परिणाम की वृद्धि की दृष्टि से इस वर्ष वरिष्ठ उपाध्याय में 18.37 तथा प्रवेशिका में 22.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय, रिक्त पदों को भरने की भी यहां बहुत चर्चा की जा रही थी और जब हमारा बोलने का समय आया, हमें स्पष्टीकरण देने का चांस मिला तो सदन छोड़कर चले गये। बड़े दुःख की बात है। वह तो कुछ नहीं कर सके, हमने किया है। जो कहते हैं वह हम करके दिखाते हैं और उसी के मुताबिक मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। संस्कृत विभाग के शिक्षकों की पदोन्नति के अन्तर्गत इस वर्ष 340 शिक्षकों की डी पी सी द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों के पद पर करायी जा चुकी है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूर्ति के लिए 57 वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी के और 2916 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा इसी माह में करायी जा रही है। 543 द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों की विज्ञप्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा शीघ्र आयोजित करवायी जा रही है।

संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य, आचार्य महाविद्यालय के पांच प्रोफेसर, चार प्राचार्य और शास्त्रीय विद्यालय के आठ एवं व्याख्याताओं के 32 रिक्त एवं विद्यालय के प्रथम श्रेणी के 86 द्वितीय श्रेणी के 392, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 454 एवं 32 शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु डी पी सी सीधी भर्ती की कार्यवाही इसी सत्र में पूरी कर ली जावेगी।

सभापति महोदय, वेतन विसंगति की बहुत बात की जा रही थी। मेरे साथी आदरणीय जितेन्द्र सिंहजी ने बताया उसी के मुताबिक संस्कृत

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

महाविद्यालय के शिक्षकों को सामान्य महाविद्यालय के शिक्षकों के अनुरूप वेतन दिलाये जाने के एवं प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के वेतनमान सैकण्डरी विद्यालयों के समान कराये जाने हेतु प्रस्ताव वेतन विसंगति निराकरण समिति को भिजवा दिये गये हैं। और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि दो माह में पूरा होने की सम्भावना है। यह काम पूरा कर दिया जाएगा।

माननीय सभापतिजी, कैरियर डवलपमेंट के लिए हमने कुछ करने की कोशिश की है। संस्कृत विद्यालयों में इस वर्ष कैरियर काउन्सलिंग सैल स्थापित किये गये हैं और इसके अन्तर्गत सैल प्रभारियों को तीन दिवस का प्रशिक्षण दिलवाया गया है। 1711 शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षण एवं रोजगार के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसी के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इसी माह में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए समस्त राजकीय संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क तैयारी करवायी जाएगी।

माननीय सभापतिजी, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत जो देश की भाषा है, विदेशों में आज विदेशी लोग भी हमारी संस्कृत भाषा को अपनाते जा रहे हैं। उसको और स्ट्रैन्थन करने के लिए संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास और विस्तार के क्रम में परामर्श देने के लिए 08.07.2009 को संस्कृत परामर्श मण्डल का पुनर्गठन कर दिया गया है।

माननीय सभापतिजी, शोध एवं उच्च अध्ययन के लिए भी हमने कुछ करने की कोशिश की है। प्रदेश में संस्कृत शोध एवं उच्च अध्ययन की दृष्टि से वर्ष 2000 में राजस्थान संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गयी। विद्यालय में वर्तमान में 6 शैक्षणिक संकाय तथा वेद, पुरोहित, नव व्याकरण साहित्य, ज्योतिष, शिक्षा शास्त्री एवं दर्शन सम्मिलित हैं। विद्यालय द्वारा वर्तमान में शास्त्री बी.ए., आचार्य एम.ए., शिक्षा शास्त्री बीएड, शिक्षाचार्य एम.एड., विद्या निधि एम.फिल, विद्या वारिधि पीएच.डी., विद्यास्पति डी.लिट के एवं संयुक्त आचार्यों की उपाधियों हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं। इनके अलावा ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान में प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा दिया जा रहा है। संस्कृत वांग्मय विभिन्न विषयों में सतत् अनुसंधान एवं दुर्लभ ग्रन्थों के सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु अनुसंधान केन्द्र स्थापित है जिसके अधीन 9 पीठों के द्वारा गहन अनुसंधान किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी, शाहपुरा से

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत वेदना प्रकट की, अच्छा होता वो मेरा जवाब सुनते। वो चले गये, खैर, कोई बात नहीं। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हमने किया है नवीन शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में, वर्तमान में कर्म काण्ड पुरोहित का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू कर दिया गया है। इस पाठ्यक्रम अन्तर्गत पूजा विधि संस्कार अनुष्ठान विधि ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, संस्कृत मंत्रीजी के अब बाकी बचे हुए उत्तर संस्कृत में करा दो तो बढ़िया रहेगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): दो मिनट, आप विराजो। मैं संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं हूं, नहीं तो मैं संस्कृत में कर देता।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, नहीं, संस्कृत में दे दो बाकी बचा हुआ उत्तर, हम भी लाभान्वित होंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): चलो विराजो आप। एक मिनट का ही काम है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी कह रहे हैं कि मैं संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं हूं, जो पंडित संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ है वो पंडित काहे का और जो लाठी नहीं मारे वो जाट काहे का और जो शादी के लिए ...(व्यवधान) जाए वो ठाकर काहे का ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): विराजो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): विभिन्न मुहूर्तों का ज्ञान, जन्म कुण्डली का निर्माण, सामान्य फलादेश, यज्ञ, हवन, वास्तु उत्कर्म का ज्ञान आदि सम्मिलित होंगे और इसका हम डिप्लोमा देंगे। यह कोर्स एक साल के लिए है, जो आलरेडी संस्कृत यूनिवर्सिटी में चालू कर दिया गया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कब से ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): इस साल 2009-2010 से। आप सुनते तो हो नहीं फिर बात करते हो ऐसे ही। संस्कृत के विद्वान भी बैठे थे यहां पर, संस्कृत शिक्षा भी रही थी, आदरणीय घनश्यामजी तिवाड़ी साहब चले गये, उनके टाइम पर 2008-2009 में कुल बजट 116.6 करोड़ रुपये था और हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए 2009-2010 में इसको बढ़ा कर 144.71 करोड़ रुपये कर दिया है, यह बढ़ोतरी करीब-करीब 35 से 40 प्रतिशत तक है।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं संस्कृत के लिए कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त नवीन विषय प्रारम्भ करने की मांग आवश्यकतानुसार महाविद्यालय, विद्यालयों में नवीन विषय खोले जायेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह शहरों में जायेगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): अब आप विराज जाएं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जहां कांग्रेस के 96 से 90 सदस्य गांव से हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 11 बज गये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्री महोदय, बताओ गांव में लगेगा क्या? यह गांव में खर्च होगा क्या इसमें से?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): आप थोड़ासा, प्लीज सुनो।

वरिष्ठ अध्यापक, प्रथम श्रेणी एवं प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय के पदों को राजपत्रित घोषित कराया जायेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय एवं विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशासनिक उन्नयन के लिए शिक्षकों तथा संस्थान प्रधानों के लिए प्रशिक्षण एवं सेमीनार आयोजित कराये जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के सदस्य चले गये।

श्री पेमाराम (धोद): बैठे हैं न।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): बैठे हैं क्या? चलिये, कोई बात नहीं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत बात हो रही थी जोधपुर-जोधपुर, उदयपुर, मैं घोषणा करना चाहता हूं कि भरतपुर सम्भाग में मुख्यालय पर संस्कृत शिक्षा का सम्भागीय कार्यालय प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा। संस्कृत विभाग में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के रिक्त पदों पर साथ की साथ भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार का यह सदैव प्रयास रहेगा कि संस्कृत शिक्षा एवं समपोषण की ओर सुनिश्चित ध्यान दिया जा कर संस्कृत शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये जायेंगे। धन्यवाद। जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राईब्स का जो आरक्षण है, क्या वो देने का इरादा है?

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य।

श्री पेमाराम (धोद): एस.सी., एस.टी. के अध्यापकों को जो लगाने जा रहे हैं आप, घोषणा की है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य, फालतू समय नष्ट न करो आप।

श्री सभापति: विराजो, विराजो।

श्री पेमाराम (धोद): यह मंत्रीजी जब अब डिमाण्ड रख रहे हैं तो पूछने में ...(व्यवधान) दफ्तर मैं पूछ बा आळी बात थोड़ी है सदन मैं पूछ बा आळी बात है आ तो।

श्री सभापति: कला एवं संस्कृति मंत्री, श्रीमती बीना काकजी।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-24, कला एवं संस्कृति विभाग के ऊपर कई माननीय सदस्यों ने बिन्दु उठाये और मैं उन माननीय सदस्यों की बहुत ही हृदय से आभारी हूं जिन्होंने कटोती प्रस्ताव दिये। माननीय सभापति महोदय, रिकार्ड कटौती प्रस्ताव आये हैं, पांच कटौती प्रस्ताव। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जैसा मंत्री था वैसे ही कटौती प्रस्ताव आये।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह साबित करता है, माननीय सभापति महोदय, कि एक सब्जैक्ट जो हमारी संस्कृति है, जो हम खुद हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस है, जो हमारा संगीत है, जो हमारी धरोहर है, जिसके प्रति आज पूरी दुनिया में चर्चा होती है। उस कला और संस्कृति से प्रभावित हो कर के दुनियाभर के लोग यहां आते हैं और दुनिया में यह बात होती है और इकबाल ने भी यह कहा था कि 'कुछ बात है कि ऐसी, हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जहां हमारा'। और आज हालत यह हो गयी है कि माननीय सदस्यों ने केवल पांच कटौती प्रस्ताव दिये हैं। इसका मुझे बहुत खेद है लेकिन मैं यह मान कर चलती हूं कि या तो माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो भाषण था अभी बजट का, इसके ऊपर इनकी पूरी आस्था है और जो मंत्री प्रभारी है उसके ऊपर भी आस्था है इसलिए मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी होगी।

(श्रीमती बीना काक)

माननीय सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में भी चर्चा की, अपनी चिंता जतायी। केवल तीन या चार माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। एक तो केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात कही, एकेडमीज के बारे में चिंता जतायी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने और शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक इंस्टिट्यूट या फिल्म के सम्बन्धित यहां पर लोगों को रोजगार सर्जन हो, इसके बारे में भी चर्चा की।

तो, माननीय सभापति महोदय, हमारे केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने आमेर डवलपमेंट ऑथोरिटी के बारे में बात की थी तो मैं इन्हीं सब्जैक्ट को दो-तीन मिनट में खतम करना चाहूंगी। इन्होंने जानना चाहा था कि आमेर डवलपमेंट ऑथोरिटी में कौन-कौन सदस्य थे? इसमें माननीय मुख्य मंत्री, दी देन मुख्य मंत्री पदेन थीं, माननीय राज्य मंत्री, कला एवं संस्कृति थे, माननीय मुख्य सचिव थे, श्रीमती मीनाक्षी जैन थीं, श्री मानव थडानी थे सदस्य, श्री अपूर्व कुमार थे ...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): इनका पता बताओ ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): श्री अन्नु मृदुल थे, श्री, सुश्री नहीं, साहब, गलती से लिख दिया, मेरे विभाग वाले यह जो पर्ची देते हैं, कई बार गलती कर जाते हैं, श्रीमती मृणाल मोदी थीं। श्रीमती फेतसिंह थीं, श्रीमती धर्मेन्द्र कंवर थीं, सुश्री बीना किलाचंद थीं, श्रीमती चंद्रमणी सिंह थीं, प्रमुख शासन सचिव, वित्त थे और फिर एक्स आफिशियो मैम्बर्स थे। लेकिन आज की स्थिति है, माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहती हूं आपके माध्यम से कि जो एक्स आफिशियो मैम्बर्स हैं बाकी .....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय मंत्री महोदय, एक स्पष्टीकरण, इसका चेयरमैन कौन था और मुख्यमंत्री किस हैसियत से इसमें जाती थीं, यह मेरा सवाल है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मुख्य मंत्री थीं ना भाई।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसके अध्यक्ष कौन थे और मुख्य मंत्री .....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जिन लोगों ने इतनी बड़ी धरोहर को बेचा, आप उनके लिए क्या कर रहे हो ...(व्यवधान) उन लोगों ने जो बेचा...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जो अलग-अलग कमेटीज थीं, आफिशियल मैम्बर्स जो थे, उसकी चेयर पर्सन ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं हमारे साथ हमारी कला को उस सरकार के बाहर से लाकर के सदस्य को बिकवाया, उस कला को इतनी बड़ी हवेलियों के साथ, जो हमारे राजस्थान की धरोहर के साथ अत्याचार किया, आप क्या करना चाहते हैं इसमें, आप यह बताएं कि उसमें सुधार करना चाहते हैं या उसमें मिलावट करना चाहते हैं।

श्री सभापति: विराजो माननीय सदस्य, बता रहे हैं ना, वो ही बता रहे हैं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, निश्चय ही जो काम आमेर में हुआ उसके रख रखाव का, वह तो अच्छा हुआ। जन्तर मन्तर की अपकीप वगैरह भी अच्छी हुई क्योंकि मैं मानती हूं कि जो अभी है नहीं हमारे सामने माननीय सदन की विपक्ष की नेता, उनका ध्यान ओबवियशली हवेलियों में, महलों में चूंकि वो उन्हीं संस्कारों में पली बढ़ी हैं तो उनका रख रखाव तो उनको अच्छा आता है लेकिन उन्होंने जो हमारी झौंपड़ियां हैं, गरीब हैं, गुरबत में रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा जा नहीं पाया। लेकिन विभाग ने काम अच्छा किया था इसमें।

माननीय सभापति महोदय, कुछ एकेडमीज के बारे में चिन्ता जताई गई, जिन एकेडमीज के भवन नहीं हैं उनके लिए जयपुर में एक एकेडमी काम्पलैक्स बनवाया जाएगा, इन सभी एकेडमीज की अनुदान राशि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दुगुनी कर दी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान के म्यूजियम को विकसित करने के लिए भी दो करोड़ के करीब का प्रस्ताव है। जवाहर कला केन्द्र को सैण्टर फोर परफोरमैंस एण्ड लिविंग आर्ट्स के रूप में विकसित कराया जाएगा। राजस्थान के ...

श्री गंगा सहाय शर्मा (आमेर): माननीय मंत्रीजी, रघु शर्माजी का जो एक सवाल था वह अधूरा रह गया कि कितना पैसा इसमें खर्च हुआ था।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अभी बता रही हूं ...(व्यवधान) राजस्थान की प्राचीन बावड़ियों, पुराने गढ़ जो शेखावाटी के ....

श्री गंगा सहाय शर्मा (आमेर): जो आमेर विकास प्राधिकरण को रिनोवेट किया गया था उसका पुराना सामान कहां, कौनसे स्टोर में रखा हुआ है, जो हमारे विश्व की धरोहर है, जो पुरानी संस्कृति से जुड़ी हुई है ... (व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): राजस्थान की प्राचीन बावड़ियों ...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस प्राधिकरण का माननीय मंत्री महोदय, आप स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन था और मुख्य मंत्री इस प्राधिकरण में किस हैसियत से थीं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): भित्ती चित्र हवेलियों को चिन्हित करके यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज की साइट के अन्दर डवलपमेंट प्रस्तावित करेंगे, इन्हें चिन्हित करेंगे, शेखावाटी की हवेलियों को भी हम चिन्हित करके वर्ल्ड हैरिटेज साइट के अन्दर लेने का प्रयास करेंगे ... (व्यवधान) डेजर्ट नेशनल पार्क जो आलरेडी वर्ल्ड हैरिटेज साइट में लिस्ट कर लिया गया है। जन्तर मन्तर के भी अपकीप और अच्छे काम की वजह से यूनाइटेड नेशन्स की वर्ल्ड हैरिटेज साइट में चिन्हित करने के लिए एक कमेटी सेप्टेम्बर में आ रही और हम उम्मीद करते हैं कि इसका उसके अन्दर नाम हो जाएगा।

एक अम्बेड़कर पीठ इस महकमें के अन्तर्गत आती है, 2007 में दी दैन मुख्य मंत्री ने इसका आनन फानन के अन्दर शिलान्यास किया 2007 में, 2008 के अन्दर आधी अधूरी इमारत का इन्होंने पत्थर लगाकर के उद्‌घाटन कर दिया, अम्बेडकर पीठ का शिलान्यास करने के बाद एक साल के अन्दर इसका उद्‌घाटन भी हो गया। इसका क्या स्वरूप होगा, क्या मकसद होगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत वेग है, इन लोगों ने इमारतें तो बना दीं लेकिन उसके अन्दर आत्मा नहीं डाली।

श्री पेमाराम (धोद): वह आप डाल दो।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जी, वही मेरा कहना था आगे, आपने कह दिया, धन्यवाद माननीय सदस्य। उसका उद्देश्य, पिछड़े, दलित, एस सी, एसटी, आवाम को सीधा लाभ पहुंचे, ऐसा हम चाहते हैं। आमेर विकास प्राधिकरण ने बारह करोड़ बासंठ लाख के करीब के काम हुए हैं

(श्रीमती बीना काक)

जिसमें आमेर फोर्ट की वाल है, घाट की गूणी के ऊपर काम हुआ है और हाथी गांव के ऊपर काम हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच इस सम्बन्ध में अत्यंत सकारात्मक रही है और यही कारण है कि इस वर्ष हमने कई विशेष योजनाओं को लिया है हाथ में। चार पांच चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी। स्मारकों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिसमें विशेषकर कला, संस्कृति एवं साहित्य विभाग की वेब साइट को सुदृढ़ और उपयोगी बनाया जाएगा। स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्यो में एकरुपता लाने के लिए प्रयास किया जाएगा, डिजिटल फार्म में स्मारकों में उपलब्ध पुरा सामग्री को सूचीबद्ध स्टोर किया जाएगा। पर्यटकों एवं आम व्यक्तियों के सन्दर्भ हेतु आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आडियो वीडियो लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पर्यटन विभाग एवं राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ट्रेवल मार्ट्स के अन्दर पुरातत्व संबंधी जो इमारतें हैं उनके अन्दर भी प्रचार प्रसार के लिए हम बात करेंगे। थियेटर और कलाकारों के विकास हेतु रंग मण्डल सहित नीति बनाई जाएगी और जवाहर कला केन्द्र को भी एक लाइव हैरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-24 को पास करने का प्रस्ताव करती हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह कला और संस्कृति का जो पैसा है यह सारा आमेर और थाना ... (व्यवधान) में लगायेंगे या गांव की तरफ इनका दृष्टिकोण होगा ... (व्यवधान)

मांग संख्या-24 का पारण

मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति का पारण

श्री सभापति: माननीय सदस्य बिराजिये। प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री सभापति)

86,93,56,28,000/- (छियांसी अरब, तिरानवे करोड़, छप्पन लाख, अट्ठाईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2009 के प्रातः 1100 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.17 बजे दिनांक 21 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा में आई.आई.टी. की स्थापना

151. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार कोटा में आई.आई.टी. स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

राज्य में आई.आई.टी के शहर/स्थान चयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया इस समिति द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई जो कि सक्षम स्तर पर विचारधीन है एवं इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार अपनी अभिशंसा शीघ्र ही अंतिम निर्णय हेतु भारत सरकार को प्रेषित करेगी।

अजमेर सम्भाग के अंग्रेजी शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु क्रय किए गए ''लिंगवा फोन'' उपकरण

152. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अजमेर शहर में सरकारी मिडिल स्कूलों में अग्रेजी विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का अग्रेजी वर्तमान एवं उच्चारण सही करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान द्वारा सम्भाग स्तर पर ''लिंग्वा फोन लैब'' की शुरूआत की गई है? यदि हां, तो लैब कब प्रारम्भ की गई व सर्वशिक्षा अभियान द्वारा प्रशिक्षण हेतु खरीदे गये उपकरणों की कीमत क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) एक समय में कितने शिक्षकों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सकता है एवं अब तक कुल कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है?

(3) सम्भाग स्तर पर स्थापित लैब में शेष और कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जाना है?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर शहर में प्रारम्भिक शिक्षा के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों का अंग्रेजी वार्तालाप एवं उच्चारण सही करने हेतु सम्भाग स्तर पर लिंग्वा लैब की शुरूआत की गई है। अजमेर की लैब सत्र

(शिक्षा मंत्री)

2007-08 में दिनांक 16.4.2007 से प्रारम्भ की गई। शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु 15 उपकरणों के सेट 15000/- रुपये प्रतिसेट की दर से क्रय किये गये हैं।

(2) एक समय में 15 शिक्षकों को एक साथ प्राशिक्षण दिया जा सकता है एवं अजमेर स्थित लैब पर अब तक कुल 181 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका हैं।

(3) अजमेर शहर की सम्भाग स्तर की लैब पर सत्र 2009-10 के आगामी माहों में कुल 180 शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बीकानेर में संचालित छात्रावास

153. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जिला बीकानेर में कुल कितने छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है? उनमें कितने छात्र-छात्राओं की सीटें हैं तथा इनमें सत्र 2004 से अब तक कितने छात्र-छात्राएं रहे? सत्रवार व छात्रावास वार संख्या सूची सदन की मेज रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रावासों में से कितने छात्रावासों के अपने स्वयं के भवन हैं? शेष के भवन निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में विभाग द्वारा 19 राजकीय एवं 3 अनुदानित कुल 22 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। जिनकी स्वीकृति छात्र-छात्रा संख्या 904 है। वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक इन छात्रावासों में 4052 छात्र-छात्राएं रहे हैं। सत्रवार व छात्रावास वार संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' उपलब्ध है।

(2) इन छात्रावासों में निवास कर रहे छात्र-छात्राओं को आवास, भोजन, वस्त्र व अन्य सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

(3) उक्त 19 राजकीय छात्रावासों में से 18 छात्रावास राजकीय भवनों में संचालित तथा 1 छात्रवास (राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गोगागेट बीकानेर) किराये के भवन में संचालित है। छात्रावास का भवन निर्माण बजट एवं अन्य सुविधाएं अनुकूल होने पर किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

परिशिष्ट 'अ'

बीकानेर जिले में संचालित छात्रावासों का विवरण

क्र. सं.	छात्रावासों का नाम	भवन राजकीय/ किराये का	स्वीकृत सं.	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बीकानेर	राजकीय	75	75	75	75	75	75
2.	राजकीय अम्बेडकर कन्या छात्रावास, बीकानेर	राजकीय	40	40	40	40	40	40
3.	राजकीय अम्बेडकर बालक छात्रावास, लुणकरणसर	राजकीय	50	50	50	50	50	50
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नोखा	राजकीय	35	35	35	35	35	35
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, देशनोक	राजकीय	35	35	35	35	35	35
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पांचू	सामुदायिक भवन	25	-	25	20	25	21
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बादून	राजकीय	35	35	26	35	21	25
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जसरासर	सामुदायिक भवन	35	30	35	33	35	35
9.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोलायत	राजकीय	45	45	45	45	45	45
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दियातरा	राजकीय	40	40	35	40	40	40
11.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बज्जू	राजकीय	40	40	40	40	40	40
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खाजूवाला	राजकीय	35	35	35	35	35	35

क्र. सं.	छात्रावासों का नाम	भवन राजकीय/ किराये का	स्वीकृत सं.	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पूगल	राजकीय	50	50	50	50	50	50
14.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छतरगढ़	राजकीय	60	60	60	60	60	60
15.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, डूंगरगढ़	राजकीय	35	35	35	35	35	35
16.	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, (अ.प.वि.) बीकानेर	राजकीय	35	35	35	35	35	35
17.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, (बीकेएम) गोगागेट, बीकानेर	किराये का भवन	25	25	25	25	25	25
18.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, (बीकेएम) नापासर	राजकीय विद्यालय भवन	35	18	35	35	35	35
19.	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास बीकानेर	राजकीय	75	-	-	-	13	18
	योग (राजकीय छात्रावास)		**805**	**683**	**716**	**723**	**729**	**735**
20.	त्रिलोक मेघवंशी छात्रावास नोका	अनुदानित	49	49	49	49	49	49
21.	जय मीन छात्रावास बीकानेर	अनुदानित	25	25	25	25	25	25
22.	सन्त कबीर छात्रावास दतोर	अनुदानित	25	-	25	25	25	25
	योग (अनुदानित छात्रावास)		**99**	**74**	**99**	**99**	**99**	**95**
	महायोग		**904**	**757**	**815**	**822**	**828**	**830**

प्रदेश में संचालित खेल प्रशिक्षण छात्रावास

154. श्रीमती सूर्यकान्त व्यास (सूरसागर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में खेलों के विकास हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विद्यालय स्तर पर खेल के विकास हेतु प्रतिवर्ष शारीरिक शिक्षकों को क्या लक्ष्य दिये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्यालय वार छात्र चयनित कर उनकी मासिक स्तर वृद्धि जांचने (विशेष रूप से ग्रामीण छात्रों को एथेलेटिक्स स्पर्द्धाओं में) के प्रति सरकार की क्या योजना है? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी खेलों के विकास के लिए प्रशिक्षकों को उक्त प्रकार के लक्ष्य दिये जाते हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षो में दिए गए लक्ष्यों एवं परिणामों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदेश में कितने खेल प्रशिक्षण छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं तथा इनमें कितने प्रशिक्षक कितने खिलाडियों को किस-किस स्पर्द्धाओं में प्रशिक्षण कर रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में खेलों के विकास हेतु वर्ष जिला/ राज्य स्तर पर, विभिन्न प्रतियोगिताऐं आयोजित करवाई जाती हैं। राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के आधार पर अच्छे खिलाड़ियों का चयन किया जाता हैं तथा चयनित छात्र/छात्रा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में सभागित्व करवाया जाता हैं।

(2) विभाग में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में पी.टी. (शारीरिक व्यायाम), योग, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रार्थना सभा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र/छात्राओं को खेलों के प्रति उत्साहित किया जाता हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के निर्धारित पाठयक्रमों का अध्यापन करवाया जाता हैं। इसके साथ ही अपने विद्यालय/जिले की टीमों को जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित कराने का दायित्व भी हैं। उनके द्वारा विद्यालयी छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जाता है।

(3) विद्यालयों में छात्र/छात्राओं हेतु अन्र्तकक्षा खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

मापदण्डों के आधार छात्र/छात्रा की मासिक स्तर पर जांच की जाती हैं। यही प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं हेतु भी अपनाई जाती है।

(4) क्या सही कि विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों के विकास के लिए प्रशिक्षकों के लिए समय-समय पर लक्ष्य निर्धारित किये जाते है तथा उन लक्ष्यों को पाने के लिए उचित संसाधन भी उपलब्ध कराये जाते हें। निधारित लक्ष्यों की प्रप्ति हेतु पूरा प्रयास भी किया जाता है। **राजस्थान विश्वविद्यालय** का गत 5 वर्षो का खेल परिणाम का परिशिष्ट-क संलग्न है।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में सभी खेलों के विकास हेतु टीमों का चयन करना तथा अन्तरमहाविद्यालयी व विश्वविद्यालयी स्तर पर उनकी प्रतिभागित को सुनिश्चित एवं आयोजन करना तथा उक्त प्रतियोगिताओं में उच्च स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य विश्वविद्यालय के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। विगत 5 वर्षो में इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अखिल भारतीय अन्तरविश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं में जो परिणाम प्राप्त हुए है, का परिशिष्ट- ख पर संलग्न है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना से वर्तमान तक खेल प्रशिक्षक का पद नहीं है, इसीलिये किसी प्रकार के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में विश्वविद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों एवं खेलों के स्तर के विकास के लिए एवं खेल संस्कृति विकास हेतु विश्वविद्यालयों में क्रीडा मण्डल एवं शारीरिक विभाग में कार्यरत शिक्षक अपने-अपने खेलों व संकायों के विभिन्न खेल गतिविधियों को एसोशियशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित वार्षिक कलेण्डर कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय खेल गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जैसे-

1. अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन ।
2. अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता हेतु चयन व प्रशिक्षण
3. अंतर संकाय व कालेजों की प्रतियोगिता का आयोजन।
4. अन्तर कक्षा प्रतियोगिता का आयोजन।

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में खेल निदेशक का कोई पद स्वीकृति नहीं है।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में खेल प्रशिक्षण का पद स्वीकृति नहीं है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र चयनित कर मासिक स्तर वृद्धि जांचने के लिए प्रशिक्षकों को विशेष लक्ष्य नहीं दिये गये है।

(5) माध्यमिक शिक्षा के अन्र्तगत निम्नलिखित 2 खेल प्रशिक्षण छात्रावास(केवल छात्रों हेतु) संचालित हैं।

विद्यालय का नाम	खेल	खिलाडियों की संख्या
रा0 नूतन उ0मा0वि0 बांसवाड़ा	हैण्डबाल एथलेटिक्स	15 15
रा0वोकेशनल उ0मा0वि0, कोटा	फुटबाल	20

इन विद्यालयों में खेल प्रशिक्षकों के अलग से पद आबंटित नहीं है, अपितू स्थानीय विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाता है।

नागौर जिले को आबंटित केरोसीन

155. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में उपभोक्ताओं को केरोसीन किस-किस मानदण्ड से दिया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि जिला नागौर को उक्त मानदण्डों के आधार पर केरोसीन का आबंटन किया गया?यहां हां, तो विगत 5 वर्षो में प्रतिमाह कितना-कितना केरोसीन आबंटित किया गया?

(3) उक्त आबंटन में से तहसील मेडता, खींवसर व नागौर के उपभोक्ताओं को कितना-कितना केरोसीन गत एक वर्ष में आबंटित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में रसाई गैस कनेक्शन के दो सिलेण्डर वाले राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन वितरण नहीं किया जाता है। एक सिलेण्डर वाले उपभोक्ता को 2 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड एवं इसके अतिरिक्त अन्य सभी उपभोक्ताओं को जिलेवार प्राप्त आबंटन एवं उपलब्धता के आधार पर

(खाद्य एवं नागरिक मंत्री)

राशन कार्डो की संख्या के अनुसार समानुपातिक मात्रा में केरोसीन का वितरण किया जाता है। हाल ही में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्तओं को प्रति राशन कार्ड केरोसीन समान मात्रा में वितरित किये जाने की व्यवस्था लागू की है।

(2) जी हां। विगत 5 वर्षो में प्रतिमाह किये गये आबंटन की सूची परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(3) गत एक वर्ष में जिले को प्राप्त आंबटन में से तहसील मेडता को 3608 के एल, खींवसर को 1447.48 केएल तथा नागौर के उपभोक्ताओं को 5659.9 केएल केरोसीन आबंटित किया गया है। माहवार विवरण परिशिष्ट-2 पर सलंग्न है।

परिशिष्ट-1

नागौर जिले को विगत 5 वर्षों में किये गये केरोसीन आबंटन का माहवार विवरण

(आबंटन मात्रा केएल में)

माह	वर्ष 2004	वर्ष 2005	वर्ष 2006	वर्ष 2007	वर्ष 2008	वर्ष 2009
जनवरी	2013	1775	2220	2304	2460	2460
फरवरी	2013	1919	2220	2304	2460	2460
मार्च	2013	1847	2460	2304	2460	2460
अप्रैल	1965	2022	2460	2460	2460	2460
मई	1965	2028	2460	2460	2460	2460
जून	1965	2028	2460	2460	2460	2460
जुलाई	1975	2028	2460	2460	2460	2448
अगस्त	1975	2028	2460	2460	2460	-
सितम्बर	1975	2028	2460	2532	2460	-
अक्टूबर	1975	2220	2304	2460	2460	-
नवम्बर	1775	2220	2304	2364	2460	-
दिसम्बर	1975	2220	2304	2364	2460	-
महायोग	23584	24363	28572	28932	29520	17208

परिशिष्ट-2

नागौर मेड़ता एवं खीवंसर तहसील को गत एक वर्ष में आबंटित एवं दिये गये केरोसीन का माहवार विवरण

माह	तहसीलवार दी गई मात्रा		
	नागौर (के.एल.)	मेड़ता (के.एल)	खीवंसर (के.एल)
जुलाई 08	478.9	300	127.48
अगस्त 08	474	300	120
सितम्बर 08	474	300	120
अक्टूबर 08	474	300	120
नवम्बर 08	462	300	120
दिसम्बर 08	462	300	120
जनवरी 09	483	300	120
फरवरी 09	477	300	120
मार्च 09	468	300	120
अप्रैल 09	471	300	120
मई 09	468	308	120
जून 09	468	300	120
योग	**5659.9**	**3608**	**1447.48**

जिला रसद अधिकारी
नागौर

उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु गठित समिति की सिफारिशें

156. **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में चार केन्द्रीय संस्थानों यथा आई.आई.टी., आई.आई.एम., विश्व स्तरीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा किस वर्ष घोषणा की गई?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त संस्थानों के स्थान तय करने के लिए राज्य सरकार ने प्रो. विजयशंकर व्यास की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? यदि हां, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी गई तथा स्थान चयन करने का आधार क्या रहा? क्या सरकार व्यास कमेटी की सिफारिशों को अक्षरशः लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(डा. दिगम्बर सिंह)

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान की आई.आई.टी.वर्तमान में कानपुर में चल रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसे अन्तरिम तौर पर राजस्थान में ही कहीं चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में कोटा में आई.आई.टी. व केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में खोले जाने की अभिशंसा की गई थी? यदि हां, तो अभिशंसा को बदलने का क्या कारण रहा?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा प्रदेश में आई.आई.टी. की स्थापना के सम्बन्ध में दिनांक 16.12.2006 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री के यहां से राज्य सरकार को पत्र प्राप्त हुआ था। विश्व स्तरीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में दिनांक 16.4.2007 को एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में दिनांक 29.8.2007 का मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से सूचना प्राप्त हुई।

(2) जी हां। राज्य में आई.आई.टी., आई.आई.एम., विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के लिए स्थान निर्धारण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का गठन 2 मार्च, 2009 को किया गया।

समिति द्वारा दिनांक 10.06.2009 को रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति द्वारा विभिन्न प्रबुद्धजन/भूतपूर्व अधिकारियों/शिक्षाविदों से उनकी राय प्राप्त की गई एवं विभिन्न सम्भागीय/जिला मुख्यालयों का दौरा कर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं आमजन से राय मशविरा करते हुए एवं उन सभी के संकलन के आधार पर समिति द्वारा निष्कर्षित रिपोर्ट तैयार की गई।

सरकार व्यास कमेटी की अभिशंसाओं को परीक्षण कर एवं सक्षम स्तर से अनुमोदित कर अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही भारत सरकार को संस्थानों के स्थानों के लिए अंतिम निर्णय हेतु प्रेषित करेगी।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अभी तक आई.आई.टी. के लिए स्थान के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित नहीं किये गये हैं, अतः भारत सरकार द्वारा ही वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ही यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान राज्य के लिए आई.आई.टी. का संचालन पूर्व से स्थापित आई.आई.टी. परिसर कानपुर में किया जाये।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

राज्य में स्थान निर्धारित होने के उपरान्त ही सरकार इसे अंतरिम तौर पर राजस्थान में ही चलाने का विचार रखती है।

(4) जी हां। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने कोटा हवाई सेवा से जुड़ा न होने के कारण कोटा को आई.आई.टी. स्थापित करने हेतु उचित स्थान नहीं माना तथा दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को पत्र द्वारा यह सूचित किया कि राजस्थान के 3 शहर जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में हवाई सेवाएं बेहतर हैं।

कोलायत तहसील (बीकानेर) के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

157. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगें:-

(1) प्रदेश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में दिसम्बर,2008 तक अध्यापकों के कितने रिक्त पद थे?

(2) जिला बीकनेर की तहसील कोलायत में उक्त श्रेणी के किन-किन विद्यालयों में मानदण्ड के अनुसार कितने अध्यापक होने चाहिये व वर्तमान में किन-किन संस्थानों में कितने-कितने अध्यापकों, विषय अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की कमी है? सरकार इन विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती?

उत्तर

(1) प्रदेश में दिसम्बर, 2008 तक निम्नानुसार रिक्त पद थे:-

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग		
क्र.सं.	**पदनाम**	**रिक्त पदों की संख्या**
1	अध्यापक-II श्रेणी	8949
2	अध्यापक-III श्रेणी	35239
माध्यमिक शिक्षा विभाग		
1	व्याख्याता	7694
2	व. अध्यापक	8310
3	अध्यापक-III ग्रेड	2724

(शिक्षा मंत्री)

(2) जिला बीकानेर की तहसील कोलायत में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विवरण का परिशिष्ट ''क'' तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानदण्डनुसार अध्यापकों के पदों के विवरण का परिशिष्ट ''ख'' एवं रिक्त पदों के विवरण परिशिष्ट ''ग'' संलग्न है।

रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जा सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत संचालित विशेष योजनाओं के लम्बित आवेदन

158. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विश्वास, पालनहार, विधवा एवं बीपीएल पुत्री विवाह, विकलांग अन्तर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह योजनाओं के अन्तर्गत गत छह माह में कितने-कितने आवेदकों को लाभान्वित किया गया? योजनावार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान में कोई आवेदन लम्बित है? यदि हां, तो कितने तथा क्यों? योजनावार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन आवेदकों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा विश्वास, पालनहार, विधवा एवं बीपीएल पुत्री विवाह, विकलांग, अन्तर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह योजनाओं के अन्तर्गत गत छह माह में लाभान्वित आवेदकों का योजनावार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट '1' से '7' तक सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान में लम्बित आवेदनों का योजनावार एवं जिलेवार विवरण कारण सहित परिशिष्ट '1' से '7' तक में अंकित कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। आवेदकों को पात्रता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर सतत् प्रक्रिया अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत जारी स्वीकृतियों में परिवर्तन

159. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2008-09 में सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता संविधान की धारा 275(1) व महाराष्ट्र पेटर्न योजना में कितनी राशि प्राप्त हुई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं में राशि की स्वीकृतियां पूर्व में जारी की जा चुकी थी? यदि हां, तो कितनी राशि की?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं में पूर्व में जारी राशि की स्वीकृतियों को निरस्त कर नई स्वीकृतियां जारी की गई है? यदि हां, तो नवीन योजना का नाम, स्थान, स्वीकृति जारी की गई व निरस्त कर नई स्वीकृतियों का स्थान, कार्य का नाम व कार्यकारी ऐजेन्सी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09 में राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत 5236.00 लाख एवं संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत 3107.04 लाख की राशि प्राप्त हुई। महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं होती है।

(2) जी हां। विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत 373.40 लाख रुपये की पूर्व में प्रशासनिक स्वीकृति आयुक्ता जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से जारी की गई।

(3) जी हां। पूर्व में जारी महाराष्ट्र पैटर्न अन्तर्गत 154.00 लाख एवं विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत 373.40 की स्वीकृतियां निरस्त की गई। निरस्त किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है। उक्त निरस्त स्वीकृतियों के विरुद्ध नवीन कार्य स्वीकृत किये गये जिनकी सूची परिशिष्ट-स व द पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी जिले के नि:शक्तजनों को ऋण स्वीकृति/अनुदान

160. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बून्दी में विश्वास योजना के तहत गत पांच वर्षो में कितने नि:शक्त जनों को ऋण उपलब्ध कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक डोगरा)

(2) क्या यह सही है कि नि:शक्त व्यक्तियों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना होने के उपरांत भी सहकारी बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराने से नि:शक्त जन अनुदान राशि से वंचित रहते है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में विस्वास योजना के तहत गत पांच वर्षों में 26 नि:शक्त जनों को लाभान्वित किया गया। संख्या विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या
2004-05	शून्य
2005-06	11
2006-07	7
2007-08	2
2008-09	6

विवरण परिशिष्ट ''अ'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। सहकारी बैंकों के माध्यम से भी नि:शक्तजनों को ऋण अपनी योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाया जा रहा है।

परिशिष्ट 'अ'

बूंदी में विस्वास योजना के तहत गत पांच वर्षों में लाभान्वित किये गये नि:शक्तजनों का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या		नाम और पता	आयु	विकलांगता की श्रेणी/ प्रतिशत	जाति	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत ऋण राशि	स्वीकृत अनुदान राशि	ऋण स्वीकृत कर्ता एजेन्सी
2004-05	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		योग								
2005-06	11	1	मोहन लाल मीणा, गुमानपुरा	36 वर्ष	50%	मीणा	किराना	50000	10000	अन्य बैंक
		2	मोहन लाल, लालपुरा	40 वर्ष	65%	रैगर	किराना	50000	10000	अन्य बैंक
		3	नन्द किशोर, चितावा	31 वर्ष	45%	गुर्जर	किराना	50000	10000	अन्य बैंक
		4	श्रीमती लक्ष्मीबाई कुम्हारिया, बूंदी	35 वर्ष	55%	कुम्हार	किराना	50000	10000	सहकारी बैंक, बूंदी
		5	सरदारी लाल, जवाहर नगर, बूंदी	28 वर्ष	60%	गुर्जर	किराना	50000	10000	अन्य बैंक

		6	रमेश कुमार, नमाना	26 वर्ष	50%	मीणा	किराना	25000	5000	सहकारी बैंक, बूंदी
		7	मुकेश कुमार, नमाना	29 वर्ष	60%	मीणा	किराना	25000	5000	सहकारी बैंक, बूंदी
		8	मीरा कौर, कालपुरिया, बूंदी	27 वर्ष	60%	सिख	किराना	50000	10000	अन्य बैंक
		9	शमशेर मीणा, नमाना	34 वर्ष	50%	मीणा	किराना	50000	10000	अन्य बैंक
		10	रामभरत मीणा, सिलौर	36 वर्ष	50%	मीणा	किराना	50000	10000	अन्य बैंक
		11	पुष्पेन्द्र सिंह, बूंदी	35 वर्ष	60%	राजपूत	किराना	50000	10000	अन्य बैंक
		योग						**500000**	**100000**	
2006-07	7	1	पप्पू लाल, लौईचा	33 वर्ष	60%	मीणा	किराना	50000	10000	सहकारी बैंक, बूंदी
		2	लालाराम, बूंदी	32 वर्ष	60%	लोधा	किराना	30000	6000	अन्य बैंक
		3	विरेन्द्र कुमार, बूंदी	35 वर्ष	70%	खटीक	चर्म शोधक	30000	6000	सहकारी बैंक, बूंदी
		4	जगदीश चन्द, रामनगर	41 वर्ष	65%	शर्मा	किराना	50000	10000	सहकारी बैंक, बूंदी

		5	शंकर लाल, अस्तोली	29 वर्ष	50%	मीणा	किराना	50000	10000	सहकारी बैंक, बूंदी
		6	मोहन लाल/मंगला गुर्जर, कणा	37	60%	गुर्जर	किराना	25000	5000	सहकारी बैंक, बूंदी
		7	दुर्गालाल, सीतापुरा	28 वर्ष	50%	गुर्जर	किराना	25000	5000	सहकारी बैंक, बूंदी
		योग						260000	52000	
2007-08	2	1	कैलाश चन्द जैन, खरखड, बूंदी	35 वर्ष	60%	जैन	किराना	50000	10000	अन्य बैंक
		2	प्रहलाद रिहाणा, बूंदी	37 वर्ष	70%	मीणा	किराना	50000	10000	अन्य बैंक
		योग						100000	20000	
2008-09	6	1	श्रीमती चांदनीपत्नी हकीमुद्दीन,बूंदी	45 वर्ष	60%	मुसलमान	किराना	25000	7500	अन्य बैंक
		2	श्याम कुमार पुत्र माणक चन्द्र सोनी, बूंदी	35 वर्ष	55%	सोनी	कम्प्यूटर	30000	9000	अन्य बैंक
		3	पृथ्वीराज पुत्र हीरा, तालेडा	40 वर्ष	43%	खोखर मु.	किराना	50000	15000	अन्य बैंक
		4	शेर मोहम्मद पुत्र सलाउद्दीन, तालेडा	45 वर्ष	53%	मुसलमान	किराना	50000	15000	अन्य बैंक
		5	सलीम पुत्र मजिद, तालेडा	45 वर्ष	48%	मुसलमान	किराना	50000	15000	अन्य बैंक
		6	बजरंग पुत्र मांगीलाल, बूंदी	50 वर्ष	45%	नायक	किराना	50000	15000	अन्य बैंक
		योग						255000	76500	

नोट : वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 तक कुल लाभान्वितों की संख्या 26 एवं स्वीकृत ऋण 11.15 लाख अनुदान राशि 2,48,500/-

तारांकित प्रश्न संख्या-161

(स्थगित)

162. **श्री सुखराम** (बसेड़ी) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष, 2005 के नये भर्ती नियमों के तहत नवनियुक्त अध्यापकों को मैडिक्लेम पॉलिसी के तहत चिकित्सा सुविधा दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कितना अंशदान दिया जाता है तथा अध्यापकों से कितना अंशदान लिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मैडिक्लेम पालिसी दिये जाने हेतु राज्य सरकार ने किस संस्था को अधिकृत कर रखा है तथा इस सुविधा को देने के लिये नियमों में क्या प्रावधान है?

(3) क्या उक्त प्रावधानों/नियमों/निर्देशों की पूर्ति संस्था द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो गत चार वर्षों में इस सुविधा का लाभ कितने कार्मिकों को दिया गया तथा उन पर कितनी राशि चिकित्सा मद में व्यय की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1.1.2004 एवं इसके पश्चात नवनियुक्त अध्यापकों को मेडिक्लेम पालिसी के तहत चिकित्सा सुविधा दिये जाने का प्रावधान हैं। इस हेतु दिनांक 8.8.2005 से प्रीमियम राशि 250+ सेवाकर एवं 30 रुपये विविध खर्च, प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसमें अध्यापकों से कोई अंशदान नहीं लिया जाता है।

(2) मेडिक्लेम पालिसी हेतु दिनांक 17.8.2005 से पूर्व मैसर्स यूनाइटेड इंश्योरेंस लिमिटेड कम्पनी को अधिकृत किया गया एवं दिनांक 18.8.2005 से राज्य सीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग को अधिकृत किया हुआ है। प्रत्येक राज्य कर्मचारी एवं उनके परिवार को प्रतिवर्ष 1.00 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा अस्पताल में भर्ती होने पर उपलब्ध करायी जा रही है। बीमा धारक को 2 जीवित बच्चों तक 50 हजार रुपये की सीमा तक प्रसव व्यय लाभ देय है। चिकित्सालय में भर्ती होने से 30 दिवस पूर्व एवं डिस्चार्ज से 60 दिवस तक की अवधि का चिकित्सा व्यय भी देय है।

(3) जी हां। गत 4 वर्षों में राज्य कर्मियों एवं उनके परिवारजनों के

(वित्त मंत्री)

1697 बीमार व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है उन पर अब तक राशि 2,00,82,369 रुपये का चिकित्सा मद में भुगतान किया गया। जिलेवार संख्या का विवरण संलग्न है।

जिले का नाम	मरीजों की संख्या
अजमेर	49
अलवर	45
बासवाड़ा	8
बारा	27
बाड़मेर	52
ब्यावर	29
भरतपुर	42
भीलवाड़ा	21
बीकानेर	28
बून्दी	42
चित्तौड़गढ़	37
चुरू	24
दौसा	88
धौलपुर	10
डूगरपुर	5
हनुमानगढ़	44
जयपुर	601
जैसलमेर	9
जालौर	9
झालावाड़	20
झुन्झुनू	26
जोधपुर	64
करौली	15
कोटा	45
नागौर	57
पाली	37
प्रतापगढ़	11
राजसमन्द	26
सवाई माधोपुर	37
सीकर	26
सिरोही	36
श्री गगानगर	09
टोंक	70
उदयपुर	48
योग	**1697**

द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती/पदोन्नति

163. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से और कितने पद? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार योग्यताधारी शिक्षकों की पदोन्नति द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) जी हां। माध्यमिक शिक्षा में 8761 एवं प्रारम्भिक शिक्षा में 9744 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के उक्त पद सर्व शिक्षा अभियान में 2002-03 से नवसृजित होने तथा सेवानिवृति से समय-समय पर रिक्त हुए हैं।

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में द्वितीय श्रेणी के उक्त रिक्त पदों की जिलेवार संख्या का परिशिष्ट 'क' संलग्न हैं।

(2) जी हां। सीधी भर्ती अभ्यांश के वरिष्ठ अध्यापकों के 5590 एवं 3356 पदों हेतु अर्थनाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रेषित की जा चुकी हैं। इन पदों में से 5590 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी हो चुकी हैं तथा 3356 पदों की विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु आयोग स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

पदोन्नति अभ्यांश के रिक्त पदों को भरने हेतु बकाया डीपीसी आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(3) जी हां। जिलेवार संधारित तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची में से पात्र आशार्थियों को वर्षवार उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के आधार पर राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1971 के प्रावधानानुसार पदोन्नति की जाती है। वर्तमान में डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट –क

क्र. सं.	जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	जोधपुर	404
2	पाली	270
3	सिरोही	122
4	बाड़मेर	288
5	जैसलमेर	89
6	जालौर	251
7	बांसवाड़ा	135
8	चित्तौड़गढ़	282
9	डूंगरपुर	122
10	राजसमंद	178
11	उदयपुर	391
12	चूरू	382
13	झुंन्झुनूं	396
14	बीकानेर	322
15	हनुमानगढ़	315
16	श्रीगंगानगर	260
17	कोटा	118
18	बून्दी	116
19	झालावाड़	189
20	बारां	143
21	भरतपुर	392
22	धौलपुर	159
23	सवाई माधोपुर	156
24	करौली	112

क्र. सं.	जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या
25	जयपुर	474
26	अलवर	528
27	सीकर	539
28	दौसा	195
29	अजमेर	313
30	नागौर	512
31	भीलवाड़ा	406
32	टोंक	252
	योग	**8761**

उपरोक्त पद शिक्षकों की सेवानिवृत्त, पदोन्नति, पदत्याग, मृत्यु और नव सृजित पद होने के कारण पद रिक्त हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में रिक्त द्वितीय श्रेणी अध्यापकों का जिलेवार संख्या- विवरण

(मई-09)

क्र. सं.	जिले का नाम	द्वितीय श्रेणी अध्यापक रिक्त पद
1	चूरू	359
2	बीकानेर	138
3	झुंझुनूं	301
4	श्रीगंगानगर	454
5	हनुमानगढ़	253
6	जोधपुर	627
7	पाली	526
8	जैसलमेर	135
9	जालौर	262
10	बाड़मेर	387

क्र. सं.	जिले का नाम	द्वितीय श्रेणी अध्यापक रिक्त पद
11	सिरोही	140
12	जयपुर	287
13	दौसा	241
14	अलवर	564
15	सीकर	469
16	अजमेर	421
17	टोंक	266
18	भीलवाड़ा	474
19	नागौर	670
20	भरतपुर	383
21	धौलपुर	193
22	सवाई माधोपुर	119
23	करौली	149
24	उदयपुर	460
25	बांसवाड़ा	162
26	डूंगरपुर	153
27	चित्तौड़गढ़	362
28	राजसमंद	178
29	कोटा	155
30	बून्दी	50
31	बारां	149
32	झालावाड़	257
	योग	**9744**

वार्षिक योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से निर्मित परिसम्पत्तियां

164. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार राज्य को कुल कितनी राशि (fiscal reform facility) के अन्तर्गत प्राप्त होनी थी व कुल कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी शेष है?

(2) वर्ष 2002-03 के मुकाबले 2008-09 की वार्षिक योजना में योजनान्तर्गत व्यय में कितनी वृद्धि हुइ्र तथा वर्ष वार लिये गए ऋण का कितने प्रतिशत उपयोग परिसम्पत्तियां निर्माण में किया गया?

(3) राज्य की वर्ष 2003-04 की प्रारम्भिक वार्षिक योजना कितनी राशि की थी तथा वर्ष 2008-09 की संशोधित वार्षिक योजना कितनी राशि की थी? योजनाओं में कितनी वृद्धि हुई?

(4) वर्ष 2008-09 में कुल कितना शुद्ध उधार राज्य द्वारा लिया गया?

उत्तर

(1) ग्यारवहें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार राज्य को Fiscal Reform Facility के तहत कुल राशि 438.33 करोड़ रुपये प्राप्त होनी थी। राज्य सरकार को Fiscal Reform Facility के तहत 438.33 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	भाग-अ	भाग-ब	योग (रुपये करोड़ में)
2001-02 (वर्ष 2000-01 से संबंधित)	143.29	28.39	171.68
2004-05 (वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 से संबंधित)	-	120.38	120.38
2005-06 (वर्ष 2001-02 एव 2002-03 से संबंधित)	43.41	120.86	146.27
योग	**186.70**	**251.63**	**438.33**

(2) वर्ष 2002-03 एवं 2008-09 की वार्षिक योजना के तथ्य निम्न प्रकार है:-

वर्ष	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आयोजना सीमा	(राशि करोड़ों में) वास्तविक व्यय
2002-03	5160	4431
2008-09	14000	14916
वृद्धि	8840	10485

(वित्त मंत्री)

वर्ष 2002-03 से लिये गये ऋण एवं परिसम्पतियों के निर्माण का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	शुद्ध उधार	(राशि करोड़ों में) पूंजीगत परिव्यय	प्रतिशत
2002-03	5901	2028	34.36
2003-04	7490	3181	42.47
2004-05	6773	3488	51.50
2005-06	6272	4294	68.47
2006-07	4739	4809	101.49
2007-08	5992	6556	109.40
2008-09 **RE**	7167	5986	83.52

(3) योजना आयोग द्वारा वर्ष 2003-04 की आयोजना सीमा 4258 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2008-2009 के लिये संशोधित आयोजना सीमा 14020 करोड़ रुपये की अनुमोदित की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2008-09 की आयोजना सीमा वर्ष 2003-04 की अनुमोदित आयोजना सीमा से 9762 करोड़ रुपये अधिक अनुमोदित हुई।

(4) वर्ष 2008-2009 के संशोधित अनुमानों के अनुसार शुद्ध उधार तथा अन्य दायित्वों में कुल 7167 करोड़ रुपये की सम्भावित है।

सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत नियुक्त कार्मिक का बकाया भुगतान

165. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों एवं सर्व शिक्षा अभियान के कार्मिकों को मार्च, 2009 से वेतन नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पीड़ित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को शीघ्र वेतन एवं छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रारम्भिक शिक्षा, पंचायतीराज एवं सर्व शिक्षा अभियान के अध्यापकों को नियमित वेतन भुगतान हेतु राशि का आबंटन किया हुआ है। पूर्व डी.पी.ई.पी. के जिलों में कार्यरत खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी, संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी एवं संदर्भ व्यक्ति का वेतन विभाग में अन्य मदों (सर्व शिक्षा अभियान/आयोजना/गैर आयोजना) में रिक्त पद पर पदस्थापित कर वेतन भत्तों का भुगतान करने के आदेश जारी किये हैं, तथा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके लिए विभाग का कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षा मद में कार्यरत कार्मिकों के वेतन एवं छठे वेतन आयोग के एरियर भुगतान हेतु राशि आबंटित की जा चुकी है।

पंचायतीराज मद में कार्यरत अध्यापकों को माह मार्च, 2009 से जून, 2009 तक के वेतन हेतु बजट का आबंटन किया जा चुका है तथा छठे वेतन आयोग के एरियर भुगतान हुेत 10,000/- रुपये प्रति कार्मिक की दर से राशि उपलब्ध करवाई गई है। शेष एरियर राशि तथा वेतन की राशि बजट पारित होने के पश्चात उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत अधिकांश अध्यापकों को वर्ष 2008-09 के एरियर की बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि का भुगतान परियोजना के अन्तर्गत वेतन मद में राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है।

डी.पी.ई.पी. के जिलों के खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी, संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी एवं संदर्भ व्यक्तियों को शिक्षा विभाग के उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापना किया जा कर बकाया वेतन एवं एरियर भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आशुलिपिक/कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

181. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्रलिपिक व कनिष्ठ लिपिकों के कितने पद किस-किस विभाग में रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

शासन सचिवालय

(1) शासन सचिवालय में शी.लि. के कुल 101 पद रिक्त है तथा कनिष्ठ लिपिक के 37 पद रिक्त है।

अधीनस्थ कार्यालय

अधीनस्थ कार्यालयों में 52 विभागाध्यक्षों के अधीन शीघ्रलिपिकों के 290 पद रिक्त है तथा 46 विभागाध्यक्षों के अधीन कनिष्ठ लिपिक के 521 पद रिक्त है।

(सूची परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' पर संलग्न है)

शासन सचिवालय

(2) शीघ्रलिपिक की भर्ती हेतु सेवा नियमों में संशोधन विचाराधीन होने के कारण रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही लम्बित है। सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी।

कम्प्यूटर प्रशिक्षित कनिष्ठ लिपिक की भर्ती हेतु नियमों में संशोधन विचाराधीन है। संशोधन की प्रक्रिया के पश्चात् वित्त विभाग से अनुमति मिलने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

अधीनस्थ कार्यालय

रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त विभाग से अनुमति मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

परिशिष्ट 'क'

शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ विभागों में शीघ्र लिपिक के रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद
1.	शासन सचिवालय	101
2.	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर	02
3.	उप शासन सचिव (प्रशा.) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	01
4.	निदेशक, अभियोजन निदेशालय, जयपुर	01
5.	जिला कलक्टर, कोटा	07
6.	जिला कलक्टर, भरतपुर	11
7.	जिला कलक्टर, बीकानेर	06
8.	आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर	02
9.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर	10
10.	मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर	03
11.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर	01
12.	जिला कलक्टर, पाली	07
13.	जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़	07
14.	जिला कलक्टर, बाड़मेर	07
15.	सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर	01
16.	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर	02
17.	निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर	05
18.	उप सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर	01
19.	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर	01
20.	जिला कलक्टर, टोंक	10

क्र. सं.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद
21.	जिला कलक्टर, जैसलमेर	05
22.	जिला कलक्टर, बूंदी	08
23.	जिला कलक्टर, हनुमानगढ़	10
24.	आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर	01
25.	मुख्य अभियंता (ग्रा.), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	18
26.	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर	03
27.	निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	02
28.	निदेशक, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर	01
29.	जिला कलक्टर, डूंगरपुर	04
30.	प्रधानाचार्य, मेडीकल कालेज, अजमेर	01
31.	आयुक्त, क्षेत्रीय विकास इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	02
32.	निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर	01
33.	महासमादेष्टा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, जयपुर	01
34.	जिला कलक्टर, बारां	08
35.	जिला कलक्टर, उदयपुर	07
36.	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	02
37.	महानिरीक्षक,कारागार, उदयपुर	01
38.	निदेशक, प्रावैधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर	11
39.	क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीएडी, चम्बल	01
40.	जिला कलक्टर, झालावाड़	05

क्र. सं.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद
41.	जिला कलक्टर, बांसवाड़ा	02
42.	निदेशक, कृषि निदेशालय, जयपुर	11
43.	निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर	11
44.	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर	10
45.	जिला कलक्टर, चूरू	04
46.	निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर	01
47.	जिला कलक्टर, जोधपुर	07
48.	जिला कलक्टर, जालौर	05
49.	प्रधानाचार्य, मेडीकल कालेज, जयपुर	02
50.	जिला कलक्टर, अलवर	14
51.	जिला कलक्टर, जयपुर	23
52.	महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर	21
53.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	02
	कुल योग 101+290	**391**

परिशिष्ट 'ख'

शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ विभागों में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद
1.	शासन सचिवालय	37
2.	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर	08
3.	उप शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	03
4.	निदेशक, अभियोजन निदेशालय, जयपुर	45

क्र. सं.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद
5.	जिला कलक्टर, कोटा	11
6.	जिला कलक्टर, भरतपुर	04
7.	जिला कलक्टर, बीकानेर	10
8.	निदेशक एवं पदेन उप सचिव, मूल्यांकन संगठन, जयपुर	04
9.	आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर	02
10.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर	13
11.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर	05
12.	जिला कलक्टर, पाली	01
13.	जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़	03
14.	जिला कलक्टर, बाड़मेर	24
15.	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर	19
16.	जिला कलक्टर, टोंक	10
17.	जिला कलक्टर, झुन्झुनूं	11
18.	जिला कलक्टर, जैसलमेर	16
19.	निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर	08
20.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	02
21.	जिला कलक्टर, बूंदी	03
22.	जिला कलक्टर, हनुमानगढ़	07
23.	प्रधानाचार्य, मेडीकल कालेज, उदयपुर	07
24.	आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर	01
25.	निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	60

क्र. सं.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद
26.	निदेशक, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	05
27.	निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर	04
28.	नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर	01
29.	निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर	03
30.	निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर	10
31.	महासमादेष्टा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग, जयपुर	19
32.	निदेशक, मत्स्य विभाग, जयपुर	06
33.	आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	01
34.	जिला कलक्टर, बारां	08
35.	जिला कलक्टर, उदयपुर	09
36.	निदेशक, प्रशिक्षण शाखा, प्रावैधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर	38
37.	जिला कलक्टर, झालावाड़	02
38.	निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर	27
39.	जिला कलक्टर, चूरू	05
40.	निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर	16
41.	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	25
42.	जिला कलक्टर, जोधपुर	08
43.	जिला कलक्टर, जालौर	24
44.	जिला कलक्टर, जयपुर	12
45.	मुख्य अभियंता भू-जल विभाग, जोधपुर	08
46.	प्रधानाचार्य, मेडीकल कालेज, जोधपुर	02
47	प्रधानाचार्य, मेडीकल कालेज, कोटा	11
	कुल योग 37+521	**558**

अतारांकित प्रश्न संख्या-182

(स्थगित)

नवलगढ़ में खेल स्टेडियम की स्थापना

183. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में खेल स्टेडियम, स्पोर्टस एकेडमी, स्पोर्टस क्लब, स्पोर्टस एसोसिएशन व अन्य खेलकूद से संबंधित संस्थाएं कहां-कहां कार्यरत हैं? इन संस्थाओं में से किस-किस संस्था को राज्य सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी राशि की सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज रखें।

(2) क्या यह सही है कि शेखावाटी क्षेत्र से बास्केटबाल, बालीबाल, हॉकी व अन्य खेलों में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतिभाओं ने भाग लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार शेखावाटी में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में खेल स्टेडियम की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में खेल विभाग के स्टेडियमों की सूची संलग्नक-1 के अनुसार है।

खेल विभाग द्वारा अजमेर में महिला हाकी अकादमी, जयपुर में महिला बास्केटबाल अकादमी व कोठियारी (सीकर) में खेल विद्यालय संचालित किये जा रहे है। इनके अतिरिक्त जयपुर व जैसलमेर में खेल छात्रावास भी चल रहे हैं।

राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वर्तमान में विभिन्न खेलों के 35 राज्य स्तरीय खेल संघ संलग्नक-2 की सूची, मय कार्यस्थल, अनुसार पंजीकृत है। इन राज्य स्तरीय खेल संघों की संबद्धता प्राप्त जिला इकाइयों के रूप में जिला स्तर पर जिला स्तरीय खेल संघ पंजीकृत है। जिला स्तरीय खेल संघ जिले में संबंधित खेल की प्राथमिक इकाइयों/क्लबों द्वारा गठित होते है।

राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य खेल संघों को नियमित खेल गतिविधियां आयोजित करने पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। पिछले 3

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

वर्षों में इन 35 राज्य स्तरीय खेल संघो को दिये गये खेल अनुदान का विवरण संलग्नक-3 पर है।

(2) जी हां। वर्तमान में नवलगढ़ में स्टेडियम निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। क्षेत्र की आवश्यकता तथा खेलों हेतु आधारभूत सुविधाओं व आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्टेडियम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकताऐं तय करते हुए स्टेडियम निर्माण कार्य करवाया जाना तय किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत सिटी में खेल स्टेडियम

184. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सोजत सिटी में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सोजत सिटी में खेल स्टेडियम बनाये जाने हेतु भूमि आबंटित होकर 21.00 लाख रुपये के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है व इस वर्ष निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

निवाई (टोंक) में खेल स्टेडियम की स्थापना

185. **श्री कमल बैरवा** (निवाई) क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि निवाई, जिला टोंक में खेल स्टेडियम नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो सरकार निवाई में स्टेडियम का निर्माण कब तक प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

निवाई, जिला टोंक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रताप स्टेडियम में खेल सुविधाऐं उपलब्ध हैं।

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

वर्तमान में निवाई में स्टेडियम निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। क्षेत्र की आवश्यकता तथा खेलों हेतु आधारभूत सुविधाओं व आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्टेडियम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकताऐं तय करते हुए स्टेडियम निर्माण कार्य करवाया जाना तय किया जाता है।

बड़ी सादड़ी में खेल स्टेडियम

186. **श्री प्रकाश चन्द चौधरी** (बड़ी सादड़ी) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी मुख्यालय पर स्टेडियम का अभाव है?

(2) क्या सरकार बड़ी सादड़ी के विद्यालय एवं मेला मैदान के मध्य से निकाली हुई सड़क को साइड में करते हुए यहां स्टेडियम निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट उपलब्धता के अध्ययधीन संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण कराये जाने की योजना है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीगंगानगर जिले की जेलों में व्याप्त अनियमितताएं

187. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ, जिला मुख्यालय पर स्थित जेल में बन्द कैदी नशे के आदी बनते जा रहे हैं? क्या जेल में बन्द कैदियों को बाहर से नशीली वस्तुएं आपूर्ति होने की कोई शिकायत जिला प्रशासन को मिली है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायत की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बंदियों को अन्दर बीड़ी, सिगेरट, जर्दा, नशे की गोलियां आदि वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नियम विरूद्ध कार्य करना पड़ता है? क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(3) क्या यह सही है कि जेल के बाहर चाय की दुकान पर मुलाकात करने आने वालों की पर्ची काटी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला जेल श्रीगंगानगर व हनुमानगढ में बन्दियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता सही नहीं होती? क्या जिला प्रशासन ने इस संबंध में जेलों का निरीक्षण किया है? यदि हां, तो निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गईं तथा उसके निस्तारण के लिए क्या-क्या दिशा-निर्देश दिये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित जेल में बंद कैदी नशे के आदी बनते जा रहे हैं। जेल में बंद कैदियों को बाहर से नशीली वस्तुएं सप्लाई होने की कोई शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 04.04.09 को जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ ने आकस्मिक निरीक्षण के समय बंदियों के पास बीड़ी, गुटका आदि मिलने बाबत अवगत कराये जाने पर इसकी जांच अधीक्षक एवं मण्डलाधिकारी, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर से करवाई गई। जांच में पाया गया कि बंदियों को बीड़ी, गुटके उनके परिजन मुलाकात में सीमित मात्रा में देकर गये थे। बंदियों के पास कोई निषिद्ध सामग्री नही पाई गई।

(2) यह सही नहीं है कि बंदियों को अन्दर बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, नशे की गोलियां प्राप्ति के लिये नियम विरूद्ध कार्य करना पड़ता है।

(3) यह सही नहीं है कि जेल के बाहर बनी चाय की दुकान पर मुलाकत करने आने वालों की पर्ची काटी जाती है। राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट-22 सैक्शन-2 निमय 39 के अनुसार जिला कारागृह हनुमानगढ पर अर्जीनवीस की नियुक्ति की हुई है।

(4) यह सही नहीं है कि केन्द्रीय कारागृह गंगानगर व हनुमानगढ़ में बंदियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता सही नहीं होती । जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार समय-समय पर किये गये निरीक्षण के दौरान बंदियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने बाबत अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

सिवाना विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को फसल बीमा राशि का भुगतान

188. श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना के किसानों को वर्ष 2007 व 2008 में अकाल होने के कारण बाजरा फसल का बीमा क्लेम प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों को फसल का बीमा क्लेम दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) के किसानों को वर्ष 2007 व 2008 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत फसल बाजरा के लिए नियमानुसार कोई क्लेम नहीं बनता है। अतः अब मुआवजे का कोई प्रकरण विचारधीन नहीं है। भारत सरकार की मार्गदर्शिका के नियमानुसार संसूचित तहसील की फसल विशेष की वास्तविक उपज गारण्टी उपज से कम होने पर ही बीमित कृषकों को मुआवजा दिया जाता है।

जैसलमेर के किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान

189. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के किसानों को खरीफ व रबी 2065 (सन 2007) की फसल का फसल बीमा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसमें कितने किसान लाभन्वित होंगे एवं भुगतान की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के किसानों को खरीफ वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत विभिन्न फसलों बाजरा, मूंग एवं ग्वार के लिए 12,476 बीमित कृषकों को 23.45 करोड़ रुपये की राशि का मुआवजा दिया गया है। रबी 2007-08 में मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल गेहूं एवं जीरे के लिए 2,874 बीमित कृषकों को 0.14 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। अब मुआवजे का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

अजमेर सम्भाग की उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण

190. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन एवं निरस्ती बाबत् नियम निर्धारित कर दिशा-निर्देश/परिपत्र जारी किये हुये हैं? यदि हां, तो नियम, परिपत्र तथा दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दुकानों के उचित संचालन के लिए सरकार द्वारा समय बद्ध तरीके से जांच की जाने बाबत् भी नियम, परिपत्र जारी किये हुए हैं ? यदि हां, तो क्या अजमेर संभाग में उक्त दुकानों की जांच कार्यवाही में निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया का ध्यान रखा जा रहा है?

(3) क्या उक्त दुकानों के संबंध में आने वाली शिकायतों आदि की जांच कार्यवाही नियमानुसार एवं बिन्दुवार करवाई जा रही है? यदि हां, तो विगत 02 वर्ष की अवधि में अजमेर संभाग में ऐसी कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई तथा उसमें कितनी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है ? उक्त शिकायतों की जांच, कार्यवाही तथा निस्तारण आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उचित मूल्य की दुकानों के जरिये उपभोक्ताओं को मिल रहे केरोसीन, खाद्यान्न, शक्कर आदि सामानों के और अधिक सही एवं पारदर्शी तरीके से वितरण करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किस प्रकार से और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हुये हैं। निरस्तीकरण की कार्यवाही राजस्थान खाद्यान्न अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8 के तहत की जाती है। नियम तथा दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उचित मूल्य दुकानों के उचित संचालन के लिए सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से जांच/निरीक्षण के मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये हुये हैं:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

पद नाम	निरीक्षण उचित मूल्य दुकानें	अन्य अनुज्ञापन-धारी तथा थोक विक्रेता	भ्रमण	
			दिन	रात
जिला रसद अधिकारी	10	2	10	7
सहायक जिला रसद अधिकारी	12	-	10	7
प्रवर्तन अधिकारी	15	-	11	7
प्रवर्तन निरीक्षक	15	-	12	8

अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक जिले में जांच/निरीक्षण की प्रक्रिया का ध्यान रखा जाता है।

(3) जी हां। अजमेर संभाग में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच नियमानुसार एवं बिन्दुवार की जा रही है। विगत 2 वर्षो में प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिला	प्राप्त कुल शिकायत	निस्तारण	शेष	पुलिस से प्राप्त शिकायत
1.	अजमेर	43	36	7	निल
2.	भीलवाड़ा	20	20	निल	निल
3.	नागौर	53	36	17	निल
4.	टोंक	45	36	17	निल
	योग	**161**	**130**	**31**	**निल**

(4) राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को केरोसीन, खाद्यान्न एवं चीनी के और अधिक सही एवं पारदर्शी तरीके से वितरण कराये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये हैं, उक्त निर्देशों के तहत जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकान को जारी उप आबंटन का प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थानीय

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

अखबारों में प्रकाशन कराना, शत-प्रतिशत उठाव सुनिश्चित किया जाना, एवं उठाव के लिए सम्बन्धित प्रवर्तन निरीक्षक की जवाबदेही, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में समान मात्रा में केरोसीन का वितरण सुनिश्चित करना। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-3 पर सलंग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

विराटनगर और शाहपुरा (जयपुर) के ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. श्रेणी के परिवारों को सस्ती दर पर देय सामग्री

191. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेशों में एपीएल और बीपीएल परिवारों को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं को कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त परिवारों को उक्त वस्तुएं समय पर उपलब्ध करवा रही हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से अब तक विधान सभा क्षेत्रों विराटनगर और शाहपुरा (जयपुर) में मासिक दुकानवार प्रति व्यक्ति उपलब्ध करवाई गई वस्तुओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जनवरी, 2009 से अब तक इन परिवारो को आवश्यक वस्तुएं समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं?

(4) क्या सरकार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा उचित मूल्य द्वारा दुकान डीलरों के माध्यम से रियायती दरों पर एपीएल एवं बीपीएल परिवारों को उपलब्ध करवाई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की मात्रा एवं दर का विवरण निम्नानुसार है:-

योजना का नाम	वितरित की जाने वाली सामग्री	प्रतिमाह मात्रा	निर्धारित दर प्रति किलो/लीटर	
एपीएल	गेहूं व चावल	10 किग्रा. प्रति परिवार, उपलब्धता के आधार पर	गेहूं	6.80
			चाल	9.00

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

योजना का नाम	वितरित की जाने वाली सामग्री	प्रतिमाह मात्रा	निर्धारित दर प्रति किलो/लीटर	
बीपीएल	गेहूं व चावल	31 किग्रा. से 32 किग्रा. प्रति परिवार	गेहूं	4.70
			चावल	6.30
	चीनी	500 ग्राम प्रति व्यक्ति	चीनी	13.50
सिंगल गैस कनेक्शन	केरोसीन	2 लीटर प्रति राशन कार्ड	10.00	
सामान्य राशनकार्ड धारी	केरोसीन	3 लीटर प्रति राशनकार्ड एवं उपलब्धता के आधार पर	10.00	
डबल गैस	केरोसीन	शून्य	शून्य	

(2) जी हां। जनवरी, 2009 से जून, 2009 तक विधान सभा क्षेत्र विराटनगर व शाहपुरा (जयपुर) में माहवार व दुकानवार उपलब्ध करवाई गई वस्तुओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(3) जी नहीं। सामान्यतया आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को समय पर उपलब्ध कराई गई हैं। ऐसे उचित मूल्य दुकानदार जिन्होंने समय पर आवश्यक वस्तुओं का उठाव कर वितरण नहीं किया है।

(4) उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। सूची परिशिष्ट-2 पर सलंग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम बान्ता (मारवाड़ जंक्शन) के राशन कार्ड हेतु लम्बित आवेदन

192. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा अलग राशन कार्ड बनाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है? यदि हां, तो कब से क्यों? इस वर्ष पाली जिले में ऐसे कुल कितने अलग या नये राशन कार्ड जारी किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के बान्ता

(श्री केसाराम चौधरी)

गांव में वर्ष, 2009 में राशन कार्ड अलग करने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब एवं किस-किस के? क्या संबंधितों को राशन कार्ड अलग बनाकर दे दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन), आदेश, 1976 के क्लाज 2 (L)&(O) में परिवार के किसी सदस्य द्वारा अलग राशनकार्ड बनाने का प्रावधान नहीं किया हुआ है। यदि परिवार का सदस्य अलग राशनकार्ड का आवेदन करता है तो जांच पश्चात परिवार से अलग कीचन में भोजन व्यवस्था पाये जाने पर राशन कार्ड जारी किया जा सकता है। वर्ष 2009 में अब तक परिवार कार्डो से अलग कर 117 राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के गांव बान्ता में वर्ष 2009 में राशन कार्ड से अलग कार्ड बनाये जाने का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

खाजूवाला में शिक्षकों के रिक्त पद

193. **डा. विश्वनाथ मेघवाल** (खाजूवाला) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:-

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग		
क्र.सं.	**पद नाम**	**रिक्त पदों की संख्या**
1	द्वितीय श्रेणी अध्यापक	48
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक	171
माध्यमिक शिक्षा विभाग		
1	व्याख्याता	15

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
2	द्वितीय श्रेणी अध्यापक	22
3	तृतीय श्रेणी अध्यापक	04
4	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-द्वितीय	0
5	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-तृतीय	01

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

राज्य की महिला साक्षरता दर में वृद्धि हेतु कार्य-योजना

194. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

रालस्थान की महिला साक्षरता दर को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान की महिला साक्षरता दर को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा 15 से 35 आयु वर्ग की असाक्षर महिलाओं को साक्षर करने के लिए किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न हैं। निर्णयानुसार प्रमुख शासन सचिव स्तर के उच्च अधिकारियों के एक कोर ग्रुप का गठन साक्षरता दर बढ़ाने के सुझाव देने हेतु किया गया, जिसकी क्रमशः दिनांक 14.5.2009 एवं 20.5.2009 को बैठकें आयोजित की गई । दिनांक 1.6.2009 को कोर ग्रुप के साथ राज्य के प्रमुख एन.जी.ओ. की भी एक कार्यशाला/बैठक आयोजित की गई जिसमें विजन स्टेटमेंट तैयार करने हेतु सुझाच प्राप्त किये एवं कार्यशाला में प्राप्त सुझावों के आधार पर एक विजन स्टेटमेंट तैयार किया जायेगा।

परिशिष्ट ''क''

राजस्थान की महिला साक्षरता दर को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा 15 से 35 आयु वर्ग की असाक्षर महिलाओं को साक्षर करने के लिए किये गये प्रयासों का विवरण

सतत शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से अब तक 102409 महिलाओं को साक्षर किया गया है। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

राज्य के 23 जिलों में जहां महिला साक्षरता दर राज्य के औसत से कम है वहां पर वर्ष 2003-04 से लगातार असाक्षर महिला शिक्षण शिविर आयोजित किये जाकर शिविरों के माध्यम से महिलाओं को साक्षर किया जा रहा है। अब तक कुल 801506 महिलाओं को साक्षर किया जा चुका है। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

महिला शिक्षण विहार जालौर, झालावाड़ एवं चूरू के माध्यम से वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक कुल 516 महिलाओं को साक्षर किया गया है एवं यह प्रयास निरन्तर जारी है।

उक्त के अलावा महिला साक्षरता दर को वर्ष 2011 तक न्यूनतम 65 प्रतिशत लाने के लिए मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2009 को एक आयोजित बैठक में विचार-विमर्श के बाद एक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप के गठन का निर्णय लिया गया है एवं प्रयोजन हेतु योजना तैयारी प्रक्रियाधीन है।

प्रधानाचार्य से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति

195. **श्रीमती सज्जन कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में प्रधानाचार्य से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों के विवरण सहित प्रधानाचार्य की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रधानाचार्य से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में प्रधानाचार्य से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदौन्नति राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 में वर्णित प्रावधानों के आधार पर की जाती है। नियमों की प्रति एवं प्रधानाचार्य की वर्ष 1997-98 की वरिष्ठता सूची परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। प्रधानाचार्य से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर वर्ष 2008-09 की डीपीसी की जा चुकी है तथा वर्ष 2009-10 की डीपीसी आयोजित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

करौली जिले के विद्यालयों में रिक्त पद

196. श्री रमेश चन्द्र मीणा (सपोटरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

करौली जिले में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने कार्मिक कार्यरत एवं कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

जिला करौली में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण का परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाने पर भरे जा सकेंगे।

परिशिष्ट–क

जिला करौली की विधान सभा क्षेत्रवार/पदवार स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्र. सं.	पदनाम	करौली			हिण्डौन			टोडाभीम			सपोटरा		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	जिशिअ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अति. उप जिशिअ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ब्लॉक प्राशि अधि.	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
4	अति. ब्लाक प्राशि अधि.	3	2	1	3	3	-	4	3	1	3	-	3
5	सहा. उप निरीक्षक	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
6	शै.प्र. अधिकारी	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	लेखाकार	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कार्या. अधीक्षक	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	पदनाम	करौली			हिण्डौन			टोडाभीम			सपोटरा		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
9	क. लेखाकार	1	1	-	1	1	-	2	-	2	1	-	1
10	कार्या. सहायक	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
11	व. लिपिक	3	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
12	अध्यापक II ग्रेड	104	65	39	102	90	12	156	100	56	136	60	76
13	अध्यापक III ग्रेड	1051	922	129	1061	1123	(-)62	1429	1225	204	1081	980	101
14	क. लिपिक	6	6	-	4	3	1	5	5	-	3	01	02
15	सहा. कर्मचारी	56	54	2	22	20	2	33	32	1	26	26	-

नोट :- उक्त सूचना विधानसभा क्षेत्र के नवीन परिसीमन के अनुसारदी गई हैं।

उप निदेशक (प्रा.लि.)

माध्यमिक शिक्षा विभाग **परिशिष्ट–क**

क्र.सं.	पदनाम	विधान सभा करौली			विधान सभा सपोटरा			विधान सभा हिण्डौन			विधान सभा टोडाभीम		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रधानाचार्य	13	11	2	17	12	5	14	10	4	17	12	5
2	प्रधानाध्यापक	32	11	21	42	18	24	28	15	13	47	24	23
3	व्याख्याता	87	71	16	74	43	31	116	89	27	95	64	31
4	वरि. अध्यापक	155	138	17	209	162	47	178	167	11	260	220	40
5	अध्यापक	58	49	9	63	44	19	70	66	4	95	60	35
6	शा.शि.-I	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
7	शा.शि.-II	9	8	1	7	7	-	5	5	-	11	8	3
8	शा.शि.-III	9	4	5	23	21	2	22	21	1	27	24	3
9	पुस्त. अध्य-I	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	पुस्त. अध्य-II	6	6	-	3	3	-	5	5	-	6	6	-

क्र.सं.	पदनाम	विधान सभा करौली			विधान सभा सपोटरा			विधान सभा हिण्डौन			विधान सभा टोडाभीम		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
11	पुस्त. अध्य.-III	3	3	-	16	12	4	11	11	-	15	14	1
12	प्रयो सहा-II	6	-	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-
13	प्रयो सहा-III	6	6	1	9	7	2	13	13	-	10	10	-
14	कार्या. अधीक्षक	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	कार्या. लिपिक	7	6	2	3	2	1	6	6	-	2	2	-
16	वरि. लिपिक	23	21	-	33	31	2	31	30	1	46	44	2
17	कनि. लिपिक	30	30	2	29	28	1	27	27	-	30	30	-
18	जमादार	7	5	-	2	1	1	4	2	2	4	2	2
19	प्र. शा. सेवक	13	13	3	9	8	1	15	14	1	8	7	1
20	च. श्रे. कर्म.	67	64		66	62	4	79	74	5	113	106	7

वैर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

197. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बैर में कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं तथा इनमें कितने छात्र एवं छात्राएं अध्ययनरत हैं? विद्यालयवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र वैर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से किस विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बैर में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 33 माध्यमिक विद्यालय तथा 18 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बैर में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न हैं।

जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कार्मिकों की पदोन्नति

198. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व इससे कितने अशैक्षणिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा?

उत्तर

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की स्थापना तिथि 31.12.2005 से अब तक विश्वविद्यालय में तत्कालीन इंजीनियर कालेज, कोटा

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

के अधिकारियों/कर्मचारियों के आमेलित होने तथा विश्वविद्यालय के लिए कुछ नवीन पद जैसे सहायक इत्यादि का सृजन होने के कारण विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमों के तहत विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया में एकरूपता न होने के कारण कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। इनके समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो कि विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया का निर्धारण कर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। तत्पश्चात सक्षम स्वीकृति उपरान्त इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया आरम्भ कर दी जावेगी।

विभागीय पदोन्नति से लगभग 15 से 20 अशैक्षणिक कर्मचारियों को लाभ मिलना सम्भावित है।

अनूपगढ़ में तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना

199. **श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार घड़साना/अनूपगढ़ में आईटीआई एवं पोलिटैक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

अनूपगढ़ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, पोलिटैक्निक संचालित नहीं है।

वर्तमान में घड़साना मुख्यालय पर निजी क्षेत्र में नवजीवन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, न्यू मण्डी घड़साना संचालित है।

वित्तीय संस्थानों की उपलब्धता होने पर राज्य सरकार द्वारा घड़साना में आई.टी.आई. संस्थान एवं अनूपगढ़ में पोलिटेक्निक कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

परबतसर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

200. **श्री मानसिंह** (परबतसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में राजकीय पशु चिकित्सालय कहां कहां पर कब से संचालित हैं? प्रत्येक चिकित्सालय में स्वीकृत एवं उनमें रिक्त पदों तथा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(पशु पालन मंत्री)

(2) क्या सरकार अब इन चिकित्सालयों को सुविधायुक्त बनाकर स्वीकृत रिक्त पदों को भरे जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में संचालित पशु चिकित्सालयों का वांछित विवरण परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

वर्तमान में पशु चिकित्सालयों पर मुख्यतः निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध हैं:-

1. पशु चिकित्सा
2. कृत्रिम गर्भाधान
3. टीकाकरण
4. बधियाकरण
5. पशु चिकित्सा एवं बांझपन निवारण शिविर का आयोजन
6. पशुपालक प्रशिक्षण
7. रोग सर्वेक्षण एवं रोग निदान
8. चारा बीज वितरण
9. पशु बीमा
10. प्रचार प्रसार
11. सांड वितरण आदि

(2) पशु चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार आधारभूत चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध हैं। जब-जब रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होती है, रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाता है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र परबतसर में संचालित पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम पशु चिकित्सालय	प्रारम्भ होने का वर्ष	स्वीकृत पद		रिक्त पद संख्या
			पद नाम	संख्या	
1	परबतसर	1956	वा.प.चि.अ.	1	-

क्र. सं.	नाम पशु चिकित्सालय	प्रारम्भ होने का वर्ष	स्वीकृत पद		रिक्त पद संख्या
			पद नाम	संख्या	
			प.ध.स.	2	1
			पशुधन परिचर	3	2
			सफाईकर्ता	1	-
2	पीह	1979	प.च.अ.	1	-
			प.ध.स.	2	1
			पशुधन परिचर	2	1
			सफाई कर्ता	1	-
3	भादवा	1979	प.चि.अ.	1	-
			प.ध.स.	2	-
			पशुधन परिचर	2	-
			सफाई कर्ता	1	-
4	भकरी	1983	प.चि.अ.	1	1
			वी.ए.	1	-
			पशुधन परिचर	2	1
			सफाई कर्ता	1	-
5	पीलवा	1983	प.चि.अ.	1	-
			वी.ए.	2	1
			पशुधन परिचर	1	-
			सफाई कर्ता	1	-
6	जावला	1991	प.चि.अ.	1	-
			वी.ए.	1	-
			प.ध.स.	1	-
			पशुधन परिचर	2	2
			सफाई कर्ता	1	-

क्र. सं.	नाम पशु चिकित्सालय	प्रारम्भ होने का वर्ष	स्वीकृत पद		रिक्त पद संख्या
			पद नाम	संख्या	
7	लिचाना	1979	प.चि.अ.	1	-
			प.ध.स.	1	-
			पशुधन परिचर	2	1
			सफाई कर्ता	1	-
8	मिठडी (नावां)	1985	प.चि.अ.	1	-
			प.ध.स.	2	1
			पशुधन परिचर	2	-
			सफाई कर्ता	1	-

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के विकास हेतु आबंटित राशि का उपयोग

201. **श्री अमराराम** (दांतारामगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में आदिवासी उपयोजना (T.S.P.) के अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में कितनी राशि का प्रावधान किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रस्तावित राशि का पूरा उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं हो सका? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रावधान की गई राशि किस-किस मद में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आदिवासी उपयोजना के लिए आबंटित राशि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के अनुपात में रखी जाती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में इसका प्रतिशत क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) के अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में निम्नानुसार राशि का आबंटन किया गया:-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

वर्ष	आबंटन (राशि लाख रुपयों में)
2004-05	49689.43
2005-06	62819.99
2006-07	161436.29
2007-08	173196.38
2008-09	158456.77

(2) प्रस्तावित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। उपयोग नहीं हो सकी राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि लाख रुपयों में
2004-05	558.35
2005-06	-3866.14
2006-07	11070.09
2007-08	-10786.19
2008-09	41071.39 (अन्तरिम)

(3) प्रावधान की गई राशि जिस मद में व्यय की गई, विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) आदिवासी उपयोजना के लिए राज्य योजना से आवंटित राशि को राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के अनुपात में रखी जाने का प्रयास किया जाता है। विगत पांच वर्षों में इसका प्रतिशत निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	उपयोजना हेतु राशि (मूल प्रावधान) का राज्य की योजना से प्रतिश
2004-05	6.77
2005-06	6.95
2006-07	12.54
2007-08	12.56
2008-09	12.19

परिशिष्ट 'अ'

मदवार वर्षवार व्यय

क्र. सं.	मद	वर्षवार व्यय (राशि लाख रुपयों में)				
		2004-05	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09 अन्तरिम**
1	कृषि एवं संबद्ध सेवाऐं	3563.22	4058.37	3276.44	3080.16	2488.35
2	ग्रामीण विकास	14248.93	12900.81	48633.44	64774.99	11760.88
3	विशेष क्षेत्रीय परियोजना				55.74	7443.93
4	सिंचाई	6706.30	9561.84	58122.79	11009.63	6685.73
5	विद्युत	2427.99	6145.10	2827.08	43582.14	34719.83
6	उद्योग एवं खनिज	2135.87	1837.51	261.35	768.88	511.69
7	परिवहन एवं संचार	3167.21	2431.13	2424.32	8481.54	6855.13
8	वैज्ञानिक सेवाऐं एवं अनुसंधान	3.21	6.09	2.77	4.61	4.20
9	सामाकि एवं सामुदायिक सेवाएं	16579.65	29538.91	34524.23	51865.66	46504.38
10	आर्थिक सेवाऐं	73.70	206.37	293.78	357.22	411.26
11	सामान्य सेवाएं	225.00				
	योग	**49131.08**	**66686.13**	**150366.20**	**183982.57**	**117385.38**

उपयोजना/गैर उपयोजना क्षेत्र की बन्द सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई परियोजनाएं

202. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उप योजना क्षेत्र व गैर उप योजना क्षेत्र में स्वीकृत ऐसी कितनी सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं हैं जो वर्तमान में बन्द पड़ी हैं? ग्राम पंचायतवार, तहसीलवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जलोत्थान सिंचाई योजनाएं किस कारण से बन्द हैं तथा पुनः उपयोग में लाने के लिए कब तक चालू कर दी जावेंगी?

उत्तर

(1) उपयोजना क्षेत्र व गैर उपयोजना क्षेत्र में बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनायें क्रमशः 150 एवं 89 हैं। जिनका ग्राम पंचायतवार, तहसीलवार/पंचायत समितिवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ठ-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के बन्द रहने का मुख्य कारण उपभोक्ता समूह में आपसी समन्वय नहीं होना है जिससे वह समय पर विद्युत खर्च जमा नहीं कराते व छोटी-मोटी टूट-फूट, विद्युत मोटर खराबी की समय पर दुरूस्ती नहीं करवाते हैं। जो योजनायें जलाशय यथा माही कडाणा, सोम कमला अम्बा, माही बजाज सागर आदि पर निर्भर है वहां जल स्तर की कमी एवं अल्पवृष्टि से स्त्रोत पर पानी की कमी आदि भी योजना बन्द होने के कारण हैं, जो परिवर्तनीय है।

इस कार्यक्रम की मार्गदर्शिका अनुसार योजना का रखरखाव एवं संधारण संचालन का दायित्व उपभोक्ता समूह का है अतः बन्द योजनाओं को पुर्नजीवित/चालू करने का दायित्व उपभोक्ता समूह का ही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-147 का विवरण)

राज्य में 20 मई, 2009 से 15 जून, 2009 तक कृषि ज्ञान एवं आदान शिविर खरीफ अभियान 2009 चलाया गया उक्त अभियान के मुख्य कार्य निम्न करवाये गये-

1. कृषि विस्तार अधिकारियों कृषि विश्व विद्यालयों कृषि अनुसंधान केन्द्र व कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की सहभागिता से कृषि की आधुनिक तकनीकी का कृषकों को ज्ञान उपलब्ध करवाया गया। कृषि वैज्ञानिकों का कृषकों से सीधे संवाद करने का अनूठा मौका दिया गया।
2. उन्नत किस्म का बीज, बायोफर्टीलाइजर, रासायनिक उर्वरक व जिप्सम शिविर स्थल पर ही उपलब्ध कराया गया, ताकि कृषक आवश्यकता व सुविधानुसार क्रय कर सके।
3. सब्जी व खरीफ फसलों के बीज मिनिकिट्स पैकिट प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रावधानुसार चयनित महिला कृषकों को निशुल्क वितरित किये गये।
4. ग्राम मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण करवाया गया। मौके पर ही मिट्टी के परीक्षण हेतु नमूनों का संग्रहण किया गया।
5. विभाग की योजनाओं में देय अनुदान/सहायता हेतु यथा, भूमिगत सिंचाई पाइप लाइन, फव्वारा संयत्र ड्रिप संयंत्र, उन्न कृषि यंत्र, पौध संरक्षण उपकरण के लिए, प्रार्थना पत्र तैयार करवाये गये।
6. नवीन बगीचों में रूचि रखने वाले कृषकों के आवेदन पत्र प्राप्त किये गये तथा फलदार पौधों की मांग एकत्र की गई।
7. कृषि विपणन बोर्ड की किसान जीवन कल्याण योजना के प्रार्थना पत्र तैयार करवाये गये/पम्पलेट्स/लीफलेट्स भी वितरित किये गये।
8. पशुपालन विभाग द्वारा मिनरल मिक्सर, कृमिनाशक औषधि का वितरण किया गया तथा पशुओं में टीकाकरण का कार्य भी करवाया गया।
9. सहकारिता विभाग द्वारा कृषकों के ऋण प्रार्थना पत्र तैयार कराये गये तथा पात्र कृषकों को ऋण वितरण भी किया गया।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर

ग्राह्य कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने व ग्राम पंचायत बालेसर सत्रा में राजकीय महाविद्यालय, शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर आई.आई.टी. तथा राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा कि लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

2. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ शहर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापाना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ शहर में बालिका एवं सहशिक्षा के पृथक-पृथक राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राजकीय विद्यालय खोलने, विद्यमान राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्न्त करने एवं भूमि एवं भवन रहित विद्यालयों को भूमि एवं भवन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राजकीय पोलिटैक्निक महाविद्यालय व आई.टी.आई खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
6. राज्य में छात्र संघों के चुनाव कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

7. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में शिक्षा के स्तर में सुधार करने, समस्त स्कूलों में सब्जेक्ट का अध्यापक लगाने एवं प्राइवेट संस्थाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

8. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. उदयपुर शहर एवं आस-पास के विद्यालयों में स्वीकृत पदों से भी अधिक अध्यापक पदस्थापित करने एवं उनका वेतन ग्रामीण विद्यालयों से आहरण कर उनको भुगतान करने की स्थिति से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

10. जिला उदयपुर में क्रमोन्नत विद्यालयों में प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक तथा विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. जिला उदयपुर के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित मंत्रालयिक कर्मचारियों की उदयपुर शहर में प्रतिनियुक्ति करने से विद्यालयों की बिगड़ती व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) :

13. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में सब्जेक्ट टीचर लगाने व शिक्षा में प्राइवेट संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं सरकारी संस्थाओं में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

14. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के विभिन्न विद्यालयों में विषय अध्यापक व्याख्याता, प्राचार्य एवं शारीरिक शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

15. विधान सभा क्षेत्र भीम में शिक्षकों की कमी एवं राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी से व्याप्त असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

16. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के भूमि-भवनहीन राजकीय विद्यालयों को भूमि उपलब्ध करवाकर भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

17. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन, मापदण्ड के अनुसार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अन्जू धानका (बस्सी) :

18. विभाग द्वारा जयपुर जिले के बस्सी तहसील के ग्राम रोजवाड़ी की सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य तथा विज्ञान (कृषि संकाय) चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतु) :

19. विधान सभा क्षेत्र बायतु में सत्र 2006-07 एवं 2007-08 में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों में पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विभाग द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतु (बाड़मेर) में जीव-विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र बायतु में माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम)

22. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, अध्यापकों की कमी, आठवीं बोर्ड को बीकानेर शिक्षा निदेशालय के अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञान चन्द पारख (पाली) :

23. विधान सभा क्षेत्र पाली की रोहट तहसील की ग्राम पंचायत मुख्यालय सिणगारी एवं गांव जैतपुर की उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में एवं गांव जैतपुर की माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

24. अलवर में कला एवं संस्कृति महाविद्यालय/विद्यालय नहीं होने से छात्रों को हो रही भारी परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

25. अलवर जिले में पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण शैल चित्रों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

26. श्रीगंगानगर जिले के सभी स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में विधवा, परित्यक्ता एवं विकलांगों को तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

28. श्रीगंगानगर जिले में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

29. विभाग द्वारा अध्यापकों के समानीकरण नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में सरकारी विद्यालयों में शुरू की गई कम्प्यूटर शिक्षा की ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने तथा छात्रों को कम्प्यूटर नहीं सिखाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

31. विधान सभा क्षेत्र सोजत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाजीवास, बासिया, रामपुरा, देवली हुल्ला, बिटारिया कलां, लिलाम्बा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय साणिया को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

32. श्री रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के शिक्षकों को वेतन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में तृतीय श्रेणी व द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. अनुदानित विद्यालय श्री रधुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ को अधिगृहित कर शिक्षकों व अभिभावकों को राहत प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. विभाग द्वारा कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विभाग द्वारा शहर लक्ष्मणगढ़ (जिला सीकर) में राजकीय उच्च

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

37. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

39. विधान सभा क्षेत्र बाली की राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र बाली में महाविद्यालय खोले जाने की आवयकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

41. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में महिला शिक्षा की उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

42. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के उच्च शिक्षा के शिक्षकों को नवीन वेतनमान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में शिक्षकों की कमी पूर्ति करने एवं नवीन पदों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विश्वविद्यालयों की शिक्षा के बदलते स्वरूप पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

45. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, गणित व वाणिज्य संकाय नहीं होने से छात्राओं में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्न्त करने एवं विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री निर्मल कुमावत)

47. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में चल रहे संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में अध्यापक नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

49. राज्य के संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

50. राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने के बाद भी राजस्थान विश्वविद्यालय में जमा साहित्य निधि की राशि को हस्तान्तरित नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

51. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र विराटनगर व शाहपुरा (जयपुर) के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध करवाने व शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. सरदार शहर जिला चूरू स्थित आई.एस.ई. विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़े की शिकायतों पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की ग्राम पंचायत हाथनोदा व अमरपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के अमरसर व राड़ावास ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावासों को संचालित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

55. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की राजकीय माध्यमिक विद्यालय हमीनपुर एवं देवरोड़ को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों एवं शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री सुन्दरलाल)

57. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिलानी के राजकीय विद्यालयों के भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए उनकी मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. शिक्षा के क्षेत्र में संगीत, नाट्य अकादमी कला संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिए।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

59. प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

60. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सुन्दरपुरासी, ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लढ़ाना, किशनपुरा, लाडपुरा, गनोडा, धौलासरी, मेईराजनपुरा, मुंडियावास, जिणवास एवं ढेहर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

61. निजी विश्वविद्यालय सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी (झुंझुनूं) के विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

62. राज्य के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

64. दांतारामगढ़ उप-खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

65. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र केशवरापाटन के लाखेरी नगरपालिका मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पड़े विभिन्न विषय अध्यापक, व्याख्याताओं के पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. हाइटेंशन विद्युत लाइनों से प्रभावित गोनेर रोड, जयपुर के निजी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन जो सार्वजनिक निर्माण

(श्री सी.एल. प्रेमी)

विभाग से प्रमाण-पत्र लेकर चलाये जाने से छात्र-छात्राओं के जीवन की अनदेखी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखेरी में वाणिज्य, इन्द्रगढ़ में जीव विज्ञान एवं करवर में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के राजकीय उच्च माध्यमिक (बालिका) केशवरायपाटन, लाखेरी, इन्द्रगढ़ एवं कापरेन में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

70. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षा देने एवं मदरसों में सामान्य शिक्षा सहयोगियों की स्थायी नियुक्ति करने के संबंध में।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

71. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के स्कूलों में अध्यापकों एवं महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के खाली पदों की कमी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडौल) :

72. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के उच्च माध्यमिक विद्यालय, झाडौल व कोटडा में विज्ञान, वाणिज्य संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी) :

73. जयपुर जिले की बस्सी तहसील में स्कूलों में अध्यापकों की कमी तथा विषय अध्यापकों की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

74. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के जिन राजकीय स्कूलों के भवन जीर्ण शीर्ण हालत में हैं उनकी मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा तहसील रावतसर, गोलूवाड़ा एवं पीलीबंगा की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक/शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

76. डेगाना कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

77. छात्र संघ चुनाव की घोषणा करने के बाद भी अभी तक प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

78. निजी शिक्षण संस्थाओं को देय अनुदान के संबंध में चर्चा के लिए।

79. विद्यालयों में हजारों रिक्त पदों के कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का शिक्षा का स्तर नहीं सुधरने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

80. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के अच्छे परिणामों की स्थिति पर चर्चा के लिए।

81. सरकारी विद्यालयों में नामांकन प्रतिवर्ष कम होने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

82. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कस्बा बड़ौदामेव में राजकीय आई.टी.आई. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में छात्रा महाविद्यालय एवं नौगावां में महिला पोलीटैक्निक खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में मुबारकपुर एवं अलावाड़ा छात्रा प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत के संबंध में चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में सैदमपुर, बुटियाना, रौठापुर, घाट नसवारी एवं फाहेरी मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

87. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धुवाकलां में स्थापित बोर्ड परीक्षा केन्द्र को समाप्त करने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिए।

88. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कोटा द्वारा व्यवस्थार्थ एवं प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों को मनमाने तरीके से लगाने से विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

89. बैरवा ढाणी का काबरियों का बरड़ा (ग्राम पंचातय टोड़ा का गोठड़ा) तथा ग्राम

(श्री रामनारायण मीणा)

उदयपुरा (नगर फोर्ट) जिला टोंक में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

90. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जलसीना (देवली) तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोहल्या (अलीगढ़) जिला टोंक को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

91. राजकीय महाविद्यालय, देवली (टोंक) में अध्ययनरत छात्रों के लिए छात्रावास भवन स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

92. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये विद्यालय खोलने व विद्यमान विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. राज्य में संस्कृत शिक्षा में शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पद बढ़ जाने से मंत्रालयिक संवर्ग पर पड़ रहे अतिरिक्त कार्य भार को देखते हुए कनिष्ठ लिपिक व मंत्रालयिक संवर्ग के अन्य अतिरिक्त पद सृजित कर रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर) :

97. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र अनुपात में शिक्षकों की कमी एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय व राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एच.एम. व सामान्य पद स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

98. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में स्कूलों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया) :

100. संगरिया व टिब्बी के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के क्षतिग्रस्त कमरों, चार दीवारी व खेल मैदान की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र सांगरिया के ग्राम पंचायतों में कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. संगरिया व टिब्बी उप-खण्ड में महिला टैक्नोलोजी महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

104. टिब्बी व संगरिया उप-खण्ड में कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

105. विभाग द्वारा राज्य में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र नगर के विद्यालयों में समस्त प्रकार के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र नगर में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र नगर में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र नगर के समस्त विद्यालयों में विषयवार एवं छात्रानुपात में शिक्षक लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ बास) :

110. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में ग्राम मोठूका में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यायलय खोले जाने व ग्राम जोडिया में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम आहिर बासना, भोजपुर, खानपुर डागरान, जाटूवास, मूसाखेड़ा, जखोपुर, रायपुर, नरवास, किरवारी विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री रामेहत सिंह)

112. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम गुजरीबास, हाजीपुर, पहाड़वास, मीरपुर, लिसाणी, भोजपुर, आनाका, मसवासी व गिरवास के विद्यालयों को राजकीय उच्च विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम भोजरका, आकोली, बिलाहेड़ी कानहड़का, तिगांवा, नांगलसालिया, नसोपुर के विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम जोडिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैकल्पिक विषय संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासकृपाल नगर में गणित संकाय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

115. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

116. विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. विभाग द्वारा विद्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

118. विभाग द्वारा सामान्य शिक्षा सहयोगियों की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

119. विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा माध्यमिक को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने एवं रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

121. विधान सभा क्षेत्र करौली के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च

(श्रीमती रोहिणी कुमारी)

माध्यमिक विद्यालय खोलने, विद्यालयों में शिक्षकों/व्याख्याताओं कर्मचारियों के रिक्त पद भरने एवं विद्यार्थियों के लिए पीने के पानी, शौचालय तथा खेल के मैदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

122. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि एवं विज्ञान संकाय में छात्रों को अध्ययन की स्वीकृति आगामी शैक्षणिक सत्र 2009-10 से कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. राजकीय विधिक महाविद्यालयों के अविधिक संचालन से हजारों विधि छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

124. अजमेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

125. प्रतापगढ़ जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों को आबंटित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को बेदखल करके, विद्यालय को आबंटित भूमि पर चार दीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. आदिवासी जिलों में वर्ष 2008-09 में क्रमोन्नत किये गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बैठने की समस्या के समाधान के लिए नवीन कक्षा कक्ष का निर्माण व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

127. कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ के विद्यालय भवन से लगा हुआ पुराना जिला चिकित्सालय का अधिकांश हिस्सा जो खाली पड़ा है उसे विद्यालय परिसर में स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

128. उच्च माध्यमिक विद्यालय अवलेश्वर प्रतापगढ़ व दलोर अरनोद में कृषि विषय तथा सालमगढ़ चूपना अरनोद, सुहागपुरा, देवगढ़ व धमोतर में विज्ञान संकाय खोलने पर चर्चा के लिए।

129. प्रतापगढ़ जिले में खोले गये माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय के संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षक नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

130. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के राजकीय मुल्तानमल भीखचंद कन्या महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय खोलने पर चर्चा के लिए।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):

131. विभाग द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी करने की स्थिति पर शिक्षा नियामक आयोग के गठन हेतु कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. जयपुर शहर के सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

133. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं बाप में बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

134. पंडिताई शिक्षा दिये जाने का पाठ्यक्रम निर्धारित कर प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. फलौदी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रा में कला के सभी विषय, विज्ञान एवं वाणिज्य विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. सर्व शिक्षा अभियान से संविदा पर लगे तकनीकी अधिकारियों के स्थान पर स्थायी कर्मचारी लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

137. लंगा जाति के व मांगणीपार, श्रेष्ठ कलाकारों के लिए पंचायत समिति स्तर पर कला को प्रोत्साहित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रेमाराम (धोद) :

138. विधान सभा क्षेत्र धोद में स्कूल भवन के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र धोद के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी, एकल अध्यापक स्कूल व विषय अध्यापकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र धोद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूण्डवाडा व धोद में जीव विज्ञान विषय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री प्रेमाराम)

142. विभाग द्वारा सीकर में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

143. घड़साना के राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान संकाय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में शिक्षकों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

145. श्रीगंगानगर जिले में अतिरिक्त पैरा टीचर्स (डी.पी.ई.पी. द्वारा) 302 को पुन: लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

146. राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय अनूपगढ़, घड़साना, रावला में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

147. अनूपगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

148. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला व सीकर जिले के विद्यालयों में अध्यापकों व आफिस स्टाफ का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

149. संस्कृत शिक्षा में कालेजों एवं सभी प्रकार के स्कूलों में व्याख्याता एवं अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में दादिया रामपुर में सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कालेजों एवं स्कूलों के भवन निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

152. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन एवं विषय शिक्षक लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

153. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरवासी, रोवां, खजूरी, टीकण, इटन्दा, सवाईपुर एवं बिशनियां में विज्ञान संकाय खोलने पर चर्चा के लिए।

(श्री शिवजीराम मीणा)

154. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाजपुर में विज्ञान संकाय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय पारोली, लुहारीकलां, पीपलून्द व छापरेल में वाणिज्य संकाय खोलने पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने एवं चयनित शिक्षक नहीं मिलने तक विद्यार्थी मित्र लगाने पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खजूरी, रोपा, पारोली व पीपलून्द को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

157. उप-खण्ड मुख्यालय जहाजपुर पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

158. पंचायत मुख्यालय पर स्थित उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नाथावाला (शाहपुरा) को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

159. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कीकासर, हरदेसर, लूणासर में पद स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

160. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम धनला, गुडासूरसिंह लीलकी एवं गुडाकलां में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम डुठारिया एवं पुनडिया पंचायत समिति रानी के स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम जोजावर की बालिका स्कूल को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

164. नव क्रमोन्नत राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बैलारा, नदबई को यथावत रखने के संबंध में चर्चा के लिए।

165. रूपवास (भरतपुर) के राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक द्वितीय श्रेणी एवं व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक द्वितीय श्रेणी एवं व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

167. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चितोकड़ी (भरतपुर) में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

168. राजकीय कर्पूरी देवी, जगवायन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नदबई में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

169. विधान सभा क्षेत्र सोजत के सोजत में स्थित किले के जीर्णोद्धार तथा नर्सिगजी की भूखारी के संबंध में चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र सोजत में सीनियर व प्राथमिक विद्यालयों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र सोजत में विद्यार्थी मित्र योजना में लगे शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (वैर):

172. बैर शहर (भरतपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र वैर के गांव खोहरा के माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

174. सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने हेतु कारगर कदम उठाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

175. ग्रामीण क्षेत्रों में कला केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।